राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या 15

सोमवार,

दिनांक 17 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व 11.10 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, विकास, चिकित्सा, यातायात, श्रम, गृह, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, राजस्व, विकास विभाग]

उमरावखां एग्रीकलचर स्कीम

316. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उमरावखां एग्रीकल्चर स्कीम जो बड़ेल फालना एक्सटेन्शन पर स्थित है, उसको कब बनाया गया था ?

(2) उस स्कीम के अन्तर्गत कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए थे ?

(3) यह स्कीम किस तारीख को स्वीकृत हो गयी थी ? क्या यह सही है कि बाद में आने वाले प्रार्थना-पत्रों के आधार पर लोगों को फालना एवं खुडाला में कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) :

(1) इस स्कीम को वित्तीय वर्ष 1963-64 के माह जुलाई, 1963 में बनाया गया था।

(2) इस स्कीम के अन्तगत 9 ार्थियों ने एक ही सम्मिलित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था।

(3) स्कीमें 1963-64 में बनी थीं। जी हां। सूची आपको दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, भाग तीन में मैंने पूछा है कि यह स्कीम किस तारीख को स्वीकृत हुई थी, इसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री खेतसिंह: तारीख मेरे पास नहीं ह। इसकी वजह यह है कि फालना डिविजन

(श्री खेतसिंह)

65 में बना था और स्कीम 63 की थी। इसलिये ऑफिस में कागजात नहीं मिले।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी नहीं मिले ?

श्री खेतसिंह : होना तो चाहिये, हमने जोधपुर के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर से दर्याफ्त किया है। वैसे डेट खास माने नहीं रखती।

श्री पृथ्वीसिंह : कैसे नहीं रखती ! आप तारीख नहीं बताकर टालमटोल करना चाहते हैं। स्कीम के स्वीकृत होने से पहले ही उनको कनेक्शन दे दिये गये और इसमें घोटाले और भ्रष्टाचार बहुत हुए हैं। तो जब तक तारीख नहीं बताते इस पर आगे में क्या सप्लीमेन्ट्री कर सकता हूं।

श्री खेतसिंह : इन नौ आदमियों की स्कीम स्वीकृत हुई थी और इनको एक ही साथ दिये गये थे।

श्री पृथ्वीसिंह : इसमें यह तारीख ी तो महत्व रखती है, इसके बिना में क्या बता सकता हूं कि किस तरह से और कब इनको कनेक्शन दिये गये थे। इस स्कीम में कई तरह के घोटाले हैं और गबन हैं आप इन भ्रष्ट अधिकारियों को इस तरह से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। आखिर मामला ऐसा क्या है ? क्यों आप उनको छिपाना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह : जहां तक स्कीम का प्रश्न है इन नौ आदमियों की स्कीम तय हुई थी और 19-5-64 को एप्लीकेशन दी थी।

श्री पृथ्वीसिंह : स्वीकृति की तारीख फिर कौनसी है ?

श्री खेतसिंह : 30-7-65 को कनेक्शन दिये गये थे।

श्री पृथ्वीसिंह : कनेक्शन दे दिये, सब कर लिया, पर स्वीकृत कब हुई यह ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया कि तारीख उनके पास उपलब्ध नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : स्कीम स्वीकृत हुई नहीं और एप्लीकेशन पर ही कनेक्शन दे दिये। यह तो मैं चार्ज लगाता हूं। ये तारीख बताते नहीं क्योंकि इसमें घोटाले और गबन हुए हैं ?

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह उत्तर देने की कृपा करेंगे कि जो मंजूरी हुई उसकी कोई तारीख आप बताना नहीं चाहते यह कह दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : तारीख की ही तो गड़बड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, इसकी तारीख दे दें।

श्री पृथ्वीसिंह : बाद में क्या होगा ? तारीख हाउस के फ्लोर पर देनी चाहिये ताकि बाद में उस पर मैं सप्लीमेन्ट्री पूछ सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर स्थगित किया गया। श्री ओमदत्त भाटी।

Page No 3

श्री पृथ्वीसिंह : कब तक के लिये ?

श्री खेतसिंह : अगली टर्न पर मुकम्मिल जवाब दे दिया जावेगा ।

श्री पृथ्वीसिंह : इसी सत्र में ?

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न मीन्स इसी हफ्ते में ।

नेकस्ट

टिटेनस रोग से मृत्यु

317. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के 'अ' व 'ब' श्रेणी के अस्पतालों में सर्जिकल ऑपरेशन के बाद कितने मरीजों को पिछले तीन वर्षों में टिटेनस नामक रोग हो गया ?

(2) ऐसा होने का कारण बताने का कष्ट करें ?

(3) इनमें से कितने मरीजों की मृत्यु हो गई ?

(4) भविष्य में ऐसा न हो इसके लिये क्या कदम उठाये गये ?

(5) राजस्थान में कितने 'अ' व 'ब' श्रेणी के अस्पतालों में एसेप्टिक और सेप्टिक ऑपरेशन थियेटर्स हैं ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) : (1) पिछले तीन वर्षों में सर्जिकल ऑपरेशन के बाद 32 मरीजों को टिटेनस नामक रोग हुआ ।

(2) सुव्यवस्थित एयरकंण्डीशण्ड ऑपरेशन थियेटर नहीं होने पर यह रोग होने की सम्भावना बढ़ जाती है । ऑपरेशन के बाद ही नहीं, किसी भी प्रकार की चोट या घाव के बाद भी यह रोग हो सकता है ।

(3) 29 रोगियों की मृत्यु हो गई ।

(4) उपलब्ध सभी उपाय इस रोग की रोकथाम के लिये यथा समय अपनाये जाते हैं, एण्टी टिटेनस इन्जेक्शन भी दिये जाते हैं । ऑपरेशन थियेटर एवं सर्जिकल वार्ड में स्टेरिलाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है एवं स्टाफ को स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखने के लिए पूर्ण हिदायत दी हुई है ।

(5) सूची संग्लन है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : आपने कहा कि एयरकण्डीशण्ड ऑपरेशन थियेटर होना चाहिये, फिर तो मोबाइल सर्जिकल केम्प में जो एयरकण्डीशन हो नहीं सकते, न हैं, सभी की डैथ हो जानी चाहिये । फिर जोधपुर में आपने बताया कि एक सेप्टिक थियेटर है, वहां तो कुल थियेटर ही दो ही हैं । सेप्टिक नहीं है । यह असत्य बात आपने बताई ।

फिर टिटेनस केस एयरकण्डीशण्ड थियेटर न होने से होते हैं, यह भी असत्य बात है । स्टेरिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं होने से, और अथवा उसमें लापरवाही बरतने से टिटेनस केस होते हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): यह सूचना तो आप दे रहे हैं । आप स्वयं डाक्टर हैं । हो सकता है आप जो कह रहे हैं वह ठीक हो । तो हम और जानकारी कर लेंगे ।

Page No 4

श्री ओमदत्त भाटी : जोधपुर में एक सेप्टिक थियेटर है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार तो है।

श्री ओमदत्त भाटी : कुल थियेटर कितने हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उम्मेद हास्पिटल जोधपुर में हैं ।

श्री ओमदत्त भाटी : असत्य है, आप जांच कराएं फिर से ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उम्मेद में और एम० बी० में असेप्टिक ऑपरेशन थियेटर हैं ।

श्री ओमदत्त भाटी : वहां सेप्टिक थियटर नहीं है । वहां कुल थियेटर दो ही हैं और टिटेनस होते हैं स्टेरिलाइजेशन की परवाह नहीं करने से, उसमें लापरवाही बरतने से। एयरकण्डीशण्ड थियेटर नहीं होने से नहीं होते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आप डाक्टर हैं, ज्यादा जानते हैं । बाकी आपकी जानकारी के अनुसार हम फिर जानकारी कर लेंगे ।

श्री फूलचन्द बाफना : टिटेनस के लिये एन्टी-टिटेनस इन्जेक्शन ही दिया जाता है या ऑपरेशन भी किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो डाक्टर बता सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न सं० 318

श्री गोरधन सोनी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मुआलाल चौधरी

ग्राम उग्रास में बिजली

319. **श्री मुआलाल चौधरी (दूदू)** : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम उग्रास तहसील दूदू में बिजली के खम्बे लगे दो वर्ष का समय हो गया परन्तु आज तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष वावोस, गाडोता दूदू पंचायत क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? अगर हां, तो इन ग्रामों को कुओं पर बिजली कब तक दी जा सकेगी ?

(3) क्या ग्राम उग्रास से कापडियावास खुर्द दो मील की दूरी पर है ? क्या इस ग्राम के 30 कुओं पर जहां बिजली के कनेक्शन लेना चाहते हैं इस वर्ष बिजली दी जा सकेगी ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) ज़िला जयपुर, तहसील दूदू में उग्रास नाम का ग्राम नहीं पाया जाता है। उगरियावास नाम का ग्राम अवश्य है जिसका विद्युत्तीकरण 22-3-67 को हुआ था। इसमें इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के कारण कोई कनेक्शन नहीं दिया जा सका है।

(2) ग्राम वावोस दूदू पंचायत क्षेत्र में नहीं मिलता है। ग्राम भाडोता तहसील दूदू पंचायत समिति में है जो किसी भी

Page No 5

(श्री खेतसिंह)

स्वीकृत प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

(3) उगरियावास से तापडिया करीब दो मील की दूरी पर है। तापडिया-वास अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है अतः यहां कनेक्शन देने के बारे में निश्चत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री सुआलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आप ट्रान्सफारमर पर बल्ब लगाकर ही गांवों को इलेक्ट्रिफाई करते हैं ?

श्री खेतसिंह : जब तक कनेक्शन नहीं होते हैं – वह तो गांव वाले लोगों पर है अप्लाई करें, सिक्योरिटि जमा करवायें। पूरी कार्यवाही होने के बाद कनेक्शन दिये जाते हैं।

श्री सुआलाल चौधरी : यह कभी सम्भव नहीं हो सकता है कि एक गांव में बिजली पहुंच जाय जसा माननीय उप-मन्त्री फरमा रहे हैं कि बिजली पहुंच जाय और वहां के लोग अप्लाई नहीं करें।

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा निवेदन किया ट्रान्सफारमर लगने के बाद, लोगों की दरख्वास्तें आने के बाद कनेक्शन देने की बात आती है। यह निश्चित आधार पर दी जाती है। हमारा साल भर का कोटा होता है, उसी आधार पर दी जाती है। इसलिये देरी भी हो जाती है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, फिर गांव कैसे इलेक्ट्रिफाई हो जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सुआलाल चौधरी : इसमें आपने दूदू के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। ग्राम उगरियावास के लिये तो आपने कहा है लेकिन दूदू के बारे में उत्तर नहीं दिया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : ग्राम भाड़ोता है दूदू पंचायत समिति में लेकिन इसको अभी किसी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

श्री सुआलाल चौधरी : दूदू पंचायत के बारे में आपका क्या जवाब है ?

श्री शिवचरण माथुर : दूदू इलेक्ट्रि-फाइड है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : यह इलेक्ट्रिफाई कब किया गया ?

श्री सुआलाल चौधरी : ग्राम भाड़ोता के बारे में भी ...

श्री शिवचरण माथुर : भाड़ोता दूदू में शामिल मान लिया गया है। अब आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो दे दी जायगी।

श्री सुआलाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 11 के० वी० लाइन लगी है और इसको दो साल हो गये वहां के काश्तकारों ने कनेक्शन के लिये दरख्वास्त दी है और 10 के करीब लग भी चुके हैं – आपने यह बताया भी नहीं। आप अपने विभाग की सही जानकारी नहीं रखते हैं ? ग्राम भाड़ोता, कापडियावास और उगरियावास वहां के लोग भी लेना

(श्री सुआलाल चौधरी)

चाहते हैं। आपकी सरकार की मंशा है क्या? 1-2 मील पड़ता है पंचायत समिति से। जिला परिषद् को दरख्वास्तें दे रखी हैं फिर भी इसका विद्युतीकरण नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है। यह भावी योजना से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। उत्तर दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या 320।

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकर लाल।

प्रश्न संख्या 321।

परिवार नियोजन का बजट और उसका उपयोग

321. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान में परिवार नियोजन के लिये चालू वर्ष का निर्धारित बजट पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा और काफी धनराशि बच जायेगी? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : राजस्थान में परिवार नियोजन, कार्यक्रम के लिये चालू वर्ष में निर्धारित बजट पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जावेगा एवं इस कार्य के लिये और अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

श्री शंकर लाल : कितना बजट बताया?

श्रीमती सुमित्रा : टोटल बजट एक करोड़ 35 लाख का है जिसमें एक करोड़ 25 लाख खर्च किया जा चुका है और करीब 6 लाख की अभी और आवश्यकता है।

श्री शंकर लाल : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि बजट का पूरा उपयोग नहीं हो सकता है?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बाहर के लोग कुछ भी कहते रहें तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।

श्री शंकर लाल : आपने जांच करवाई, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? उसका कन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं किया आपने?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न?

प्रश्न सं० 322।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य।

शराब का उत्पादन

323. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) राजस्थान में प्रति वर्ष कुल कितनी देशी व विदेशी शराब तैयार होती है और डिस्टलरीज कहां कहां पर हैं?

(2) क्या यह सही है कि शराब के उत्पादन पर खर्चा बहुत कम आता है और

(श्री रामचन्द्र आर्य)

शराब बहुत ऊंचे दामों पर बेची जाती है ? यदि हां, तो यह अन्तर कितना है ?

(3) राज्य में शराब के कुल कितने ठेके हैं और कुल कितनी दुकानें हैं ?

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि राज्य में घर घर जाकर शराब बेची जाती है ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री शिवचरण सिंह) : (1) राजस्थान में वर्ष 1967-68 में 78,81,973 बल्क लिटर्स.....

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे आपत्ति है अंग्रेजी में क्यों जवाब दे रहे हैं। हिन्दी में दीजिये।

श्री शिव चरण सिंह : राजस्थान में वर्ष 1967-68 में 78,81,973 बल्क लिटर्स देशी मदिरा व 12,23,544 बल्क लिटर्स विदेशी मदिरा का उत्पादन हुआ। राजस्थान में निम्न स्थानों में डिस्टलरी स्थित है :—

(1) श्रीगंगानगर।
(2) उदयपुर।
(3) मन्डोर।
(4) अजमेर
(5) अटरू
(6) प्रतापगढ़।

(2) यह सही है कि शराब की सरकार की क्रय दर और जिस दर पर वह लाईसेन्सधारियों को दिया जाता है उसमें बहुत अन्तर है। यह अन्तर आबकारी शुल्क के कारण है। आबकारी शुल्क शराब की किस्मों पर भिन्न है जिससे यह अन्तर सब तरह के शराब के लिये समान नहीं है।

(3) राज्य में देशी व विदेशी शराब के कुल 2,114 लाईसेन्सधारी हैं तथा राज्य में शराब की 2,169 दुकानें हैं।

(4) यह सही नहीं है। शराब के अवैध व्यापार की रोक-थाम के लिये कानूनी कार्यवाही की जाती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने यह उत्तर दिया-सही नहीं है नं० 4 का। यह बिल्कुल सही है। घर घर में शराब की बोतलें भेजकर वे वितरण करते हैं, जिससे आम लोगों को पीने को मिलती है। समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह बिलकुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही होता है।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय 67-68 में गैर कानूनी कैसेज 4,213 थे जिसमें 544 कैसेज का चालान हुआ है, 68-69 में 304 थे जिसमें 214 को सजा दी गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कैसे कह दिया जी नहीं।

श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़) : आपने जो चालान के कैसेज बताये हैं व सब गैर तरीके से शराब के कैसेज हैं।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने तो टोटल नम्बर बताया है।

Page No 8

श्री दौलत राम सारण : राज्य की ओर से ठेकेदारों द्वारा जीपों में भर कर ऐजेन्टों के द्वारा बिक्री करते हैं। यह सारे राजस्थान में हो रही है । इसको रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : विभाग को सूचना नहीं है ।

श्री दौलत राम सारण : मैंने सदन में कई बार सवाल उठाया है । क्या आप सदन में कान बन्द करके बैठे रहते हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : मैंने पूछा, आपके पास सूचना हो तो बतायें ?

श्री दौलत राम सारण : मैंने कई बार सदन में इस प्रश्न को उठाया है......

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूचना का तरीका बता दीजिये क्या है ?

श्री बालसिंह सौढ़ा (जैसलमेर) : आपकी क्या ड्यूटी है । हर मिनिस्टर हर सदस्य से सूचना चाहता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देता हूं कि अब ठेकेदार एक जीप रखते हैं और घर घर जाकर शराब की बोतलें बेचते हैं यह बिल्कुल फक्ट है और आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है । तो आप किस तरह कुर्सी पर बैठे हैं ? आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं समझता हूं आपको जानकारी है और आप जान बूझकर शराब बेचने के लिए ठेकेदारों को बाध्य कर रहे हैं क्या यह सही है ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : आप कहते हैं जानकारी नहीं है मैं आपको जानकारी देता हूं कि कोटा के कमिश्नर को मैंने कम्पलेन्ट की है लेकिन उनका माहवारी पैसा बंधा हुआ है लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : ऐसी कोई शिकायत हो तो आप बतायें......

श्री उपाध्यक्ष : वह कह तो रहे हैं कि सभी ठेकेदार करते हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : स्पेसिफिक बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : स्पेसिफिक ही तो बता रहे हैं ।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति है कि अधिक से अधिक शराब बेची जाये इसलिये ठेकेदारों को छूट दी जाती है कि वह ज्यादा से ज्यादा शराब गांवों तक पहुंचायें और विभागीय अधिकारी जीपों द्वारा गांवों में जाकर दौरा करके देखते हैं कि इस गांव में शराब पहुंचती है या नहीं-अगर नहीं पहुंचती है तो ठेकेदारों को ताकीद करते हैं कि वहां शराब पहुंचाई जाये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इससे इल्लीगल इनकम होती है ।

श्री शिवचरण सिंह : ऐसा है कि शराब बेचने के लिए दुकानें स्वीकृत हैं और उनका एरिया भी है। अगर कोई गैर कानूनी दुकान पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । अगर कोई गलत दुकान के बारे में सूचना हो तो हम कानूनी कार्यवाही करवायें आप बतायें ।

श्री दौलत राम सारण : क्या अविकृत ठेकेदार को बाहर शराब बेचना गैर कानूनी नहीं है ?

Page No 9

श्री शिवचरण सिंह : गैर कानूनी है।

श्री दौलत राम सारण : तो हर ठेकेदार कमीशन एजेन्ट की मार्फत शराब बेच रहा है और इसकी सदन में कई बार सूचना दी गई है। मैंने कई बार खड़े होकर सदन में कहा है।

श्री शिवचरण सिंह : मेरे पास कोई सूचना नहीं ह।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूं इल्लीगल गांव-गांव में बेचते हैं अरनाई गांव में बेचते हैं।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : आज हालत यह है कि शराब गांव-गांव में गैर कानूनी रूप से बेची जा रही है, एक्शन कोई लेता नहीं है और इससे विद्यार्थियों को भी मौका मिला है पीने के लिये इस आपकी शराब की बेचने की मेहरबानी की वजह से।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : गांवों में विद्यार्थी कोई शराब नहीं पीता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हर दुकान का सर्किल होता है और उसमें एक्सक्लुसिव राईट होता है मोनोपोलिस्ट का और वह शराब बेचता है और अगर एक सर्किल से बाहर दूसरा ठेकेदार बेचता है और वह ठेकेदार शिकायत करता है तो ऐसे कसेज में कार्यवाही भी की गयी है। लाइसेन्स में लिखा है कि यह दुकान इस मोहल्ले में होगी इससे अलावा कोई जगह हो तो बदले में कार्यवाही करेंगे।

श्री दौलत राम सारण : अभी माननीय मंत्री महोदय पूछ रहे थे कि माननीय सदस्य किसी के बारे म बतायें। माननीय सदस्यों ने कई बार इस सदन में बताया है कि अधिकृत ठेके से बाहर गांवों में जीपों में बोतलें भर कर कमीशन एजेन्टों के मार्फत ठेकेदार शराब बेचते हैं और राज्य सरकार उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है।

श्री हंसराज आर्य : यह 100 परसेन्ट सही है।

श्री दौलत राम सारण : जो ठेकेदार नहीं बेचते हैं ? उनको कहते हैं 'बेचो'।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो माननीय सदस्य का भाषण हुआ, प्रश्न नहीं है इसलिये उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय मंत्री महोदय, इस सदन में झूठ बोलते हैं कि शराब इस तरह खुली नहीं बिकती है। यह बिल्कुल गलत बात कहते हैं। यह उत्तर निकम्मा है और आप जान बूझ कर शराब का प्रचार करना चाहते हैं। गरीबों को तबाह कर दिया है शराब ने और शराब की बोतलें बेचते हैं और खुले आम बेचते हैं और आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उस सर्किल के अन्दर वह बेच सकते हैं तो इसका तो यही मतलब है कि गांव-गांव में बेच सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आपने जो कहा है उसका इन्टरप्रिटेशन यह ले रहे हैं

Page No 10

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)
कि वह गांव गांव बेच रहे हैं और ऐसा हो रहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : एक दुकान होती है स्वीकृत एक जगह पर और वह उस मोहल्ले में ही बचेगा ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आप जालोर में पता कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की यह शिकायत है कि उसी सर्किल के अन्दर तो बेचता है लेकिन आपके नियमों के अनुसार जो निर्धारित जगह होती है वहीं शराब बिकनी चाहिए । सदस्यों का आम तौर से कहना यह है कि जीपों में डालकर तमाम सर्किलों में घर घर जाकर पहुंचाते हैं–इसके लिये आपका क्या जवाब है ?

श्री हंसराज आर्य : ठेकेदारों के पास अपनी गाड़ियां हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ माननीय सदस्य यह बात कह दी गई हैं....

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि क्या मंत्री महोदय इस तरह का सरकुलर इश्यू करेंगे कि अगर अपने निश्चित स्थान से दूसरी जगह शराब बेचेगा तो उस ठेकेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा और इन्सपेक्टरों के खिलाफ भी एक्शन लिया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : अपने ठेके के बाहर जाने की इजाजत नहीं है और कोई बेचता है तो आप क्यों नहीं पकड़ा देते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई पकड़ने वाला ही नहीं है उसको ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : ठेकेदार आज घर घर जाकर प्रचार करते हैं ....

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नई बात पूछ रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : हां । क्या यह सही है कि जिस गारन्टी प्रथा के अनुसार आपने ठेके दिये कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक इतनी शराब आपको बेचनी होगी चाहे वह कहीं भी बेचे । इस प्रकार की जो गारन्टी प्रथा लागू कर रखी है उसके द्वारा उस शराब को वह ठेकेदार निकालने के लिये गांव गांव, बाजार बाजार और जगह जगह जीपों के द्वारा सप्लाई करता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह सवाल पूछा जा चुका है । नयी बात हो तो फरमायें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जतिजी के मेले में दो जीपें भर कर जाती हैं और वहां अनाप शनाप शराब बेची और नोखा के 24 गांव ऐसे हैं कि जहां कोई एरिया नहीं है और वहां शराब बेची गई । हमने उसके लिए एस० डी० एम० को शिकायत की, पुलिस को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गयी ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने तो सभी ने जो बहस की वह एक है कि हम

(श्री मथुरादास माथुर)
लोग शराब को बेचने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं......

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिलकुल ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है, आपका कहना भी ठीक है। मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी कार्यवाही होती है वह कानून से होती है और रूल्स से होती है अब उसका बीच होता है—माननीय सदस्य नोखा से आने वालों ने कहा कि मेले में ऐसी दो जापें थीं तो उस मेले को हुए कई दिन हो गये। आखिर सदन में भी बहस हुई है, बजट पर भी हुई है वह कोई इसका जिक्र तो करते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानन साफ है, रूल्स साफ हैं और उनका कोई उल्लघन होता है तो सरकार के अधिकारियों को सूचना देनी चाहिये। अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो माननीय सदस्य कहें उन्होंने कभी शिकायत की हो और कार्यवाही नहीं हुई हो तो। हम खुद पकड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। आपने नोखा वाली बात कही है मेले की मैं इसकी जांच करूंगा और अगर कोई और हो तो आप बता दें मैं जांच करूंगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केलादेवी के मामले में ऐसा नहीं हो आज से ही वहां शराब की दुकान हैं और वहां बहुत डटकर शराब बिकेगी।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो मैं एक ऑफिसर को लगा दूं जो कि एक एक माननीय सदस्य के पास घूम जायें कि तुम्हारी कोई शिकायत है तो बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : आबकारी विभाग में किसलिए अधिकारी रखे हुए हैं। माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को यहां व्यक्त करते हैं और राज्य सरकार को उसके मुताबिक कार्यवाही करनी चाहिये। माननीय सदस्यों का जिम्मा नहीं है कि वह शिकायत करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, अगर अकाल के वर्षों में यह रहा तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा।

श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा सु०) : अभी 19 तारीख को बिलाड़ा खास में नौसती का मेला लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मेले बहुत लगते है आये साल।

श्री कालूराम आर्य : मैं आश्वासन चाहता हूं। 19 तारीख को नौसती का मेला लगेगा और उसमें अनापनाप शराब बेची जायेगी जबकि लाइसेन्सी को अधिकार नहीं है और वहां नौसती के मेले में शराब नहीं बेची जाय इसके लिए मैं आश्वासन चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन देंगे कि वहां शराब नहीं बेची जायेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे शिकायत करें मैं शराब तो क्या खाली बोतल भी नहीं जाने दंगा।

श्री श्रवणलाल : इसी प्रकार से केलादेवी का मेला 15 दिनों में लगने वाला है और वहां शराब बेची जायगी। उस मेले में लाखों आदमी आते हैं और नाजायज तौर पर शराब बेची जायेगी क्या माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि केलादेवी के मेले में कोई शराब की दुकान नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। मंत्री महोदय।

श्री श्रवणलाल : इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजवल्लभ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, केलादेवी के लिए....

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य कहते हैं कि अलग अलग मेलों के लिए तो सारे मेलों के लिए एक जनरल सक्यूलर क्यों नहीं इश्यू कर देते कि किसी मेले में नहीं बचगे और अपने जुरिस्डिक्शन मे भी घर घर जाकर नहीं बेचेंगे। ऐसा सक्यूलर इश्यू करने में सरकार को क्या आपत्ति है? एक एक मेले के लिए सब कह रहे हैं तो सब मेलों के लिए क्यों नहीं कर देते?

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : कितनी ही शिकायतें आई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सक्यूलर के बारे में आश्वासन आना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सक्यूलर इश्यू करने के बारे में क्या है?

श्री दौलतराम सारण : सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय मंत्रीजी इस प्रकार से अवैध तरीके से कोई भी कमीशन एजेन्ट ठेके की शराब नहीं बेचेगा, ऐसा सक्यूलर निकालने के लिए तैयार हैं?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट का कानून है, सक्यूलर है और आप राजी होते हैं तो 10 सक्यूलर और निकाल दूंगा।

श्री विजयसिंह : एक दिन में और कांग्रेसी एम० एल० ए० ललितसिंहजी और सुखाड़िया साहब के साले दीनूभाई अजमेर साथ साथ जा रहे थे तो दूदू पर चाय पीने के लिए उतरे और हमने चाय वाले से कहा कि चाय लाओ तो वहां पर एक शराबी न कहा दीनूभाई से कि अरे सूअर शराब पी ले तो इसका मतलब यह हुआ कि शराब पीने वालों से राज्य सरकार को नुकसान है और मुख्य मंत्रीजी सुखाड़िया जी के साले को गालियां मिलती हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको नहीं कहा।

प्रश्न संख्या 324

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजवल्लभ बोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

उल्टी और दस्त की बीमारी से मृत्यु

325. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में नवम्बर, दिसम्बर

Page No 13

(श्री दौलतराम सारण)

68 और जनवरी, 69 में कहां कहां उल्टी और दस्त की बीमारी फैली है ?

(2) उससे कितने व्यक्ति कहां कहां रोगग्रस्त हुए और उनमें से कितने कहां कहां मरे ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले की डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और सरदारशहर तहसीलों में यह रोग व्यापक रूप से फैला तथा इनके सम्बन्ध में पंचायत समितियों, पंचायतों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारियों और राज्य सरकार को तुरन्त सूचनाएं दीं परन्तु समय पर उचित चिकित्सा व्यवस्था न की जा सकी जिससे अकेले डूंगरगढ़ तहसील में ही कई व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में मर गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी इसे हैजा नहीं मानते परन्तु मेडिकल इन्स्टीट्यूट दिल्ली ने जांच के बाद इसे हैजा बताया है ?

(5) इस बीमारी के फैलने के क्या कारण हैं ? क्या उन कारणों को अब दूर कर दिया गया है ? इस सम्बन्ध में रोगियों की चिकित्सा और रोग की रोक थाम के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा):

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां ।

(5) रोग फैलने का कारण अधिक गर्मी पड़ना, पानी की कमी होना, कुओं का पानी कीटाणुग्रस्त व दूषित हो जाना है । रोग की रोक थाम के लिए हर संभव उपाय व व्यवस्था आवश्यकतानुसार कर दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न नं० 3 के अन्दर कहा कि कोई रोग नहीं फैला ।

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न नं० 3 के उत्तर में कहा है कि रोग फैलने की बात सही है, लेकिन आपने जैसा पूछा है उसमें कि रोग व्यापक रूप से फैला और वहां के जन-प्रतिनिधियों ने सूचना दी और समय पर एक्शन नहीं लिया गया यह गलत है ।

श्री दौलतराम सारण : सूचना नहीं दी ? जन प्रतिनिधियों और संस्थाओं ने सूचना नहीं दी ?

श्रीमती सुमित्रा : सूचना तो दी है लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि असंख्य लोग इस रोग से मर गये उसके लिए 'जी नहीं' है ।

श्री दौलतराम सारण : आपने सब के लिए 'जी नहीं' कहा है । सूचना दी है या नहीं तो उसके लिए 'जी नहीं' कहा, रोग फैला या नहीं तो उसके लिए 'जी नहीं', व्यवस्था की गई है या नहीं तो 'जी नहीं' ।

श्रीमती सुमित्रा : आपने कहा कि क्या असंख्य व्यक्ति मर गये ? तो मैंने 'जी नहीं' कहा और क्या कहती ?

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है इसमें तीन तहसीलों के नाम

(श्री दौलतराम सारण)

अलग अलग पेश किये हैं—डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और सरदारशहर तहसीलों में यह रोग व्यापक रूप से फैला तथा इसके सम्बन्ध में पंचायत समितियों, पंचायतों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारियों और राज्य सरकार को तुरन्त सूचनाएं दीं परन्तु समय पर उचित चिकित्सा व्यवस्था न की जा सकी जिससे अकेले डूंगरगढ़ तहसील में ही कई व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में मर गये ?

श्रीमती सुमित्रा : जो आपने पूछा है कि चिकित्सा के अभाव में मर गये इसलिए मैंने कहा है 'जी' नहीं' चिकित्सा के अभाव में नहीं मरे। उनकी बाकायदा चिकित्सा की गई और मरने वालों की जो सूची है चूरू जिले की वह आप दुबारा मुलाहिजा फर्मा लें। नवम्बर में 7 मरीज हुए थे जिसमें से 2 मर गये, दिसम्बर में 35 जिनमें से 3 मरे और जनवरी में वहां पर कोई रोगी हुआ नहीं और न किसी की मृत्यु हुई। हैजे से सिर्फ एक व्यक्ति पीड़ित हुआ था लेकिन उसको बचा लिया गया, मरा नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अकेले डूंगरगढ़ तहसील में 15 आदमी मर गये और आपने कहा है कि रोग फैला ही नहीं और चिकित्सा के अभाव में मरा नहीं तो जब चिकित्सा के अभाव में नहीं मरे तो क्या दवाई लेते लेते मर गये ?

श्रीमती सुमित्रा : आपको मरने वालों की संख्या बतादी है।

श्री दौलतराम सारण : मैं कहता हूं कि 15 आदमी मर गये मेरी जानकारी के अनुसार और चिकित्सा की व्यवस्था बाद में बड़ी शिकायत करने के बाद चालू की गई। उससे पहले तो चिकित्सा का नामोनिशान नहीं था। फिर लोग गांवों में धड़ाधड़ मरे, एक गांव में 8 मरे, एक गांव में 3 मरे, एक गांव में 2 मरे, एक गांव में 5 मरे, इस तरह से अलग अलग गांवों में आदमी मरे हैं। सैकड़ों आदमी बीमार हुए हैं और आपने जो सूची दी है वह सही नहीं है। बीकानेर के अन्दर आपने कहा है कि नवम्बर में 9 रोगी हुए और मरा एक भी नहीं, दिसम्बर में 6 रोगी हुए और मरा एक भी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : मैं क्षमा चाहूंगी माननीय सदस्य के पास पहले की लिस्ट पहुंची है। अब मेरे पास दुबारा इन्फर्मेशन आई है लेटेस्ट। उसमें मैंने जो 9 कहा है वह ठीक नहीं है। दिसम्बर में बीकानेर के आंकड़े इस प्रकार हैं। रोगी 19 और मृत्यु 8 की हुई है। यह मेरे पास लेटेस्ट इन्फर्मेशन है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि उनका मरना ही अच्छा है ?

एक माननीय सदस्य : यह आपकी भावना है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या ये सब आंत्रशोथ से मरे हैं ? यह सूचना नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष . मजलिस खां। अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सूची दी गई है उसमें कहा गया है कि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बीकानेर में एक भी नहीं मरा है लेकिन यह मेरी जानकारी है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पंचायत समितियों से गवर्नमेन्ट के पास रिपोर्ट आई है कि गांवों में बीमारी फैल गई है प्रधान ने सूचना दी हैं और जिला परिषद् ने कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य भाषण न दें प्रश्न पूछें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, हजारों आदमी मर गये हैं उनकी लिस्ट मेरे पास मय उनके नाम, गांव के नाम व उनके पिता के नाम सहित है और आप कह रहे हैं कि बीकानेर में एक भी नहीं मरा। अनाप-शनाप बीमारी फैली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मजलिसखां।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: आपकी सूचना सही नहीं है। मेरे पास पूरी सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष : यदि सूचना गलत है तो और तरीके हो सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : दुबारा जांच शुरू करवाकर इसका उत्तर दुबारा दिलाया जाय।

बीमारों और मृतकों की जो सूची दी गई है वह तथ्यों से परे हैं, गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप चैलेन्ज कर दें।

श्री दौलतराम सारण : मैं कर रहा हूं चैलेन्ज।

श्रीमती सुमित्रा : अगर माननीय सदस्य बीमारों और मृतकों को नाममय वल्दियत और गांव के नाम से दे देगें तो मैं इन्क्वारी कराने को तैयार हूं।

प्रश्न संख्या 326

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिसखां।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 327

श्री विट्ठलभाई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 328

श्री गंगासहाय

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 329

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल। Same

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 330

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूलाल करील

तहसील जमवारामगढ़ के ग्रामों में बिजली

331. **श्री नाथूलाल करील** (जमवारामगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के कौन कौन से ग्राम सन् 1966-67,

(श्री नाथूलाल करोल)

1967-68 व 1968-69 में बिजली देने के लिए सेंक्शन किये गये ? सूची हर साल की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1966-67 व 1967-68 के कौन कौन से सेंक्शन शुदा ग्राम हैं जिनमें लाइन नहीं खींच पाई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सेंक्शन शुदा ग्रामों में कौन कौन से ऐसे काश्तकार हैं जिनकी सिक्योरिटी कई दिनों से जमा है और उनको लाइन व कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) सन् 1968-69 में जो ग्राम सेंक्शन किये गये हैं उनमें लाइन कब तक खींच दी जायेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) :

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसा एक भी ग्राम नहीं है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सन् 1968-69 में जो ग्राम सेंक्शन किये गये हैं उनको लाइन इसी वर्ष पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री नाथूलाल करोल : नम्बर 3 के अन्दर यह कहा गया है सची सदन की मेज पर रख दी गई है तो बिलौची ग्राम में सेंक्शन हुई है 67 में और सूची में लिखा है कि इन ग्रामों के लिए ट्रान्सफार्मर नाट स्टार्टेड तो ट्रान्सफार्मर्स तो अब भी नहीं लगे हैं बिलौची ग्राम में।

श्री खेतसिंह : सही लगाये हैं तो सूची में साफ लिखा है कि नहीं लगाये है।

श्री नाथूलाल करोल : मेरी रिक्वेस्ट यह है कि 30-1-67 को वहां के लिए लाइन सेंक्शन हुई है उसके लिए तो ट्रान्सफार्मर्स नहीं मिले और जो बाद में सेन्क्शन हुई है उनके लिए मिल गये और उनके कुओं में बिजली भी फिट हो गई। ये बेचारे अभागे हैं कि इनके लिए ट्रान्सफार्मर्स भी एवेलेबल नहीं हैं।

श्री खेतसिंह : ट्रान्सफार्मर्स की कमी के कारण नहीं लगाये गये हैं। स्पेशल केस कोई आयेगा तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : आप बता रहे हैं कि बिलौची ग्राम में 5-7 आदमियों को कनेक्शन सेन्क्शन हुई हैं उसके बाद में जिन लोगों के कनेक्शन सकशन हुए है उनके यहां तो ट्रान्सफार्मर्स लगा दिये हैं और इन लोगों के नहीं लगाये हैं जिनके कनेक्शन 67 से मन्जूर शुदा हैं।

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : इस प्रकार के डिसकशन से लाभ नहीं होता है। अगर आपको जानकारी है तो लिखकर के दें उसके बारे में उप-मंत्रीजी द्वारा विचार कर लिया जायगा।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष जैसा कि उप-मंत्रीजी ने फर्माया

(श्री आईदानसिंह)
कि 66-67 में कोई वहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया या विद्युतीकरण नहीं किया गया, लेकिन 67-68 में आपने किया है तो क्या वह दौसा उप-चुनाव के बाद में किया गया है?

श्री खेतसिंह : आप गलत समझ हैं, मैंने कोई 67-68 का उल्लेख नहीं किया है। मैंने कहा है कि बाकी के गावों में 68-69 में अब हो रहा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि जो लाईन पहले स्वीकृत थी 1967 में उनको कनेक्शन नहीं दिया गया, और जो नई ऐप्लीकेशन्स थीं 1968 की उनको लाईन दी गई ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसकी जांच करेंगे क्या ?

श्री खेतसिंह : कर लेंगे।

श्री नाथूलाल करोल : आपने कहा है कि खेरा मेनून के अन्दर तीन आदमियों ने एल फार्म नहीं दिया, क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : जी हां। उन्होंने एल फार्म नहीं दिया इसकी वजह से कनेक्शन नहीं मिल सका।

श्री नाथूलाल करोल : मेरा रिक्वेस्ट है कि उनका पेमेंट हो चुका, एल फार्म भी दे दिया फिर भी उनको लाईन नहीं मिल रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : एल फार्म में बहुत दिक्कत होती है, इसको सरल कीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : एल फार्म सबमिट किया जा चुका है।

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो सूचना है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार उन्होंने एल फार्म जमा नहीं करवाया, इस वजह से कनेक्शन नही मिला।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि उन्होंने एल फार्म दे दिया है।

श्री खेतसिंह : इसकी जांच करा लेंगे।

श्री नाथूलाल करोल : चारण का नांगला में लोगों ने 1967 से ऐप्लीकेशन्स दे रखी हैं उनको लाईन नहीं मिली और बाकी के लोगों को मिल गई। चार आदमी हैं, जिनको बिजली नहीं मिली, श्री चन्दर, खाना, महादेवा और जगन्नाथ और आदमियों के पास तो फिटिंग हो गई पर इन लोगों के पास नहीं हुई।

श्री शिवचरण माथुर : आपकी शिकायत क्या है ?

श्री नाथूलाल करोल : मेरी शिकायत यह है कि गांव के अन्दर बिजली लगाने के लिये आपके आदमी जाते हैं और वे उन आदमियों के यहां बिजली की फिटिंग करते हैं। जो उनको पैसा देते हैं और जो नहीं देते हैं उनके यहां फिटिंग नहीं करते।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य की शिकायत आ जाये कि किसी जगह पर ऐसी गड़बड़ी

(श्री शिवचरण माथुर)

हुई है तो मैं आश्वासन देता हूं कि उसकी पूरी जानकारी करेंगे और जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्सट।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि गोविन्दपुरा बिलौंची के बिल्कुल पास है और वहां पर तो कनेक्शन दिया गया हालांकि वह छोटा सा गांव है लेकिन बिलौंची में जहां पर दो हजार की आबादी है वहां पर कनेक्शन नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जांच का आश्वासन दे दिया है। उसके बाद प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदय कहते हैं कि माननीय सदस्य लिखकर दें शिकायत, तो हम लिखकर शिकायत क्या दें? हम जनता के रिप्रेजन्टेटिव हैं और यहां कह दिया गया यह क्या उचित नहीं? मंत्री महोदय का यह कहना बहुत गलत है और जिम्मेदारी पूर्ण नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जब उनके नोटिस में है तो और क्या शिकायत दी जाय?

श्री खेतसिंह : जब तक कोई लिखकर शिकायत नहीं करेगा, तो हमें क्या सपना आयेगा कि यह बात हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्सट। श्री राम नारायण चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लीजियेगा

श्री पी० के० चौधरी : इसी से है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री रामनारायण चौधरी।

(प्रश्न संख्या 332)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क।

डीडवाना में पशु मेला एवं उससे आय

333. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा एक पशु मेला लगाया जाता है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त पशु मेले में कितनी कितनी आय और कितना व्यय किस किस वर्ष के मेले में किस किस मद में हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या मेलों में जो खर्चा हुआ है वह पंचायत समिति की पूर्ण अनुमति से हुआ?

(4) क्या राज्य सरकार को कोई ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि उक्त मेलों में खर्चा अनावश्यक व अनियमित रूप में हुआ है? यदि हां, तो कौन कौन सी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई और राज्य सरकार ने उन पर क्या क्या कार्यवाही किस किस अधिकारी के खिलाफ कब कब की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) उक्त मेले के हिसाब का जिन जिन वर्षों का ऑडिट हो चुका है उन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(1) जी हां, सन् 1960 से।

(2) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(3) सम्बन्धित स्थायी समिति की स्वीकृति से खर्चा हुआ।

(4) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(5) सन् 1661-62, 1962-63, 1963-64, तथा 1966-67 का आडिट हुआ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न (4) के उत्तर में आपने कहा है कि सम्बन्धित स्थायी समिति की स्वीकृति से खर्चा हुआ है। तो स्थायी समिति को कितना खर्चा करने का अधिकार है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अलग से प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अलग से कहां है ? स्थायी समिति को इतना खर्चा करने का अधिकार था या नहीं, यह तो बिल्कुल इसी से सम्बंधित है।]

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अपने अधिकारों के अन्दर ही स्थायी समिति ने खर्च किया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : वे पूछते है कि यह जो खर्चा हुआ है वह पंचायत समिति की पूर्व अनुमति से हुआ; और आप कहते हैं कि स्थायी समिति की स्वीकृति से खर्चा हुआ। तो स्थायी समिति को कितने खर्चे की स्वीकृति देने का अधिकार था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग से प्रश्न है, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अलग से कैसे है ? यह तो इसी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

बांध गलवानियां की नहर को मोहम्मदपुरा तक बढ़ाने की मांग

334. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांध गलवानियां, तहसील उनियारा, जिला टोंक की नहर जो कि मोहम्मदपुरा की ओर जा सकती है और जिससे 500 बीघा जमीन पीवल हो सकती है उसका कार्य चालू नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि यदि इस नहर को बढ़ाया जावे तो उक्त आराजी पीवल हो सकेगी ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने कई बार सिंचाई विभाग को निवेदन किया है पर उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या सरकार अब उस नहर का कार्य चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब चालू हो जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं । सिंचाई विभाग को प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं पर पहले से कमांड भूमि को ही पूरा पानी नहीं मिल पाता है, अतः नई भूमि को पानी देने का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सकता है ।

(4) जी नहीं ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने अच्छी तरह सुना नहीं, जवाब स्पष्ट नहीं था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि बांध की जो प्लान ऐप्रूव्ड थी कि इतने फीट बनेगा, वह क्या सम्पूर्ण बन गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): दो साल पहले इस बांध की जितनी ऊंचाई बनना चाहिये थी, वह बन चुकी थी, लेकिन पानी ज्यादा आ गया और खतरा आ गया, इसलिय इसकी रपट कम कर दी गयी । अब उसको ओरीजीनल हाइट के बराबर लाने की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन इतने बरसों से, जब से यह बना है तब से लेकर अब तक जो टारगेट्स निश्चित कर रखे थे सिंचाई के वे ही पूरे सिंचित नहीं हो पाये हैं, इसलिये कोई दूसरी नई एरिया और लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दिग्विजयसिंह : पहले जो एनीकट था वह टूट गया था, लेकिन आपको जानकारी के लिये निवेदन करूं कि अगर आप दो फुट और बढ़ाते हैं तो और जमीन में आबपाशी हो सकेगी ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : आबपाशी के लिये जमीन तो पहले ही मौजूद है, कोई नई जमीन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । जो जमीन कमान्ड में ली हुई है पहले उसमें आबपाशी होगी । तो जमीन पहले ही मौजूद है और जमीन बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता । जोआलरेडी कमांड में है पर नहरो से सिंचित नहीं हो सकती है, उसकी दो फुट रेस्टोर करके पानी दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्रीमती शिवकुमारी ।

झालावाड़ जिले में प्लान्टेशन

335 **श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वन विभाग द्वारा प्लान्टेशन की जगह नियुक्त करने के लिय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

(2) झालावाड़ जिले में किन किन स्थानों पर कितने-कितने क्षेत्र में प्लान्टेशन लगाये हुए हैं और इनकी क्या स्थिति है ?

(3) झालावाड़ जिले में स्थित ग्राम बालेर में प्लान्टेशन में मवेशी चराने के प्रसंग को लेकर विभाग ने कितने व्यक्तियों पर कितने मुकद्दमें चलाये हुए हैं ? कृपया मय नाम व तारीखों व कारणों के बताने का कष्ट करें । यह भी बतावें कि प्लान्टेशन चराई करवाने के कारण झालावाड़ क्षेत्र

(श्रीमती शिवकुमारी)

के और किन किन स्थानों पर लोगों पर विभाग द्वारा मुकद्दमे चलाये हुये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि मवेशियों के आने जाने के रास्तों पर गांव से लगती हुई भूमि पर प्लान्टेशन लगाने के कारण गांव व विभाग में झगड़े होते हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के स्थानों से प्लान्टेशन हटा देने के बाबत में सरकार का क्या विचार है ?

(5) झालावाड़ क्षेत्र में स्थापित किये गये प्लान्टेशन सबसे नजदीक लगे गांव से कितने कितने फासले पर हैं ?

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा:) (1) वर्तमान समय में प्लान्टेशन उन्हीं स्थानों पर किये जाते हैं जहां कर्मकरण योजना के अनुसार निदेशित किये गये हैं इसके अतिरिक्त निम्न मुख्य मुख्य बातों का और ध्यान रखा जाता है :-

(क) वन क्षेत्र का वह भाग जो अधिक चराई व अवैध कटाव द्वारा परिभ्रंशित अवस्था को प्राप्त हो चुका है।

(ख) वह वन क्षेत्र जो वृक्षों रहित होता है तथा जहां वृक्षारोपण का कार्य हो सकता है।

(ग) वह वन क्षेत्र जो भूमि कटान के दुष्प्रभाव में आ चुका है तथा भूमि कटान प्रारम्भ हो चुका है।

(घ) मुख्य वन उपज के योजनाबद्ध तरीके से काटे जाने उपरान्त उसी क्षेत्र में पुन: वृक्षारोपण कार्य।

(च) वन उपज में मूल्यवान जाति की बढ़ोतरी हेतु।

(2) सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक की स्थिति भी बता दी गई है।

(3) बालेर गांव में प्लान्टेशन नहीं है, अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता। झालावाड़ क्षेत्र के केवल बालेर प्लान्टेशन क्षेत्रों में अवैध चराई के सिलसिले में विभाग द्वारा कुल 21 केसेज बनाये गये, जिनमें से 1 केस पर पुलिस द्वारा मुकद्दमा चलाया गया है जिसका विवरण संलग्न है। केसेज़ चलाने के मुख्य कारण नाजायज चराई तथा प्लान्टेशन की फेंसिंग आदि को नुकसान पहुंचाना है। अन्य किसी स्थान पर अदालत में मुकद्दमें नहीं चलाये गये। 1967-68 में 16 व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा मुकद्दमा चलाया हुआ है अन्य किसी प्लान्टेशन के मुकद्दमें अदालत में नहीं चलाये गये।

(4) जी नहीं प्लान्टेशन अभी केवल वन क्षेत्र में ही किये गये हैं। उन्हें हटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(5) प्रश्न 2 के उत्तर में दी गई सूची में बताया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

श्रीमती शिवकुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, सूची में बताने के अनुसार कुल 2-3 प्लाण्टेशन लगे हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो गांवों के नजदीक लगे हैं। जब गांव के इतने पास हैं तो ऐसी हालत में इतने नजदीक क्यों लगाये गये हैं। दूसरा सवाल है कि 68-69 के बीच में 12 प्लाण्टेशन लगाये गये जिनको 9 वर्ष हो गये हैं। ऐसी हालत में उनको बेकार ले रखा है। प्लाण्टेशन इतने नजदीक लगे हुए हैं जिसके कारण

Page No 22

(श्रीमती शिवकुमारी)

गांव के मवेशी चर जाते हैं। इसलिए आये दिन गिरफ्तारियां होती हैं। गरमी के दिनों में पशु जंगल में जाते है तो गिरफ्तारियां होती हैं। अभी दो चार दिन में 40 गिरफ्तारियां, हुई हैं। जंगलों को गांव से दूर लगाना चाहिए।

श्री नारायण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि प्लाण्टेशन जहां लगाये गये हैं वह वन विभाग का क्षेत्र था, उसी में लगाये गये हैं। उनकी दूरियां भी बताई हैं। जितने पहले थीं, वही हैं और जिन कारणों से लगाये गये उन कारणों को भी बता चुका हूं। अब वहां दिक्कत मवेशियों के बढ़ने के कारण से हो सकती है। उसके कारण दूसरे हो सकते हैं। परन्तु जहां परम्परा से वन था, उन्हीं का संवर्धन करने की दृष्टि से लगाये गये थे। प्लाण्टेशन को 10 वर्ष हो गये हैं। उनके संवर्धन के लिए और क्या किया जाय यह भी सोचा जा रहा है। सम्यक तौर से वनों की किस प्रकार से व्यवस्था की जाये। उस व्यवस्था के ढंग से सोचना है। प्लाण्टेशन को कंपेबिल बनाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है और आज की अकाल की स्थिति में और भी आवश्यक है कि किस प्रकार यह प्लाण्टेशन भूमि पर क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए आज आवश्यक है कि उनको देखते हुए भविष्य में किस प्रकार से मैनेज किया जाये।

श्री जुझार सिंह: क्या यह सही है कि आपके बगर के प्लाण्टेशन मवेशियों की चराई के कारण खराब हो रहे हैं।

श्री नारायण सिंह: यह सही है कि वहां के लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं, उनका मैं विवरण दे चुका हूं। यह समस्या बराबर उत्पन्न होती रही है। क्योंकि प्रेशर ऑफ पापुलेशन है, जहां कहीं भी वन प्लाण्टेशन नहीं, उसकी तरफ उनकी रूचि बढ़ जाती है।

श्री जुझार सिंह: आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत है। वह प्लाण्टेशन बिल्कुल गांव के पास लगा हुआ है। मवेशी वहां जाते हैं, जा बिना रह नहीं सकते हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं।

श्री नारायण सिंह: मैं जाकर देख सकता हूं। वह व्यवस्था की जा सकती है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इस प्रकार के प्लाण्टेशन लगाये जा चुके हैं। उन पर खर्चा हो चुका है, वह फल दे रहे हैं तो बजाय हटाने के गांव के सुपुर्द कर देना ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री जुझार सिंह: क्या यह सही है कि इन प्लाण्टेशन के गलत जगह होने के कारण, जो प्लाण्टेशन कमेटी है उसमें विचार किया गया था? ताकि प्लाण्टेशन मौके पर जाकर देख सकते हैं। यदि ऐसा किया गया तो उसकी क्या स्थिति है?

श्री नारायण सिंह: यह अलग से प्रश्न है, फिर भी, जो प्लाण्टेशन कमेटी बनाई गई है, उसकी सिफारिशों के अनुसार कार्य किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा!

श्रीमती मदन कौर: प्लाण्टेशन कमेटी की कितनी मीटिंग हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जुझार सिंह : अलग से नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : प्रश्न संख्या 336।

पंचायत समिति, मनोहर थाना की जीप

336. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहर थाना पंचायत समिति की जीप का वार्षिक बजट कितना रहता है ?

(2) विकास विभाग से कितनी राशि अनुदान रूप में जीप व्यय पर दी जाती है ?

(3) क्या समिति प्राप्त अनुदान से अपना खर्चा चला लेती है अथवा अतिरिक्त धनराशि भी खर्च करती है ?

(4) यदि अतिरिक्त धनराशि खर्च करती है तो वह राशि किस मद से व्यय करती है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जीप विकास कार्यक्रमों पर काम में न ली जाकर नृत्य संगीत कार्यक्रमों में ली जाती रही है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) औसतन रु० 8,500.00।

(2) विकास विभाग द्वारा जीप मद में पृथक से कोई राशि नहीं दी जाती है। संस्थापन मद में जो अनुदान राशि दी जाती है उसी में से जीप पर भी व्यय किया जाता है। पेट्रोल ख॰ इस राशि में से 200) रु० माहवार तक किया जा सकता है।

(3) अतिरिक्त धनराशि खर्च करती है।

(4) निजी आय के मद से।

(5) जी नहीं।

श्री आईदानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने फरमाया है कि वह अपने निजी फण्ड से 200) रु० के अलावा भी खर्च कर सकते हैं। उसकी भी लिमिट है ?

श्री परसराम मदेरणा : उसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री आईदानसिंह : पंचायत समिति की नीति को रेगुलेट करने के लिए निजी व्यय है, उसकी लिमिट करने में राज्य सरकार सक्षम है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति का जो होता है, वह उसके बजट में प्रावधान होता है। पंचायत समिति का बजट जिला परिषद् में पेश किया जाता है। वह उसी बजट से हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य

Page No 24

श्री आईदानसिंह : एक जरूरी प्रश्न है। एक ही मिनिट का है। अभी खत्म कर देता हूं। यह हमें बताया गया है। पंचायत समिति की जगह मिसयूज होता है। पेट्रोल का खर्चा निजी उपयोग के लिए करते हैं। क्या पंचायत राज्य मंत्री पैसा बचाने के लिए खर्च की लिमिट रख सकते हैं? ताकि ज्यादा खर्च न हो।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री)**:** जिला परिषद् इस प्रकार का निजी आय में से खर्च करते हैं। मैं इस प्रकार की कोई पाबन्दी लगाऊं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ कह ही नहीं सका। मुझे भी समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप खड़े ही नहीं हुए। अगला प्रश्न पूछ लिया गया।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय······

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी में दुर्घटना से मृत्यु

337. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़)**:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दिनांक 12-8-68 को बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हुई है? यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने मरे और इसका कारण क्या रहा है? क्या मरने वालों के परिवारों को सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा कोई सहायता के रूप में धनराशि दी गई है? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : वास्तव में दुर्घटना दिनांक 11-8-68 को हुई न कि दिनांक 12-8-68। इसमें दो कारीगर सर्व श्री सवाईसिंह तथा बाबूखां मलबे के नीचे दब कर मर गये। ये कारीगर होपर की खुदाई कर रहे थे। वास्तव में मृत्यु मलबा खिसकने से हुई जिसके कारण वे मलबे में दब कर दम घुटने से मर गये। सीमेन्ट फैक्टरी के प्रबन्धकों ने इन कारीगरों के वारिसों को देने हेतु 3,600) रु० प्रति के हिसाब से क्षतिपूर्ति आयुक्त, भीलवाड़ा के समक्ष मुआवजे के रूप में जमा करा दिये हैं। इस समय यह कार्यवाही क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष चल रही है।

श्री रामकुमार नन्दवाना : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया कि मलबे के खिसकने से मृत्यु हुई, जब कि तथ्य यह है की इलेक्ट्रिक झूला जो इस सीमेन्ट फैक्ट्री में चलाया जा रहा है, वह गिर गया था और झूले में जो पत्थर थे उनके नीचे दबने से मृत्यु हुई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप वास्तविकता का पता लगायेंगे? इसकी जांच करेंगे कि मृत्यु किस कारण से हुई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चीफ फैक्ट्री इन्सपेक्टर खुद जाकर जांच करके आये हैं। चित्तौड़ की इस सीमेन्ट फैक्ट्री में पानी भर गया था और मलबा जमा हो गया था होपर में, उसको वहां से हटाकर मलबे को हटाया जा रहा था।

Page No 25

(श्री ब्रजसुन्दर शर्मा)

मलबा खिसकने से यह उसके नीचे दब कर मर गये।

श्री रामकुमार नन्दवाना : मेरा अर्ज करना यह है कि इनकी मृत्यु इलेक्ट्रिक झूले से पत्थर गिरने से हुई है। क्या आप इसकी वास्तविकता का पता लगायेंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि चीफ फैक्टरी इन्सपेक्टर से जानकारी लेकर भिजवा सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं सर, एक जरूरी प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। आपको समय पर पधारना था। आपका नाम पुकारा गया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : पुकारा गया था तभी तो निवेदन कर रहा हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मेड़ता तहसील में सस्ते अनाज की दुकान

318. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता)** क्या खाद्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत साल राज्य में लेवी लगाकर खाद्य निगम द्वारा बाजरा एवं ज्वार क्रमशः 50 एवं 46 रु० 59 48 में खरीदी गई?

(2) क्या यह सही है इन भावों में भी क्वालिटी कट और काटा गया?

(3) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी सेंटर पर क्वालिटी कट के कारण लेवी देने वाले को औसतन 3 रु० प्रति क्विन्टल कम कीमत मिली?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 2 माह से अधिक समय अकाल घोषित किए हुए हो चुके है, परन्तु अब तक मेड़ता तहसील में एक भी अकाल राहत कार्य नहीं खोला गया और एक भी सस्ते अनाज की दुकान नहीं खोली गई?

(5) क्या यह सही है कि वहां के लोग रोजी रोटी के लिये परेशान हैं?

(6) राज्य में जहां सस्ते अनाज की दुकानें खुली हैं वहां किस भाव से पीड़ित जनता को ज्वार बाजरा वितरण कराया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां, खरीद के भाव निम्न प्रकार रखे गये थे :—

बाजरा 50 रु० प्रति क्विन्टल
ज्वार पीली 47-50 पैसे प्रति क्विन्टल
ज्वार सफेद 48-50 पैसे प्रति क्विन्टल

(2) जी हां।

(3) जी हां। मेड़ता सिटी सेन्टर पर जो माल फेयर एवरेज क्वालिटी से निम्न स्तर का था उस पर क्वालिटी कट लगाया था जिससे खरीद कीमत में से औसतन बाजरे पर 2 रु० 53 पैसे व ज्वार पर 2 रु० 06 पैसा प्रति क्विन्टल कम किया गया।

(खाद्य मंत्री)

(4) जी नहीं। दो सस्ते अनाज की दुकानें खोली जा चुकी हैं तथा 6 अकाल राहत कार्य भी चल रहे हैं।

(5) जी नहीं।

(6) सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा वितरण की दरें निम्न प्रकार हैं:

ज्वार 74/- रु० प्रति क्विन्टल

बाजरा 75/- रु० प्रति क्विन्टल

जिला बांसवाड़ा में अकाल और राहत कार्य

320. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के सम्पूर्ण क्षेत्र में इस वर्ष अकाल पड़ चुका है?

(2) यदि हां, तो उक्त जिले में कितनी जनसंख्या है जिसमें से कितने प्रतिशत लोग अकाल पीड़ित हुए हैं और उनमें से कितने लोगों को रोजी रोटी देने की सरकार द्वारा व्यवस्था की है? 1 जनवरी, 1969 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) रिलीफ कार्यों के द्वारा मजदूरों को मजदूरी के रूप प्रतिदिन प्रत्येक मजदूर को कितनी रकम दी जाती है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही कि व्यक्ति को प्रतिदिन 25, 37 अथवा 55 पैसे से अधिक रकम नहीं दी जाती है? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के 1464 ग्रामों में से 1461 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं।

(2) बांसवाड़ा जिले की कुल जनसंख्या 4,75,084 है जिसमें से 99 प्रतिशत लोग अभावग्रस्त हैं। 1, जनवरी, 1969 तक 11,40 7 व्यक्तियों को प्रतिदिन सहायता कार्यों पर लगाया गया है।

(3) सहायता कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दरें स्वीकृत की गई हैं:—

क- खोदने वाला 1.50 रु० प्रति दिन
ख- ढोने वाला 1.25 रु० ,,
ग- अवयस्क 1.00 रु० ,,

(4) जी नहीं। यह सत्य नहीं है। निर्धारित कार्य के अनुपात से कम काम करने पर ही कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

नगरपालिकाओं के वार्डों का सीमा निर्धारण

322. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिये वार्डों की नये सिरे से सीमाएं निर्धारित करके राज-पत्र में प्रकाशित की है?

(2) क्या यह सही है कि सीमा निर्धारण में राज्य सरकार ने अनुसूचित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के वार्डों को मिश्रित द्विसदस्यीय वार्ड ही रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस नीति की घोषणा की थी कि भविष्य में अनुसूचित जातियों के सुरक्षित वार्डों को एक सदस्यीय ही बनाया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कानून और नियमों में संशोधन नहीं किया है ?

(5) यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां । द्विसदस्यीय वार्ड ही रखे हैं।

(3) जी नहीं केवल इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा गया था।

(4) जी हां।

(5) द्विसदस्यीय वार्डों को फिलहाल समाप्त नहीं किया गया है।

ग्राम केयून की हरिजन बस्तियों में बिजली

324. **श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम केयून में बिजली लगी हुई है ? परन्तु ग्राम की रेगर-बेरवा तथा हरिजन बस्ती में बिजली नहीं है ?

(2) क्या इन बस्तियों को बिजली दी जाने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस वर्ष में इन बस्तियों को बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं है।

गुड़गांवा केनाल के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा

326. **श्री मजलिस खां (कामां) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गुड़गांवा केनाल में किसानों की कृषि-भूमि एक्वायर की गई है ? यदि हां, तो किस सन् में किस किस ग्राम में किस किस किसान की किस किस किस्म की और कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार एक्वायर की गई भूमि का मुआवजा देगी ? यदि हां, तो भूमि की किस्मवार किस दर से और कब तक ?

(3) क्या सिंचाई विभाग की जानकारी में है कि केनाल के लिए भूमि एक्वायर करने के बाद भी किसानों से एक्वायर की गई भूमि का लगान वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कितनी फसलों का और कितना ? क्या सरकार उक्त लगान की वसूली को अनुचित मानती है ? यदि हां, तो क्या उक्त लगान

Page No 28

(श्री मजलिसखां)

की रकम किसानों के आगामी भूमि लगान में एडजस्ट कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। अभी तक अवाप्त भूमि का कुल मुआवजा 2,82,579 रुपये बनता है। उसमें से 2,01,588) का भुगतान किया जा चुका है। बाकी का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

(3) आम तौर से एक्वायर शुदा भूमि का लगान नहीं लिया जाता है। यदि कहीं ले लिया गया है तो आयन्दा लगान में मुजरा दे दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति पीपलखूंट द्वारा चने की खरीद

327. **श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में पंचायत समिति पीपलखूंट ने सन् 1967-68 में कृषि विभाग से बीज के लिए चने खरीदे थे ?

(2) यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई थी, और क्या वहां के काश्तकारों को बीज नहीं दिया गया था ?

(3) क्या वह चना नीलाम किया गया ? यदि हां, तो क्या जिस व्यापारी के नाम से बोली खत्म हुई थी उसने नियमानुसार समय पर रकम जमा कराकर माल उठा लिया था ?

(4) यदि हां, तो जो चने खरीदे थे उसमें कितनी धनराशि का घाटा हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कृषि विभाग ने बीज के लिए चने अलॉट किये थे।

(2) रु० 14,462.51 पै० बीज की कीमत थी व ट्रांसपोर्ट व्यय 524) कुल 14,986 रु० 51 पै० खर्च हुए। चने का बीज देरी से आने से काश्तकारों को नहीं दिया गया।

(3) चना नीलाम किया गया। नीलामी श्री निहालचन्द मनीलाल नि० बांसवाड़ा के नाम समाप्त हुई। नियमानुसार रकम जमा कराकर माल उठाया गया।

(4) विवरण सदन की मेज पर रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

गुड़गांव कैनाल फ्लड में कराये गये कार्यों की चैकिंग

328. **श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में जो बांधों के कार्य करवाये जाते

Page No 29

(श्री गंगासहाय) हैं उनका नाप क्रास सेक्शन से लिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा नाप को चेक करने का नियम है ?

(3) क्या यह सही है कि, यदि क्रास सेक्शन से नाप लिया जाता है तो कार्य शुरू होने के पहले जो लेविल लिये जाये यदि उन्हें किसी अधिकारी ने ऊपर भाग (2) में बताये अनुसार चेक नहीं किया है तो बाद में काम समाप्त होने पर चैकिंग करने का कोई अर्थ नहीं रहता है ?

(4) क्या गुडगांव कैनाल, फ्लड में कराये गये कार्य व कामां पहाड़ी ड्रेन को आगे बढाने वाले कार्यों में कार्य शुरू होने के पहले लेविल लेकर अधिशासी अभियन्ता ने चैकिंग किया था ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत किया ? और क्या चैक किये गये ब्लॉक लेविल उच्चाधिकारियों के पास भेजे हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(5) गुडगांव कैनाल में जुलाई, 1967 से फरवरी, 1968 तक जो बिल भुगतान हुए हैं उनमें क्या अधिशासी अभियन्ता ने नियमानुसार मेजरमेन्ट चैक किये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु कभी क्रास सेक्शन के बजाय खड्डे नाप कर भी मिट्टी का नाप किया जाता है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, परन्तु यदि बन्ध की चौड़ाई तथा जमीन समतल है तो काम शुरू होने के बाद भी दोनों ओर लेवल लेकर चैकिंग की जा सकती है ।

(4) गुड़गांव नहर में 10 मील की लम्बाई के अन्दर अधिशासी अभियन्ता नं० 3/4 मील की लम्बाई में लेवल चैक किये जो लगभग 7.06 प्रतिशत बनता है । कामां पहाड़ी-ड्रेन में अधिशासी अभियन्ता ने लेविल चैकिंग नहीं किया । चैक किये लेविल उच्चाधिकारियों को नहीं भेजे क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

(5) नियम के अनुसार अधिशासी अभियन्ता को केवल 10 प्रतिशत फाईनल बिल ही चैक करने होते हैं । सन् 1967 से फरवरी, 68 तक गुड़गांव नहर के केवल रनिंग बिल ही भुगतान किये गये । इसका चैकिंग अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनिवार्य नहीं था ।

राज्य सरकार पर ऋण

329. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर): **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पर कुल कितना कर्जा है और उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से पूंजीगत खाते के ऋण तथा उसके ब्याज के 40 करोड़ रुपये की वसूली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं करने का अनुरोध किया था ? यदि

Page No 30

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री जयनारायण सालोदिया)
हां, तो क्या भारत सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है ?

(3) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन किन का कितना कितना ऋण राज्य सरकार में है ?

(4) वर्तमान में ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पर कर्जे की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:—

1-4-68 को	31-3-69 को (संशोधित अनुमानों के आधार पर)
444.78 करोड़ रुपये	500.26 करोड़ रुपये

इसका वार्षिक देय ब्याज का विवरण निम्न प्रकार है:—

1-4-68 को शेष कर्जे की राशि पर	31-3-69 को शेष कर्जे की राशि पर
21.80 करोड़ रुपये	25.04 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमानों के आधार पर)

(2) ऋणों के चुकारे की किश्तों में परिवर्तन का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इस योजना में तदर्थ ऋणों (Ad-hoc Loans) को भी सम्मिलित करने की भारत सरकार से प्रार्थना की है।

(3) 31-3-1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त में राज्य सरकार पर भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य ऋण इस प्रकार से है—

	(रुपये करोड़ों में)
(क) सार्वजनिक ऋण (राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास बांडों के अतिरिक्त)	43.78
(ख) रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण	1.27
(ग) जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण	8.08
(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋण	1.69
(ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त ऋण	0.01
(च) राष्ट्रीय वेयर हाउसिंग विकास निगम से प्राप्त ऋण	0.04
(छ) रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त अल्पकालीन ऋण	13.93
योग	68.80

(4) प्रश्न प्राप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 1 फरवरी, 1969 को राज्य खाते में 8.49 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था। यह बैंक द्वारा दिये गये 1.31 करोड़ रुपये के मार्गोपाय अग्रिम के अतिरिक्त था।

Page No 31

वन विहार गेम सेन्च्यूरी पर व्यय

330. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वन विहार गेम सेन्च्यूरी की मेन्टीनेन्स के उपर कितना रुपया खर्च किया जाता है ?

(2) उपरोक्त गेम सेन्च्यूरी की गिरती हालत को देखते हुए उसमें किसी प्रकार की रिनोवेशन आदि कराने का कोई इरादा सरकार रखती है ?

(3) क्या सरकार वन विहार में नया फर्नीचर एवं दूसरी एमीनिटीज व टेलीफोन लगाने का इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार की उदासीनता के कारण वन विहार में आने वाले टूरिस्टों की संख्या प्रति वर्ष घटती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको रोकने के लिए किसी प्रकार कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

(1) सेन्च्यूरी के मेन्टीनेन्स पर गत वर्ष 49,570 रु० व्यय किया गया ।

(2) जी हां । इस गेम सेन्च्यूरी के विकास हेतु एक योजना विचाराधीन है ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं । इस वर्ष अब तक जो टूरिस्ट आये हैं उनकी संख्या गत वर्ष से अधिक है । इस सेन्च्यूरी को अधिक आकर्षक बनाने हेतु एक योजना तैयार की गई है जो विचाराधीन है ।

उप-स्वास्थ्य केन्द्र हमीरी

332. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हमीरी जिला झुंझुनू के उप-स्वास्थ्य केन्द्र में इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? उक्त उप-केन्द्र कब से स्वीकृत है ?

(2) क्या यह सही है कि इस उप-केन्द्र के कर्मचारियों को कहीं दूसरी जगह डेपूट कर रखा है और उनके वेतन तथा भत्ता इस उप-केन्द्र के नाम से उठाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां की ग्राम पंचायत के सरपंच ने राज्य सरकार तथा जिला चिकित्सक अधिकारी का ध्यान इस अभाव की तरफ अनेक बार आकर्षित किया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनू में प्रा० स्वा० केन्द्र महेनसर का हमीरी उप-केन्द्र दिनांक 27-4-67 से स्वीकृत है । परन्तु भवन के अभाव में यह उप-केन्द्र अभी तक चालू नहीं हुआ है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक उपयोग हेतु सिंचाई सड़कों का निर्माण

207. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा एक ही क्षेत्र में करीब करीब पैरेलल सड़कें बनाई जाती हैं और बहुत सी जगह पर सिंचाई विभाग द्वारा अलग से बनाई गई पुलिआओं व सड़कों को सामान्य जनता द्वारा भी काम में लिया जाना अनिवार्य हो जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई की सड़कों को पक्का करवा देने से उन पर सामान्य ट्रैफिक का आना जाना सम्भव हो सकता है और खर्चे में भी कमी की जा सकती है ?

(3) क्या यह सही है मध्य प्रदेश व अन्य दूसरे राज्यों में सुविधानुसार सिंचाई सड़कों को पक्का करवाया जाकर सार्वजनिक काम में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार की योजना पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1 व 2) सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के साथ साथ विभागीय कार्यों के निरीक्षण हेतु ही सड़कें बनाई जाती हैं। यह सड़कें प्रायः जन साधारण के यातायात के उपयोग के लिये नहीं होती है पर कहीं कहीं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति से सड़कों का यातायात के लिये प्रयोग किया जाता है।

(3) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

ग्राम रीजोंन में तालाब सिंचाई बांधे जाने की सर्वे

208. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है ग्राम रीजोंन तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ में तालाब सिंचाई बांधे जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति सर्वे की जाकर दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब स्वीकृति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इसी साल इस तालाब का कार्य शुरू किया जावेगा ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा होगा और कितनी सिंचाई हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, योजना की सर्वे की जा चुकी है व तखमीना बनाया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

ग्राम ओवन में काला भाटा बांध का कार्य

209. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील हिन्डोली के ग्राम ओवन में 17 दिसम्बर, 1967 को एक

Page No 33

(श्री केसरी सिंह)

किसान सम्मेलन में काला भाटा बांध का कार्य शीघ्र ही आरंभ कराने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार के समक्ष इस बांध की योजना के तकनीकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जा चुकी है ?

(3) यदि हां, तो सरकार इसकी स्वीकृति में इतनी ढील क्यों कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि इसके अतिरिक्त इसी तहसील के ग्राम कोठी के पास कोठी बांध, ग्राम बमोली के पास भोगन्या माताजी का बांध तथा गढ़ा गोकुलपुरा बांध की योजना तैयार हो गई है ? और क्या इनकी तकनीकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आ चुकी है और सरकार की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कार्य रुका हुआ है ?

(5) यदि हां, तो उक्त सभी कार्यों के लिए सरकार की स्वीकृति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) **कोठी:**—इस योजना के सर्वे की तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसकी जांच जारी है।

भोगनिया माताजी का बांध ग्राम बासोली:—इसका बनना सम्भव नहीं है।

गढ़ा गोकुलपुरा:—कार्य अकाल के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था इसका तखमीना 6,98,000 रुपये का राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) उपरोक्त उत्तर के अनुसार कार्यों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जा रही।

घग्घर कन्ट्रोल चैनल पर पुल का निर्माण

210. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि घग्घर कन्ट्रोल चैनल पर मुताबिक जरूरत पुल नहीं बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों :—

(2) क्या यह सही है कि गांव नोरंगदेसर के पास उक्त नहर पर पुल नहीं बनाने से चक आदर्श नगर के काश्तकारों को 4 मील का चक्कर लगाकर गांव नोरंग देसर में आना पड़ता है क्योंकि नोरंगदेसर के काश्तकारों के खेत घग्घर नहर से पश्चिम की तरफ लगते हैं ? यदि हां, तो पुल क्यों नहीं बनाया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार से काफी काश्तकारों को परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(4) इस चैनल पर कितने पुल बने हैं और कितने और बनाने कि योजना है ? नाम स्थान सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

3. जी नहीं।

4. इस चैनल पर कुल 10 पुल बने हुए हैं तथा कोई पुल बनना बाकी नहीं है।

पुल जो बने हुए है

(1) घग्घर नहर की बुर्जी पर गुजरने के लिए रास्ता है।

(2) घग्घर नहर की बुर्जी 39,000 पर पी० आर० सीरीज गांव मालानी के रास्ते पर बना हुआ है।

(3) घग्घर नहर की बुर्जी 42,200 पर पी० आर० सीरीज रेल्वे स्टेशन पर बना, सोरेका और महानी के बीच बना हुआ है।

(4) घग्घर नहर की बुर्जी 42,300 पर रेल्वे पुल पर रेल्वे स्टेशन सोरेका और भवानी के बीच बना हुआ है।

(5) घग्घर नहर की बुर्जी 56,500 पर पी० आर० पुल बीरंग बन चुका है।

(6) घग्घर नहर की बुर्जी 65,000 पर पी० आर करने। पुल गांव मूनां और सुरचैनपुरा के पास बना हुआ है।

(7) घग्घर नहर की बुर्जी 98,000 पर पी० आर० सीरीज हनुमानगढ़-नारंगदेसर- रायलसर पक्की सड़क पर बना हुआ है।

(8) घग्घर नहर की बुर्जी 1 पर पी० आर० सीरीज गांव नोरंगदेसर व मैनायली के रास्ते पर बना हुआ है।

(9) घग्घर नहर की बुर्जी 1,33,400 पर पी० आर० सीरीज सहुमाली, पोषीमना पक्की सड़क पर बना हुआ है।

(10) घग्घर नहर की बुर्जी 1,42,200 पर पी० आर० सीरीज का बना हुआ है।

लोहरवाड़ी का बांध

211. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)। क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम लोहरवाडी, तहसील अलवर में एक बांध की नींव पुख्ता 10 फुट चौड़ी बंधी हुई है ?

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि लोहरवाड़ी के इस बांध को बनाने से लोहरवाड़ी, मंज्दीका, भवाका, रायनका, साडोली, ऊंटवाल, पन्ना का एवं खुदनपुरी आदि ग्रामों को लाभ पहुंच सकता है।

(3) क्या सरकार ने इस बांध को बनाने के लिये कभी सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या सरकार का इस बांध को बांधने का इरादा है ? क्या इस दिशा में सरकार की ओर से कोई भी कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बांध को बनाने के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखती है।

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसकी जानकारी पूर्ण सर्वेक्षण के बाद ही मालूम हो सकती है।

(3) जी नहीं

(4) सर्वेक्षण के आदेश दे दिये गये हैं। अतः पूर्ण सर्वेक्षण के बाद ही बांध बनाने के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों का प्रबन्ध

212. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा):** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में कितने ऐसे मन्दिर, मस्जिद, रामद्वारे, मठ आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं जो इस विभाग के अधीन हैं ?

(2) इस प्रकार के जितने भी स्थान इस विभाग के अधीन हैं उनका इन्तजाम कौन अधिकारी करते हैं व उनका कार्यालय कहां कहां है ?

(3) क्या इस प्रकार का एक स्थान ग्राम काकोनी (भवानीपुरा) तहसील छीपा बडौद में भी है जहां पर, काफी मात्रा में पुरानी मूर्तियां व कला का भण्डार है। अगर हां, तो उसकी निगरानी कौन करता है ?

(4) क्या यह सही है कि यहां से करीब करीब 10 वर्षों से बराबर कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति द्वारा ये मूर्तियां चुराई जाकर बाहर भेजी जा रही हैं व इस बारे में कुछ रिपोर्ट भी सम्बन्धित थानों में है ? अगर हां, तो कितनी रिपोर्ट्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस विभाग के अधीन कोटा जिले में डायरेक्ट चार्ज श्रेणी के 24 मंदिर एवं सहायता प्राप्त श्रेणी के 2,512 मंदिर हैं।

(2) उपरोक्त देवालयों का इन्तजाम एवं निरीक्षण निरीक्षक देवस्थान द्वारा किया जाता है। जिसका कार्यालय कोटा में स्थित है।

(3) इसका संबंध देवस्थान विभाग से नहीं है।

(4) देवस्थान विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

मांडलगढ़ तहसील की पत्थर की खानों के मजदूरों को सुविधाएं

213. **श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांडलगढ़ तहसील की ऊपर माल की पत्थर की खानों में कितने हजार मजदूर काम करते हैं ?

(2) राज्य की ओर से मजदूरों की स्त्रियों के लिये तथा बच्चों के लिये कौन कौन से ऐसे कल्याण कार्य किये जा रहे हैं ?

(3) क्या इन खानों के बीच मजदूरों की सेवा के लिये कोई एलोपैथिक डिस्पेन्सरी भी है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(4) क्या सरकार को विदित है कि खानों के आस पास शराब की दुकानों के कारण कठोर श्रम से कमाया हुआ सब पैसा शराब में चला जाता है और उनके परिवार के लोग भूखों मरते हैं ? यदि हां, तो खान क्षेत्र से शराब की दुकानें हटवाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) लगभग 4,000 मजदूर कार्य करते हैं।

(2) खानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों (स्त्रियों तथा बच्चों) के लिये भारतीय खान अधिनियम, 1952 तथा खान मेटरनिटी अधिनियम के अन्तर्गत कल्याण के प्रावधान हैं जिस पर नियन्त्रण केन्द्र सरकार का है। राज्य सरकार द्वारा सलावटियों म खान मजदूरों के लिये एक श्रम कल्याण केन्द्र खोला गया था परन्तु श्रमिकों की उपस्थिति पर्याप्त न होने के कारण इसे फिलहाल माह मई, 1968 में बन्द कर दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, परन्तु यह राज्य की नीति से संबन्धित प्रश्न है।

हैल्थ ट्रेनिंग सैन्टर में प्रशिक्षण हेतु छात्रों का साक्षात्कार

214. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हैल्थ ट्रेनिंग सैन्टर में वर्तमान सत्र में प्रशिक्षण हेतु कितने छात्रों को लिया गया है ? क्या सभी छात्रों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था ? यदि हां, तो उनकी क्या योग्यताएं थीं ?

(2) क्या यह सही है कि कुल 300 के लगभग छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उनमें से केवल कुछ को ही भर्ती किया गया ? यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाकर छात्रों पर अनावश्यक व्यय का भार क्यों डाला गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सेंटर में योग्य छात्रों की उपक्षा कर अयोग्य छात्रों को लिया गया ?

(4) उक्त सेंटर के प्रिंसिपल कौन हैं ? वे कब से उक्त पद पर हैं ? क्या यह सही है कि प्रिंसिपल के प्रति सेंटर में पूर्ण अविश्वास एवं असंतोष का वातावरण है ? क्या इसी मामले को लेकर वहां हड़ताल भी हुई है ? क्या सरकार उक्त प्रिंसिपल का वहां से स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिये सेलेक्शन बोर्ड द्वारा 100 छात्रों का चयन किया गया था। तथा 43 छात्रों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। बुलाये गये छात्रों की योग्यता मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना था।

(2) साक्षात्कार हेतु कुल 316 छात्रों को बुलाया गया था। योग्यता पूर्ण करने वाले सभी छात्रों को अवसर दिया गया था।

(श्री चिकित्सा मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) उक्त सैन्टर के प्रिंसिपल डा० (श्रीमती) तारा भारद्वाज हैं। वे दिनांक 25-6-65 से इस पद पर हैं। ऐसी कोई सूचना इस विभाग को नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को कृषि के उपयोग हेतु लकड़ी

215. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसानों को कृषि उपयोगी लकड़ी मुफ्त में दिये जाने का नियम है?

(2) क्या यह भी सही है कि उनको अब तक इस नियम के तहत कृषि औजार की लकड़ी मुफ्त नहीं दी जाती?

(3) यदि सरकार देने के विचार रखती है तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। सारे राजस्थान में इस सम्बन्ध में कोई एक नियम नहीं है। केवल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बून्दी, बांरा, झालावाड़ व टौंक वन मण्डलों के पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी व किसानों को आरक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी मुफ्त देने का नियम है। राजस्थान के अन्य भागों में यह रियायत नहीं दी जाती।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि जहां इस प्रकार के नियम हैं वहां नियमों के अनुसार कृषि औजार की लकड़ी दी जाती है।

वन खण्ड को कृषि हेतु रिलीज करने के लिये समिति का गठन

216. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसी वन खण्ड को कृषि हेतु रिलीज करने के लिए ब्लाक एवं जिला स्तर पर सरकार ने कोई समिति बना रखी है? यदि हां, तो जिला स्तरीय समिति के सदस्य कौन हैं और ब्लॉक स्तरीय के कौन?

(2) क्या यह सही है कि ब्लॉक स्तरीय समिति के डी० ए० ओ० भी सदस्य हैं लेकिन वे इस समिति की मीटिंग्स में अक्सर नहीं जा पाते हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इनमें सुधार करने हेतु क्या कदम उठाना चाहती है?

उत्तर

1. जी हां। लोकल कमेटी (तहसील स्तरीय) के निम्न सदस्य होते हैं :—

(1) विकास अधिकारी (क्षेत्र से संबंधित)	कन्वीनर
(2) तहसीलदार (क्षेत्र से संबंधित)	मेम्बर
(3) पंचायत समिति का प्रतिनिधि।	मेम्बर

Page No 38

(वन मंत्री)

(4) मण्डल वन अधिकारी अथवा विभाग का कोई अधिकारी जो एस० डी० एफ० ओ० से कम पद का न हो।	मेम्बर
(5) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर।	मेम्बर
(6) अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजाति का एक सरपंच (जहां इन जातियों का सरपंच न हो तो सलाहकार समिति का सदस्य पंच नियुक्त कर दिया जावे)।	मेम्बर

जिला स्तरीय कमेटी में निम्न सदस्य है :—

(1) जिलाधीश	कन्वीनर
(2) वन संरक्षक	मेम्बर
(3) जिला कृषि अधिकारी	मेम्बर
(4) जिला परिषद् का प्रतिनिधि	मेम्बर
(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति का एक विधान सभा का सदस्य	मेम्बर

(2) मण्डल वन अधिकारी तहसील स्तर समिति के सदस्य हैं और जब जब मण्डल वन अधिकारी को मीटिंग्स की पूर्व सूचना दी जाती है तब वे अथवा उनके प्रतिनिधि ऐसी बैठक में भाग लेते हैं। मण्डल वन अधिकारियों को निर्देश दिये हुए हैं कि वे पंचायत समिति की उन समिति बैठकों में स्वयं भाग लें जिनसे वन विकास, सुरक्षा अथवा वन भूमि के स्थानान्तरण के मुआमले में विचार होने की सूचना हो।

ग्राम बंबाल में वुडलैण्ड व नरसरी बनाने की योजना

217. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बंबाल, रेंज किशनगढ़ में वन विभाग गांव के नजदीक जंगल में 15 एकड़ के करीब भूमि व पर्याप्त जल वाली बावड़ी मौजूद है ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त सुविधा व भूमि ग्राम के पास होने की वजह से नागौर जैसे जिले में वुडलैण्ड में नरसरी बनाने का विचार करेगी ? अगर हां, तो क्या सरकार अजमेर डी० एफ० ओ० के पास जो इंजिन हैं उनको बावड़ी पर लगाने की स्वीकृति देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पूर्व में ही गत वर्ष 67-68 में उपरोक्त दो एकड़ भूमि में बंबाल वुडलैण्ड का कार्य किया गया है जो इस वर्ष (1968-69) में अब पूरा हो चुका है। इतनी कम भूमि होने के कारण बावड़ी पर इंजिन लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जब आवश्यकता प्रतीत होगी तो इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

Page No 39

ग्राम निम्बी जोधा का विद्युतिकरण

218. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम निम्बी जोधा, तहसील लाडनू, जिला नागौर में बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव विद्युत् बोर्ड के सामने कब आया और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) उपरोक्त ग्राम में बिजली पहुंचाने का कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

(3) इस वर्ष निर्वाचन क्षेत्र लाडनू में किन किन गांवों में बिजली पहुंचाने की स्वीकृति दी जा चुकी है और उनको कब तक बिजली पहुंचा दी जायगी ?

(4) निर्वाचन क्षेत्र लाडनू में ऐसे कौन कौन से गांव हैं जिनमें बिजली की लाइन गई हुई है, फिर भी बिजली नहीं दी गई है और उनमें कब तक बिजली दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) परियोजना प्रतिवेदन बनाई गई थी किन्तु अर्थाभाव के कारण बोर्ड के सामने नहीं रखी गई।

(2) स्वीकृति के अभाव में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस क्षेत्र में इस वर्ष कोई ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं हुआ अस्तु

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ?

(4) इस क्षेत्र के विद्युतिकृत सभी गांवों में लाइन खेंची जा चुकी है और कनेक्शन भी दिये जा चुके हैं।

नैनवां में बिजली पर खर्चा

219. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नैनवा जिला बूंदी के लिये विद्युत् नगर से लाने में विद्युत् बोर्ड को कितना खर्चा लगा ? नैनवा के अतिरिक्त कितने कुओं व गांवों को विद्युत् दिया जा सका और कितनी जनसंख्या वाले गांव लाइन पर आ सके ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह लाइन इन्द्रगढ़ से नैनवा को नहीं दी जा सकती थी ? अगर दी जा सकती थी, तो इसमें कितना खर्चा होता ?

(3) क्या यह सत्य है कि अगर नैनवा को इन्द्रगढ़ से विद्युत की लाइन दी जाती तो करवर, देई, आतरदा जैसे बड़े बड़े गांवों को भी लाभ मिल सकता था ?

(4) क्या यह सत्य है कि करवर, आतरदा व देई में जहां सिंचाई के साधन सिवाय कुओं के दूसरे नहीं हैं ?

उत्तर

(1) रु 2,61,833.68। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आर्थिक दृष्टि से नहीं खेंची जा सकती थी। अनुमानित रू० 19.140 लाख।

(3) जी हां।

(4) इस विभाग को इस विषय में निश्चित जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

दीपचंद पहाड़िया के बंगले के कुंए पर बिजली

220. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में श्री दीपचन्द पहाड़िया के उनके बंगले के अन्दर बने हुये कुंए पर बिजली लगी थी ? यदि हां, तो कब और यदि उक्त कनेक्शन बन्द कर दिया गया तो कब से ?

(2) उपरोक्त मीटर से विभाग को किस किस वर्ष में कितनी कितनी आय अब तक हुई और वह पैसे किसने जमा करवाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, । यह कनेक्शन लाडनू इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के समय से ही चला आ रहा है । तिथि का पता नहीं । कनेक्शन चालू है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । श्री दीपचंद पहाड़िया के खाते में जमा हुए है। जमा कराने कौन जाता रहा इसका रेकार्ड नहीं पाया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बारां पावर हाउस में बिजली का सामान

221. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां विद्युत विभाग के पावर हाउस में क्षेत्र की बिजली के लिये अब तक किस किस प्रकार का बिजली का सामान भेजा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि बारां बिजली-घर में बिजली संबन्धित सामान जो भेजा गया वह पूरा नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो क्यों और उस पर क्या विभागीय कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है) ।

विद्युत गृह बारां में डिजल जेनरेटिंग सेट्स

222. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर नगर के विद्युत गृह में कितने डिजल जेनरेटिंग सेट, किस किस मेक के, कितनी कितनी शक्ति के एवं कितने वर्ष पुराने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखन की कृपा करें ।

(2) उन डिजल सेटों की कितनी प्रतिष्ठापित मता एवं कितनी दृढ़ क्षमता है ? प्रत्येक का अलग अलग विवरण दें।

(3) उनमें से कितने बेकार हैं ? उनकी सूची एवं दूसरों की क्या स्थिति है इस संबंध में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(4) सन् 67-68 एवं 68-69 में बाड़मेर नगर विद्युत गृह द्वारा कितनी किलोवाट शक्ति की बिजली बाड़मेर नगर की रोशनी के लिये एवं कितनी वोथिया एवं भाडखा के नल कूपों को बाड़मेर नगर में एवं उत्तरलाई हवाई अड्डे को पानी सप्लाई के लिये दी ? रोजाना के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि स्वय विद्युत मंत्रीजी ने दिनांक 12-1-69 को उक्त विद्युतगृह का निरीक्षण किया और विद्युतगृह को बुरी हालत में पाया ?

(6) राज्य सरकार इस समस्या को हल करने के लिये तत्काल क्या कदम और स्थाई हल के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विवरण सूची (अ) में दिया गया है। प्रत्येक सेट की दृढ़ क्षमता नहीं होती है। डिरेटड क्षमता दिखा दी गई है। सूची में प्रत्येक सेट की दशा का वर्णन किया गया है।

(3) दैनिक वितरण का रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

(4) उपलब्ध आंकड़े संलग्न सूची 'ब' में अंकित है।

(5) जी हां।

(6) अधिक क्षमता के नये सेट लगाये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

परीक्षा उत्तीर्ण लेखा लिपिकों की पदोन्नति

223. श्री गंगा सहाय (कठूमर सु०): क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1965 तक लेखा लिपिकों (अकाउन्ट्स वलर्क) की परीक्षा कितने लोगों ने उत्तीर्ण की है ?

(2) परीक्षा उत्तीर्ण लेखा लिपिकों में से कितनों को अनुरूप पदों पर पदोन्नत किया गया है ? इस पदोन्नति का आधार क्या रखा गया है ?

(3) क्या लेखा लिपिकों की वरिष्ठता सूची बनी हुई है ?

उत्तर

(1) 1965 तक 5 वार लेखा लिपिक की परीक्षा ली गई है जिसमें वर्ष वार उत्तीर्ण परीक्षार्थी इतने थे—

1953	429
1960	786
1962	1019
1964	1227
1965	904
योग ..	4365

(2) लेखा लिपिक परीक्षा एक योग्यकारी परीक्षा है एवं यह आवश्यक नहीं है कि उत्तीर्ण परीक्षार्थी को जरूरी तौर पर लेखा लिपिक के पद पर लगाया जावे। यह बताना बहुत ही कठिन है कि इन उपरोक्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से कितनों को अनुरूप पदों पर लगाया जा चुका है। लेखा लिपिकों का कोई अलग

(विद्युत मन्त्री)

संवर्ग भी नहीं है एवं वे कनिष्ठ लिपिक या वरिष्ठ लिपिक जो यह परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें उनके विभाग में पद रिक्त होने पर वित्त विभाग के आदेश सं० एफ० 8(बी) (8) एफ / ए० ए० 58, दिनांक 22-12-60 एवं 1-11-61 के अनुसार पदोन्नत कर दिया जाता है। चूंकि कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों का राज्य व्यापी केडर नहीं है एवं विभागानुसार केडर है अतः यह सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

राणावत रिपोर्ट के अनुसार एल० डी० सीज० का वेतन

224. श्री सुमेर सिंह (किशनगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राणावत रिपोर्ट के अनुसार एल० डी० सी० का आखिरी वेतन 200) रु० माहवार निर्धारित किया गया है?

(2) उक्त रिपोर्ट के अनुसार जिस किसी एल० डी० सी० का एक साल बाद ही 200 रुपया माहवार वेतन हो जाता है और उसकी सर्विस 6 साल शेष रह जाती है तो फिर वह आगे वेतन वृद्धि पाने का हकदार रहता है या नहीं?

(3) यदि नहीं, तो शेष 6 साल की वेतन वृद्धि के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाने का मसला विचाराधीन है या नहीं?

(4) यदि हां, तो इस मसले का निपटारा कब तक हो जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। राणावत आयोग ने एल० डी० सी० का आखिरी वेतन 200) रु० माहवार की सिफारिश की थी लेकिन राज्य सरकार ने उक्त पद का आखिरी वेतन 230) रु० माहवार निर्धारित किया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता / चूंकि एल० डी० सी० का आखिरी वेतन 230) रु० माहवार निर्धारित किया गया है, अतः एल० डी० सी० 200) रु० माहवार प्राप्त करने के पश्चात अग्रिम तीन वर्ष तक 10) रु० प्रतिवर्ष के अनुसार सालाना वृद्धि प्राप्त करेगा।

(3) ऐसा कोई मसला विचाराधीन नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम मेवड़ा के निवासियों को राशन कार्ड व चीनी का वितरण

225. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील के ग्राम मेवड़ा में लोगों को अब तक राशन कार्ड नहीं दिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि वहां पर चीनी का वितरण प्रति मास नहीं होता एवं होता है तब 100 ग्राम प्रति व्यक्ति होता है?

(3) क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर वहां राशन कार्ड व उचित मात्रा में चीनी वितरण करने का विचार रखती है

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मेवड़ा, तहसील डेगाना के लोगों को अब तक राशन कार्ड नहीं दिये गये हैं। चीनी का वितरण रिटेलर के पास इस पंचायत क्षेत्र के परिवारों की सूची मय सदस्य संख्या प्रति परिवार बनी हुई है जिससे चीनी वितरण रजिस्टर में प्रत्येक का नाम लिखकर वितरित की जाती है। सरपंच, ग्राम मेवड़ा को राशन कार्ड बनाने के लिये लिखा जा चुका है।

(2) चीनी का वितरण साधारणतया प्रतिमाह ही किया जाता है लेकिन कभी कभी मिलों से चीनी देर से प्राप्त होने के कारण वितरण देरी से भी किया जाता है। उदाहरणतया माह जुलाई, 68 में नागौर जिले में बाढ़ आ जाने के कारण फुलेरा-मेड़ता रोड के बीच रेल की पटरी टूट जाने से चीनी के वैगन समय पर जिले में नहीं पहुंच पाये थे। अतः इस अवधि में चीनी का वितरण देरी से हुआ। यह सही नहीं है कि चीनी का वितरण 100 ग्राम प्रति व्यक्ति होता है। चीनी का वितरण 150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के आधार पर ही किया जाता है।

(3) जी नहीं। इस मामल की जांच नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 1969 को की गई थी जिसमें उचित मात्रा में चीनी वितरण होना पाया गया।

ग्राम कटोती में बन्धे का पुनः निर्माण

226. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या नागौर जिले की जायल तहसील में ग्राम कटोती में पक्का बंधा हुआ बांध बाढ़ से टूट गया? यदि हां, तो इस बांध का पुनः निर्माण कराने में कितना व्यय होने का अनुमान है?

(2) ग्राम कटोती के इस बांध से कितनी कृषि-भूमि सिंचित होकर खेती की जाती थी? क्या इस बांध के नीचे आई हुई भूमि का लगान इस गांव की अन्य भूमि से अधिक है? यदि हां, तो हर साल सरकार को कितना रुपया अधिक मिलता है? यह बान्ध कब से बना हुआ है? एवं इस बान्ध का मालिक कौन है? इस बांध की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही हो रही है?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले की जायल तहसील के ग्राम कटोती में पक्का बांध गत बाढ़ से टूट गया। इस बांध का पुनः निर्माण करने में 60,309) रु० व्यय होने का अनुमान है।

(2) ग्राम कटोती के इस बांध से भूमि सिंचित नहीं होती है, केवल पानी के भराव में 525 बीघा 19 बिस्वा भूमि पेटा काश्त होती है। इस बान्ध के नीचे आई हुई भूमि का लगान इस गांव को अन्य भूमि से अधिक है। जिससे हर साल 499.65 पै० अधिक सरकार को मिलते हैं। यह बांध मुगलकाल का बना हुआ बताया जाता है एवं राजस्व विभाग के अधीन है। इस बांध की मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है।

अकाल राहत कार्य और औजारों की खरीद

227. **श्री शंकरलाल (जैतारण) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अकाल राहत कार्यों हेतु व अन्य सम्बन्धित व्यवस्था हेतु कितने औजार और ट्रकें किन किन तारीखों में कहां कहां से कितनी कितनी कीमत में खरीद किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(दिनांक 24-3-69 के लिये स्थगित किया गया)

छीपाबड़ौद पंचायत समिति की आय

228. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद पंचायत समिति की आय करों द्वारा या राजकीय सहायता द्वारा होती है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1965 से 31 अगस्त, 1968 तक प्रतिवर्ष कितनी आमदनी हुई है तथा खर्च कितना हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखियेगा ।

उत्तर

जी हां। सूचना सदन की मेज पर रखी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिए)

ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर में पुलिया का निर्माण

229. **श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचाय खेड़ा रसूलपुर, जिला कोटा में पुलिया का जो निर्माण हुआ है उसमें ग्राम पंचायत द्वारा 65 से 68 तक कितनी रकम खर्च हुई ?

(2) जो पुराना पत्थर ग्रामवासियों द्वारा पुलिया के लिए इकट्ठा किया था उसका क्या हुआ ?

उत्तर

(1) पंचायत की कोई रकम खर्च नहीं हुई।

(2) एकत्रित पत्थरों का उपयोग इस प्रकार किया गया:—

(1) मिडिल स्कूल की इमारत के आगे बरामदे की नींव भरने में।

(2) कमरों के ऊपर की दीवार में।

(3) रास्ता माल चौथजी के सीपेज के नाले पर लगाने में।

(4) पार्क की बुनियाद में।

पंचायत समिति देवली द्वारा दिया गया ऋण

230. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति देवली, जिला टोंक द्वारा वर्ष 1965-66, 66-67, 68-69 में कोई तकावी के रूप में ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कितना और किन व्यक्तियों को ? कृपया सालवार व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 45

(श्री दिग्विजय सिंह)

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त ऋण की वसूली नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितनी वसूली हो चुकी ? सूची मय व्यक्ति व साल सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि श्री रतन लाल सरपंच नगर व उसकी माता श्रीमती उमराव देवी को भी कोई ऋण स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्तियों से ऋण की वसूली नहीं की जा रही है और उनके 1,200) रु० एवं 700) रु० बकाया चल रहे हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति देवली ने उक्त रकम की वसूली के आदेश स्थगित कर दिए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं वसूल हो रहे हैं ?

(6) क्या यह सत्य है कि उक्त ऋण सम्वत् 2023 से बकाया चला आ रहा है और इसे वसूल नहीं किया जा रहा है ? अब कब तक वसूली की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वसूली का विवरण भी सूची में दिया गया है।

(3) जी हां। रु० 2,550) का।

(4) तहसील से रकम वसूल नहीं हुई है।

(5) जी नहीं। तहसील द्वारा रकम वसूल नहीं हो रही है।

(6) जी हां। शीघ्र वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

न्याय पंचायतें, सवाई माधोपुर

231. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं ?

(2) इन न्याय पंचायतों में से कुल कितने स्थान कितने समय से रिक्त हैं और इनके अब तक चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) इन न्याय पंचायतों में से कितनी ऐसी न्याय पंचायतें हैं कि जिनका कोरम या बैंच न बन सकने के कारण काम ठप्प पड़ा है ?

(4) सरकार अब इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु क्या विचार रखती है।

उत्तर

(1) 71 न्याय पंचायतें हैं।

(2) रिक्त स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखी गई है। संकट कालीन स्थिति तथा पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव

(पंचायत मंत्री)

स्थगित रखे जाने के कारण यथा समय चुनाव नहीं कराये जा सके।

(3) 4 न्याय पंचायतों का।

(4) इन न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों का निर्वाचन इसी माह में करवाने का निश्चय किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिए)

(12 मध्यान्ह)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री चुन्नीलाल इंदलिया, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर जिले के कई अकाल पीड़ित गांवों में उल्टी और दस्त की बीमारी से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसी विषय में श्री भैरोंसिह शेखावत, सदस्य विधान सभा ने बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम काश्मीर में 13 मार्च, को 20 व्यक्तियों, 14 मार्च को 17 व्यक्तियों व 15 मार्च को 5 व्यक्तियों की उल्टी दस्त आदि की बीमारी से मृत्यु हो जाने तथा आरंग ग्राम में 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बारे में आज क स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसमें यह भी बतलाया है कि बाड़मेर जिले का प्रत्येक परिवार चेचक रोग से पीड़ित है तथा जैसलमेर जिले में भी समलूणाद सड़क राहत कार्य पर पिछले दिनों लगभग 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। किन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : एक निवेदन करना था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रस्ताव की सूचना दी है, जो माननीय भैरोंसिहजी ने दिया है वह मुझे अभी मिला है। इसलिए कल इसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई तो......

श्री नत्थीसिंह : शाम तक पता लगा लें।

श्री भैरोंसिह : शाम तक दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : परसों दे दीजिये।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, आदमी मर रहे हैं दो सौ रोज, परसों तक कौन इन्तजार करेगा। इस मामले में चिकित्सा विभाग बिल्कुल असफल रहा है। वक्तव्य हो जाय तो मालूम हो जाय कि सरकार क्या कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : परसों दे दिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह : सरकार लोगों को मारने में सफल रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जितना इलाज मैंने कराया है उतना,.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपस में बात न करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सदस्य विधान सभा ने जिला चित्तौड़ की प्रतापगढ़ नगरपालिका के निर्वाचित बोर्ड की गत दो वर्ष से बैठक न होने और न बोर्ड की बैठक बुलाकर बजट पास करवाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । मैं माननीय सदस्यों की जानकरी के लिए स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य सुविधाजनक कल या परसों देने की कृपा करें । मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें यह बतलाया था कि श्री अनुसूया प्रसाद घपलियाल, नगर संवाददाता, दैनिक नवज्योति को नवज्योति के संचालकों द्वारा बेरी आयोग के समक्ष जयपुर की मार्च, 1967 की घटनाओं के सम्बन्ध में दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचारों की पुष्टि के लिए बैरी आयोग द्वारा बुलाए जाने पर गवाही देने के कारण दिनांक 17-12-68 से सेवा मुक्त कर दिया गया है । इस मामले को श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के सुपर्द करने से भी इंकार कर दिया जाना बतलाया गया है । इस विषय में राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह बतलाया गया है कि यह विवाद अनुशासन से सम्बन्धित है तथा इस पर विभागीय जांच की गई है और आरोप प्रमाणित होने पर ही श्री अनुसूया प्रसाद को सेवा से मुक्त किया गया है ।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, कार्यालय जयपुर से वन विभाग के एक अधिकारी द्वारा बारां उप-जिला क्षेत्र के ग्राम केलवाड़ा महुआ उत्पादक आदिवासी सोसाइटी के महुआ के ठेके से सम्बन्धित कुछ फाइलें गायब कर देना बतलाया गया है । इस मामले में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है गुम हुई पत्रावलियों के तलाश के प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस मामले की जांच के लिये श्री चन्द्र मोहन माथुर, वन संरक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है व मामला पुलिस में भी दे दिया गया है ।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

अनुदानों की मांगें......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नवज्योति के श्री अनुसूया प्रसाद....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, अनुमति नहीं दी गई है । जब आसन से यह व्यवस्था हो गई है तो इस पर चर्चा नहीं उठाई जायगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वक्तव्य की स्थिति नहीं है इस सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं हो सकती जब आसन से व्यवस्था हो गई है तब ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन की व्यवस्था को इन्कार नहीं कर सकता लेकिन......

श्री भैरोंसिंह : इस बात पर तो चर्चा हो सकती है कि सरकार की ओर से जो आपको उत्तर मिला है वह गलत है। उस उत्तर पर विचार करके आपने एडजोर्नमेन्ट मोशन के ऊपर निर्णय दिया है तो इस पर तो सदन में विचार कर सकते हैं कि जो उत्तर दिया गया है वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर गलत है तो बहुत गंभीर मामला है। उस स्थिति में आप अन्य किसी प्रस्ताव के द्वारा इसको चैलेंज कीजिये। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी इस वक्त।

अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में समय का बटवारा

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिए गए कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाये और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायें वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त करा सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके विशेष आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिये मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 1.45 का समय दिया जायगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर देने का समय भी सम्मिलित होगा, स्वतन्त्र पार्टी को 45 मिनट, जनसंघ को 30 मिनिट व अन्य दलों आदि को 15 मिनिट से 20 मिनिट का समय दिया जायगा।

Page No 49

श्री मनोहर सिंह मेहता : निर्दलीय के लिये ?

श्री नत्थीसिंह : अन्य में आ गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अन्य में आ गये।

एक माननीय सदस्य : वह तो दलदलीय हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा चल रही है उस वक्त न उठायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गत वर्ष जो कटौती प्रस्ताव पेश किये गये थे उस वक्त उन पर बोलने का मौका नहीं मिला फिर भी उनका सरकार की ओर से उत्तर नहीं आया। जैसा कि इस बारे में आपने व्यवस्था दी है कि जिनका उत्तर नहीं दिया जायगा उनको लिखित सूचना माननीय सदस्यों को मिल जाय लेकिन ऐसी सूचना गत वर्ष के बजट अधिवेशन में भी नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : इस साल यह कहा गया है कि माननीय सदस्यों के आग्रह पर उत्तर भेजे जायेंगे। आपकी तरफ से इस तरह की मांग होगी तो यह व्यवस्था की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : यह नियमानुसार है कटौती प्रस्ताव रखना !

राजवी श्री रूपसिंह : बोलने का आर्डर किस तरह से रखा जायगा हर एक बोलना चाहते हैं, तो किस ऑर्डर से उनको बोलने का अवसर दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलें।

राजवी श्री रूपसिंह : जो आदमी कटौती प्रस्तावों के बाबत बोलेंगे तो उनके बोलने का ऑर्डर किस प्रकार होगा। किसके बाद कौन बोलेगा, इसके लिये ऑर्डर क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह संभव नहीं होगा कि पार्टीवाइज अवसर दिया जाय, डिबेट के नियमों को देखते हुए एक इधर से माननीय सदस्य बोलें, दूसरे माननीय सदस्य उधर से बोलें, यह सुविधानुसार किया जायगा। आपकी सुविधा को भी देखा जायगा।

राजवी श्री रूपसिंह : थोड़ी देर के लिये एक आदमी सदन के बाहर किसी काम से चला जाता है, उस समय उसका नाम पुकारा जाता है, फिर वह बोलना चाहता है तो उसको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : यथासंभव तो कोशिश करेंगे, पर वैसे नियम तो यह है कि माननीय सदस्यों को यहां रहना चाहिये। हां विशेष परिस्थितियों में कोई माननीय सदस्य बाहर गये हों और उनका नाम पुकार दिया गया हो तो उनके आग्रह करने पर उनको समय दिया जा सकता है।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्षजी, आज एक दिन में 3 डिमाण्ड्स रखी गई हैं, तीनों डिमाण्डस में से हर एक डिमाण्ड ऐसी महत्वपूर्ण है कि एक एक डिमाण्ड के लिये एक एक दिन रखा जाना चाहिये

(राजवी श्री रूपसिंह)

था, तीनों डिमाण्ड्स के लिये एक दिन रखा गया है, यह जो तीनों डिमाण्ड्स एक दिन में रखी गई हैं, इसे मैं ठीक नहीं समझता, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी और अध्यक्ष को इस प्रकार की डिमाण्ड्स को एक दिन में रखने का कोई राइट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी की रिपोर्ट यहां सदन में पेश होती है, उसको सदन स्वीकार करता है, तो यह तो संभव नहीं है कि एक दम उसको बदल सकें और एक डिमाण्ड के लिये एक दिन रख सकें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,41,25,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 33। वन मंत्री जी।

मांग संख्या 33

राव श्री नारायणसिंह (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,60,35,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री।

मांग संख्या 3

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री, यातायात मंत्री की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर के संबंध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,18,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्री कहां गये ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुवालाल चौधरी।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या 9

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :

1. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्री परिषद् के सदस्यों की संख्या कम किये जाने पर चर्चा के लिए)।

2. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-जिलाधीश पद समाप्त कर खर्च में कमी करने पर चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति में सरकार द्वारा पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए)।

(श्री सुवालाल चौधरी)

4. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में भूमि प्रावंटन में तहसीलदार द्वारा पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

5. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में वन-सलाहकार समिति का गठन नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साखून, कालख, बिचून (तहसील दूदू) के पहाड़ों को वन विभाग को देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

7. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय में विचाराधीन मामलों में निर्णय विलम्ब से होने पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में अकर्मण्यता के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में से नौकरशाही प्रणाली में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता एवं सतर्कता नहीं बरतने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

11. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन-महोत्सव की भावना को अमली रूप न देने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जोड़ ग्राम पंचायतों को न देकर बाहर के लोगों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू के वनों की सुन्दरता नष्ट कर भू-खण्ड देने पर चर्चा के लिये)।

श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) :

14. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ के वन विभाग में भारी अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 52

मांग संख्या 9

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :
15. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकनीकी प्रशासकीय सेवाओं के विवाद विषयक चर्चा के लिए)।

17. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी प्रेक्टीकल ज्ञान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओवर स्टाफिंग एवं विभाग के कार्यों की उचित देखभाल नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

19. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय मरुअनुसंधानशाला के पचपदरा क्षेत्र के सर्वे सम्बन्धी प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की व्यवस्था राजस्व की दृष्टि से किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी क्षेत्रों को वन-हीन करने से कृषि अर्थ-व्यवस्था को धक्का लगने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बढ़ते हुये रेगिस्तान को नहीं रोक पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

23. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (राजस्थान की अमूल्य वनस्पति जैसे सेहवण, घास, रोहिड़ा, खेजड़ी, बांस आदि के संरक्षण एवं उत्पादन में वृद्धि के समबन्ध में विभाग द्वारा ठोस कदम न उठाने पर चर्चा के लिये।

24. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वनों की क्षति रोकने में सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (पीपलखूंट) :
25. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में खुले आम पक्षपात पर चर्चा के लिये):

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

मांग संख्या 33

26. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों को समय पर वन से लकड़ी काटने आदि हेतु पास नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर) : 27. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़ डिवीजन में नालवा निकोर के कत्था कूप में हुए नाजायज कार्य के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जायदा पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत के आदेश से एक ठेकेदार द्वारा अनाधिकृत पेड़ कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : 29. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने पर चर्चा के लिए)।

30. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक वेतनमान के भारी अन्तर को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

31. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव वालों को लकड़ी बराबर मिल सके और वन में भी कमी न हो इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

32. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों को पेडोक्स लगाकर, फिर से हरा-भरा करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

33. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरानी गाड़ियां बन्द नहीं करने, बकाया वसूली नहीं होने व पुरानी गाड़ियों को पास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : 34. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में अव्यवस्था एवं लालफीताशाही पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

35. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के कटने से वर्षा में कमी एवं पशुधन की हानि के विषय में चर्चा के लिए)।

(श्री अमीलाल यादव)

मांग संख्या 3

36. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान कर व्यवस्था उचित होने के कारण उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा मु०) : 37. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की कटाई से उनकी दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : 38. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले के घना केवलादेव के जंगली पशुओं से फसलों को हानि के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : 39. मांग संख्या 9. मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (सचिवालय के वरिष्ट अधिकारियों के पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के पक्षपात पूर्ण ढंग से तबादले व तरक्कियों पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार से अनावश्यक खर्च करने के सम्बन्धि में चार्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहुत ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति के फलस्वरूप होने वाले फिजूल खर्चों पर चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप होने से प्रशासन में शिथिलता बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

44. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर करके अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से चूरू, सरदार शहर तारानगर, नोहर, गंगानगर आदि शहरों को राजकीय बसों से जोड़नें के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : 45. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की कठिनाईयों के कारणों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

46. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर

Page No 55

:(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

1 रुपया कर दिया जाय (वनों से सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन) ।

मांग संख्या 9

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

47. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशसान में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मंत्रिमंडल को छोटा किया जाकर फिजूलखर्ची रोकने पर चर्चा के लिये) ।

48. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में गिरती हुई प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

49. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70--वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेम सेन्चूरियों ठीक व्यवस्था नहीं होने, विशेषत: सवाई-माधोपुर सेन्चूरी पर चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वन सम्पदा की ओर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

51. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन प्राणियों के संरक्षण और protected गेम्स पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं देन पर चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

52. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जाय (बांसवाड़ा की वन सम्पदा की असुरक्षा पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 9

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :

53. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रिमंडल पर होने वाला नाजायज खर्चे पर चर्चा के लिये) ।

54. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला स्तर में प्रशासनिक ताल-मेल की कमी के फलस्वरूप अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 33

55. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की वन-प्रसार व वन-संरक्षण नीति के बारे में व्यवहारिक परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

56. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा व झालावाड़ जिलों में खेजड़ों की पुरानी राड़ियों की अवैधानिक कटाई पर चर्चा के लिये) ।

57. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री जुझारसिंह) :

58. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में जलाऊ लकड़ी मिलने में आने वाली अड़चनों पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा स्थापित किये गये प्लान्टेशनों के स्थान गलत चुने जाने के कारण लोगों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में कृषकों को जलाऊ लकड़ी कठिनाई से मिलने से होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा व झालावाड़ जिलों में बबूल की पुरानी राड़ियों की सुरक्षा नहीं की जाने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के बावेर गांव में प्लान्टेशन का स्थान गलत चुनने व कृषकों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

63. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला व सचिवालय प्रशासनों की कमियों के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :

64. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य, प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों पर होने वाली फिजूलखर्ची कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के टेलीफोन्स पर होने वाले खर्च को कम करने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों पर जल-विद्युत के वार्षिक खर्च को कम करने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के यातायात भत्ते के नाम पर बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है उसे कम करने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों की मोटर कारों के प्रयोग व संधारण पर होने वाले खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये)।

69. मंग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (तहसील कार्यालय में जो अकारण फिजूलखर्ची की जा रही है उसे कम करने हेतु चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से

Page No 57

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय पर होने वाली अतुल सम्पति के खर्च को कम करने हेतु चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन पर व्यय होने वाली अतुल राशि कम कराने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

72. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वन-पशुओं की रक्षा के लिए कोलायत क्षेत्र में सेन्चुरी बनाने हेतु रकम का प्रावधान कराने हेतु चर्चा के लिए)।

73. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वन-जन्तुओं की रक्षा पर बहुत ही कम राशि रखी गई है, इसे बढाने हेतु चर्चा के लिए)।

74. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर के जोड़-बीड़ के रक्षित वन की उन्नति हेतु रकम का प्रावधान रखाने हेतु चर्चा के लिए)।

डा० श्री गंगा सहाय (कठूमर सु०): 75. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कम कर दिया जाय (वनों से हटाई गई व हटाई जाने वाली इमारती लकड़ी और अन्य उपज के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 9

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु०): 76. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के खर्चों में कमी करने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों के अनावश्यक दौरे पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित एवं जनजाति के 12½ प्रतिशत स्थानों को पूर्ण रूप से नहीं भरे जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

79. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पाटन में कृषकों को खेती व जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

80. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग के कर्मचारियों के वेतन के चुकारे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियमानुसार कर की वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

Page No 58

मांग संख्या 9

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

82. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल में जेर-तजवीज अपीलों में होनेवाली देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपीलेट ऑथोरिटी में अपीलों के फैसलों में हो वाली देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय के स्टाफ में कटौती एवं प्रशासन में सुधार लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रीगण पर होने वाले अपव्यय के रोकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

86. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों के निरीक्षण में मेकेनिकल निरीक्षकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर की वसूली की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली):

88. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के दौरे के समय जिला प्रशासन के अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण जनता की असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जा (राज्य के विशाल मंत्री-मंडल पर होने वाले अनावश्यक व्यय में कमी करने पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विशाल मंत्री परिषद् व मुख्य मंत्री द्वारा किय गये स्वेच्छानुदान के व्यय को बन्द करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

91. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की अकमर्ण्यता के कारण वन नष्ट हो गये और उसके कारण वन जीवन पर पड़ने वाले असर पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) :

92. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़) :

93. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने से फिजूल खर्च है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

94. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के वन सम्पदा के नष्ट होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : 95. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति व स्थानान्तरण में होने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

96. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वन-पशुओं तथा वन-सम्पदा की अवहेलना कर नष्ट होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा (पीपल्दा) : 97. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्री-मंडल पर किये जाने वाले अनावश्य खर्चे पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

98. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिजर्व फारेस्ट व नये प्लान्टेशन कार्यक्रम पर किए गये अव्यवस्थित खर्चे पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

99. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर लगाये गये कर की बकाया वसूली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

100. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अकर्मणयता के कारण होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

101. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भेंसलाना के वन विभाग की भूमि को गोचर में परिवर्तित करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री दवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु०):

102. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार के बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

मांग संख्या 33

103. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष कटवाने बाबत चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा अजमेर में ठेके देने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में भिन्न भिन्न प्रकार से चराई राशि वसूल करने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

107. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर मालिकों से कर बकाया उचित रूप से वसूल न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):
108. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में तबादलों, प्रमोशनों तथा नियुक्तियों में की जाने वाली धांधली व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

109. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के चिड़िया घर के निर्माण कार्य में गड़बड़ी पर चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर के चिड़िया घर में शेर द्वारा आदमी के हाथ को खा लेने पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन-जीवों के विनाश पर चर्चा के लिए)।

112. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों में आयुर्वेदिक औषधियों की पैदावार को बढ़ावा नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

113. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की कटाई पर प्रतिबन्ध न होने से वनों की बर्बादी पर चर्चा के लिए)।

114. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के ठेकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मांग संख्या 3

115. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों के मालिकों में बड़ी तादाद में सरकारी बकाया राशि की वसूली न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

116. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में शिथिलता स्वेच्छाचारिता एवं वेतनमानों में भारी अन्तर पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

117. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ के पास जंगलात के लिए अवाप्त भूमि खाली पड़ी होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

118. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में चलने वाली रोडवेज की गाड़ियों की दयनीय अवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) :

119. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रसासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मूलन पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

120. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में सरप्लस हुए 66 कर्मचारियों की नियुक्तियों में हुए पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

121. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र बारां में प्लान्टेशन के नाम पर खर्च हुए हजारों रुपयों के भारी दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां वन विभाग के बारां नगर में किशनगंज रेंजर कार्यालय में पौध संरक्षण के नाम पर किये गये हजारों रुपयों की फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कृषि योग्य भूमि के नाम पर निकाली गई भूमि में भारी धांधली पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 62-63 के आस पास अकाल राहत के लिये बारां वन विभाग द्वारा मजदूरों की घास भराई (वैगनों में)

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मजदूरी में किए गये भ्रष्टाचार व घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

125. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउंट आबू व आबू रोड क्षेत्र के आदिवासी भील व गरासियों जाति के निर्धन लोगों को लकड़ी व जंगल उपज की चीजें नहीं लाने देना एवं उसमें अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से मिलकर कटाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग से सरप्लस में हुए 66 कर्मचारियों की अन्य विभागों में जो नियुक्ति विभिन्न पदों पर हुई है उस पर चर्चा के लिये) ।

127. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज० वन श्रमिक सहकारी संघ को जंगल का ठेका दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

128. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र की जंगल उपज सहकारी सोसाइटी के नाम सरकार द्वारा द्वारा ठेका नहीं दि जाने पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [केलवाड़ा (कोटा) जंगल उपज उत्पादक सहकारी समिति को सन् 64 में महुआ का ठेका नीलामी होने के बाद ठेका नहीं देकर दूसरों को देने पर चर्चा के लिये]।

130. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ क्षेत्र में गत 2-3 वर्ष पूर्व प्लान्टेशन के नाम पर खर्च किए गए करीब तीस लाख रुपयों के धन का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

131. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां क्षेत्र में वन विभाग द्वारा प्लान्टेशन के नाम पर गत 4-5 वर्ष में जो हजारों रुपया खर्च किया उसमें हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 3

132. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस मालिकों द्वारा बसों में बुरी तरह यात्रियों के भरने तथा कर की चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

133. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में बसों पर हजारों रुपयों का यात्री-कर बकाया और उनकी वसूली को रिश्वत खोरी के कारण दबाए जाने पर चर्चा के लिये) ।

134. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बसों पर यात्री-कर की लाखों रुपयों की बकाया रकम पर चर्चा के लिये) ।

Page No 63

मांग संख्या 9

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :

135. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (उप-खण्ड अधिकारी का पद रखने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

136. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (मंत्रियों हेतु स्वेच्छानुदान मत रखने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

137. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवीन वेतनमान से लेखा सेवा कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होने बाबत चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इंगलैंड में व्यय उप-शीर्षक से आय-वयंक अनुमान में उल्लेख अस्पष्ट होने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की संख्या 18 करने के बारे में के लिये)।

140. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वित्त आयुक्त का पद समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपील अधिकारी अधिक से अधिक पांच जिलों में एक जरूर हों एवं जिला मुख्यालयों पर उसकी बैठकें हों, इस पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा प्रदेश आयुक्त का पद समाप्त किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

143. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 9,76,874 रुपये कम कर दिये जांय (मोटर वेहिकल एक्ट के तहत कलेक्शन चार्जेज मद में मितव्ययता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

144. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर० ए० एस० सेवाओं के अधिकारियों को गलत प्रमोशन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियुक्ति

(श्री हरजीराम बुरड़क)

विभाग में चल रही विभागीय कार्यवाहियों में अत्यधिक विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के निवास-स्थानों के लिये मकान किराये की दरों में अत्यधिक वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के निवास-स्थानों पर जल और विद्युत व्यय में वृद्धि के संम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल द्वारा नायब तहसीलदारों के पद पर प्रमोशन में की गई अनियमितताओं पर चर्चा लिये)।

149. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपील अधिकारियों द्वारा लम्बे समय तक मामलों को विचाराधीन रखने बाबत चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के लिये अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निधि लेखा परीक्षण विभाग द्वारा दी गई अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कार्यालयों में फर्नीचर की अत्यधिक कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वधीक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर अनुचित खर्च के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अर्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुख्य मंत्री द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

154. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर-बीकानेर मार्ग पर बसों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं-लोसल बस समय पर नहीं चलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं-सीकर मार्ग पर चलने वाली बसों की हालत खराब होने पर भी फिटनैस सर्टीफिकेट देने बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

157. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़-नावां रूट पर अत्यधिक सवारियें होने पर भी गाड़ियों की संख्या में वृद्धि नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना-लोसल बस ग्राम बरड़वा नहीं जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं-सरदारशहर बस को जसवन्तगढ स्टेन्ड पर नहीं ठहराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : 160. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों के तबादलों में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश, गंगानगर के समुचित नियन्त्रण न होने से जिला अधिकारियों की मनमानी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

162. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (वन लगाने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

163. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ का वन समाप्त किया जाकर भूमि आवण्टन करने से उत्पन्न विषम स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

164. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर लगाने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 9

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़ सु०): 165. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में खुले आम पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): 166. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विस्तृत मंत्रि-मण्डल में कमी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों के स्थानान्तरण करने व पुनः कैन्सिल करने से अनावश्यक खर्चा होने तथा जनता में

Page No 66

(श्री हरीवल्लभ शर्मा)

असन्तोष की भावना उत्पन्न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में ज़िलाधीश द्वारा पटवारियों की नियुक्ति में भारी अनियमितता करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला लाईब्रेरी भवन, सवाई माधोपुर को पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा लिस्ट में शामिल न किए जाने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के उच्चाधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

171. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा काश्तकार को औजार व घर के छावण के लिए लकड़ी न दियें जाने संबंधी नीति का अनानुमोदन)।

मांग संख्या 3

172. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकरण मार्गों पर मिनी बसेज न चलने देने के विषय में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

173. **श्री रामनारायण** (मंडावा) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राणावत वेतन आयोग द्वारा सचिवालय के वरिष्ठ लिपिकों के वेतन-मान में अधिकतम सीमा कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

174. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय में शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों के कोटे की पूर्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

177. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (वन रक्षा के सम्बन्ध में सरकार की उदासीन नीति का अननुमोदन)।

178. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री श्रवणलाल)

कम कर दिया जाय (सिरोही के वाड़ा खेड़ा वीड़ में कृषि योग्य भूमि को राजस्व में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

179. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में कृषकों को अपने खेती के औज़ार व घर के छवाणें के लिए तथा जलाऊ लकड़ी की जंगलात से कोई व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

180. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न चराई दरें रखने में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

181. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात की जमीनों पर नाजायज कब्जों तथा फैले रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

182. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही के वनों में कृषियोग्य भूमि वन विभाग से निकाले जाने पर चर्चा के लिए) ।

183. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन खण्डों की कटाई हेतु दिए गए ठेकों में भ्रष्टाचार व अव्यवस्था परचर्चा के लिये) ।

184. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि योग्य भूमि वन विभाग से निकालने पर चर्चा के लिए) ।

185. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के विकास के नाम पर राज्य की आय बढ़ाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 3

186. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर की चोरियों की रोकथाम के सम्बन्ध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

187. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटरों की बकाया कर की वसूली समय पर न होने के सम्बन्ध में बर्ती जाने वाली लापरवाही पर चर्चा के लिए) ।

188. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट टैम्पोज, टैक्सीज व बसों को राष्ट्रीयकरण मार्गों पर चलने देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 9

189. **श्री आलम अली खां** (फतेहपुर) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा साधारण से साधारण कार्य के सम्बन्ध में अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए) ।

(श्री आलम अली खां)

मांग संख्या 3

190. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर लगाने विषयक सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 9

191. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रिमण्डल के भारी विस्तार और अत्यधिक खर्च के उपरान्त भी प्रशासन को कुशल, निष्पक्ष, निर्मल और क्षमताशील बनाने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

192. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (मरुस्थलीय प्रदेश में वन के प्रसार और पुराने बीड़ों के संरक्षण एवं विकास में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 3

193. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चालू गाड़ियों पर पूरा कर वसूल करने में और बिना कर दिए चलने वाली गाड़ियों को रोकने की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

194. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में वन विभाग द्वारा रेगिस्तान रोकने व वन संरक्षण करने में असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 3

195. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में यातायात के अभाव व वर्तमान कर व्यवस्था में भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

196. **श्री भगवानदास इसरदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण वनों की उचित सुरक्षा न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

197. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों में से ईन्धन एवं घास काटने से रोकने के कारण जनता की असुविधाओं पर चर्चा के लिए) ।

198. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नव घोषित वनों में अवाप्त सम्पत्ति का मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिय) ।

199. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काटे जा रहे वनों को रोकने बाबत चर्चा के लिए) ।

(श्री पृथ्वी सिंह)

200. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनियमित वनों की कटाई के बाबत चल रहे मुकदमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

201. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू के ग्राम कोट में काश्तकारों के चरागाह तथा खेतों को वन क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुरवाटी तहसील में वन सीमा निर्धारण करते समय काश्त योग्य भूमि वन क्षेत्र में लेने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

203. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पैसेन्जर टैक्स की वसूली में खामियों के निवारण तथा पैसेन्जर टैक्स टिकटों के रूप में वसूल करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

204. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के जंगलों से चोरी द्वारा ट्रकों से गीली लकड़ी के निकास पर चर्चा के लिए)।

205. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटी सादड़ी तहसील के आदिवासी क्षेत्र में स्थित वन भू-खण्ड को कृषि के उपयोग में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिए)।

206. **श्री जयनारायण** (लसाड़िया) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [वन विभाग के कर्मचारियों, (रेन्जर्स फोरेस्टर्स, गार्ड्स) के दो वर्षों में स्थानान्तरण करने के विषय में चर्चा के लिए]।

207. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धरियावद तहसील के कुणगांव को वन रेन्ज कुराबड़ से निकाल कर बान्सी रेन्ज में सम्मिलित करने पर चर्चा हेतु)।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये है. उनके समर्थन में बोलते हुए जो सुझाव देना चाहता हूं वह इस प्रकार हैं :

माननीय उपाध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है, किसी राज्य का प्रशासन यदि अच्छा है तो उसके जितने विभाग हैं उनका सारा काम अच्छा चलता है और यदि किसी राज्य का प्रशासन कमजोर है तो उसमें पक्षपात को बल मिलता है, न उस कमजोर प्रशासन में राज्य कर्मचारियों को बल मिल सकता है, न न्याय करने का मौका मिल सकता है और न जनता को ही सस्ता सुलभ

(श्री सुवालाल चौधरी)

न्याय मिल सकता है। जो आज प्रजातन्त्र का शासन है और कांग्रेस संस्था का 20 वर्ष से शासन चलता आया है, 20 वर्ष पहले प्रजातन्त्र शासन नहीं था तो हम सोचते थे कि प्रजातन्त्र का शासन आयेगा तो हमें सस्ता न्याय मिलेगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति भाई चारा बढ़ेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा लेकिन मैं मेरे कटौती प्रस्तावों के जरिये यह बताऊंगा कि इस बीस साल के समय में गांवों में क्या, शहरों में क्या जो पहले इस प्रकार का प्रेमभाव था वह खत्म हो गया है उसका मुख्य कारण यह है कि आज प्रशासन कमजोर हो गया है, प्रशासन में पक्षपात के कारण आज एक व्यक्ति अपने किसी भी काम को लेकर जाता है, चाहे जमीन से संबंधित हो चाहे अन्य किसी मामले से सम्बंधित उसकी मांग हो तो, उस सही मांग को लेकर राजस्थान के किसी भी विभाग में जाता है तो, दरख्वास्त पेश करता है तो जहां उसका काम एक दिन में हो जाना चाहिये वहां वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार का आज प्रशासन का पक्षपात का रवैया है। यह इसलिये है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, वे निष्पक्ष न्याय करना चाहते हैं पर सत्तारूढ़ पार्टी निष्पक्ष न्याय नहीं करना चाहती, सम्बंधित मंत्री टेलीफोन से या चिट भेज कर उस कर्मचारी को सही न्याय नहीं करने देना चाहते। खास तौर से यदि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है तो इसलिये मिला है कि कोई भी कर्मचारी आज कोई भी काम करता है तो ऊपर के मंत्री लोगों का प्रेशर, दिल और दिमाग को देख कर काम करने को मजबूर है। वह अपना दिमाग है और दिल उस काम को करने में नहीं लगा सकता जो काम आसानी से वह एक दिन में कर सकता है उस काम को करने में उसे ऊपर के प्रेशर और टेलीफोन के आधार पर डिसिजन लेने को मजबूर होना पड़ता है, उसके बहाने वह अपने ही कई काम निकालता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो टेलीफोनों से काम कराने की राज्य सरकार की प्रणाली है, उसे खत्म करना चाहिये। किसी भी मामले को ले लीजिए, जमीन के झगड़ों को ही ले लीजिए, मेरी तहसील में सम्वत् 2011 से सम्वत् 2025 आज है चौदह, 15 साल हो गये, उन झगडों का कोई निबटारा नहीं हो रहा है, ज़मीन के झगड़ों के मामले आज तक यों के यों पड़े हुए हैं। कई किसान ऐसे हैं जमीन का सही पर्चा, सही हद तक का उनको पता नहीं है। यह जमीनों के मामलों में किसानों की स्थिति है, यह न्याय का तरीका है, इस न्याय में टेलीफोनों के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं। जिधर जाओ, किसी भी विभाग में देखो, चाहे पुलिस को देखा जाय, चाहे कोई दूसरा विभाग हो सब जगह रिश्वत का बोलबाला है। इसके लिये किसी कर्मचारी को दोष दिया जाय कि फलां पटवारी ने, या फलां तहसीलदार ने न्याय नहीं किया तो यह गलत होगा। पर यह खास तौर से रिश्वत की प्रणाली ऊपर के सत्ताधारी, जो एक पार्टी के सत्ताधारी हैं, उनकी वजह से है, वे शपथ लें कि महात्मा गांधी के तरीकों को अपनायेंगे तो यह भ्रष्टाचार आज जो फैला हुआ है, वह समाप्त हो सकता है। आज गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, गरीबों को न्याय नहीं मिलता। अब ये कहते हैं कि सस्ता न्याय देंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, पर आज स्थिति यह है कि लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस या अन्य विभागों की चर्चा करें कि रिश्वत लेते हैं, पर मेरी यह मान्यता

(श्री सुवालाल चौधरी)

है कि यदि ऊपर वाले रिश्वत बन्द करें, तो नीचे वाले अपने आप रिश्वत खत्म कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग के बारे में निवेदन करूं, वन विभाग की कई जमीनें ऐसी हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में बिचूण का पहाड़ है, साखूण का पहाड़ है, वन विभाग से नोटिस दे कर एक्वायर कर लिये हैं, पर 10 साल हो गये उन पहाड़ों की, वनों की, वन विभाग की ओर से कोई देख रेख नहीं है, वहां की सारी वन सम्पदा नष्ट हो गई है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के छोटे छोटे वन जिनकी कि वन विभाग देख रेख नहीं कर सकता तो उन छोटे छोटे वनों को पंचायतों और पंचायत समितियों को देकर उनकी देख रेख में कर देना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि छोटे छोटे वन जिनकी देख रेख वन विभाग नहीं कर सकता वे वन पंचायतों या पंचायत समितियों के जिम्मे कर दिये जाने चाहिए।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हर श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर पद नहीं दिया जाता हैं। जो कर्मचारी निष्पक्षता से अच्छा काम करते हैं उनको थोड़े समय के लिये भी एक जगह नहीं रहने दिया जाता यह सरकार की बहुत कमजोरी है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति जिस विभाग का हो, उसको बिना किसी कारण से, किसी मंत्री के टेलीफोन से ट्रांसफर नहीं करना चाहिए और जनता शिकायत करती है तो उस बारे में जांच करने का मौका मिलना चाहिए और उसका सही फैसला होना चाहिए, तब ही सही मायने में प्रशासन की कमजोरी सही हो सकती है। प्रशासन में लोगों को सही न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम न्याय किस तरह से ले सकते हैं। तो मैं खास तौर से टेलीफोन प्रणाली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और रिश्वत का जो बोलबाला है, नीचे से ऊपर तक उसको खतम करना चाहिए। यह खास तौर से सत्ता चलाने वाले मंत्रीगण हैं, उनको विचार करना चाहिए।

रिश्वत के बारे में जैसा मैंने कहा एक पटवारी का, जनता से किसान से सीधा संबन्ध है, वह किसान पटवारी से डरता है, इतना मंत्री से भी नहीं डरता, इतना रिश्वत का ज्यादा बोलबाला है। जब तक ऊपर के लोग ठीक तरह नहीं चलेंगे तब तक नीचे के लोग रिश्वत खाना बंद नहीं करेंगे। सही और सस्ता न्याय देना जरूरी है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और किसी राज्य में प्रशासन में काम करने वाले व्यक्ति ईमानदारी और सचरित्र हों और देश प्रेम की भावना से प्रेरित हों तो अच्छा प्रशासन मिल सकता है। मुझे दुख है कि कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं और आम चर्चा और आम आवाज है जो आफीसरशाही है जो नौकरशाही है वह निकम्मी हो गई है और अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। यह एक आवाज है जो गलियों में सुनाई देती है मुहल्लों में सुनाई देती है। उसका एक तरीका होता है, उसके बारे में एक लेख है "गवर्नमेंट विदाउट टीयर्स"। अगर देश के साथ, नौकर के साथ ऑफिसर गरीब नहीं बन सकता है

Page No 72

(श्री मूलचन्द डागा)

और उसकी बात नहीं सुनने का तो वह आदी हो गया है और किस प्रकार आदी हो गया है, थोड़े शब्दों में लेखक ने वर्णन किया है :

"Foreign observers have noted that poverty can be so painful that beyond a certain limit it can brutalize the feelings of the observers and mercifully perhaps deadens the sensitivity of the observed. In Bengal famine when people were dying like flies living used to step over and pass by the dead and the dying in the streets of Calcutta with as much equanimity as if the simile of flies were actually true to life."

अधिकारियों ने समझ रखा है कि यह एक रूटीन का काम है जिस प्रकार बंगाल में लाखों आदमी मर गए तो कहा ये तो मरते ही हैं। बहुत से गुजरते थे और यही कहते जाते थे। उस प्रकार शासन में क्या होता है ? कई बार अधिकारी लोग ऐसा ही समझते हैं और कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते और उसके कारण शासन अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाता और सारे शासन के प्रति लोगों की शिकायत रहती है एक और जगह पर लेखक ने मार्के की बात कही है :

"The office note was like that how can I do against it? And that is why people find it easier to get things done in the Government offices by going to the clerks rather than to the higher officials.,"

इतने बड़े ऊंचे ऑफिसर जो दो मंजिल से झांकते हैं उनके पास चले जाइए। उनके दिल में क्या गहराई होती है ? इसका परिचय उनकी बातों से मालूम होता है। वह कोशिश करेंगे आपको टर्न डाउन करने की, कोशिश करेंगे किसी को हताश करने की, क्योंकि उनमें काबलियत नहीं, पता नहीं होता है, ऑफिसरों में परम्परा चल चुकी है ये भी एक घर में चलता है। ठीक टाइम पर उठते हैं, बैठते है काम करने का तरीका इनका अपना है, रात दिन काम नहीं करते, ये क्लर्क के नोट पर जिंदा रहना जानते हैं और इसी कारण प्रशासन पर बहुत दौलत खर्च करने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जनता का हित नहीं हो पाता। इसका एक कारण है, परम्परा बन चुकी है। मैंने एक बार कहा था आप मेहरबानी करके आधे घंटे का समय जिलों में बड़े बड़े अधिकारियों व कलेक्टर साहबान को न दिया जाय। मुख्य मंत्री ने समझा होगा कि इससे काम करने में फर्क आती है और काम तेजी से करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि प्रशासन के मामले में जो आधा घंटा दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आधे घंटे के बजाय घंटा, डेढ़ घंटा दो घंटे खर्च होते हैं। जिले में एक अधिकारी है जो कलेक्टर से दो या तीन मील दूर रहता है। एक इंजीनियर का कार्यालय कलेक्टर के कार्यालय से तीन फर्लांग दूर है। वे सब वहां जमा होते हैं। एक जगह जमा होकर कई घंटे बैठकर कई तरह की चर्चायें करते हैं। जैसे कुछ देश हैं विदेशों में उन लोगों को आजादी से रहने का मौका मिलना चाहिए। कहते हैं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके अंदर धारणा है, कई ऐसे देश हैं, शासन हैं, राज्य

(श्री मूलचन्द डागा)

में काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाय, चुनाव लड़ें लेकिन यह जो आधे घंटे का सिस्टम है, वह ठीक नहीं है।

इसके अलावा सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कोई न कोई अधिकारी बाहर से आता ही रहता है जैसे रेवेन्यू बोर्ड के कोई सदस्य आ गए हैं या कोई बड़ा इंजीनियर आ गया है, चीफ इंजीनियर आ गया है या हेल्थ इंजीनियर आ जाते हैं तो सारे अधिकारी बैठकर उसकी चाय पानी में मिलते हैं, कितना समय जाता है, कई चर्चायें होती हैं। वहां का लोकल अधिकारी उसके साथ चिपका हुआ रहता है। मैं कई बार सुनता हूं कि मंत्री लोग कितने घंटे काम करते हैं लेकिन ऑफिसर्स कहते हैं कि अकाल का काम है, कुओं का काम है। मैं परसों ही मीटिंग करके आया हूं। दुख के साथ कहता हूं कि अकाल विभाग से मांग है कि कुओं को गहरा करवाओ, हमने गहरे किस जरिए करवाया, कौन सी मशीनरी लगवाई, इसका क्या तरीका होगा?

अगर आपके इम्तहान होते हों आई० ए० एस० या आर० ए० एस० के दो साल के या तीन साल के बाद तो इन विषयों में भी परीक्षा लो, अगर पास नहीं होते है तो अनुत्तीर्ण कर दो। उनमें न कोई माद्दा है कानून को जानने का, सारे इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। जो क्लर्क ने नोट लिख दिया उसके आधार पर दस्तखत कर देते हैं। न अपना माइंड एप्लाई करते हैं, कानून से परिचय है नहीं, चाहे रेवेन्यू अधिकारी है चाहे पी० डब्ल्यू० डी० ऑफिसर है, कभी कानून से वास्ता नहीं। एल० डी० सी० व यू० डी० सी० जो कानून को जानते हैं नोट लिख कर देते हैं तो ऑफिसर पर आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रशासन की यह हालत है। आप जो आधा घंटा कलेक्टरों को देते हैं मेहरबानी करके उनको अपने चेम्बर्स में दे दें। उनका अपना कमरा होता है, उस कमरे में बैठे चाय पी जाती है। उनमें आप एक्जामिनेशन चालू कीजिये। उनमें इससे एक डर पैदा होगा और सही तरीके से काम करने की आदत पड़ेगी। सारे फैसले एल० डी० सी०, यू० डी० सी० लिखते हैं। वे तो केवल दस्तखत कर देते हैं। उनकी एक इस प्रकार की आदत होती है कि समय पर रेडियो सुनना, समय पर चाय पीना, गप्पें लड़ाना। कोई मिलने आया तो बाहर बैठो। जमाना बदल गया। किस आदमी को कह रहे हैं? उस आदमी को कह रहे हैं जो उनके गुणों से प्रभावित नहीं है। उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती। वे यह कोशिश करेंगे कि इसको डाउन कैसे किया जाय। हमें वकील की हैसियत से उन्हीं की कोर्ट्स में जाना पड़ता है अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। बात कहने में हम हिचकिचायेंगे नहीं। काम करने वाले चुनिन्दा लोग आ जाते हैं तो मिनिस्टरों को रोक सकते हैं लेकिन उन लोगों को नहीं रोक सकते। उन लोगों ने शासकों और शासितों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। नियम बने हुए हैं लेकिन कोई परवाह नहीं। इसलिये एक्जामिनेशन शुरु होना चाहिये। वे सारे बयानों को खुद लिखें। उनके साथ बैठना आज बड़ा मुश्किल है। वे इतनी बड़ी ऊंची क्लास हो गयी है। उनको आज के बदले हुए हालात की मालूम नहीं है। वही पुराना ढर्रा। उनको तो शासकों और शासितों के बीच की कड़ी बनना है।

(श्री मूलचन्द डागा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपको यू० के० और अन्य देशों की बात कहूं वहां पर पब्लिक ग्रिवेन्सेज क्लिनिक खुले हुए हैं। वे क्लिनिक क्या काम करते हैं? कोई आपका काम होता है, दो चार पेपर्स निकलते हैं, उनमें सारी पब्लिक ग्रिवान्सेज निकल जाती हैं। राज्य सरकार उन ग्रिवेन्सेज का निवारण करती है। कई विकासशील देशों ने भी इस प्रकार का काम शुरु कर दिया है। लेकिन आपकी असेम्बलीज में और हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट में व्यक्तिगत सवालात नहीं रखे जाते हैं। लेकिन उनकी पार्लियामेन्ट और असेम्बलीज में व्यक्तिगत सवालात रखे जाते हैं और अधिकारियों से पूछा जाता है। जब व्यक्तिगत सवाल का सवाल आता है तो ग्रिवेन्सेज कमेटी का काम रख दिया, उनमें कुछ चुनिन्दा लोग बैठते हैं और कुछ सिटिजन्स बैठते हैं और उनकी ग्रिवेन्सेज का निवारण करते हैं। स्वर्गीय श्री हरिश्चन्द्रजी माथुर ने 63-64 में अपनी रिपोर्ट में जो बातें लिखी थीं मैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है:

"All officers should apprise the Government of general grievances of the people and the Chief Secretary should ensure that these problems receive proper attention."

मैं अर्ज करता हूं कि जिन अधिकारियों के पास शिकायत जाती हैं केवल आप कहते हैं कि "रिसीव्ड बाई सच एन्ड सच। तहसीलदार, एस० डी० ओ० टू रिपोर्ट।" मैं कहता हूं कि यह क्या मजाक है। आपने ओर्डर निकाला है कि सोमवार को या सप्ताह में कोई भी दिन कलेक्टर महोदय अपना दरबार लगायें, ग्रिवान्सेज सुनेंगे। नियम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: आपके दल के माननीय सदस्यों की, जो बोलने वाले हैं, काफी लम्बी सूची है।

श्री मूलचन्द डागा: लम्बी चौड़ी बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। प्रशासन के सम्बन्ध में कह कर समाप्त करता हूं। जो भी अधिकारी या मंत्री जायं वे सरप्राइज चैकिंग करें अपने विभागों की। मंत्री महोदय, काम करने का तरीका और ग्रिवेन्सेज दोनों के बीच कोओर्डिनेट करें तो काफी हमारा सुधार हो सकता है। प्रशासन के मामले में राज्य सरकार द्वारा डिस्मिस कर दिये लोग लाखों की तादाद में काम करते हैं। एक परिवार की तरह से। कोई सरकारी अधिकारी कहता है हमारे कुटुम्ब का भाई है, इसको किसी तरह बचाया जाय। सारे सरकारी अधिकारी दोषी को बचाने की कोशिश करते हैं। पटवारी को ले लीजिये या चाहे किसी को भी ले लीजिये। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पाली में एक कुम्हार के मकान के आगे स्लेब खड़े कर दिये गये। असिस्टेन्ट इन्जीनियर, एक्जीक्युटिव इंजीनियर, यहां तक कि चीफ इंजीनियर के आर्डर्स हो चुके, बड़े से बड़े अधिकारी ने जांच की, मिनिस्टर ने जांच की। बीस बार ओर्डर्स जा चुके हैं कि इट शुड बी रिमूव्ड लेकिन गरीब की छाती पर वे स्लेब खड़ी हैं। 11 महीने से मैं देख रहा हूं। एक बार मंत्री महोदय परसरामजी ने आश्वासन दिया था कि हट

(श्री मूलचन्द डागा)

दिये जावेंगे। लेकिन नहीं हट सके। एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे शासकों को ही यह प्रशासन ले बैठा है। यू० के० और यू० एस० ए० में पचास हजार लेटर्स काम करने वालों के पास जाते हैं तो पचास हजार पत्रों का जबाब शासन में काम करने वाले देते हैं। सिटीजन्स जाते हैं और अधिकारी लोग उनके साथ बैठते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपकी क्या शिकायत है, आप कैसे आये। हमारे यहां हर अधिकारी से परेशान। पटवारी, बी० डी० ओ०, हर अधिकारी से परेशान। कांग्रेस की नीतियां ठीक हैं। कानून भी सब ठीक है। उनका पालन न होने के कारण आज यह स्थिति है। हमारे प्रशासन में कब तब्दिली, कब परिवर्तन आवेगा, कब ढर्रे को छोड़ देंगे और जमाने के साथ चलेंगे तो, मैं समझता हूं हमारा देश कितना ऊंचा आ सकता है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यह अदा कर सकता है। वरना नौकरशाही, लालफीताशाही लोकतन्त्र को खा गये हैं। भगवान जानें आपका क्या होगा और लोकतन्त्र का क्या होगा। इसलिये इस पर विचार कीजिये। सरप्राइज चैकिंग रखिये। जो ईमानदार और योग्य व्यक्ति है, जिनमें काम करने की भावना है उनको तरक्की दीजिये। जिनमें यह माद्दा नहीं है उनको टेबल पर से जिस प्रकार रद्दी कचरे को फैंक दिया जाता है उनको भी हटा देना चाहिये। पं० विजय लक्ष्मी ने कहा था कि इन लोगों के दिमाग में डिसिजन लेने की ताकत नहीं है। क्या प्रशासन को ठीक कर सकेंगे ? हमें इस पर गम्भीरता से सोचना है। यदि शासकों और शासितों के बीच की दीवार को समाप्त कर सकें और एक कड़ी का यह काम कर सके तो हम आगे बढ़ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो वन विभाग और दूसरा यातायात विभाग से सम्बन्धित है। जिला झालावाड़ में वन विभाग की ओर से जो अनियमिततायें हो रही हैं उनकी ओर निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात उपाध्यक्ष महोदय यह है कि सन 66-67 में उप-वन जिला अधिकारी झालावाड़ द्वारा घास कटाने का काम शुरू किया गया था अकाल में देने के लिये उसमें लगभग 40,000 रुपये की घास काटी और आज उस घास का कोई ठिकाना नहीं है। उसमें से पांच मन घास भी किसी को नहीं दी गई। पंचायत समिति ने यह प्रस्ताव रखा कि इस घास में गोलमाल हुई है। इसकी शिकायत भी की। परन्तु कार्यवाही आज तक नहीं हुई।

दूसरी कोई बात यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि सन् 67-68 में कत्थे का ठेका आवखन खंड का किसी को दिया गया था। जिसे कत्थे का ठेका दिया गया था, उसे कत्थे की सीमा भी दी गयी थी। इसके अलावा भी कत्था दूसरी जगह के जंगल को कटवा कर बनवा लिया। इसकी शिकायत की और आज तक इसकी जांच नहीं की गई। यह भी पता नहीं है कि किस अधिकारी को दंड दिया गया। कौन राज्य अधिकारी इसमें फंसा हुआ है, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई। शिकायत के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह खैरुना वन श्रमिक सोसाइटी को कत्था बनाने का ठेका

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

दिया था और उस ठेके की अवधि को 67-68 तक बढ़ाया गया। उसके बाद भी वह ठेकेदार वहां काम करता रहा और ठेके को कैंसिल नहीं किया गया। लकड़ी के हजारों पेड़ों को काट दिया गया है। वक्त पर इसकी शिकायत की। कत्था जप्त किया है। उसके बाद आज तक शिकायत के बावजूद भी उस ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य जिला वन अधिकारी, जिसने इस काम को कराया था, उसके नोटिस में यह बात है। उसने जंगल को अवैधानिक ढंग से कटवाया है इसकी आज तक कोई कार्यवाही हुई हो, वह हम लोगों के सामने नहीं आई है।

तीसरी बात भी इसी प्रकार की है, उपाध्यक्ष महोदय। झालावाड़ जिले में फोरेस्ट विभाग के अन्तर्गत भू-संरक्षण योजना का कार्य शुरु हुआ। इसमें हजारों रुपये का मस्टर रोल बना है वह फर्जी बना है। कुल 7 हजार का ही काम हुआ और 20/25 हजार का इसमें घोटाला है। इसके बारे में भी अधिकारियों को सूचना दी लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इसी प्रकार समय समय पर जंगलों के अवैधानिक ढंग से कटने के बारे में उप-वन अधिकारी को, उसके अधिकारियों को सूचना दी जाती है। परन्तु उसके बाद भी वे आंख मूंद कर काम करते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। जांच नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े दिनों पहले ही रेंज असनावर में कुछ औरतें और आदमी अपने खेत की मेड़ पर जलाऊ लकड़ी काटने के लिये गये। आते समय नाकेदार मण्डावरा ने उनको पकड़ लिया और मौके पर तीन सौ रुपया ले लिया और दो सौ रुपये की पांच चिट्ठियां 40, 40 रुपये की काट दी। मैंने इसकी शिकायत की और जिला अधिकारियों को सूचना भी दी कि इन लोगों के साथ में ज्यादतियां हुई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसकी आवश्यक कार्यवाही करूंगा। परन्तु आज तक उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीन सौ रुपये लिये और दो सौ रुपये की रसीद दी। इस तरह सौ रुपये हड़प लिये। 40 रुपये के हिसाब से चिट्ठियां काटी। असल में इन आदमियों का इन पेड़ों पर मालिकाना हक था। नाकेदार ने इनसे तीन सौ रुपये लिये हैं। इस प्रकार इन लोगों को रुपया देना पड़ता है। लोग लकड़ी काटने के लिये परमिट लेने जाते हैं, परन्तु नाकेदार इनको समय पर नहीं देता है और इससे जनता को परेशानी होती है। कभी कभी परमिट होते हुए भी उनका चालान कर दिया जाता है। इस प्रकार की धांधलेबाजी वहां की जा रही है। इसके लिये समय पर निवेदन किये जाने पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसी प्रकार एक निवेदन और करना चाहता हूं हमारे वहां जो जंगल विभाग की भूमि पड़ी है, वह पंचायत समिति के भूमिहीनों को देने का निवेदन किया गया था। हजारों एकड़ भूमि वहां पड़ी हुई है वह फारेस्ट विभाग की है। लोगों ने पहले इस पर खेती कर ली थी परन्तु आज उनको खेती करने से मना कर रहे हैं। दो सालों से अब वह पड़त पड़ी है। न तो फारेस्ट विभाग इसको काम में ले रहा है और न वे रेवेन्यू को दे रहे हैं। रेवेन्यू को फारेस्ट वाले रिलीज नहीं कर रहे हैं। इसलिये इस जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये यह निवेदन करूंगा कि इस जंगल की जमीन का उपयोग वहां के लोगों को करने दिया जाय।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

झालावाड़ से झालना रोड पर जो बसेज चलती हैं, उस पर तीन बसेज को परमिट मिला हुआ है। इन तीन बसेज में से दो बसें चल रही हैं। जो दो बसें चल रही हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। एक दिन जाती है और एक दिन आती है। कोई कोई तो रात में रास्ते में रह जाती है। ऐसी उनकी कन्डीशन है। न मालूम किस तरह से इन बसेज को फिटनैस सर्टीफिकेट दिया जाता है। इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। दरख्वास्तें देते हैं तो एक्सन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इसके बारे में उचित कार्यवाही शीघ्र की जाय। वहां की जो बसेज हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के प्रशासन में ऐसी खामियां हैं, जिनको दूर किये बिना प्रशासन में सुधार होना कठिन है। मैं इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश द्वारा उठाये गये कुछ प्रशासनिक सुधारों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगी। प्रथम तो सामान्य रूप से यह चर्चा है कि सभी विभागों में, सचिवालय में स्टाफ आवश्यकता से अधिक है। उपाध्यक्ष जी, आवश्यकता से अधिक स्टाफ होने के कारण अपव्यय के साथ साथ काम में शिथिलता आती है। यदि सरकार स्टाफ में कटौती का प्रस्ताव सामने लाये तो जो राज्य कर्मचारी हैं, वे इस बात को बताते है कि उनके पास बहुत काम है और काम का भारी बोझा उन पर है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में स्टाफ में कटौती करना सम्भव नहीं है लेकिन इतना तो कम से कम किया जा सकता है कि जो मौजूदा स्टाफ है, हमारे पास जो मौजूदा स्टाफ है, उसमें काम का बंटवारा इस प्रकार कर दिया जाय कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के पास पूरा काम हो। इससे मैं समझती हूं निश्चित रूप से काम में तेजी आयेगी।

उपाध्यक्षजी, हमारे मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में तकनीकी विभाग का पत्र व्यवहार राज्य सरकार के शासन सचिव के माध्यम से होता है। मैं मानती हूं कि संबंधित शासन सचिव, अपने विभाग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। लेकिन तकनीकी विभाग के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये यह सामान्य जानकारी नाकाफी है। मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगी कि तकनीकी विभाग का जो विभागाध्यक्ष है, उसी को शासन सचिव बना दिया जाय और शासन सचिव के स्थान पर उस विभाग में जैसे अकाउन्ट्स ऑफिसर रखा जाता है, उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को नियुक्त कर दिया जाय ताकि विभागाध्यक्ष को शासन सम्बन्धी सलाह उपलब्ध हो सके और इससे विभाग के अध्यक्ष का राज्य सरकार से सम्पर्क सीधा बन जायेगा। इससे मैं समझती हूं कि नीचे के हिस्से में, प्रशासन में सुधार आयेगा और तकनीकी निर्णय लेने में आसानी रहेगी।

उपाध्यक्षजी, बड़े खेद का विषय है कि राज्य के तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी आज अपना अधिक समय पत्रव्यवहार के काम में लगाते हैं। आज विद्युत बोर्ड

(श्रीमती मदन कौर)

को ले लीजिये, वहां के जितने भी बड़े अधिकारी होंगे, उसको उतना ही अधिक समय पत्र व्यवहार के लिये देना पड़ेगा। सच तो यह है कि फोरमैन और मिस्त्री भी जो आगे जाकर इन्जीनियर बनते हैं और जिनके बलबूते पर पावर हाऊसेज चलते हैं, अगर वे किसी दिन गैर मौजूद रह जांय तो पावर हाऊसेज बंद रह जाते हैं। यह बात तकनीकी विभाग के लिये सत्य है। इसलिये जब तक राज्य सरकार इस व्यवस्था में पूरी तौर से रद्दोबदल नहीं करेगी तब तक हमारे पढ़े लिखे इन्जीनियर, अमूल्य दिमाग के इन्जीनियरों का समय प्रेक्टिकली न होकर पत्र व्यवहार में फंसा रहेगा। और इन पढ़े लिखे टैकनिशियनों के गुणों को आंकने का समय नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है कि इनको प्रेक्टिकल काम दिया जाय। उनके ज्ञान से प्रेक्टिकल अनुभव बढ़ेगा और इन दोनों के मिल जाने से वे समाज के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। उपाध्यक्ष जी हमारे देश में डा० खुराणा और नार्लिकर जैसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। परन्तु हमारे यहां से लोग विदेशों में जाकर चमत्कार दिखाते हैं और यहां उनकी कोई इज्जत नहीं होती हमारा प्रशासनिक ढांचा ही ऐसा है जिसमें कि महान व्यक्ति के रूप में हम उनकी कोई इज्जत नहीं करते। हम उनको उचित स्थान नहीं दे पाते।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय मैं राज्य सरकार का ध्यान संविधान की धारा 309 की तहत जो अधिकार विधान सभा को दिये हुए हैं, उसकी और आकृष्ट करना चाहूंगी संविधान के अनुसार लोक सेवा नियम बनाने का अधिकार विधान सभा का है और यह अधिकार राज्य सरकार का भी है लेकिन यह अधिकार राज्य सरकार का तभी तक का है जब तक वैधानिक रूप से विधान सभाओं का गठन नहीं हुआ हो। हमारे यहां विधान सभा का गठन हुए सत्रह साल होगये लेकिन अभीतक विधान सभा के सामने लोक सेवा संबन्धी नियम बनाकर नहीं लाये गये, न लोक सेवा संबन्धी बिल ही सदन के सामने लाया गया। यह बड़ी गंभीर बात है इस तरह से राज्य सरकार को विधान सभा के अधिकारों का हनन करना उचित नहीं कहा जासकता। यह परम्परा गलत पड़ रही है। हमें परम्पराओं का भी ख्याल रखना चाहिये। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अगले सत्र तक इस प्रकार का बिल सदन के सामने आजाना चाहिये।

इसके साथ साथ मैंने वन विभाग के बारे में भी कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वनों के संरक्षण के बारे में जिक्र किया गया था। उन्होंने भी अपने भाषण में चर्चा की थी ठेकेदारी प्रथा को बन्द किया जा रहा है। विभागीय प्रणाली से काम शुरू किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जंगलों की लकडी की जो चोरियां होती हैं वे निश्चित रूप से बन्द होंगी यहां कहा गया? मैं निवेदन करना चाहूंगी क्या वनों से लकड़ी की चोरी बन्द हो जायगी? मैं तो इसको नहीं मानती हूं। जब तक वनों का अभाव है उसको जब तक ठीक नहीं कर दिया जायेगा, लकड़ी की जो खपत है उसकी कमी को जब तक पूरा नहीं किया जायगा वनों से लकड़ी की चोरी बन्द नहीं हो सकती। कोई सुव्यवस्थित ढांचा भी आजाय तो भी जंगल से लकड़ी की चोरी नहीं रोक सकता। मैं तो यहां तक कह सकती हूं यदि एक एक पेड़ के पास एक एक चौकीदार भी लगा

(श्रीमती मदन कौर)

दिया जाय तो भी लकड़ी की चोरी बन्द नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आज जितनी लकड़ी की मांग करती है उतनी मांग को जो वर्तमान में जंगल हैं वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये वह मांग दूसरी तरह से पूरी करते हैं। आखिर जाकर इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं यह मैं समझती हूं। राज्य सरकार जान बूझकर इसके दुष्परिणामों को भूलाना चाहती है इससे थोड़े ही समय बाद हमारे सामने वनों का अकाल आ जायगा। आज वृक्षों का अभाव सभी अनुभव कर रहे हैं, सभी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। वन के अभाव अर्थव्यवस्था पर कितना कुप्रभाव डालते हैं यह उन जिलों के निवासियों को मालूम है। पहले जहां वृक्ष थे उन वृक्षों को सुव्यवस्थित ढंग से नष्ट नहीं किया गया। आज वन के अभाव और सुव्यवस्थित ढंग से कटाई नहीं होने के कारण वर्षा में कमी हो रही है। इसके अलावा जितने बड़े बान्ध बनाये हैं वे बान्ध भी वर्षा के अभाव के कारण पानी से नहीं भर कर मिट्टी से भर जायेंगे। दूसरी तरफ बाढ़ आयेंगी भूमि का कटाव होगा उससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जायगी। इस सबका बुरा असर पहाड़ी क्षेत्रों को ज्यादा होगा। इसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में नष्ट हो जायगी।

उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार अपने यहां से लकड़ी का निर्यात बन्द करदे कोयले का निर्यात बन्द करदे जो आज भी चालू है। इसको तुरन्त बन्द कर दिया जाय और इसका कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त जितनी भी बन्जर भूमि है वहां वन लगाया जाय। इसके अलावा प्राथमकिता उन क्षेत्रों को देनी चाहिये जहां जहां इस प्रकार की सोइल बची है जहां से वन काट लिये गये वह जमीन जो बची है वह हवा बहने से सूख जायेगी। वहां पर साधारण तरीके से वृक्ष लगाना संभव नहीं होगा। खेद का विषय है अभी तक राज्य सरकार प्लान्टेशन बड़े पैमाने पर करने की योजना के बारे में सजग नहीं है। मैंने राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था मरुस्थल क्षेत्रों का चरागाह के रूप में विकास किया जाना चाहिये। मैं इस बात को बराबर कहती आ रही हूं। बार बार कह कर मैं सदन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहती। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगी कि पशु सुधार योजना के साथ साथ चरागाह सुधार योजना भी चालू की जानी चाहिये। क्योंकि यदि पशुओं को पौष्टिक चारा नहीं मिला तो उनकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ सकेगी। कितनी ही खराब नस्ल क्यों न हो यदि उसको खाना अच्छा मिले पूरा चारा मिले तो वह भी अच्छी नस्ल, दे सकता है। जैसी हमारे यहां कहावत है कि खावो अच्छो। खाने पीने को अच्छा मिले तो तन्दुरुस्ती अपने आप अच्छी हो सकती है। असलियत यह है कि हमारे राजस्थान में तीन जिले ऐसे ह बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर इन तीनों जिलों में पशुओं के लिये जो पौष्टिक चारा होता है जिसको हम सीवण घास कहते हैं। मुझे डर है कि कहीं बराबर इस तरह का अकाल पड़ता रहा तो इस अमूल्य घास का बीज और जड़ें नष्ट न हो जायें यह वनस्पति रेगिस्तान के पशुओं के लिये कामधेनु है इसके विकास के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसलिये मेरा

(श्रीमती मदन कौर)

राज्य सरकार से अनुरोध है कि यह घास हमें ईश्वर की तरफ से मिली है उसको बचाने के लिये हर तरह से कदम उठाये जायं।

दूसरा वहां खेजड़ी का वृक्ष है जो आल परपज वृक्ष है। जिससे चारा भी मिलता है जिसको बकरियां खाती हैं और इससे सब्जी मिलती है, ईंधन मिलता है। इसके साथ साथ इस वृक्ष के नीचे जो भूमि होती है वह बड़ी उपजाऊ सिद्ध हुई है। इसके विकास के लिये सरकार की ओर से कुछ प्रयत्न नहीं किया गया है।

इसके अलावा रोहिड़ा वृक्ष है वह बड़ा मूल्यवान वृक्ष है। यह इमारती लकड़ी है। इसकी बराबरी सागवान भी नहीं कर सकता। हनुमानगढ़ से पचपदरा-चौहटन तक रोहिड़े के वृक्ष पाये जाते हैं। आज स्थिति यह है कि यह वृक्ष भी नष्ट होता जा रहा है। ये वृक्ष हमारे पूर्वजों द्वारा बड़ी कठिनाई से पाले हुए हैं। इनके लिये बड़ा प्रयत्न किया है। वे यह मानते थे कि एक रोहिड़े के वृक्ष को काटने से सौ गायों के मारने के समान पाप होता है पर आज का यह प्रगतिशील कहलाने वाला समाज इसे अन्ध विश्वास कहकर इस अमूल्य वृक्ष को समाप्त करने पर तुला हुआ है। मैं जानना चाहती हूं कि इतने अमूल्य वृक्ष को बनाये रखने के लिये और इसका विकास करने के लिये हमने क्या कदम उठाये? कितने क्षेत्र में इसका प्रोटेक्शन किया और इसके कितने नये वृक्ष लगाये हैं। कम से कम इतना तो बता दीजिये।

बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी अमूल्य वनस्पतियां, जो इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पैदा होती थीं, आज की यह सरकार, इतने बढ़े हुए वैज्ञानिक साधनों के होते हुए भी क्यों नहीं इनकी तरफ ध्यान देती है और इनको बढ़ाती है। इनको फिर से बहुत बड़े पैमाने पर सरकार लगा सकती है। क्या ऐसे क्षेत्र को, जहां इतनी मूल्यवान वनस्पतियां और वृक्ष प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, रेगिस्तान कहा जा सकता है। निश्चय ही यह मनुष्य का बनाया हुआ रेगिस्तान है। यह पहले नहीं था आज इस क्षेत्र के विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है। मैं राज्य सरकार का ध्यान सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर की उस सर्वे रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहती हूं जो उसने पचपदरा और सिवाना तहसील का किया था। राज्य सरकार को चाहिये कि उस सर्वे रिपोर्ट को पढ़कर आयोजन करे और उससे लाभ उठावे।

आज लगता तो उपाध्यक्षजी, ऐसा है कि हमारे प्रदेश में अनाज की कमी तो पूरी हो जावेगी। ऐसे बीज निकले हैं जिनसे बहुत ज्यादा और अच्छी पैदावार होती है लेकिन झाड़ों (वृक्षों) की कमी कभी पूरी होगी इसमें मुझे संदेह है क्योंकि राज्य सरकार ने भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

आज का जल्दबाज समाज प्रत्येक चीज का रिजल्ट जल्दी पाना चाहता है। बिजली का बटन दबाया और प्रकाश हो गया। इसी तरह फसल के लिये भी चाहते हैं कि वह चार छः महीनों में ही पककर तैयार हो जावे लेकिन चरागाहों को तैयार करना और जंगल लगाना ऐसा काम है जो समय साध्य है। समय मांगता है। सरकार को चाहिये कि इसमें दूरदर्शिता दिखावे और इन कामों को प्राथमिकता के तौर पर अपने हाथ में ले। वरना तो यह बढ़ता हुआ आज का रेगिस्तान केवल रेगिस्तानी कहे जाने

(श्रीमती मदन कौर)

वाले आज के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा वरन् इसका असर आज की उपजाऊ कही जाने वाली धरती और क्षेत्र पर भी पड़ेगा। ये बढ़ते हुए रेत के टीबे आगे ही बढ़ते जावेंगे।

इस सन्दर्भ में उपाध्यक्षजी, मैं बांस और कत्थे की बात भी कहना चाहूंगी। बांस और कत्थे का तो सर्वनाश हो चुका है और वह हुआ है इस आजादी के बाद। इन पिछले बीस वर्षों की सरकार की विनाशकारी नीति के कारण यह सर्वनाश हुआ है। कहते हैं बांस की कटाई का काम बहुत ही कठिन है, पर आज भी बांस की कटाई ठेके से कराई जाती है। ठेकेदार जंगल में मुनाफे के लिये जाता है, कमाई के लिये जाता है। उसको बांस के भविष्य में उत्पादन के लिये उससे कोई मतलब नहीं। यह तो राज्य सरकार को चाहिये था कि लकड़ी और कोयले के लिये ठेकेदारी प्रथा पैदा करने से पहले इस बांस को सरकारी तौर पर काटने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये था ताकि ये बांस जो गरीब आदमियों के लिये इमारती लकड़ी का काम भी देते हैं, बने रहते, या भविष्य में भी बने रह सकें। इसके साथ साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि क्या आपके राजस्थान में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 परसेन्ट भूमि पर जंगल हैं?

मैंने वन विभाग की रिपोर्ट पढ़ी है। इसमें स्पष्ट है कि केवल 11 परसेन्ट भूमि पर ही जंगल हैं और दिन प्रति दिन जंगलों की क्षति होती जा रही है और जंगलों के क्षेत्र से भूमि रिलीज की जा रही है। मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगी कि क्या यह राष्ट्रीय वन नीति की अवहेलना नहीं है। जनतन्त्र पर आधारित सरकार को राष्ट्रीय वन नीति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, वरना हमारी अर्थव्यवस्था पर इससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके लिये मैं एक निवेदन और कर दूं। वन नीति के मुख्य तीन सिद्धान्त हैं वन से बराबर पैदावार मिलती रहे, और वन भूमि को क्षति से बचावें और तीसरी भूमि का संरक्षण करते रहें। पर इस सरकार के कारनामों से लगता ऐसा है कि हमारी राज्य सरकार वनों से केवल राजस्व लेना चाहती है। उस का मुख्य उद्देश्य साल दर साल राजस्व की अधिकाधिक वसूली मात्र रहा है न कि वनों के विकास करने का। वनों का विकास तब तक सम्भव नहीं होगा उपाध्यक्षजी, जब तक इस विभाग का सम्बन्ध राजस्व विभाग से हटा नहीं दिया जावेगा। भारत सरकार की तरह हमारे वन विभाग का सम्बन्ध भी कृषि मन्त्रालय के साथ जोड़ दिया जावे तो राज्य सरकार की इससे राजस्व बढ़ाने की धारणा बदलेगी और वनों का विकास होगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राजतन्त्र में, चाहे वह राजतन्त्र हो, या प्रजातन्त्र हो प्रशासनिक सेवाओं का बड़ा महत्व है। प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण से अगर प्रशासन नहीं चलाया जावेगा तो प्रजातन्त्र डूब जावेगा।

कहा यह जाता है कि आज का राजतन्त्र जनता के लिये जनता द्वारा संचालित किया जाता है, पर यथार्थ में ऐसा नहीं है। आज का यह कांग्रेसी राज तो जनता के नाम पर नौकरशाही द्वारा एक दल विशेष के हित के

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

लिये चलाया जा रहा है। इसे कुछ व्यक्ति विशेष के लिये भी कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। तो मेरा यह निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह की गलत परम्परा डाल देने से यह तथाकथित लोकतन्त्र भी डूब जावेगा। कांग्रेस दम्भ भरती है कि उसने देश में लोकतन्त्र दिया। वह इसके लिये क्रैडिट भी लेना चाहती है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस क्रैडिट के साथ इस कांग्रेस दल के माथे पर बहुत बड़ा कलंक भी लगा रहेगा कि उसने लोकतन्त्र में भ्रष्टाचार को पैदा किया। यह भयंकर भ्रष्टाचार की देन भी इसी सरकार की है।

इन प्रशासनिक सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जब जन मानस की आस्था जनतन्त्र में से घटने लगती है तो यह लोकतन्त्र के विघटन का कारण बनता है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, 25 लाख की आबादी का। चारों तरफ उसके समुद्र है। करोड़ों की सम्पत्ति जनता ने वहां लगा रक्खी है और करोड़ों अरबों का व्यापार कर रही है वह सब जनता की इस आस्था और दृढ विश्वास पर हो रहा है कि समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। अगर उसका यह विश्वास डिगमिगा जावे कि समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ता, तो वह लाखों करोड़ों का व्यापार वहां नहीं करते। तो इसी प्रकार इस शासन तन्त्र के प्रति जन मानस में यह विश्वास जहां तक रहता है कि वह शासन जनता के द्वारा जनता के हित के लिये है जनता के दुख दर्द वह दूर करेगा तबतक वह शासन चलेगा, उसको कोई हिला नहीं सकेगा। पर खेद है कि जन मानस का वह विश्वास और आस्था डिगमिगा रही है कांग्रेस की वर्तमान सरकार की इस भ्रष्ट प्रशासनिक सेवाओं के निकम्मेपन के कारण क्योंकि वह शासनतन्त्र आज जनता को सही तरीके से सुख सुविधाएं देने में वंचित रह रहा है। आये दिन इस सदन के कई माननीय सदस्यगण इधर के और उधर के भी अपनी अपनी अपने अपने क्षेत्रों की अपनी अपनी जनता की समस्याओं को लेकर विधान सभा में और बाहर भी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि अमुक विभाग में भ्रष्टाचार है, अमुक विभाग निष्क्रिय है जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, अमुक विभाग के प्रति यह शिकायत है यह सरकार इन शिकायतों को भी अपने प्रति अनादर मानती है। उन पर कोई ध्यान नहीं देती। जनता के लोग दिन प्रति दिन शिकायतें और कमजोरियां ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं राज सरकार के इस मन्त्रिमंडल के सामने रखते हैं पर ये उन खामियों को दूर करने के स्थान पर उल्टा उन भ्रष्टाचारियों का पक्ष लेते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। तो लोकतन्त्र में भ्रष्टाचार को पनपाने का और प्रशासन को भ्रष्टाचार में लिप्त करने का और उस पर ध्यान नहीं देने का कलंक आपके माथे पर रहेगा। यह बहुत बड़ा कलंक आप के माथे पर रहेगा। इस बात का कलंक रहेगा और इससे हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र डूब जायगा। जनता की आस्था घटेगी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कि परिवर्तनों की यह हालत है कि रोज आये दिन

(1.10 म० प०)

(प्रो० केदार नाथ, सभापति पदासीन)

मंत्री महोदयों के पास जिन्होंने 30-40 की

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
पलटन बना ली है और बना लें इससे हमें ऐतराज नहीं है। उधर बैठने वालों को हरएक को मंत्री बना लो लेकिन प्रशासन में कुशलता लायें। आज मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि आज इसका तबादला कर दो, आज उसका तबादला कर दो। आये दिन तबादलों से काम रहता है। सभापति महोदय, इसका कोई मानदन्ड होना चाहिये। आज कांग्रेस मंत्री से थानेदार की नाराजगी हुई तो थानेदार को बदल दिया गया, किसी तहसीलदार ने मंत्री महोदय के मिलने जुलने वालों को जमीन अलाट नहीं की तो उससे नाराजगी हो गई और उसे जगह जगह बदल दिया गया। कोई माप दन्ड होना चाहिये। दो साल पहले नहीं पलटना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि मनोहरथाना में एक आदमी का तबादला दो महीने में पांच बार किया गया और 1,800 रु० का टी०ए० डी० ए० उठाया केवल इस बात पर कि राज्य के मंत्री या डिप्टी मंत्री नाराज हैं। वे कह देते हैं इसको फलां फलां जगह भेज दो। सभापति महोदय दो महीने में पांच बार तबादला हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सुनते रहो, सुनते रहो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नाम बता दीजिये अधिकारी का।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : चिट्ठी है उसकी.....

श्री प्रद्युम्नसिंह : नाम बता दीजिये न ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : नाम पूछ कर क्या करोगे। नाम भी बता दूंगा। श्री अवध नारायण सक्सेना है। उसका दो माह में पांच जगह तबादला हुआ है। नाम पूछने से कोई महत्व नहीं रखता है, आप उस पर विचार कीजिये। सभापति महोदय, राज्य सरकार के सामने हम लोग यह शिकायत लेकर आते हैं इस प्रकार की स्थिति है सरकार बहुमत में है जिसको मैं पशु बल मानता हूं। वे यह भूल जाते हैं कि यह तो विरोधी लोग हैं, करते रहते हैं। इसके सम्बन्ध में विधान सभा में चर्चा चल चुकी है। मैं उसके बारे में अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो दल बदलु नीति को मैं वेश्यावृत्ति मानता हूं। कभी वेश्या इधर से उधर चली जाय क्यों कि वेश्या एक से प्यार नहीं करती है। एक के पास पैसा बीत जाय तो दूसरे के पास चली जाय इसलिये आप सोचते हैं कि हमारा बहुमत है। वेश्याओं का क्या भरोसा, पैसा हमने दे दिया तो हमारे पास चली आयगी इसलिये आप इस बात को अपने मानस से निकाल दीजिये। आप निश्चित मानिये इधर बैठने वाले अगर उधर जाते हैं तो कुछ परेशानी तो उनको है ही फिर कोई परेशानी उनको उधर हो सकती है और वे इधर आ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रद्युम्नसिंह जी के लिये...

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनके बेचारों का तो क्या...

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या कह रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह : कुछ नहीं, अभी आप कच्ची कौड़ी हैं।

Page No 84

श्री जुझारसिंह : वन मंत्री महोदय, इतनी दूर क्यों बैठे हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : वन मंत्री का असर है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके ऊपर ?

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय ये तो...

श्री दौलतराम सारण : आपको क्या बेचैनी है ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं विशेषतौर पर कोटा के आर० टी० ओ० के बारे में ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कोटा मेरे नजदीक है इसलिये मैं वहां आता जाता रहता हूं । यह पूरे राजस्थान की समस्या है । गाड़ी जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अन्दर परमिट लेने जाती है तो वहां उसको कई जगह भेंट चढ़ानी पड़ती है—टोकन क्लर्क है, मेकेनिकल इन्सपेक्टर हैं, राजस्थान में हर डिविजन में मेकेनिकल इन्सपेक्टर हैं । एक मेकेनिकल इन्सपेक्टर उसका फिटनेस बताता है । 6 महीने के फिटनेस के 50 रु० लेते हैं, साल भर के फिटनेस के 100 रु० लेते हैं । मेकेनिकल इन्सपेक्टर के पद पर केवल इनकी मरजी पात्र आदमी काम करते हैं । नियम यह है कि जब आपको अपनी बस या ट्रक का परमिट लेना पड़ता है तो आपको उस स्थान पर जाना पड़ता है जहां मेकेनिकल इन्सपेक्टर रहता है । मेकेनिकल इन्सपेक्टर कोटा, जोधपुर, जयपुर आदि स्थानों पर है तो वहां पर आपको ट्रक या बस ले जानी पड़ेगी किन्तु आपको गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है केवल रजिस्ट्रेशन फार्म लीजिये वह आपसे 100 रु० लेगा और साल भर का फिटनेस दे देगा, 6 महीने के फिटनेस के 50 रु० लेगा । गाड़ी मालिक भी यह सोचेगा कि मैं गाड़ी को इतनी दूर कोटा ले जाऊंगा तो 100 रु० का पेट्रोल जल जायगा और पूरा एक दिन खराब हो जायगा इसलिये इनको 50/100 रुपये दे दो । जो मेकेनिकल इन्सपेक्टर कोटा में बैठता है वह अगर झालावाड़ से गाड़ी..

श्री सभापति : समय काफी हो गया ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : कट मोशन्स बहुत हैं साहब ।

श्री सभापति : आपकी पार्टी को जो समय अलाट किया गया है वह खतम हो गया ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: मैं माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा यह एक स्पेशल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उस पर आप कन्ट्रोल कीजिये गत वर्ष भी मैंने निवेदन किया था न तो अभी तक वह आर० टी० ओ० हटा है और न उस पर कोई एकशन लिया गया है।

एक बात गृह मंत्री जी यहां नहीं है मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि सभापति महोदय अगर वे राजस्थान का ट्रक या बस से सफर करें मेरे साथ तो उनको मैं बता सकता हूं कितनी जगह उनको भेंटें चढ़ानी होगी, कितनी जगह उनको पकड़ने वाले हैं ? मनोहरथाना, असनावर, झालावाड, कोटा उसके बाद जायें तो देवली टोंक आदि कई जगह मिलेंगी आपको 100 रु० देने पड़ेंगे। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी या और कोई अधिकारी या मिनिस्टर महोदय मेरे साथ जाने को तैयार हों तो मैं उनको ले चलता हूं और बताता हूं कि कितनी जगह उनको

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

पकड़ने वाले मिलेंगे। मैं उनके हाथ से दिलाना चाहता हूं। वे लोग बिलकुल लेंगे कोई संकोच नहीं करेंगे एन्टी करप्शन वालों को मेरे साथ कर दीजिये। मैं बिलकुल इस बात के लिये तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : श्री रोशन लाल।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : सभापति महोदय, चित्तौड़ डिवीजन के अन्दर वन विभाग ने नालवा निकोर का जो ठेका दिया है उसके लिये सदन के अन्दर कई बार चर्चा हुई है। जिस ठेकेदार को यह ठेका दिया गया था उसने नाजायज तरीके से काफी लकड़ियां काटी हैं। सभापति महोदय, जब कई शिकायतें हुईं तो वन विभाग द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उस जांच अधिकारी ने राज्य सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की। विजिलेन्स अधिकारी ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है उसके अन्दर जहां तक हमें जानकारी है उसने यह बताया कॉन्ट्रेक्टर को जो नालवा का ठेका दिया गया था वह 75 हंडी का ठेका दिया गया था उसके अलावा उसने 150 हंडियां बनाईं। और उससे कत्था पकाया गया और नालवा निकोर के जो कूप थे उसके अलावा कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा आस पास के जो जंगल थे वन विभाग के और राजस्व विभाग के उसके द्वारा हजारों वृक्ष खेर के कटवाये गये। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में राज्य सरकार ने एक कार्यवाही की और उसके ऊपर रेंजर को मुअत्तिल किया, सब-डिवीज़नल अधिकारी को मुअत्तिल किया और कान्ट्रेक्टर के ऊपर वन अधिकारी ने अवश्य एक जुर्माना किया था। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में कि उसके बाद में एक शिकायत की गयी कि कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर जो जुर्माना किया गया है वह कम है। कान्ट्रेक्टर ने लाखों रुपयों का फायदा उठाया। इसके ऊपर राज्य सरकार ने वन विभाग के बहुत ऊंचे अधिकारी के द्वारा जांच करवाई और वह जांच रिपोर्ट भी वन मंत्री महोदय के पास जहां तक मेरी जानकारी है 6 महीने से आ चुकी है, लेकिन वन मंत्री महोदय क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं इसका पता नहीं है।

यह वन राजस्थान का बहुत बड़ा धन है। आज इस सदन के इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले जो इस बात को कह रहे हैं कि वन में जो कटाई हो रही है वह गलत तरीके से हो रही है। कान्ट्रेक्टर को जो ठेका दिया जा रहा है वह अपनी कूपों के अलावा भी दूसरे जंगलों को काटता है, और वहां से लकड़ी निकालता है, और कई शिकायतें इस सदन के समक्ष, माननीय सभापति महोदय, सदस्यों के द्वारा रखी गई हैं मगर मैं आपके द्वारा माननीय वन मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि जब आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है अधिकारी की और काफी अर्से से पड़ी हुई है तो क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलकर नाजायज कत्था निकलवाया जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 5-7 लाख रुपये का कत्था उस ठेकेदार ने इस जंगल से निकाला। माननीय सभापति महोदय, इस मामले को लेकर कान्ट्रेक्टर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार ने कत्था जप्त किया है 65 बोरियां उसको ठेकेदार को दे दिया जाये और

(श्री रोशनलाल)

कत्थे की जो कीमत बने वह ठेकेदार से ले ली जाये। सभापति महोदय, किसी और ठेकेदार को बुलाकर के, दूसरी तरह से जांच करके अधिकारियों ने यह पता नहीं लगाया कि जो जप्तशुदा बोरियां हैं उसकी कीमत क्या है। आज जो बाजार में भाव है उसके भाव से जो कत्था ठेकेदार को दिया गया था वह डेढ़ लाख रुपये का कत्था था, और उसको 30 हजार में वापिस ठेकेदार को दे दिया गया। इस मिलीजुली भगत से वन विभाग के अन्दर जिस तरह की गलत कार्यवाहियां हो रही हैं जिससे कॉन्ट्रेक्टर एक जंगल का ठेका लेकर दूसरे जंगल में कटाई कर रहे हैं। इससे राजस्थान की वन-सम्पदा को काफी नुकसान हो रहा है। जैसा मेरे से पहले बोलने वाली माननीय सदस्या ने भी कहा कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा धन है और हमें देखना चाहिए कि वन किस तरह से काटे जा रहे हैं। यह बात ठीक है कि वन मंत्री महोदय ने राजस्थान के अन्दर कोयले का और लकड़ी का ठेका नहीं दिया लेकिन मैंने जानकारी की है कि वह एक ऑफिसर रखकर जो कटाई पहले ठेकेदार किया करते थे अब वह अधिकारी उन जंगलों को कटवायेगा। मैं मानता हूं कि जिस तरह आज जंगल राजस्थान के काटे गये हैं उसको देखते हुए कोयला और लकड़ी का जो कटाई का काम है राजस्थान के अन्दर 20 वर्षों तक नहीं होना चाहिए तब कहीं जाकर यह वन 20 वर्षों में जो अंधाधुंध काटे गये हैं वह राजस्थान के अन्दर कह सकेंगे कि राजस्थान के अन्दर भी वन है। तो यह तो मेरा पहला कटौती प्रस्ताव है।

मेरा जावटा की पंचायत के बारे में दूसरा कटौती प्रस्ताव है। पंचायत ने कैसे ठेका दिया यह तो जब पंचायत की चर्चा होगी सामुदायिक विकास की उस समय इस स्थिति को बताऊंगा। लेकिन इस जावटा पंचायत ने चरनोट का ठेका दिया। वन विभाग का काम है कि जो जंगल दिये गये हैं क्या वह ठीक तरह से दिये गये हैं, लकड़ी की कटाई ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस बारे में राज्य सरकार के सामने यह समस्यायें आईं, शिकायतें हुईं तो वन मंत्री महोदय ने उस जंगल से लकड़ी, कोयला और कत्था तीनों की निकासी बन्द करने का ऑर्डर दिया था लेकिन वहां के जो डिवीजनल वन अधिकारी हैं उन्होंने मंत्री महोदय की आज्ञा की पालना नहीं की और वहां भी लाखों रुपयों का माल का 12 हजार में ठेका दिया और कम से कम 2-2।। लाख रुपये का माल कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा वन मंत्री महोदय की आज्ञा देने के बाद भी वन अधिकारी ने उस आज्ञा की अवहेलना कर उस माल को निकाल दिया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम वनों की रक्षा करें, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द हो, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपके सामने मुद्दा रखा सभापति महोदय, उससे साफ स्पष्ट है कि जो नीचे के अधिकारी हैं वह आज कॉन्ट्रेक्टर्स से मिले हुए हैं और वह नाजायज काम कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जो दो कटौती के प्रस्ताव हैं वह मैं पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता–समय केवल 8 मिनट।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मैंने आठ मिनट ही मांगे हैं। सभापतिजी, आज प्रशासन के संबंध में जब मैं इतना बड़ा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मालिक और सेवक में अन्तर देखता हूं तो तो बड़ी पीड़ा होती है। मालिक के घर की वही हालत है और अधिकारी को कितनी भी तनख्वाह दी जाय फिर भी कम है। जब वह रिटायर होता है तब काफी बड़ी रकम मिलती है और जब मालिक रिटायर होता है अपने किसान के काम से तो उसको वही फटी अंगरखी और फटी हुई सीरक मिलती है। तो मैं तो जो प्रशासन में काम करते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके अपनी वृत्ति बदलिये और यह समझिये कि आप सेवक हैं। लेकिन क्या हो रहा है? आई० सी० एस० और आई० ए० एस० में कोई अन्तर नहीं है। वे आई० सी० एस० थे, और ये आई०ए०एस०, अन्तर इन में कौनसा? वोही भाषा भेष। इनके लड़के पब्लिक स्कूलों में पढेंगे, वही हालत है। मैं नहीं कहता कि सब ही ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं। कुछ उदाहरण प्रेरणादायक भी मिलते हैं। अभी तीन दिन की घटना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे यहां के सेशन्स जज श्री गट्टाणी जी जब उनका सिटी में तबादला हुआ। सेशन्स कोर्ट में किसी क्लर्क के विरूद्ध कुछ रिश्वत की शिकायतें थीं। उन्होंने क्लर्क को बुलाया और कहा कि रिश्वत मत लो, लेकिन वह क्लर्क रिश्वत लेने की आदत से बाज नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं कोई दोष मुझमें है इसी कारण मेरे कहने का असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने दो दिन का उपवास किया और सिवाय जल के और कुछ नहीं लिया। उसका असर क्लर्क पर इतना पड़ा कि वह जाकर उनके पैरों पर पड़ गया और कहा कि मैंने जो इन दिनों रिश्वतें खाई हैं वह भी वापिस लौटाऊंगा और संकल्प करता हूं कि जीवन भर रिश्वत नहीं खाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जितने अधिकारियों के हाथों में डिपार्टमेंन्ट हैं वें यही बात क्यों नहीं करते हैं? अगर उनके यहां कोई रिश्वत खाता है तो उनको सोचना चाहिए कि मुझमें दोष है और वह अपने जीवन चरित्र को ऊंचा रखे और ऐसी प्रेरणा दे कि जिससे सब लोग सबक लें। लेकिन आज हालत यह हो गयी है कि कोई भी आदमी कहीं पर काम कराने जाये तो यह सही चरितार्थ होती होती है:

काम सरेनी बात सूं, सरे न कीदां रीस,
सरे राज में दो जदी, बिना रसीदी फीस।

केवल बातों से क्लर्क मानने वाला नहीं है, और न कोई गुस्सा करने से काम चलने वाला है। यहां तो ऐसी फीस दो कि रसीद नहीं आये तब काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।

लेकिन प्रशासान में कटौती करने का कहें तो अधिकारी कहते है कि हमारे यहां की बात करते हैं। 37 मंत्री हैं और मंत्रियों में कटौती की बात कहते हैं। मुख्य मंत्री से कहें तो वे क्या कहेगें कि हम अपने आपको तो देखें। हम कभी गलत काम तो नहीं करते हैं। इसी तरह से किसी और को जाकर कहते हैं तो वे भी ऐसा कहते हैं। इसलिए सब 182 सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आचरण जितना शुभ होगा उतना प्रशासन शुद्ध होगा और जितना प्रशासन शुद्ध होगा उतने ही हमारे क्लर्क्स वगैरह शुद्ध होगें।

दूसरी बात मैं जगंल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज अकाल पर अकाल पड़ रहा है तो हम सब इस बात का संकल्प लें कि जंगल लगायेंगे। घास-बीड़ के संबंध में मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि कृपा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करके उनको पंचायतों को न दें। बीड़ों पर आप अपना अधिकार रखें और घास को बंटाई पर कटायें, और अपने आधे हिस्से की घास की गंजियां लगवा दें, और बराबर घास में भी सुधार करें। लेकिन पंचायतों को हक आपने वहां पर दे दिया। खुले जंगल दुनियां भर के लिए कर दिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खुले जंगल में पेडाक्स लगायें और गांव वालों को पंचायतों को जिनको अधिकार दिया गया है उनमें पेडाक्स लगायें और काटनें न दें। दो तीन साल तक आपको कठोर रहना पड़ेगा। उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा और उनकी गालियां भी खानी पड़ेगी, लेकिन यह काम करना पड़ेगा। जितनी लकड़ी की जरुरत हो तो उसको कूप सिस्टम से काटें।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह गाड़ियों के बारें में है। बहुत सारी पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। कई खराब और पुरानी गाड़ियां भी पास हो जाती हैं। अभी मांडलगढ़ से भीलवाड़ा जो बस जाती है वाया हम्मीर गढ़ और मंगरोप होकर तो उससे एक बच्चा मर गया और वह खुद ही चला रह था। उसने देखा कि ड्राइवर का खर्चा भी मत लगाओं। वह पुरानी गाड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुरानी गाड़ियों को पास नहीं किया जाय। जो टैक्स उनसे बकाया है वह सब का सब वसूल किया जाय जिन रूट्स पर भेड़बकरियों की तरह से सवारियां भरी जाती हैं वहां पर और गाड़ियां लगाई जायं।

मैं संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो जनता न्याय चाहती है, वह चाहती है कि मेरा काम जल्दी हो जाय तो प्रशासन में आप सुधार लाइये, और प्रशासन में सुधार तभी आ सकता है जब कि हम खुद बड़े ईमानदार हो जायें। बस मैं इतनी सी बात कहकर बैठना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री श्रीनिवास शारदा।

(अनुपस्थित)

श्री देवी लाल।

(अनुपस्थित)

श्री अमीलाल यादव।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव आज सामान्य प्रशासन पर है। यह तो जो समाज में रहते हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं तो जब से जन्म लेते हैं और मरते हैं तब तक जो प्रशासन है उसको थोड़ा और ज्यादा क्रिटिसिज्म सदा से ही चला आ रहा है। जिस वक्त राजाओं का राज्य था, अंग्रेजों का राज्य था उस वक्त भी प्रशासन एबाऊ क्रिटिसिज्म नहीं था और यह आज मानना पड़ेगा कि आज का प्रशासन भी एबाऊ क्रिटिसिज्म नहीं है। लेकिन देखना यह है कि आज प्रजातंत्र के अन्दर शासक जिसकी कि सरकार है वह सरकार ऑफ दी पीपुल, फार दी पीपुल और बाई दी पीपुल कहलाती है, उसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको सुधारने के लिए यदि यह कहा जाय कि कोई कदम उठाये नहीं जाते हैं तो इस बात को भी मैं आज मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जितने उठाने चाहिएं उतने उठाये जाते हैं या नहीं उठाये जाते हैं इस बात को देखना है।

Page No 89

(श्री अमीलाल यादव)

(1.35 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस सम्बन्ध में जो प्रशासन को सुधारने के लिए कुछ कमेटियां बनी हैं, कुछ कमीशन्स बने हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा सेन्टर में भी मुरारजी भाई की चैयरमेनशिप में इस प्रकार से किस तरह से प्रशासन को सुधारना चाहिए एक कमीशन बनाया था। इसी प्रकार से हमारे यहां राजस्थान में स्वर्गीय हरिश्चन्द्र माथुर की चैयरमेनशिप में भी यहां पर एक कमीशन बना था। यदि इनकी रिपोर्ट्स पर हम गौर करें और देखें तो सबने इस बात को माना है कि कहीं न कहीं प्रशासन चलाने में त्रुटियां है, जो प्रशासन में हैं उनकी गलतियां हैं। उनके बारे में सुधार करने के लिये कुछ कदम भी उठाये हैं, जैसे सतर्कता आयोग है। यह उनमें से एक कदम है, लेकिन उससे इतना काम नहीं चल सकता है हमको आज इसके बारे में कदम उठाना होगा। जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो स्वर्गीय हरिश्चन्द्र माथुर साहब की कमेटी ने रिपोर्टस् पेश की हैं उसको हमें ज्यों का त्यों मानना चाहिए। इसी प्रकार से मुरारजी साहब की चैयरमेनशिप में जो कमेटी बनी थी और उसने जो रिपोर्ट पेश की है उसका हमें सख्ती से पालन करना चाहिए तभी आपका आज जो क्रिटिसिज्म जनता के अन्दर चल रहा है उसमें कमी हो सकती है।

मैं साथ-साथ इस प्रसंग में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमको पहले स्वयं को देखना चाहिए। जो सरकार को चलाने वाले व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी सरकार कहलाती है इसलिए उनको अपने आपको देखना चाहिए, और उस देखने के अन्दर हमको यह भी देखना है कि एक कहावत चली आ रही है कि सिम्पल लिविंग एण्ड हाई थिंकिंग, तो इस फार्मूले को मानना चाहिए। यदि हम अपने इखराजात क्यों कम करें, साधारण तरीके से कहेंगे तो दूसरे आदमी हम से सबक लेंगे। वास्तव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आपको भ्रष्टाचारी कहलाना पसन्द करे या भ्रष्टाचार करना चाहे, लेकिन वह क्यों करता है ? वह इसलिए करता है एक दूसरे को देखकर। एक आदमी ऊंचे तरीके से रहता है। ठाठ-बाट से रहता है और दूसरा आदमी उतनी ही मेहनत करता है फिर भी अपना गुजारा मुश्किल से चलाता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए हमको सोचना होगा कि हमारे जो इखराजात बहुत बढ़ गये हैं उनको ठीक करना चाहिए और नीचे लाना चाहिए, जिससे जो बहुत ज्यादा डिस्पेरिटी है उस डिस्पेरिटी में फ़र्क आये। और यह भी देखना है कि जो एफिशियेन्सी की दुहाई हम देते हैं तो उस एफिशियेन्सी से पहले मैं आज जो इस संदर्भ में कह रहा था कि आज हम राज्य सरकार चला रहे हैं उनको और हमको भी देखना चाहिए कि आप बंगाल में देखेंगे कि किस तरह से बंगाल गवर्नमेंट ने 500 रुपये मिनिस्टर्स के रखे हैं और 700 रुपये चीफ मिनिस्टर के रखे हैं। तो इस प्रकार से यदि यह कटौती इस सरकार में की जाय तो यह एक बहुत ही सोशियेलिस्टिक पैटर्न की ओर हमारा कदम होगा। इसलिए यह जो बहुत ज्यादा सहूलियत हर चीज में जो बड़े आदमियों को दी जाती है उस पर कटौती करना चाहिए।

इसी प्रकार से जो आपके आई० ए० एस० और 'ए' क्लास के ऑफिसर्स हैं उनके सम्बन्ध

(श्री अमीलाल यादव)

में कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि ये यह बात तो सत्य है कि ये लोग अपने आपको सुपर-ह्यूमन समझते हैं। यह बात ठीक है कि एफिशियेन्सी आनी चाहिए और एफिशियेन्सी तभी आ सकती है जब कि आदमी को अच्छी शिक्षा मिले और ऊंचे स्टैण्डर्ड की शिक्षा मिले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जनता की, आम लोगों की तकलीफों को भूल जायं, और उनका जो कहना है, उनके जो सुझाव हों या उनकी रिक्वेस्ट हों तो उनके बारे में कोई परवाह न करें।

उनको तो बड़ी तनख्वाह दें लेकिन उनकी तनख्वाह के आधार पर उनके काम को देखें। काम क्या करते हैं? जो हर बड़ी से बड़ी फाइल जाये, सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, फाइल पर लिख देते हैं, ऑफिस टू रिपोर्ट, या सुपरिन्टेंडेंट और एल० डी० सी० टू स्पीक। आप देखिये, उन्हीं के आधार पर वह निर्णय देते हैं। तो आप इतनी तनख्वाह क्यों लेते हैं? जितनी ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, उसकी उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज एक पेपर को बहुत दिन लग जाते हैं। यह डिले डिफीट्स, इक्वीटी एण्ड जस्टिस्-इस बारे में भी इतने दिन कागजों में लग जाते हैं, उतने दिन नहीं लगने चाहिएं। उनके लिए कोटा मुकर्रर होना चाहिए। कोई भी कागज तीन दिन या जो भी निश्चित किया जाये। सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को उनकी टेबिल पर देर तक कागज नहीं रखना चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन में से कुछ पदों की कटौती होनी चाहिए। और जो नीचे के लोग हैं, उनको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। उनकी ज्यादा एफिशिएन्सी होती है। ताकि यह मालूम पड़े कि छोटे से स्टाफ से कुछ आदमियों से कितनी जल्दी निर्णय लिया।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जो केसेज के बारे में अपीलेट ऑथोरिटी और रेवेन्यू बोर्ड हैं या और कोर्ट हैं इन में केसेज पड़े रहते हैं तो मैं सब के बारे में तो नहीं कहता हूं कि सभी करप्ट हैं। लेकिन जो यह अशोक स्तम्भ जिसके पास पहुंचे तभी जल्दी निर्णय होता है और नहीं तो देर में निर्णय होता है। इसमें कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है? लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह डिले भी एक करप्शन का कारण बनती है। करप्शन का कारण बने या नहीं क्रिटिसिज्म का कारण अवश्य बनती है। इसलिये एक तरफ पाबन्दी हो नियन्त्रण हो। तो पर्टीक्यूलर समय के अन्दर केसेज को जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करें। इसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। यह सही बात है कि आज जनता को गांवों में जो रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वास्ता पड़ता है। यह ठीक है कि जब से पंचायत राज आया है, विकेन्द्रीकरण आया है, तब से थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है। लेकिन हम जो थोड़ी उम्मीद लेकर चलते थे, उतना सुधार नहीं हुआ है। आज भी जो कलेक्टर हैं उनको सब के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अधिकतर जनता के साथ मिलना नागवार समझते हैं। वह समझते हैं कि हम क्यों मिलें। लेकिन उनको समझना चाहिये कि वह ज़िले पर बैठे हैं तो हर गांव का आदमी या पब्लिक का मिलने के लिए आयेगा वह कोई न कोई नई बात बताकर जाएगा। उनको यह ज्ञान रहेगा कि किस तहसील या सब-डिवीजन में क्या काम हो रहा है। उनको मिलने-जुलने के बारे में, उनका जो रवैया है वह

Page No 91

(श्री अमीलाल यादव)

ब्यूरोक्रेसी का कहीं होना चाहिये । और, यह मौका देना चाहिये कि सब की बातें सुनें और सब की बातों पर एक्शन हो । जब जिलाधीश आदत ठीक करें तो एस० डी० ओ० और तहसीलदार कैसे सख्ती कर सकते हैं विकास अधिकारी या और एक्सटेंशन अधिकारी हैं । आज चर्चा होटल और बसों में सुनते हैं । तो बहुत सी चर्चाएं इधर उधर उनके बारे में सुनते हैं । तो बहुत कुछ सुधार इस प्रकार से हो सकता है । यदि जिलाधीश महोदय से मिलने के लिए कोई व्यक्ति जाये तो वह उठकर चले जाते हैं फिर हफ्ते भर तक मौका नहीं देते हैं । अगर मौका भी दिया जाये तो कोई एक्शन नहीं है । तो इस प्रकार की रवैया जो उनका, इस प्रकार एटीट्यूड है, उसको बदला जाये, तो मैं समझता हूं कि बहुत सी जो चर्चाएं चलती हैं वह 50 प्रतिशत दूर हो सकती हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा मैं यह भी देखता हूं कि सर्विस क्लास में, उसके सिलेक्शन में जो आते हैं, वह उसी पुराने रूढ़िवादी तरीके से आते हैं । जैसे एक खान्दान के जो अच्छे पद पर आ गये हैं, तो मैं यह नहीं कहता हूं कि उनको अच्छी जगह नहीं मिले, लेकिन इस बात की चर्चा है कि जिसका पहले से पौवा बैठा हुआ है, उसको चांस मिलता है । यह नहीं देखा जाता है कि देहात में जो लड़के शिक्षा पाकर आते हैं, उनको ऐसा चांस नहीं मिलता है । मैं जानता हूं कि सर्विस कमीशन भी हैं, वहां पर उनका सिलेक्शन होता है लेकिन वहां कुछ डिग्रीज में फर्क हो सकता है । लेकिन यह भी एबाऊ क्रिटिसिज्म नहीं है । इसके लिए हम अपनी अपनी जिम्मेदारी लिये बैठे हैं । चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों । आखिर वे हमारे सब आप के भाई, बन्धु-भतीजे ही हैं । इसलिए हम सब को एक जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए । और अपने विचारों को बहुत हाई रखकर सोचना चाहिए । हम अपने समाज में सुधार लायेंगे । हम सुधारों के जरिये अपने शासन और राज्य को ठीक कर सकेंगे । हमारी जिम्मेदारी इसीलिए अधिक है कि हम राज्य चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं । इसलिये उनका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि जनता का मोरल हाई करें । और इस शासन को जैसा कि मैंने सुझाव दिया है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव वन विभाग पर था, उसकी जो दुर्दशा हो रही है, उसके बारे में चर्चा करूंगा । मैं अधिक समय सदन का नहीं लूंगा क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है । लेकिन मेरा सुझाव है कि लकड़ियां जो दूसरे प्रदेशों में जा रही हैं वह नहीं जानी चाहिये । उसके ऊपर सख्ती से नियन्त्रण होना चाहिये । जिस तरह से ठेकेदार हैं जंगलात में एक तरह का करप्शन फैला रहा है, उसका नियंत्रण होना चाहिये । खासतौर से जो जिला अधिकारी बैठ हुए हैं, उन पर सख्ती रहनी चाहिए । मैंने जो दो कटौती प्रस्ताव रखें है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन पर विचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिह ।

(2 म० म०)

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन की मांग में मुख्य रूप से राज्यपाल महोदय, मंत्रीमण्डल, राजस्व मण्डल और पब्लिक

(श्री भैरोंसिंह)

सर्विस कमीशन–इनका काम आता है । लोकतंत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था करने के साथ–साथ लोकतंत्र की व्याख्या करने वाले मनीषियों ने सबसे पहले इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि प्रशासन को सुचारु रूप से और स्वस्थ रूप से चलाने के लिए हमें एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन करना चाहिए । उसके पीछे मुख्य रूप से एक ही भावना थी कि एक्जीक्यूटिव के कारण जनता के समक्ष यदि कोई समस्यायें उपस्थित होती हों तो उनका निराकरण एक तो न्यायपालिका से सुगमता से कराया जा सकता है, लेकिन इसके साथ हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में दो बातों को और जोड़ा गया है–एक बात का सम्बन्ध आता है पब्लिक सर्विस कमीशन से और दूसरे का सम्बन्ध आता है राजस्व मण्डल से। यह भी हमें अपेक्षा थी कि राजस्व मण्डल के न्यायाधीश जितने योग्य होंगे, निर्भीक होंगे और स्वतन्त्र होंगे उतना ही जनता को आसानी से न्याय मिल सकता है और इस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के विषय में भी जनता में धारणा बनाना आवश्यक है कि इसका सर्विसेज के चयन में, उनकी पदोन्नति में और उनको सजायें देने के निर्णय के सम्बन्ध में सारा न्यायपूर्ण जजमेंट होगा। इन दो बातों को सामने रख कर इनको भी काफी रूप में स्वतन्त्र बनाने की एक कल्पना की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में राजस्व मण्डल बने हैं, मैं पहले राजस्व मण्डल की क्या स्थिति थी उन सारी बातों का ब्यौरा देकर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से जनता के समक्ष है और सरकार स्वयं भी महसूस करके चलती है कि राजस्व कानून के अन्तर्गत जमीन के मामले आये दिन बढ़ते रहते हैं। आज ग्रामीण समाज बाकी के कानूनों में फंसने से डरता होगा लेकिन राजस्व संबंधी मामला है इसके अन्दर तो आज किसान वर्ग का प्रत्येक परिवार फंसा हुआ है, और इसलिये आशा की जाती है कि नीचे की अदालतों में चाहे कुछ भी न्याय हो लेकिन राजस्व मण्डल में अगर कोई अपील की गई तो निश्चित रूप से कानून के आधार पर उसका निर्णय होगा। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जो भी राजस्व मण्डल के अध्यक्ष रहे हैं उनमें अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़ कर, यह बात सही सामने आई है कि भूतपूर्व चैयरमैन, श्री बलवन्त सिंह जी को राज्य सरकार ने इसलिये रिटायर किया था, क्योंकि उनकी इन्टेग्रिटी में राज्य सरकार को विश्वास नहीं था । उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, जो थोड़े समय पहले रिटायर हुए श्री चतुर्वेदी, उनके संबंध में भी, राज्य सरकार के पास, इस प्रकार की शिकायतें थीं । मैं यह दो उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि रेवेन्यू की हाइएस्ट ऑथोरिटी उसके चैअरमेन तक लोग किस प्रकार बन जाते हैं जिनकी कुछ समय के बाद इन्टेग्रिटी पर डाउट होने के कारण राज्य सरकार को उन्हें पद मुक्त करना पड़ता है । यह सवाल केवल इन्टेग्रिटी का है, लेकिन जहां तक एफिशिएन्सी का प्रश्न है मुझे उसमें भी काफी सन्देह है । उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्व मण्डल में ऐसे सदस्यों को भेजा जाता है जिनको राज्य सरकार और कहीं पर एकोमोडेट करना चाहती नहीं या जिनको और कहीं पर एकोमोडेट नहीं कर सके, उनको राजस्व मण्डल का सदस्य बनाया जाता है । राजस्व मण्डल के कई सदस्यों

(श्री भैरोंसिंह)

से मेरी बातचीत हुई है, जिसका सीधा निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस आदमी को हाइएस्ट पद पर राज्य सरकार किसी प्रकार की सजा देना चाहे या राज्य सरकार अनप्लीजेन्टनैस शो करना चाहती हो उनको राज्य सरकार राजस्व मण्डल का सदस्य बनाती है। यह धारणा आज राजस्व मण्डल के सदस्यों में है, यह धारणा आज राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में भी है। लेकिन इसका परिणाम राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ता है। जहां तक एफिशिएन्सी का क्वेश्चन है, इस समय जो राजस्व मण्डल के चैयरमैन हैं मैं ज्यादा उनके विषय में नहीं कहना चाहता लेकिन इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्व के संबंध में और सेल्स टैक्स के संबंध में उन माननीय सदस्य को, उन अध्यक्ष महोदय को जानकारी कोई विशेष नहीं है, और इस कारण कई बार ऐसा जजमेंट उनके द्वारा हुआ है जिस जजमेंट की मखौल राजस्थान के वकील तो उड़ाते ही हैं लेकिन साथ-साथ जब वह केसेज राजस्थान के हाई कोर्ट में जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो राजस्थान का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन न्याय के फैसले के ऊपर हंसे बिना नहीं रह सकता। मैं सदन की जानकारी के लिए एक ऐसा केस बताना चाहता हूं जिसको सुन कर सदन के माननीय सदस्यों को ताज्जुब होगा। एक जजमेंट में ऐसा रूल रेफर किया गया है जो रूल वास्तव में एक्जिस्ट नहीं करता। यह गलती, जो कानून का जानने वाला नहीं हो, वह कर जाय तो बात समझ में आ सकती है लेकिन रेवेन्यू बोर्ड की हाइएस्ट ऑथोरिटी पर जो बैठा है, जिसका काम कानून का इन्टरप्रिटेशन करने का है वह ऐसी गलती कर जाये और जजमेंट के अन्दर ऐसे कानून को रेफर कर दे, ऐसे रूल को रेफर कर दे जो एक्जिस्ट ही नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, जो रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जजमेंट हैं, उनके अन्दर एक जयपुर मिनरल डेवलपमेंट सिण्डीकेट का केस था, उस केस में जो जजमेंट हुआ ने दिया है, उसके बाद दूसरे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के पास रेफर किया गया, उस संबंध में पांच लाइन मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा जिससे इस बात की जानकारी मिल जाय कि हमारे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर कितने एफिशिएन्ट हैं।

" While reading the judgment in the special appeal in M/s. Jaipur Mineral Development Syndicate, Pvt. Ltd. I came across from the file in which one of the learned member has suggested in making consequential amendment of the rule 19 (2) of the Central Sales Tax Act (Rajasthan) Rules, 1957 and that reference to Section 9 (2) has been wrongly re-numbered as Section 9 (3) of the Act.,"

इसके ऊपर जो दूसरे जज हैं वह लिखते हैं।

" I regret to find that there is neither rule 19, sub-rule(2) as it now stands. There is only one rule 19. There is no sub-rules 19 (2) as well as sub-section (3) of Section 9 of the Central Sales Tax Act were quite different before the amendment of that section 1-10-58 as well as thereafter."

(श्री भैरोंसिंह)

अब इससे सदन को कम से कम यह जानकारी मिली होगी कि हमारे राजस्व मण्डल के सदस्य किस प्रकार कानून के जानकार हैं। अगर जनता के किसी ऐसे व्यक्ति के केस पर इस प्रकार का जजमेंट दे दिया जाय जिस जनता के व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है तो वह जजमेंट को लेकर चुप बैठ जाता है और सोचता है कि राजस्व मण्डल की हाईएस्ट आँथोरिटी का फसला हुआ है, मेरे भाग्य का फैसला हो गया है। लेकिन यह जयपुर मिनरल डेवलपमेन्ट सिण्डीकेट का केस था, इसलिए उन्होंने इस केस को एक्जामिन किया। तो एक्जामिन करने के दौरान लोगों ने देखा और कहा कि जिस कानून की धारा के अन्तर्गत यह जजमेंट दिया गया है, जिस धारा का रेफरेन्स दिया गया है वह धारा वास्तव में एक्जिस्ट नहीं कर सकती, उसके बाद भी ऐसा फैसला राजस्व मण्डल के द्वारा हुआ है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से रेवेन्यू बोर्ड की जो इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए वह नहीं है। उसका कारण है, आज रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स के सामने भी कहीं पद का प्रलोभन होता है, कहीं पर प्रमोशन का प्रलोभन होता है, और हजारों डर रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स में होते हैं जिनके कारण रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर इंडिपेंडेंट रह कर काम नहीं कर सकते। हमने पहले भी मांग की थी इस सदन में, एक तरफ हाई कोर्ट के जजेज होते हैं उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया के आधार पर बैस्ट माइन्ड्स हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड की हाइएस्ट आँथोरिटी है, उसके गठन के संबंध में संशोधन करना चाहिए जिससे इन्टेलीजेंट व्यक्ति रेवेन्यू बोर्ड में जा सकें, ऐसे इंटेलिजेन्ट व्यक्ति जा सकें जो रेवेन्यू केसेज से परिचित हों, जो रेवेन्यू केसेज को डील कर सकते हो और रेवेन्यू के कानूनों का इन्टरप्रिटेशन कर सकते हों। ऐसे लोगों को रेवेन्यू बोर्ड में लगाना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को जुडिशियरी से ले सकते हैं, बार एसोसियेशन से मिल कर रेवेन्यू बोर्ड का गठन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रेवेन्यू बोर्ड का काम इंडिपेंडेंस के साथ होता नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं कि इसी कारण रेवेन्यू बोर्ड नामक कोई एफिशिएन्ट और निष्पक्ष संस्था राजस्थान में नहीं है जो जनता को सस्ता और निष्पक्ष न्याय दे सके।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जैसी राजस्व मंडल से अपेक्षा की जाती है कि वह एक इन्डिपेंडेंट बोडी होनी चाहिए एक निष्पक्ष बोडी होनी चाहिये, वैसे ही पब्लिक सर्विस कमिशन से भी अपेक्षा की जाती है कि वह एक इन्डिपेन्डेन्ट बोडी होनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने रेवेन्यू बोर्ड को अपनी पैट संस्था बना ली उसी प्रकार आपने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन को भी अपना पैट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया है। रामचन्द्रजी पब्लिक सर्विस कमिशन के चैयरमेन हैं, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाये कि, उन पर कई प्रकार के आरोप हैं। उन आरोपों में तो मैं नहीं जाना चाहता पर जिस व्यक्ति के विषय में इस प्रकार की धारणा है, जिस आदमी को आपने अपने फुट स्टेप्स में से वहां बैठाया है, उस बोडी से कौन उम्मीद कर सकता है कि वहां सस्ता और निष्पक्ष

Page No 95

(श्री भैरोंसिंह)

न्याय होगा। जिनका 58 साल में रिटायरमेंट होने वाला हो, उन पर मुख्य मंत्रीजी की कृपा हो तो 60 वर्ष तक किस प्रकार उनको एम्प्लायमेंट मिले, किसी को 58 के बाद और किसी को बीच में ही रेवेन्यूबोर्ड का चैयरमैन बना दिया जाता है और वे लोग यह समझते हैं कि यह मुख्य मंत्री जी की कृपा का फल है कि आज इस प्रकार की ऊंची जगह पर बैठे ऊंची तनख्वाह ले रहे हैं पर अब तो वह मेम्बर्स इस प्रकार बनाये गये हैं, जिनके सिलेक्शन के इश्यू को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं। बी०डी० माथुर की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमिशन के टैक्निकल एड्वाइजर के पद पर की गई, यह वह व्यक्ति हैं, जिन पर यहां सदन में आरोप लगाये गये थे, इस सदन में जिनके बारे में चर्चा चली थी कि इन्जीनियर्स के सिलेक्शन में उन्होंने मार्कशीट को टेम्पर विथ किया, मार्कशीट का जोड़ गलत लगाया, जिनसे वे नाराज थे उन लोगों के खिलाफ उनकी सर्विस शीट्स में एडवर्स रिमार्क लगाये। उन्होंने भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया था कि पब्लिक सर्विस कमिशन में टैक्निकल एडवाइजर के रूप में उनकी नियुक्ति की जाय पर जब भारत सरकार को जानकारी मिली इसी इन्जीनियर्स के सवाल को लेकर, इन्जीनियर्स ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट याचिका पेश की थी तो गवर्नमेंट एडवोकेट की तरफ से आश्वासन दिया गया था एश्योरेन्स दिया गया था कि किसी सिलेक्शन कमेटी में टैक्निकल एडवाइजर के पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा, इसलिये भारत सरकार ने उस शख्स की टैक्निकल एडवाइजर के पद पर नियुक्त करने से गुरेज किया जिस व्यक्ति के खिलाफ गवर्नमेंट एडवोकेट का एश्योरेन्स था कि उसे किसी सिलेक्शन कमेटी का मेम्बर नहीं बनाया जायगा, आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाया गया। ऐसी ही हालत शिवशंकरजी की नियुक्ति के बारे में है। शिवशंकरजी की नियुक्ति की गई, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता पर किसी सिलेक्शन के इश्यू को ले कर मुख्य मंत्री उनको टेलीफोन कर दें तो सारे पब्लिक सर्विस कमिशन के मेम्बर्स एक तरफ और शिवशंकरजी एक तरफ, शिवशंकर जी मुख्य मंत्री के टेलीफोन की पर्वाह कर के उसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे, यह मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं।

आज मुख्य मंत्री ने राजस्थान राजस्व मंडल को और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन को अपनी पैट संस्थाओं का रूप दे रखा है। इसी कारण राजस्व मंडल में रेवेन्यू की अपीलों में न्याय नहीं होता, और पब्लिक सर्विस कमिशन में नियुक्तियों के मामले में न्याय की आशा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार आज मुख्यमंत्री राजस्थान की जूडिशियरी को अपनी पैट बोडी बनाने के लिये किस प्रकार योजनाबद्ध कार्यवाही कर रहे हैं यह एक विचारणीय विषय है। राजस्थान हाई कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री राणावत की नियुक्ति के बारे में राज्य सरकार यह ले कर चलती है कि वे उम्र भर का पट्टा ले कर आये हैं, वे भी कभी इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के चैयरमेन होते हैं, तो कभी किसी ट्रिब्यूनल के चैयरमेन होते हैं, कभी पे कमीशन में उनका एपोइन्टमेंट होता है, कभी ऐसी नियुक्ति पर जाते हैं जहां सेशन जज काम करता है, श्री राणावत जहां काम कर रहे थे वहां अब अनोपसिंहजी को लगाया गया है जिस जगह राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस काम करता था वहां आज सेशन

Page No 96

(श्री भैरोंसिंह)

जज काम करता है। इस प्रकार का राजस्थान की जूडिशियरी का डिग्रेडेशन न राजस्थान को पे करने वाला है और न राजस्थान की जनता को पे करने वाला है। जो लोग आर० जे० एस० से रिटायर होते हैं उनका लेबर कोर्ट में किसी का इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में एपोइन्टमेंट हो रहा है ताकि राजस्थान के जूडिशियल ऑफिसर्स सरकार के कृपापात्र बन रहें, वे सरकार की नाराजगी किसी तरह से मोल न लें ताकि रिटायरमेंट एज के बाद में उनको रिएम्प्लॉयमेंट मिल जाय किसी को तीन वर्ष के लिये, किसी को 5 वर्ष के लिये। तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आपकी घातक नीति है, इससे जनता में न्याय के प्रति विश्वास उठ जायगा। आपको इस नीति को मान कर चलना चाहिये कि राजस्थान जूडिशियरी के किसी अधिकारी को रिएम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाय। आज स्थिति यह है कि राजस्थान के भूतपूर्व न्यायाधीश एम्प्लोयमेंट के लिय मुख्य मंत्री के बंगले के चक्कर काटते रहते।

बैरी कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी तो मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने बैरी साहब की निष्पक्षता पर आरोप लगाये। उनकी नियुक्ति विरोधी दल के नेताओं ने या विरोधी दल के सदस्यों ने नहीं की थी, उनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार ने की थी। राजस्थान सरकार यह सोच कर चले कि कांग्रेस पार्टी ने जिनकी निष्पक्षता पर संदेह जाहिर किया है वे माननीय जज हाई कोर्ट में बैठ कर कैसा न्याय करेंगे, किसी को फांसी की सजा देंगे, किसी को बरी करेंगे, किसी को आजन्म कारावास की सजा देंगे। ये सरकार के सोचने की बात है।

तो मोटे तौर पर मेरा यह सब कहने का मतलब यह है कि आज मुख्य मंत्री के इस प्रकार के रवैये से जो राजस्थान की जुडिशियरी में, जूडिशियल ऑफिसर्स के दिमाग में यह प्रलोभन आ रहा है कि यह निश्चित रुप से जुडिशियरी की निष्पक्षता को खत्म कर देगा और राजस्थान कि जनता में जुडिशियरी के प्रति विश्वास खत्म हो जायगा, क्योंकि यह एक ही तो संस्था है, जहां से सर्विसेज और जनता न्याय प्राप्त कर सकती है। यदि जुडिशियरी का इस प्रकार डिग्रेडेशन हो गया तो ए क कलेक्टर के ऑर्डर में और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले में कोई अन्तर ही नजर नहीं आयेगा। इसलिये मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वे राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन में अपने कृपापात्रों को नहीं रखें, नहीं तो यह बड़ा घातक होगा। आज कांग्रेस निश्चित रूप से जिस प्रकार के कदम उठा कर चल रही है वे न तो प्रजातन्त्र को ही सुरक्षित रखेंगे और न जनता ही सुरक्षित रहेगी।

आज से कुछ दिन पहले मंत्रियों की संख्या के बारे में प्रश्न इस सदन में उठाया गया था, उसके सम्बन्ध में निवेदन करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राज्यपाल का खर्चा हर साल किस प्रकार बढ़ता जा रहा है। मंहगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों का बढ़ो इसमें मुझे एतराज नहीं है, जहां पहले 4 लाख रुपया मंहगाई पर वहां खर्च होता था वहां आज 6 लाख 38 हजार रुपया खर्चा होने की स्थिति पैदा हो गई है। आखिर राज्यपाल सफेद हाथी बन कर जनता पर रहना चाहते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं निवेदन करुंगा कि राज्यपाल कॉन्स्टीटयूशनल हैड हैं, जनता उनकी ओर देखती है कि वे किस प्रकार मितव्ययता

(श्री भैरोंसिंह)

से चलते हैं, यदि इस प्रकार कान्स्टीट्यूशनल हैड के खर्चे में वृद्धि होती जाय तो वे किसी को मितव्ययता की प्रेरणा नहीं दे सकते। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर वोट तो नहीं हो सकते पर मुख्य मंत्रीजी राज्यपाल तक इस बात को पहुंचायें कि आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है।

जब मंत्रियों के खर्चे का प्रश्न सदन में आता है तो मुख्य मंत्री कहते हैं कि क्या थोड़ा सा खर्चा कम किया तो राजस्थान का घाटा पूरा हो सकता है। हम ही यह नहीं कहते खुद भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि सदन के सदस्यों की संख्या के अनुपात से मंत्रियों की संख्या होनी चाहिये फिर राजस्थान में 37 से ऊपर यह संख्या कैसे होती है। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि सत्ता प्राप्त करने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने कुछ लोगों को प्रलोभन दिया है, इसलिये वे मेरे कहने से उनको हटा नहीं सकते पर मैं यह कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा संख्या राजस्थान के मंत्रियों की बढ़ रही है उतना ही ज्यादा राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता जा रहा है। वे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सर्किट हाउस में जा कर कभी पटवारियों की, कभी अध्यापकों की, कभी वी० एल० डब्लूज की ट्रांसफर्स करते हैं, इसके अलावा और उनके पास काम नहीं है। और आज मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में शान्ति भंग करने की जिम्मेदारी आज न चोर और डाकुओं की है और न बदमाशों की जिम्मेदारी है, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके प्रोटेक्शन को खत्म करने की जिम्मेदारी राजस्थान के बढ़े हुए मंत्रिमण्डल के सदस्यों की है। आप किसी जगह चले जायें, राजस्थान के सर्किट हाउसेज के रजिस्टर देखें। सर्किट हाऊस में चपरासी और मैनेजर सलाम करने के लिए नहीं मिलेगा। कमरे के अंदर एक डिप्टी मिनिस्टर बैठा हुआ मिलेगा। काम कुछ है नहीं। कलेक्टर या और किसी से कह दिया कि इसकी इन्क्वायरी कराओ, इसको खत्म कराओ। आप हिसाब लगाकर देखें राजस्थान में पिछले दो वर्षों में कितने पटवारी, अध्यापक, एल० डी० सीज० या यू० डी० सीज० की ट्रांसफर्स का अनुपात बढ़ गया है। वे लोग भी परेशान हैं। 1965-66 में जहां इन पर केवल 18 लाख का खर्चा था वह बढ़ते बढ़ते इस साल 33 लाख हो गया। 15 लाख रुपये मंत्रियों पर ज्यादा खर्च करते हैं। आप एलाउंसेज देते हैं, उनकी गाड़ियों पर खर्च होता है, टी० ए०, डी० ए० पर खर्च होता है, मेडिकल एलाउंस पर खर्चा होता है, खर्चा जिस अंदाज से बढ़ता जा रहा है, वह सरकार राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाने के लिए नहीं कह सकती और जनता को मितव्ययता का उपदेश नहीं दे सकती। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आज कोई गरीब आदमी कोई कर्ज सरकार से ले जाय और उसका चुकारा न करे तो उसके बरतन जब्त होते हैं, गाय भैंस जब्त होते हैं, लेकिन जिन मंत्रियों को आपने कार खरीदने के लिए कर्जा दिया है, उन मंत्रियों ने आज तक क्यों नहीं जमा कराया? आपके नियम बने हुए हैं कि अमुक समय के अंदर इस समय के अंदर भुगतान किया जायगा लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल के ऐसे सदस्य कई हैं जिन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लिया और उसका भुगतान समय पर नहीं किया। अगर आप चाहें तो मेरे पास अप्टुडेट सूची है लेकिन वह सदन में रखकर अपना समय जाया नहीं करना चाहता।

(श्री भैरोंसिंह)

इसके साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में एक मद है जिसकी ओर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। मुख्य मंत्री और बाकी के मंत्रियों को डिस्क्रेशनरी ग्रांट मिली हुई है। मुख्य मंत्री को 15 हजार रुपये साल में मिलते हैं जिसको चाहें दे सकते हैं और इसी प्रकार मंत्रियों को 5-5 हजार डिस्क्रेशनरी ग्रांट मिलती हैं। इसकी सूची मैंने देखी और यहां तो मैं तारीफ करूंगा दो मंत्रियों की—एक श्री शिवचरण माथुर और एक मुख्य मंत्री की ये दोनों सूचियां देखीं, इनमें मुझे कोई विशेष जातीयता का अनुभव नहीं होता, या किसी विशेष क्षेत्र का अनुभव नहीं होता लेकिन बाकी मंत्री चाहे शोभारामजी हों सारे पैसे अपनी कान्सटीट्यूएन्सी में खर्च किए, अमृतलाल यादव हैं सारे पैसे कांकरोली में किए, दामोदरलाल ने टोंक में ज्यादा पैसा दिया। इसी तरह बरकत साहब ने अपने लोगों को ज्यादा दिया इस तरह बाकी सभी मंत्रियों ने अपने लोगों को ज्यादा पैसा दिया भीखाभाई और हरिदेवजी ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर ज्यादा पैसा खर्च किया।

यह तो आखिर विचार करना पड़ेगा कि 5 वर्षों में 4 लाख रुपये इस डिस्क्रेशनरी ग्रांट पर इन मंत्रियों को दिए हैं, एक–एक मंत्री को 5 साल में 25 हजार रुपये दिए हैं और वे 25 हजार रुपये अपनी कान्सटीट्यूएन्सी में खर्च करते हैं। तो क्या अपने लोगों को पैसा देने की गरज से राजस्थान के बजट से पैसा लेना चाहते हैं, क्या चुनाव में खर्च करने की गरज से अपने पिट्ठुओं को पैसा देने के लिए राजस्थान के कन्सोलीडेटेड फंड से पैसा लेना चाहते हैं? आवश्यकता तो यह थी कि इस प्रकार 4 लाख डिस्क्रेशनरी ग्रांट मुख्य मंत्री अकाल राहत के काम में लगाते लेकिन अकाल सहायता में काम लेने के बजाय एक एक मंत्री को 5-5 हजार रुपये खर्च करने की छूट दी हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यदि कोई ब्राह्मण है तो उस मंत्री ने ज्यादा पैसा ब्राह्मणों को दिया है, यदि कोई मुसलमान मंत्री है तो उसने मुसलमानों को पैसा दिया, यदि कोई यादव है मंत्री तो उसने अपनी जाति को दिया। आज मुख्य मंत्री दूसरों पर आरोप लगाते हैं कभी साम्प्रदायिकता का कभी जातीयता का। लेकिन मैं इस सदन में सूची प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे लोगों को पता चलेगा कि मंत्रियों के दिमाग से जातीयता निकली है या नहीं। बृजसुंदरजी बूंदी गए, ब्राह्मणों को ही पैसा दिया। मुझे अफसोस है और मेरी मांग है कि इस प्रकार का पैसा अकाल राहत में खर्च कराया जाये।

मैंने कई बार मुख्य मंत्रीजी से पहले भी कहा है कि हम इस सदन का समय मंत्रियों के आचरण संबंधी मामलों को लेकर नहीं लेना चाहते। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान के विकास के प्रश्नों पर यदि यहां पर थोड़ा बहुत समय दिया जाय तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाय तो राजस्थान का भला होगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, शायद मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है कि मंत्रियों के आचरण के मामले इस सदन में प्रस्तुत किए जायें एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाये और सदन का समय लिया जाय। हमने कई बार मांग की कि मंत्रियों के आचरण की जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसी व्यवस्था राजस्थान में स्थापित की जाय ताकि सदन में मामला न उठाकर वहीं पर उन मामलों को प्रस्तुत किया जा सके

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन परसों एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था स्थापित करने का विचार नहीं है। आखिर में मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हम शिकायत लेकर किसके पास जायं, किससे मंत्रियों के आचरण के बारे में जांच करायें। जब कोई नहीं सुनता तब विधान सभा में आरोप और प्रत्यारोप लगाकर सदन का वातावरण गर्म होता है और माननीय सदस्यों की कई बार आसन से भी भिड़ंत होती है, सदन का वातावरण खराब होता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अखिल भारतीय नीति के अनुसार, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार जैसे लोक सभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, वैसे राज्य सरकार को आगे होके कहना चाहिए कि हम राजस्थान में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी व्यवस्था कायम करेंगे। यह राजस्थान सरकार ही नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, केरल में और मद्रास में हुआ है। जब काफी राज्य कर चुके तो आपको क्यों अफसोस हो रहा है? मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी इस पर स्पष्टीकरण देंगे।

एक अहम प्रश्न की ओर अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो साल पहले इस सदन में मैंने और विरोधी दलों के अन्य माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि राजस्थान में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की सेवा आयु घटाकर 58 से 55 की जाय। उस समय हमने मांग की थी, कि ऑल इंडिया और राजस्थान की सर्विसेज की सेवा आयु बराबर की जानी चाहिए। मुख्य मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि आर० ए० एस० और आर० पी० एस० अधिकारियों की सेवा आयु 58 से घटाकर 55 वर्ष करेंगे और भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि वह आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की सेवा उम्र भी घटाकर 55 करे। आज तीन वर्ष का समय हो गया, राजस्थान में 9 हजार नॉन-गजेटेड और लगभग 400 गजेटेड अधिकारियों को राज्य सरकार ने सेवा निवृत्त कर दिया लेकिन मुख्य मंत्री ने उस ओर आज तक एक भी कदम नहीं उठाया कि इन दोनों—आई० ए० एस०, आई० पी० एस० व आर० ए० एस० व आर० पी० एस०—की सेवा आयु बराबर होनी चाहिए। अफसोस है कि संविधान किसी व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं छोड़ता संवैधानिक भेदभाव की बात कितनी सही है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ता लेकिन राजस्थान सर्विसेज की सेवा आयु 55 वर्ष, आई० ए० एस० की 58 वर्ष, लोक सेवा आयोग में 60 वर्ष, उच्च न्यायालय में 62 और राजस्थान के मंत्री 65 वर्ष तो क्या लेकिन उस समय तक रह सकते हैं जब तक उनके पैर कब्र में न जायं। इससे हार्ट-बर्निंग होती है। मुख्य मंत्रीजी, अगर आप अखिल भारतीय सेवाओं की उम्र घटाकर राजस्थान में 55 नहीं कर सकते तो राजस्थान की सेवाओं ने क्या किया? उन्होंने कोई गाय की पूंछ नहीं तोड़ी है कि उनके साथ आपने ऐसा अन्याय किया है। एक ही जगह काम करने वाले कलेक्टर तो 58 वर्ष तक चलता है उसके नीचे काम करने वाले एस०डी०ओ० को 55 वर्ष में ही रिटायर कर देते हैं? क्या आपको जलन है राजस्थान की सेवाओं से? आप एक कानून बनाकर चलें कि चाहे

(श्री भैरोंसिंह)

आई० ए० एस० हो चाहे आर० ए० एस०, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। यदि राजस्थान में एक आई० ए० एस० अधिकारी 58 में रिटायर होता है तो आर० ए० एस० के लोग भी 58 में रिटायर होंगे। इस प्रश्न पर कृपया गंभीरता से विचार करें। मुझे याद है इस प्रश्न पर शुरू-शुरू में जब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी, उसका भाव भी यही था कि राजस्थान और हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हुई है, इस समस्या को हल करने के लिए हमें सर्विसेज की सेवा आयु घटानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से सुझाव भी मांगे थे, लेटर मेरे पास है लेकिन उसको पढ़ने में काफी समय लगेगा। एक लेटर पढ़कर मैं आपकी जानकारी के लिए सुनाता हूं वह है नियुक्ति विभाग का 1-11-66 का :

"वर्तमान नीति के अनुसार विशेष परिस्थितियों में सेवा निवृत्त हुए राज्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों तथा अन्य स्वप्रबंध प्रतिष्ठानों में पुनः नियुक्त किया जाता है किन्तु विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सेवा निवृत्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को किसी भी राज्य सरकार के अधीनस्थ निगम या राजकीय उपक्रम तथा स्वप्रबंध प्रतिष्ठानों में पुनः नियुक्त न किया जाय......

ए० के० रे,
विशिष्ट सचिव।"

यह सरकार का आदेश है। इसमें विश्वास से कह सकता हूं, कोई संशोधन नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री भगवतसिंहजी मेहता को किस प्रकार निगम का चैयरमैन बनाया? राजस्थान में कई वर्षों तक वे मुख्य सचिव रहे। हिन्दी कमीशन में गये। उनमें कौनसी ऐसी योग्यता है? क्या बाकी की सर्विसेज ने बुढ़ापे के कारण कोई योग्यता प्राप्त नहीं की? वे लेंगवेज कमीशन के सदस्य रह जायें और यहां आने पर उनको मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन का चैयरमैन बना दिया जाय। जिस समय यहां पर राष्ट्रपति का शासन था यह सरकार नहीं चाहती थी कि डा० सरीन को रिटायर किया जाय। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय के शासन ने डा० सरीन को रिटायर कर दिया और ज्योंही सेक्रेटेरियेट में माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखाड़ियाजी आये तो उन्होंने पुनः डा० सरीन को नियुक्त कर दिया। क्या आवश्यकता थी? आप कह सकते हैं कि मेडिकल मैन हैं। मेडिकल मैन तो कई रिटायर होकर दर दर के भिखारी बन रहे थे। इनमें (डा० सरीन) कौनसी योग्यता थी? यदि उनमें कोई योग्यता थी तो क्या राष्ट्रपति के शासन के समय जिन्होंने उनको निकाला क्या वे यह नहीं आंक सकते थे कि उनके बिना राजस्थान का काम नहीं चल सकता। ऐसे कई लोग हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद रि-एम्प्लोय किया गया। मुझे यह भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य सचिव को सरकारी बंगला मिला हुआ है और यह भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको पुलिस का भी पहरा मिला हुआ है? किन सरकारी नियमों के अन्तर्गत राजस्थान की इस हुकूमत ने उनको यह फेसिलिटीज दे रखी हैं? क्या इस प्रकार के कोई नियम हैं? मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि वर्तमान मुख्य सचिव

(श्री भैरोंसिंह)

और श्री खेमचन्दजी जिनकी इन्टीग्रिटी के बारे में किसी को कोई शंका नहीं है, जिनकी एफिशियेन्सी के बारे में भी किसी को कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनका रि-एम्प्लोयमेन्ट नहीं हो सकता क्योंकि वे मुख्य मंत्रीजी के कृपा पात्र नहीं हो सकते, वे मंत्रीजी को खुश करने के लिये उनकी (मंत्रीजी) इच्छा के अनुसार नोट नहीं लिख सकते। जो रूल बनाया है यह सरकार उसको स्ट्रिक्टली फोलो करे तो जो 58 की उम्र में गये सो गये, उनको रि-एम्प्लोय करने की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये। और यदि आप करते हैं तो सबकी एक उम्र बढ़ायें, चाहे आप उसको 55 कर दीजिये, 58 कर दीजिये, 60 कर दीजिये, 80 कर दीजिये, 100 कर दीजिये और मर जायें तो रिजर्वेशन के अनुसार उनके बेटों की भी नियुक्तियां कर दी जायें। यह कर दीजिये। लेकिन किसी प्रकार यह हार्ट-बर्निंग तो समाप्त हो।

हमने कई बार हाउस में भी कहा तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जांच चल रही है, वैसे इन्क्वायरी के मामले अधिक हैं और उसके लिये उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी जिससे जल्दी से जल्दी उनका डिस्पोजल हो सके। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सन् 1964 से 1968 तक 162 मामले निर्णय किये गये और 300 मामले आज दिन बाकी पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं? इसका कारण यह है कि सरकार के कृपा पात्र लोग जांच की परवाह नहीं करते हैं। समयाभाव के कारण मैं अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन एक ही मामला उदाहरण के स्वरूप इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह है श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट का। अफ़सोस है कि आज श्री हरिदेवजी यहां नहीं हैं। वह जिस समय पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चैयरमैन थे, उन्होंने और मैंने उनके सारे मामले की छान बीन की थी और राजस्थान सरकार को सिफ़ारिश की थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और इनका चालान किया जाय। जो फाइनेन्शियल इरगुलेरिटीज इनके द्वारा की गई हैं उनके लिये उनका प्रोसिक्युशन किया जाय। इस रिपोर्ट के बाद, उनको सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के डाइरेक्टर के पद से हटा कर हिन्दी विभाग का डाइरेक्टर नियुक्त किया गया। वहां से उनको पुनः हटा कर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का डाइरेक्टर नियुक्त कर दिया। जिस प्रकार डाक्टर सरीन के बगैर राजस्थान के मंत्रियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, उसी प्रकार श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट के बगैर राजस्थान के मंत्रियों के फोटो नहीं छप सकते। इस प्रकार की एक विचारधारा बन गयी है। वहीं इर्रेगुलरिटीज चल रही हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपने उस पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और उस पर दस्तखत किये हैं, उसको आप आग लगा दीजिये, और आग नहीं लगाना चाहते हैं तो श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट को 2-11-65 को, 2-8-68 को और 2-1-69 को जो चार्ज शीट्स दी गयीं उनका क्या हुआ? आज राजस्थान के अन्दर कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं होगा कि जो चार्ज शीट का जवाब न दे। यह मुख्य मंत्रीजी के कृपा पात्र अधिकारी हैं जो चार्ज शीट का जवाब न दें, जिनके विरुद्ध इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं होती। बाकी के लोग चार्ज शीट का जवाब न दें यह

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं हो सकता लेकिन राजेन्द्र शंकर भट्ट चार्ज शीट का जवाब न दें और इन्क्वायरी में प्रोग्रेस न हो तो यह चल सकता है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन लें और कई ऐसे केसेज हैं जो वर्षों से पड़े हैं सरकार के पास, कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के पास पड़े हैं उनका डिस्पोजल जल्दी से जल्दी हो इसकी व्यवस्था करें।

एक बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बार आर्म्स का मामला सदन के अन्दर रखा था। उन हथियारों के मामले में अगर कोई दूसरी सरकार होती तो विरोधी दल की प्रशंसा करती। लेकिन लाखों रुपयों के हथियारों का मामला है, अधिकारी लोग खा गये, राजस्थान सरकार के सामने यह केस प्रस्तुत किया गया। राजस्थान सरकार ने बावजूद कई बार इनकार करने के पश्चात् उसको विजिलेन्स कमीशन को दिया उस कमीशन ने जांच करके एक साल पहले अपना प्रतिवेदन दें दिया। उसमें 15 आई० ए० एस० ऑफिसर और 16 आई० पी० एस० ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, कानून की अवहेलना की, अपने स्वार्थ की पूर्ति की और जनता के लाखों रुपयों के हथियार हजम कर गये। आज भी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। इसलिये नहीं लेना चाहती कि उन अधिकारियों में राजस्व मंडल के भूतपूर्व चैयरमन श्री मैनन हैं, और भी कई अधिकारी हैं। पन्द्रह सौ पन्द्रह सौ रुपयों के हथियार चालीस चालीस रुपयो में ले गये उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? क्यों नहीं उनको चार्ज शीट देते हैं और क्यों नहीं उन लोगों को सजा देते हैं? आपको डर है कि 15 आई० ए० एस० और 16 आई० पी० एस० ऑफिसर्स के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते, तो अपने डर को दूर करने के लिये आप कोई कमीशन नियुक्त कर दीजिये ताकि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय वह अपनी रिपोर्ट रखे। विरोधी दल के सदस्य कहीं से ढूंढ कर मामले लायें, हम अधिकारियों को दबा कर स्वार्थसिद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन जनता का पैसा है और सरकार के अधिकारियों का उस पर इस प्रकार से अतिक्रमण होता है और विधान सभा में इस प्रकार के मामलों को उठाया जाता है उसके बावजूद भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती।

अन्त में एक केस निवेदन करना चाहता हूं। मजिस्ट्रेटी में यहां पर एक केस चल रहा है। एक श्री करणावट हैं। उनको एक व्यक्ति के मामले में निर्णय देना है। करणावट ने उसको बुलाया और कहा कि मुझे तीन हजार रुपया दो। उसने कहा कि तीन हजार रुपया देने की मेरी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं से कर्जा दिला दो। कर्जा दिला दिया। उसने प्रोनोट लिख दिया। वह सरकार के पास चला गया। वह व्यक्ति जवाहरात का काम करता है। उसने उस व्यक्ति को फिर बुलाया और कहा कि मुझे दो नीलम दो। उस व्यक्ति से उसने दो नीलम ले लिये। 500 रुपये के दो नीलम। फिर कहा कि मेरा लड़का मद्रास जा रहा है, उसकी सेवा करो और उसको मद्रास की यात्री कराओ। मद्रास की यात्रा करायी। यात्रा कराने के बाद उसने पैसा

(श्री भैरोंसिंह)

मांगा तो उसके खिलाफ फैसला दे दिया। वह कई बार विजिलेन्स कमीशन के पास जा चुका है, उसने कई मुख्य सचिव को रजिस्ट्रियां करवा दीं, लेकिन उसको सजा नहीं दी गयी बल्कि उसको राजस्थान के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेट्री लगा दिया ताकि राजस्थान सचिवालय में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर बैठ कर दुनियां भर की गड़बड़ियां कर सके। मैंने तो यह एक उदाहरण मात्र दिया है। आप चाहें इन मजिस्ट्रेट का हिसाब किताब देखें तो मालूम होगा कि इन्होंने किस प्रकार लूटना शुरू किया है। इस प्रकार से न्याय मंहगा होता जा रहा है। इसके अनेक उदाहरण मैं सदन के सामने रख सकता हूं किन्तु समयाभाव के कारण यह संभव नहीं लगता।

कुछ समय पहले, इस सदन के अन्दर माननीय रामानन्दजी ने एक प्रश्न उठाया था। वह राजा महाराजाओं के संबंध में था। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसका जवाब बड़ी चतुराई के साथ उड़ा दिया था। वह मुख्य मंत्रीजी की केवल वाक्‌पटुता थी। उन्होंने राजा महाराजाओं को खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन जब वित्त मंत्रीजी भाषण पढ़ रहे थे, उन्होंने यहां कहा कि हमारा इतना कर्जा है, विकास के लिये धन की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिये टैक्स लगाने पड़ते हैं। यह बहुत जरूरी है। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि राज सरकार का यह किस तरह का खर्चा है। मैं विधान सभा में दो बार यह मामला रख चुका हूं। 1906 का टोंक नवाब साहब का कर्जा था। उस कर्जे को उतारने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं थी। तब 31 हजार का पेमेन्ट राज्य सरकार ने किया और राजस्थान सरकार ने 1906 के कर्जदारों को भुगतान किया। वह प्रश्न इस विधान सभा में उठा था। इसकी जांच की हमने मांग की थी परन्तु सरकार ने कोई जांच नहीं की। आज बीस साल हो गये हैं। रियासतें रिज्यूम हो चुकी हैं और रेस्टोर हो चुकी हैं। रियासतों, जागीरों के रिजम्पशन के बाद कम्पेन्सेशन फाइलें बनीं और लाखों रुपया कम्पेन्सेशन का दे दिया गया टोंक के नवाब को। यह प्रश्न इस विधान सभा में मैंने रखा है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। आपको यह जानकर और अफसोस होगा, इस सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकर अफसोस होगा-माननीय मुख्य मंत्रीजी एक भी उदाहरण बतायेंगे कि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को डोमेस्टिक परपज के लिये कर्जा दिया है। इन्डस्ट्री के लिये आप कर्जा दें, यह माना जा सकता है, उसके एक्सटेन्शन के लिए राज्य सरकार कर्जा दे, यह माना जा सकता है, बिजली, पम्प के लिये आप कर्जा दें, यह ठीक है। परन्तु आपने टोंक के नवाब साहब को देवस्थान विभाग से दो लाख का कर्जा दिया है, डोमेस्टिक परपज के लिये। यह सरकार का जो आदेश है, वह मैं सदन में पढ़कर सुनाता हूं। उसमें लिखा है:—

"I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of a loan of Rupees Two Lakhs only to Nawab of Tonk for domestic purposes on the following terms and conditions.."

डोमेस्टिक परपज के लिये आपने नवाब साहब को यह कर्ज दिया है। नवाब साहब कोई भूखे व्यक्ति नहीं थे। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दो लाख रुपये अपनी इन्डस्ट्री के लिये

(श्री भैरोंसिंह)

ऋण, अनुदान के लिये चाहियें। आप उनको यह रुपया देते। आज पढ़े लिखे इन्जीनियर भूख और प्यास से तड़फ रहे हैं। उनको किसी प्रकार की सहायता आपसे नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्षजी, सन् 1968 में राजस्थान में आर० ए० एस० आफिसरों की कान्फ्रेंस हुई थी। उस कांफ्रेंस में मुख्य मन्त्रीजी ने भाषण दिया। जो कुछ दिया-उसका मुख्य सार यह है। मुख्य बात यह थी-सरकारी नीतियों का कार्यान्वियन ठीक प्रकार से नहीं होता है। जनता की नाराजगी के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। वित्त मंत्रीजी ने उसी कांफ्रेंस में कहा-सरकारी अधिकारी बकाया की वसूली में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे सरकारी उद्योगों के मुनाफे की ओर ध्यान नहीं देते हैं। गृह मंत्रीजी ने कहा-कानून और व्यवस्था का अभाव है। इसमें सरकारी अधिकारी दिलचस्पी नहीं लेते। कृषि मंत्री-जी ने कहा-जनता और सरकारी अधिकारी में परस्पर समन्वय का अभाव है। ये सारी बातें आपने उस समय कहीं थी आर०ए०एस० ऑफिसर की कांफ्रेंस में आपने यह कहा था। तो आर० ए० एस० एसोशिएशन ने सरकार से मांग की थी कि कभी आप मैरिट कम सीनियोरिटी बेसिस पर और फिर सीनियो-रिटी कम मैरिट बैसिस पर, जहां अपने लोगों को प्रोमोशन देना होता है, इस प्रकार के आप रूल्स बनाकर उनको एडजस्ट करते हैं आखिर इसकी भी कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर आपने उन व्यक्तियों को सीनियर ग्रेड दे दी। हाई कोर्ट के फैसले से डर कर उसके पहले भी आपने यह कर दिया। फिर भी, सीनियर ग्रेड देने के बाद भी कई सीनियर व्यक्ति अधरझूल में हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आप सर्विसेज को ताड़ना दे सकते हैं, परन्तु उनका विश्वास आपको उसी समय मिलेगा जब सर्विसेज के साथ आप न्याय करेंगे। जो ऑफिसर अयोग्य हैं, भ्रष्ट हैं, उसको तरक्की दी जाय, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एडवर्स रिमार्क्स देने की प्रथा चल रही है। जो अफसर को खुश रख सकें, मन्त्री को ओब्लाइज कर सकते हैं, उनकी सर्विस बुक में बढ़िया रिमार्क्स हैं और जो ऑफिसर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, उनके एडवर्स रिमार्क्स दे दिये जाते हैं। जब सीनियर स्केल का प्रश्न उठता है तो ये एडवर्स रिमार्क्स उसके सामने आते हैं। ये एडवर्स रिमार्क्स नियमानुसार उसको समय पर कम्यूनिकेट नहीं किये जाते और उनको इस पर अपील करने का मौका नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन सर्विसेज पर तलवार चलाई जाती है। मुख्य मंत्रीजी, यह बात सही है कि प्रशासनिक दृष्टि से कुशल हैं और राजस्थान की सारी सर्विसेज में आपने अपने पैट बना रखे हैं। परन्तु धीरे धीरे सर्विसेज में आग पैदा होती जा रही है जैसा कि आपने सन् 1968 के अन्दर आर०ए०एस० आफिसर्स के ऐसोसियेशन में सुना था। वह आग अब भी है और वह भयंकर रूप लेती जा रही है। समय रहते आप इसमें उचित संशोधन कर देते हैं अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिये। इनमें अब बार बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जो नियम बने हैं, उन्हीं के आधार पर आप काम करिये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो राज-पत्र निकलता है, उस राज-पत्र को आप देखें तो पचासों अमेंडमेंट राजस्थान की सर्विसेज के बारे में होते हैं। रूल्स में अमेंडमेंट होता है। राजपत्र आधे से अधिक इसी से

(श्री भैरोंसिंह)

भरे होते हैं। मैं समझता हूं कि हरक्यूलस जोब है। किसी विभाग की सर्विसेज में अमेंडमेंट है तो किसी विभाग के रूल्स में अमेंडमेंट है। यह आये दिन होता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कभी उम्र का एडजेस्टमेंट करने के लिये नियमों में संशोधन होते हैं। इसके कारण सर्विसेज में हार्ट-बर्निंग है। मैं मुख्य मंत्रीजी से उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सर्विसेज को सिक्यूरिटी, गारंटी देनी पड़ेगी। उनके प्रोमोशन और सिलेक्शन ग्रेड में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें न्याय मिले। इसके साथ-साथ रेवेन्यू बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन की इन्डीपेन्डेन्सी को मेन्टेन करना पड़ेगा और रिएम्प-लॉयमेंट को पूर्णतया खतम करना पड़ेगा। आई० ए० एस० और आर० ए० एस० की उम्र में जो अन्तर है, वह दूर करना होगा। जब तक आई० ए० एस० की उम्र 58 वर्ष तक चलती है और उसी समय में आर० ए० एस० ऑफिसर 55 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे, मैं इसे किसी प्रकार से भी जस्टिस का काम नहीं समझता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे इन प्रश्नों के ऊपर गंभीरता से विचार करके निर्णय लेंगे। इतना ही कहते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह। (अनुपस्थित)

श्री महेन्द्र कुमार।

श्री महेन्द्र कुमार (पांडवा सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला डूंगरपुर में वनों की दुर्दशा के बारे में मैं कुछ कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज से बीस वर्ष पहले जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जंगल बड़े अच्छे थे और उनमें काफी इमारती लकड़ी थी। आज वे जंगल बिलकुल बर्बाद हो गये हैं और बिलकुल उजड़ गये हैं। उपाध्यक्षजी, जंगलों के बर्बाद होने से वर्षा और खेती, दोनों पर इसका असर पड़ा है और इसकी हानि राज्य को भुगतनी पड़ी है। हमारे वहां पहले काफी जंगल थे और इन जंगलों के होने से वहां पर बराबर वर्षा होती थी। कभी अकाल पड़ने का काम नहीं था। लेकिन जब से जंगल बर्बाद हो गये हैं तब से अकाल पड़ता जा रहा है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जंगलों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा की जाय। पहले जंगल ठेके पर दिये जाते थे। ठेकेदारों ने उनको अधिक काट लिया और उस लकड़ी के अलावा दूसरी इमारती लकड़ी को भी कूप में डलवाया जिससे जंगल बरबाद हो गये। डूंगरपुर जिले में सागवान बहुत अच्छा होता है और अगर सागवान की रक्षा की जाय तो यह इमारती लकड़ी काफी राज्य को मिल सकती है और किसानों को भी मिल सकती है। हमारे वहां काफी सागवान की लकड़ी अच्छी से अच्छी मौजूद है। वह लकड़ी कई तरह से इधर उधर रिश्वत के रूप में ट्रक के ट्रक गुजरात में जाकर बेच दी जाती है। एक ट्रक का पास दिया जाता है और दस ट्रक लकड़ी के लोड होकर रात को चले जाते हैं। इसकी रोक होनी चाहिए। जंगलात विभाग इसके प्रति उदासीन है और जंगलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जंगलात के जो कर्मचारी हैं, उनमें गार्ड से लेकर रेंजर और रेंजर से लेकर फारेस्ट इन्सपेक्टर, फारेस्ट अधिकारी—ये सब के सब मिले हुए रहते हैं और यह लकड़ी उनकी मिली

(श्री महेन्द्र कुमार)

भगत से न मालूम किस तरह से बाहर चली जाती है। हमारे वहां के लोगों को इमारती लकड़ी नहीं मिलती है, खेतों के लिए लकड़ी नहीं मिलती है, गुजरात की तरफ यहां की लकड़ी चली जाती है सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार जो लकड़ी यहां से गुजरात की तरफ चली जाती है उसको रोकना चाहिए।

हमारे यहां सन् 1955-56 में डिमार्केशन लाइन डाली गई थी वह आज तक नहीं हटाई गई है। उसके अन्दर किसानों की काबिल काश्त जमीन आ गई है उनके खेत के किनारे सागवान के वृक्ष होने के कारण उन लकड़ियों को देखकर जबरदस्ती डिमार्केशन लाइन डाल दी गई। वह नहीं रहनी चाहिए उसके कारण वहां के किसान तबाह हो गये हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने जंगल में अपने मकान बना लिये हैं सरकार की तरफ से उनको हटाने के आदेश भी दिये गये हैं, जो उचित नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा वे मकान नहीं गिराने के आदेश दिये जायें।

इसके साथ-साथ डूंगरपुर जिले में कई आदिवासी मैट्रिक, बी० ए०, एम० ए० पास किये हुए लड़के इधर उधर बेकार फिर रहे हैं उन लड़कों को सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दिलवायी जानी चाहिए और उन लड़कों को ट्रेनिंग के बाद फोरेस्ट गार्ड, रेन्जर, डी० एफ० ओ० आदि पदों पर लगाया जाना चाहिये क्योंकि वे जंगल में रहते हैं इसलिये जंगल की रक्षा वे अच्छी तरह से कर पायेंगे उनको वहां का अनुभव है। लेकिन इस तरफ सरकार का कम ध्यान है। वहां के आदिवासियों को केवल अध्यापन कार्य की ट्रेनिंग दी जाती है फिर भी उनका अध्यापकों में नम्बर नहीं आता है। ऐसे कई आदिवासी बेकार फिर रहे हैं जिन्होंने दो साल की ट्रेनिंग भी ले ली लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इसलिए इनको जंगलात की ट्रेनिंग विभाग की तरफ से मिलनी चाहिए।

इसके साथ-साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा सरकार की तरफ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में जितने जंगल हैं उनकी रक्षा के लिये पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जंगलों की रक्षा हो सके और जो वहां सागवान है उसकी सुरक्षा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में इतना सागवान है जो सारे राजस्थान की आवश्यकता को पूरी कर सकता है। इन जंगलों में बांस भी काफी हैं, कई लोग उनको काट काट कर ले जाते हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। इससे हमारे राजस्थान के आदिवासी किसानों को लाभ मिलेगा। इसका वर्षा पर भी असर पड़ेगा और जंगलों के अन्दर पत्तियों से खाद मिलेगा अनाज ज्यादा पैदा होगा किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जब जनसंघ के माननीय नेता बोल रहे थे उन्होंने चर्चा चलाई कि राज्यपाल महोदय जो हमारे राज्य के वैधानिक अध्यक्ष हैं उनका खर्चा पिछली साल के बजाय जो चार लाख था उससे बढ़कर छः लाख हो गया है।

(2.44 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति पदासीन)

Page No 107

(श्री नत्थीसिंह)

सभापति महोदया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी पूरे हिन्दुस्तान में एक अरसे से मांग करती चली आ रही है और हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाय। आज से दो साल पहले इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। इन दो सालों के अन्दर हालात में तब्दीली आगई और सब ओर से इस की मांग की जा रही है कि हमें इसके लिये हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन लाना चाहिये और राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाना चाहिए। आखिर क्या उपयोग है इस पद का? जिस पर हम 6.38 लाख रुपया इस पद के लिये खर्च करें। सिवाय इसके कि केन्द्र के इशारे पर वह एक तरह से काम करे। एक राज्य में और दूसरे राज्यों में दूसरी तरह से उनके इशारे पर काम करे। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि राज्यपाल एक कोन्स्टीट्यूशनल हैड हैं। यह सब मानकर चलते हैं जो यह एक सेरीमोनियल हैड है इसको बनाये रखना इस समय में क्या तुक है? इसलिये मैं अर्ज करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से वे हिम्मत के साथ आगे आयें, वैसे राजस्थान ने हिन्दुस्तान को लीड दिया है इस मामले में भी उनको लीड लेना चाहिये और संविधान में संशोधन लाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि इस पद की गरिमा इस पद पर रहने वालों ने स्वयं ने नष्ट कर दी है। इसको समाप्त कर 6.38 लाख का खर्चा कर रहे हैं उसको बचाकर अन्य कामों में उसको व्यय किया जा सकता है।

हमारे मुख्य मंत्री किसी भी बात के लिये यश अर्जन करने में काफी पटु रहे हैं। विकेन्द्रीकरण के मामले को लीजिये ऐसे और भी मामले हैं जिनके कारण उन्होंने नाम कमाने का प्रयत्न किया है। इसलिये वे इस काम में भी नाम अर्जन करने में महरूम न रह जायं। अगर हिन्दुस्तान के मौजूदा वातावरण में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन में जो जंग लग गया है उसको हटाने के लिये क्रान्तिकारी रूप से हमें कोई न कोई कदम उठाना चाहिये उसमें राज्यपाल के पद की समाप्ति बहुत जरूरी है। इसमें आत्म निरीक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के प्रशासन को सात मंत्रियों से चलाया जा सकता है वहां 37 मंत्रियों की फौज रखकर आप क्या सुधार कर रहे हैं? उधर से माननीय मूलचन्द डागा कह रहे थे एक एक मंत्री को एक एक जिला सौंप देना चाहिये। सभापति महोदया, मंत्रियों की जो संख्या बढ़ायी गई है उससे प्रशासन पंगु हो गया है। पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जिला भरतपुर में कितने मंत्री गये, कितने मंत्रियों को कितना टी० ए०, डी० ए० मिला और उनके पीछे कितना सरकारी अमला रहा, उस पर क्या खर्चा हुआ वह लिस्ट सदन में आ गई है। इन मंत्रियों के दौरे के कारण सारा जिला प्रशासन एक तरह से ठप्प हो जाता है आये दिन ये आते जाते रहते हैं आपके यहां से सरकुलर भी निकला है कि कलेक्टर और एस० डी०ओ० को मंत्रियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस सरकुलर के बावजूद भी मंत्रियों की इच्छा होती है कि उनका महत्व तभी है जब कि आगे पीछे उनके अधिकारी रहें। श्री शिवचरणजी माथुर सिर हिला रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कुछ दिनों पहले वे लाखन गांव कुम्हेर पधारे थे आयोजकों ने इस बात की बहुत कोशिश की हरेक विभाग का अधिकारी उनके पास आये। आपके पास किस किस

(श्री नत्थीसिंह)

विभाग के अधिकारी आये थे। हर मंत्री चाहता है कि उनके पीछे अधिकारी फिरते रहते हैं तो उनका रोब–दाब रहता है, जिला प्रशासन भी उनके रोब–दाब को माने। वे इस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर जनता में रौब डालना चाहते हैं। अब वह वक्त आगया है हिन्दुस्तान में धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन हो रही है। मुख्य मंत्रीजी शायद आपको यह शंका नहीं होगी कि आपका राज्य भी जल्दी बदल दिया जायगा। आप मंत्री भी कम कर देंगे तो यहां चौधरी चरणसिंह, गोविन्द नारायणसिंह बनने वाला नहीं है। (श्री गोकुलप्रसाद से) श्रीमान पंडितजी आप तो हो नहीं सकते आपमें यह हिम्मत नहीं आप मांडल से चलकर बीकानेर के भुजिये और चपाती में मस्त होगये। इसके सिवाय आपको ध्यान हीं नहीं क्या करना है? आपसे किसी को खतरा नहीं। आज आपके सामने मुख्य मंत्री जी मौका है 37 की बजाय आप सात ही रखलें। अगर उस पर खतरा भी हो जाय आपका मंत्री मंडल गिर जाय तो आप शहीद हो जायेंगे। आपने बहुत काम किये इस काम को भी करिये दो ढाई तीन वर्ष की बात है। इसके बाद जो इतिहास लिखा जायगा आपका सही इतिहास लिखा जायगा कि आपने प्रशासनिक स्वच्छता लाने के लिये, शासन में मितव्ययता लाने के लिये हिम्मत दिखाई और मंत्रियों की संख्या में कमी कर दी।

अभी एक विधायक बोल रहे थे जो इधर से बदल कर उधर बैठ गये। ऐसे लोगों के कारण ही आज का प्रजातंत्र खतरे में है। इन दल बदलुओं ने समाज में नैतिकता को गिराया है। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय सदस्य के दल बदलने की बात जब मैं गया में था मुझे मालूम पड़ी। एक समाजवादी पार्टी के विधायक का अपहरण कर लिया गया। इनको न तो मंत्री पद ही मिला न उनको और कुछ ही मिला केवल मात्र उनके कहने से कुछ अध्यापकों का तबादला कर दिया एक्सटेन्शन ऑफिसर और बी० डी० ओ० को बदल दिया गया, इससे ही वे सन्तुष्ट होगये और दल बदल कर लिया। आज जिस तरह की राजस्थान की हालत है उन हालतों को मद्देनजर रखते हुए आपको सोचना होगा।

अभी कांग्रेस पक्ष में बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने एक बात कही। जिलाधीश महोदय गांव के लोगों से नहीं मिलते। माननीय श्री मूलचन्दजी डागा को भी शिकायत थी। पर वे वकालत करते हैं इसलिये हिम्मत से नहीं कहते। वकालत नहीं करते तो उनकी आत्मा बलवती होती। चूंकि वकालत करते हैं इसलिए सही बात सदन में कहने से कतराते हैं।

पर स्थिति यह नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आज जिलाधीश के पद की कोई आवश्यकता रह गई है। हमें फिर से सोचना पड़ेगा और जिले से जिलाधीश का पद समाप्त करना पड़ेगा। आपको यह भी कहना पड़ेगा कि राज्यपाल की जरूरत नहीं है राजस्थान में। मन्त्रिमण्डल पर ही जब सारा भार है वही राज्य शासन चलाता है तो इस सुपरफ्लूअस पद की आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह से जिला प्रशासन के बारे में भी आपका फैसला लेना पड़ेगा। अगर नागौर में स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू को लाकर विकेन्द्रीकरण के प्रति अपनी

(श्री नत्थीसिंह)

निष्ठा को आपने जताया है तो उसी निष्ठा से आपको यहां जिला प्रशासन में काम लेना होगा हालांकि इस पंचायत राज में आज आपकी कोरी शाब्दिक निष्ठा मात्र रह गई है। क्रियात्मक रूप से तो आज ये संस्थायें मृतप्राय हैं। तो आज के आपके जिलाधीश की जगह जिला प्रमुख होगा जो जिले की जनता प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन कर भेजेगी। वही उत्तरदायी होगा जिले की हलचल के लिये। वह जिले का सारा शासन देखेगा और सीनियर आई० ए० एस० ऑफीसर सचिव होगा उस प्रशासन का। जिले के सारे विकास का काम जिला प्रशासन के सुपुर्द करना चाहिए। जब तक आप ऐसा क्रान्तिकारी निर्णय लेते नहीं तब तक आप जनता को स्वच्छ प्रशासन दे नहीं सकते।

इसके साथ साथ हिम्मत से यह भी सोचना पड़ेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आप सोचें। प्रशासन तन्त्र को सही करने की बात अगर सोचते हैं ? आज क्या इन पंचायत समितियों की कोई उपयोगिता रह गई है ? मेरा दावा है कि 232 ही की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। इनको एक साथ तोड़ देना चाहिएं। जिला प्रशासन को सक्षम बनाने के लिये जिला प्रमुख को और नगरपालिकाओं को नगर का प्रशासन ठीक करने के लिये सक्षम बनाया जाना चाहिएं उनको अधिकार देने चाहियें। आज तो हालत यह है कि ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है, और न्याय पंचायत के मेम्बर यह कहते हैं कि पता नहीं हमारा पद कब तोड़ दिया जावे।

सारे हिन्दुस्तान में आज कांग्रेस की बधिया बैठ गई है। सन् 67 के बाद तो उसकी कमर टूट गई है, मूलभूत क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की नीति अपनाने की वह हिम्मत नहीं करती। और जबतक यह हिम्मत कोई नहीं करेगा तब तक देश को स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन दिया नहीं जा सकता।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं जो बहुत कही गई है। खास तौर से अपने देश में जो आज प्रशासन तन्त्र चल रहा है उसके बारे में माननीय सदस्य प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के नाम पर कह रहे थे कि आई० ए० एस० और आर० ए० एस० अफसर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यह भी दुर्भाग्य है। बाबू की भरती की जानी चाहिये, सरकारी नौकरियां उनको मिलनी चाहिये। यह राज सरकार और केन्द्रीय सरकार ने इन कलम घिस्सुओं की फौज इकट्ठी कर रक्खी है इसमें एक साथ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यह हिम्मत करनी ही होगी। इसके बगैर बदलाव नहीं आवेगा। रोज रोज बाबू भरती करते हैं अफसरों के नाम पर चाहे क्लर्कों के नाम पर। ये आज हमारे प्रशासन तन्त्र पर भार हो गये हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि कौनसा सरल, स्वच्छ और त्वरित गतिशील प्रशासन तन्त्र कायम किया जाय जिसमें कलम घिस्सू ये लोग कम से कम हों और उत्पादन बढ़ाने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा हों। रोजगार भी दें तो वहां भी भूमि सेना बन सकती है, दूसरे संगठन हम कायम कर सकते हैं। आज तो केवल बाबूगिरी रह गई है। हमारे वित्त मंत्री महोदय आज आंकड़ों की जगलरी द्वारा कह सकते हैं कि यह काम कर लिया वह कर लिया। पर इस कलम घिस्सू फौज के रहते वे कुछ मितव्ययता नहीं कर पावेंगे। किसी न किसी तरह लोगों को रोजगार मिल जावे यह नहीं कर पावेंगे।

(श्री नत्थीसिंह)

मुख्य मंत्री महोदय, आज राजस्थान का दुर्भाग्य है, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि कोई भी सर्विस आप ले लें उसमें रहने वाले लोगों की न्यायपूर्ण सही पदोन्नतियां अगर हुई हैं तो हाई कोर्ट में गये बिना एक का भी निर्णय नहीं हुआ है उचित और न्याय पूर्ण तरीके से । आप इन्जीनियरों को ले लीजिये, कोआपरेटिव विभाग को ले लीजिये किसी भी दूसरे विभाग को ले लीजिये वहां के लोग अदालतों की शरण लेते रहे हैं। आपके हाथों से न्याय उनको मिलता नहीं है । यह जो आप एक पर्टीक्यूलर व्यक्ति को अपने सामने रखकर आप नियम वगैरह बनाते हैं पदोन्नतियों के और दूसरी बातों के तो आपके इस मापदण्ड को जब तक बदला नहीं जावेगा तब तक निश्चित रूप से प्रशासन में आज की हालत में भी भ्रष्टाचार मिट नहीं सकेगा । इसके लिये अगर कोई उत्तर-दायी है और होगा तो यह आपका मन्त्रि-मण्डल रहेगा । उनमें आपके इन तरीकों के कारण बड़ा रोष व्याप्त है । आप कहते रहते हैं कि सर्विसेज आपके प्रति निष्ठा रखती हैं, आपके इशारों पर नाचती है यह बात तो दूसरी है । पर यह जो मन्त्रियों की फौज आपने इकट्ठी करली है उस पर से उनका विश्वास उठ गया है । इनसे उनको हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं ये कानाफूसी करके उनका ट्रान्सफर न करा दें । और बातों का उनको इनसे डर नहीं है । निष्ठा कतई नहीं है । मुझे याद है जब आप अधर में झूल रहे थे सात मार्च से पहले जब यहां राष्ट्रपति शासन की परछाइयां पड़ रहीं थीं तब बड़े बड़े अधिकारीगण यह मनौती मना रहे थे कि इस 14 वर्ष के तथाकथित प्रगति-शील राज्य से उनको कब मुक्ति मिले । जिस प्रशासन में ऐसी भावना आ जावे तो यह आपके लिये भी और राज्य के लिये भी दुर्भाग्य की बात है । जब जनतन्त्र खतरे में हो तो हमें देखना होगा कि सरकारी सेवाऐं कितने प्रहारों को बर्दाश्त करने की ताकत रखती हैं उसका ढांचा कितना मजबूत है । लोकतन्त्र का खात्मा हो सकता है अगर यह प्रशासन लड़खड़ा गया तो । तो सही तरीके से प्रशासन चले इसके लिये वे निष्ठा और ईमानदारी से काम करें इसके लिये उन पर भी अंकुश लगाने का किसी तरह का प्रबन्ध आप करें ।

मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय हमारे देश में राजस्थान प्रदेश में चरागाहों का प्रश्न आता है, सिवाय चक का प्रश्न आता है, कभी दूसरी शहरी आबादी का प्रश्न आता है, मैं कई ऐसे अफसरों को जानता हूं जो बहुत ऊंचे कैडर के नहीं थे । तहसील-दार और नायब तहसीलदार के रेंक के थे । दफा 18 के नाम पर पहले तो लोगों से उन जमीनों पर नाजायज कब्जा गैर कानूनी तरीके से करा दिया और इस बिना पर उनके नाम नोटिस आदि जारी किये गये और बाद में खुद ही पैरवी करके उनके सबको सही कर दिया । इन कामों में एक एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने जिनको आपने ये अधिकार दिये थे हजारों लाखों रुपया बनाया । दो चार के नाम तो आपकी तरफ के लोगों को भी याद हैं। आखिर यह लूट कबड्डी क्यों ? सरकारी अधि-कारियों पर जिम्मेदारी डालनी चाहिये इसका अंकुश रखना चाहिये कि सरकारी अधिकारियों का यह कर्त्तव्य मानकर वे चलें कि जो सरकार की प्रापर्टी है वह समाज का धन है, सम्पत्ति है उसका अगर अनधिकृत कब्जा होता हो, मिसयूज होता हो कहीं तो

(श्री नत्थीसिंह)

वह उसको पूरी ताकत से बचावें। तो इन मामलों में उन सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिये निश्चित रूप से व्यवस्था करनी चाहिये।

जब हम लोक आयुक्त और लोकपाल की बात करते हैं तो यह समझ कर करते हैं कि विधान सभा के सदस्यों पर भी यह लागू हो कि कहीं उन्होंने तो भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर वे भ्रष्ट नहीं हैं तो उनको किस बात का डर है। इसी तरह सरकारी अधिकारियों पर भी कठोर नियन्त्रण होना चाहिये।

पर आप यह न करें कि आयोग ने रिपोर्ट दे दी और फिर कह दिया कि इसको मानने को हम बाध्य नहीं हैं। यह दूसरी बात है कि उस पर आपके चव्हाण साहब ही आपको यह कह दें कि इस तरह का वक्तव्य जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दे सकता। पर सरकारी अधिकारियों को भी अंकुश में रखने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। आप लोक आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति से कतराते हैं। कतराना नहीं चाहिये। देश को इसकी इस व्यवस्था की जरूरत है। आज देश में इस बात की जरूरत है कि देश में कोई भी मनोनीत या चुना हुआ अधिकारी हो या सेवारत अधिकारी हो उसके बारे में सही तौर से यह कहा जा सके कि इसका आचरण सही है। एक अधिकारी जो सबसे ऊपर हो वह सबके आचरण की जांच कर सके। इसमें उनकी भी सुरक्षा है और समाज में सही माप दन्ड बन सके, इसकी भी आवश्यकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आखिर कार कई बार घोषणायें करते हैं सरकार का पैसा खर्च होता है। सभापति महोदय, इस सदन में रेवेन्यू लाज कमीशन बनाये उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके बाद क्या कारण है निश्चित नहीं कर पाये, उसको लागू नहीं कर पाये? कौनसी दिक्कत है जो बार बार इधर उधर करते हैं। इससे खतरा होता है। इधर बैठने वाले कहते हैं सीलिंग लागू करें उसको ठरकाते हैं, रेवेन्यू लाज कमीशन बनाये ठरकाओं, हरिश्चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट आई, ठरकाओं सादिक अली साहब की रिपोर्ट आई पंचायती राज में कोई सुधार हो, ठरकाओं और राज्य की गाड़ी खींचते चले जावें यह ठकराओं वाली बात आपकी कब तक चलेगी? इससे जनतन्त्र शुद्ध नहीं हो सकता है। आपको फैसले लेने होंगे और स्वस्थ और शुद्ध फैसले लेने होंगे। जब तक आप इस तरह के फैसले नहीं लेंगे तब तक सच्चरित्रता आ नहीं सकती। जो रिपोर्ट आती है उसको निश्चित अवधि के अन्दर फैसला लिया जाना चाहिये और क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

अभी एक बात कही जा रही थी रेवेन्यू बोर्ड के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं दो निर्णय लेने चाहिये। बहुत दिन हो गये यह आम धारणा है रेवेन्यू बोर्ड स्वतन्त्र संस्था मान लें, ऐसी कोई धारणा नहीं है। एक मंत्री महोदय से बात हुई। मुख्य मंत्री महोदय कोआपरेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की बात हो रही थी कि कोआपरेटिव ट्रिब्यूनल में जज होना चाहिये, सेसन जज या कोई हाई कोर्ट का जज होना चाहिये। उस समय कापरेटिव के जो मंत्री थे उन्होंने झट से कह दिया क्या हमारे टेलीफोन जजों के यहां पर नहीं चलते हैं? यह सही है कि आपके टेलीफोन जजों पर चलते हैं लेकिन जो आपका एक्जीक्यूटिव ऑफिसर है उस पर आपके 65 प्रतिशत टेलीफोन चलते हैं और जजों पर 35

(श्री नत्थीसिंह)

प्रतिशत चलते हैं केवल 30 प्रतिशत पर हम कहते हैं कि ज्यूडीशियरी में जावो। आज इतना ही मारजिन रह गया है। अगर यह 30 प्रतिशत नहीं रहा तो लोकतन्त्र समाप्ति की ओर बढ़ जायगा। आपको एक फैसला लेना चाहिये—रेवेन्य बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है राजस्थान में। रेवेन्यू बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिये और राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच को बढ़ाकर हाई कोर्ट में ही रेवेन्यू के अन्तिम फैसले हों इसकी आवश्यकता है। जो खर्चा करते हैं वह व्यर्थ का खर्चा है। आप रेवेन्यू सेक्रेटरी के जरिये चाहे तहसीलदार का ट्रांसफर हो, चाहे प्रोमोशन का मामला हो वह रेवेन्यू विभाग के द्वारा कर सकते हैं। रेवेन्यू बोर्ड को बीच में लेने की जरुरत नहीं है। हाई कोर्ट के सम्बन्ध में एक बात हो रही थी जजों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कि जिस प्रदेश में, जिस राज्य में जो जज बनाया जा रहा है वह उस राज्य का निवासी नहीं हो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे यहां, बहुत ईमानदार भी हैं लेकिन हिन्दुस्तान में एकता की भावना से, एकीकरण की भावना से और दूसरे हिन्दुस्तान में कोई किसी पर शक नहीं कर सके इसलिये यह फैसला लिया जाना चाहिये कि राजस्थान के लोग मद्रास हाई कोर्ट में जज हो सकते हैं और मद्रास राज्य के लोग हमारे यहां जज हो सकते हैं। ऐसा फैसला लिया जाना चाहिये। अगर इस तरह की प्रथा नहीं चलेगी तो जुडीशियरी में जनता की आस्था नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि जुडिशयरी की तरफ लोग आंख न उठा सकें, अंगुली न उठा सकें तो उनको नियुक्ति के सम्बन्ध में और योग्यता के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगायें और यह फैसला लें।

मुख्य मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं जब मैं बजट पर बोल रहा था और मैंने कोआपरेटिव की बात कही तो तपाक से मुख्य मंत्री जी उठे और कहा कि कोआपरेटिव में आपको जो तकलीफ हो रही है उसको हम जानते हैं लेकिन क्या करें सियासी लोग घुस आये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट में ये सियासी घुस आये तो आपको तकलीफ नहीं है? राजनीति में काम करने वाले आदमी जब तक हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते जब तक कि जूडिशियरी भी चुनी हुई न हो, मनोनीत शब्द हटा दिया जाय तब बेशक हम राजनीति में काम करने वाले लोगों को हाई कोर्ट में भेज सकते हैं, चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा हो लेकिन तब तक राजनीति में काम करने वाले लोगों को ज्यूडीशियरी में नहीं जाना चाहिये। राजनीति से परे रहने वाले ही हाई कोर्ट में जाने चाहियें देश में इस तरह के लोग जो जनतन्त्र में अपनी आस्था रखते हैं उनको आप सुदृढ़ करने के बजाय उनकी आस्था को ढीला कर रहे हैं। इस तरह से आप लोकतन्त्र जनतन्त्र की समाप्ति करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो आजादी लेने की कुर्बानी का काम किया है उनके दिलों में बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर इस देश से लोकतन्त्र लोप हो गया तो सारे एशिया में लोकतन्त्र का नाम नहीं रहेगा। आज जो लोकतन्त्र की संस्थायें खड़ी हैं उनको हम कमजोर नहीं होने दें। कमजोर होने के आपके जो घिसेपिटे विचार हैं उनसे आपको चिपटा नहीं रहना चाहिये। शुरू में आपको सब विचार अटपटे लगते हैं लेकिन उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

एक बात मैं जो कहना चाहता था मुख्य मंत्री जी को वह यह है कि आखिर कार अभी

(श्री नत्थीसिंह)

कुछ लोग कह रहे थे साढ़े दस बजे और पांच बजे की समय की बात है। वह आपका पूरा दोष नहीं है, इसके लिये आपका संघ दोषी है। आप आस्ट्रेलिया गये वहां टाइम का मामला ऐसा है कि लन्च अवर का ब्रेक होना चाहिये, वह आपने कर दिया लेकिन मैं निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लन्च का ब्रेक शिड्यूल टाइम पर नहीं होता है। तीन से पांच बजे तक के बीच में तमाम ऑफिसर एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। चार बजे तक भी चाय चलेगी और साढ़े चार बजने लगी तो दफतर में जाकर कागजों को इधर उधर करके घर चले जाते हैं। कई बार इस सदन में बात उठी लेकिन कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। अब गर्मियां आ रही हैं जो लोग वकालत का काम करते हैं वे जानते हैं इस राज्य में दो तरह के नियम चलेंगे। हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करने वाली कचहरियां 7 बजे खुलेंगी और 12 बजे उनका समय समाप्त हो जायेगा और आपकी जो एक्जीक्यूटिव कार्यालय हैं चाहे वह कलेक्टर का हो, चाहे एस० डी० ओ० का कार्यालय हो साढ़े दस बजे खुलेगा और 5 बजे तक चलता है। जिस आदमी को दोनों तरफ काम करना पड़ता है वह बेचारा तो 7 बजे से शाम को 5 बजे तक टंगा रहेगा। वकालत करने वालों को तो परेशानी है ही लेकिन गांवों से जो लोग आते हैं उनके लिये यह और भी मुश्किल हो जाती है। 7 बजे से 5 बजे तक वह बेचारा लटका रहेगा इसलिये कोई भी समय ऐसा नहीं होना चाहिये। मुझे मालूम है राज्य सरकार का सरक्यूलर निकला है एक बजे तक सारा कामकाज कचहरियों का बन्द कर देना चाहिये लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कभी काम बन्द नहीं होता है और 5 बजे तक घसीटते चले जाते हैं। इसलिये यह असंगति आ रही है। इस सेसन में यह नहीं रहेगा।

एक बात सामान्य प्रशासन विभाग के बारे में बता रहा हूं सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा वह यह कि कम से कम वे अपने दल के कमजोर लोगों की बात को सुनें। वे दल के कमजोर लोगों की बात को नहीं सुनते हैं। धौलपुर के एक सदस्य मांग कर रहे थे और मांग यह कर रहे थे कि धौलपुर में जिला होना चाहिये हम उसका समर्थन करते आये हैं आज भी धौलपुर के लिये कहते हैं कि उसको

(3.10 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

जिला बनाओ। एक तो हमारे धौलपुर के उप-मंत्री बैठे हुये हैं उनके तो आपने गले में पट्टा बान्ध दिया है वे तो जिले की बात कह नहीं सकते। उनको तो बेचारों को आपके प्रशासन में चलना है, वे तो रह गये। एक दूसरे हैं बनवारी लाल जी वे भी यदा कदा कहते हैं। वे जब बोलते हैं तो व्यास जी महाराज उनको आंख दिखा देते हैं और जब बनवारी लाल जी ने उनकी आंख देखी तो चुप हो गये लेकिन जनता को इस तरह आंख दिखाने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ आप बूंदी को जिला बना सकते हैं तो कोई कारण नहीं, धौलपुर को जिला नहीं बनायें। अपने कमजोर दल की बात को अवश्य सुनें और जो उनका औचित्य है उसको आपको मानना चाहिये।

आज वह यह महसूस करते हैं कि उनकी बात की सुनवाई नहीं होती। अगर आपके दल में सुनवाई नहीं करें-हम तो खैर आजाद हैं हमारी बात आप यहां नहीं सुनेंगे तो हम चौराहे पर जाकर भी सुनायेंगे। आप कभी

(श्री नत्थीसिंह)

हमारे यहां जाओगे तो हम काले झन्डे लेकर आपका स्वागत करेंगे लेकिन वह गूंगे और मूक हैं। पार्टी मीटिंग में कहें कोई जवाब नहीं, यहां कहें कोई जवाब नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो गरीब लोग आपकी पार्टी में हैं उनकी बात का भी आप जवाब दें और जवाब दें तो संतोषजनक।

एक बात मैं वन विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं और वह मेरे जिले की बात है। वन मंत्री जी गायब हैं अगर वह मेरी बात को सुन भी लेते तो भी एक घन्टे में जवाब नहीं दे सकते थे। हमारे यहां केवलादेवजी का सुरक्षित वन है और वहां पर दूर दूर से चिड़ियां आती हैं। उनकी सुरक्षा हो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि जब आप घना में आये होंगे तो आपने देखा होगा कि उससे लगा हुआ क्षेत्र है जहां सिंचाई होती है। वहां के किसानों पर अन्याय है कि उनके खेतों में जंगली जानवर आ जाते हैं और काफी नुकसान कर जाते हैं और वह उन जंगली जानवरों को मार भी नहीं सकते हैं। आपका वन विभाग कभी इसका इन्तजाम नहीं करता कि इस तरह भी सीमा बनायें, कोई पक्की मेड़ बनायें जिससे कि यह जानवर किसानों की फसलों को नहीं उजाड़ सकें। अगर कोई किसान इन जानवरों के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ जरूर केसेज बनाये जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर हालत में वह इस तरह के वन्य पशुओं से किसानों की फसल को नष्ट होने से बचाये।

अब मैं थोड़ा यातायात कर के संबंध में कहूंगा। आप दो बातों में से एक बात का फैसला कर लें कि या तो आप स्टाम्प लगायें या उनकी सीटिंग केपेसिटी पर निर्धारित रूप में टैक्स लगायें ताकि रोज रोज का भ्रष्टाचार मिटे। इसमें भारी भ्रष्टाचार है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में स्वच्छ प्रशासन लाने के लिए अगर आप आज इस स्थिति में हैं कि इस सदन के स्थगित होने तक आपको 6 महीने का समय लगेगा आम 37 में से 6 ही मिनिस्टर रखें लेकिन 6 महीने तक तो आपको कोई डिगाने वाला नहीं है और 6 महीने के बाद ऐसी हवा बनेगी कि शायद आपका खतरा टल जाये और मैं तो कहता हूं कि इसके लिए आपको शहीद भी होना पड़े तो मेरी राय है कि जरूर इस शहादत को ले लें। इससे आपका इतिहास में ऐसा नाम होगा कि उसमें यही होगा कि जब हिन्दुस्तान बिखर रहा था, सारे लोग फौज बढ़ाने में थे तो सुखाड़िया जी ने हिम्मत की कि उन्होंने नाथद्वारा मन्दिर में प्रण लिया कि मैं तो 37 को साफ करूंगा। इससे राजस्थान को ही नहीं अपितु सारे हिन्दुस्तान को सही दिशा में ले जायेंगे, ऐसी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह।

राजवी श्री रूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन में दो चीजें आई हैं। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक रेवेन्यू बोर्ड। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यहां पर आजाद हैं बोलने के लिए इसका हम कहीं दुरुपयोग न करें।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पब्लिक सर्विस कमिशन के मेम्बर्स और रेवेन्य बोर्ड के मेम्बर्स के लिए मैं यह आशा करूंगा कि यह सदन स्वीकार करेगा कि इसके संबंध में यहां बहस नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसलिए मैं इस प्रश्न को सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन का ध्यान रूल 272 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं "Mode of addressing House....."

"A member while speaking shall not......"

इसका नम्बर 5 है: "(v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;"

इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है.....

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा रूल कोट कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : रूल 272 सब-रूल (5)। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है:

"The words 'persons in high authority' mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn in erms to be approved by him."

दूसरे के संबंध में यह अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वह इस संबंध में निर्णय करें। मैं सदन से आशा करूंगा और अध्यक्ष महोदय से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम पब्लिक सर्विस कमिशन के मेम्बर्स और रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स–रेवेन्यू बोर्ड जो कि मेरा ख्याल है कि हमारे यहां की रेवेन्यू साइड में हाइएस्ट ओथोरिटी है उसके संबंध में डिसकस करें तब मांगों के बहस के दौरान इनको डिसकस करना उचित नहीं है और अगर कहीं करना भी है तो उसके लिए सब्सटेन्टिव मोशन जैसा स्पीकर महोदय एडमिट करें वह आना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव या आपत्ति रखी है उसके संबंध में मेरा विचार यह है कि यहां किसी के व्यक्तिगत चरित्र के विषय में चर्चा नहीं हो रही है। यहां हम जिन संस्थाओं के लिए धन का प्रावधान कर रहे हैं उनके फंक्शन पर चर्चा करने का हमें अधिकार है कि उनकी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, या कोई दिक्कतें हैं तो उन पर हम चर्चा कर सकते हैं और नियमों में कोई बाधा नहीं है। नियम इसके लिए कहीं भी रोक पैदा नहीं करते हैं। अगर किसी के व्यक्तिगत चरित्र के खिलाफ शिकायत होगी तो वह दूसरे नियमों के अन्तर्गत आयेगा इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता, यह मेरा आपसे निवेदन है।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सामान्य प्रशासन की कठिनाइयों के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा है। मेरी पहली मांग है वरिष्ठ अधिकारियों की पुनः नियुक्ति के बारे में। मेरा कहना है कि हमारे राजस्थान के अन्दर पढ़े लिखे आदमी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी

(राजवी श्री रूपसिंह)

राजस्थान सरकार ने तय किया था कि जब तक हमारी अनएम्पलायमेन्ट की समस्या खतम नहीं हो जाती हम रिटायर्ड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को फिर से नियुक्त नहीं करेंगे। इसके संबंध में मेरे से पहले श्री भैरोंसिंह जी ने भी कहा था। उन्होंने सरक्यूलर सन् 66 का हवाला दिया है वह बिल्कुल सही है। उस समय सरकार द्वारा यह तय हुआ था कि हम किसी को भी एक्सटेन्शन नहीं देंगे और किसी को भी री-एम्पलॉय नहीं करेंगे लेकिन बाद में मुख्य मंत्री जी ने किन्हीं मुलाजिमान को प्रोवाइड करने के लिए जिन्होंने सर्विसेस के पीरियड में गवर्नमेन्ट को या चीफ मिनिस्टर को ओब्लाइज किया उनको खुश करने के लिए रूल्स में अमेन्डमेन्ट तो नहीं किया लेकिन जानबूझ कर उनको आगे सर्विस में कन्टीन्यू कराया गया है। यह तरीका गलत है। कुछ आई० ए० एस० व आई० पी० एस० ऑफिसरों का री-इम्पलायमेन्ट किया है। अभी नाहर साहब ने आब्जेक्शन किया था कि रेवेन्यू बोर्ड व पी० एस० सी० के मेम्बर्स को क्रिटीसाइज करना गलत है। क्योंकि यह उनके अपाइन्टमेन्ट का सवाल है। मेरा मत है कि हम उनके अपाइन्टमेन्ट के बारे में कहते हैं इसलिये ला में ऐसा कोई बार नहीं है कि हम उनके अपान्टमेन्ट को क्रिटीसाइज न कर सकें। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि आपने ऐसे ऐसे आदमियों को फर्दर एम्पालॉयमेन्ट दिया है कि जो न्याय और इन्साफ करने के काबिल नहीं हैं। जिन आई० पी० एस० और आई० ए० एस० ऑफिसर्स का अपाइन्टमेन्ट हुआ है वह कभी कभी इन्डीपेन्डेन्टली इन्साफ नहीं कर सकते हैं। उनको किसी का सहारा देखना पड़ेगा। इसलिये मेरा कहना है कि हाई कोर्ट के जज या किसी और जुडीशियल ऑफिसर को री-एम्पलायमेन्ट नहीं दिया जाय क्योंकि उनमें वीकनैस आ जायेगी। ऐसा करने से और वह कभी बेलाग इन्साफ नहीं कर सकेंगे। दोयम ऐसे अपाइन्टमेन्ट से पक्षपात और भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उनको री-एम्पलॉयमेन्ट नहीं दिया जाये। अगर आपको री-एम्पलॉयमेन्ट देना ही है तो आप सिर्फ आई० ए० एस० और आई० पी० एस० ऑफिसर्स को ही क्यों देते हैं दूसरे आर० ए० एस० और दूसरी सर्विसेस के आदमी जो रिटायर होते हैं उनको भी देना चाहिए। यह जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वह गलत तरीका है। यदि आप री-एम्पलॉयमेन्ट एक क्लास के ऑफिसर का करें तो री-एम्पलॉयमेन्ट दूसरी क्लास के ऑफिसर को भी देना चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन न हो।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेन्ट के सिलसिले में। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेन्ट के संबंध में राजस्थान सरकार की यह नीति रही है 1964 के पहले यह नीति रही है कि रिटायरमेन्ट होने के पहले जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेन्ट ली जाती है वह साधारणतया रिफ्यूज नहीं की जाती थी। उसका कारण यह था कि जिस मुलाजिम को प्रोमोशन मिलता है उसको प्रोमोशन 6 माह के लिए बन्द हो जाता है और जिसको रिटायर करना पड़ता है उसको 10-15 हजार रुपये तनख्वाह के रूप में गवर्नमेन्ट को ज्यादा देने पड़ते थे वह रिटायर होने से पहले उस मुलाजिम का काम में इन्ट्रेस्ट भी नहीं रहता है। उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि उसको रिटायर होना है। इसलिए यह डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया कि रिटायर होने वा

(राजवी श्री रूपसिंह)

मुलाजिम की लीव रिफ्यूज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन एक्स-चीफ सेक्रेटरी भगवत सिंह जी को फायदा पहुंचाने के लिए यह क्वेश्चन खड़ा हुआ, और उनकी लीव रिफ्यूज की गई। इसके बाद से जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट चीफ मिनिस्टर के कृपापात्र हैं उनकी लीव रिफ्यूज की जाती है और बाकी की नहीं की जाती है। अगर लीव रिफ्यूज करना है तो सबकी करके सब के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यदि आप आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की लीव रिफ्यूज करते हैं तो आपको साधारण गवर्नमेंट सर्वेन्ट की लीव भी रिफ्यूज करनी चाहिए ताकि वही एडवान्टेज उनको मिले जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० को मिलता है

एक बात मुझे सीलिंग ऑफ मंत्री की बाबत कहना है। राज्यपाल महोदय के भाषण के वक्त में भी मैंने यह अर्ज किया था कि राजस्थान की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है और उनकी तनख्वाहों और टी० ए०, डी० ए० पर बहुत ज्यादा खर्च होता है जैसा कि भैरोंसिंह जी ने बयान किया है। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होते हुए भी......

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से निवेदन करें कि वे जोर से बोलें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। मैं कहूंगा तो नाराज होंगे।

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपमंत्रीजी को जवाब थोड़े ही देना है। जवाब तो मुख्य मंत्री जी देंगे। वे बहुत होशियार हैं जवाब देने में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा जोर से बोलें।

श्री नत्थीसिंह : नोट लेने वालों को तकलीफ हो रही है जरा जोर से बोलें।

राजवी श्री रूपसिंह : मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त कहा था, और आज भी यह अर्ज कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर 184 का हाउस है और आल पार्टी की राय के मुताबिक हाउस की स्ट्रेन्थ के अनुसार वन-टेन्थ की मिनिस्ट्री होनी चाहिए यानी 18 ज्यादे से ज्यादा मिनिस्टर होने चाहिएं। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आज जो हमारे यहां मिनिस्टर हैं वे अक्सर टूर करते रहते हैं। हमारे यहां फैमीन है और उससे बहुत ज्यादा खर्च होता है। फाइनेन्शली बेन्क्रप्ट हो गये हैं इसलिए हम ज्यादा खर्चे का भार नहीं बरदाश्त कर सकते। इसलिए आल पार्टी कान्फरेन्स के डिसीजन के मुताबिक हाउस की स्ट्रेन्थ के मुताबिक हमारी वन-टेन्थ की मिनिस्ट्री होनी चाहिए।

अब दूसरी बात मुझे यह कहना है कि हमारे यहां 37 मिनिस्टर्स हैं उनमें से कुछ को छोड़ कर बाकी 15 से 20 दिन तक टूर में रहते हैं। उनका मतलब या तो यह है कि वो टी०ए०, डी०ए० कमावें, व लोगों के ट्रान्सफर्स करें व अपनी पार्टी का प्रचार करें। यह जो काम होता है वह ठीक नहीं है क्योंकि मिनिस्टर बनने के बाद वह मिनिस्टर फार ऑल पार्टीज होता है। इसलिये उसका फर्ज है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाये। तमाम पार्टियों के आदमियों को बुलाना चाहिए और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। मंत्री लोग एक कांग्रेस पार्टी के आदमियों से मिलते हैं और एक ही पार्टी का काम करते हैं। वे उनके आदमियों

(राजवी श्री रूपसिंह)

के ट्रान्सफर्स पर लगे रहते हैं। यह जो उनका काम है उसको बन्द किया जाना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि मंत्रियों को टूर पर तीन महीने में 6 दिन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और उसके अन्दर भी यह होना चाहिए कि वे किस काम के लिए गये और क्या काम किया, उसका नोट होना चाहिए। मंत्रियों को अपनी कान्स्टीटूएन्सी में साल में एक दिन के लिए सरकारी खर्च पर जाना चाहिए। अगर वो ज्यादा टूर करें तो अपने पैसे से करना चाहिए। जितने ज्यादा मिनिस्टर्स होते हैं उतने ही ज्यादा टूर्स होते हैं और वे जितने ज्यादा टूर्स करते हैं उतना ही ज्यादा टी० ए०, डी० ए० आता है। इसको रोका जावे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है और सामान्य प्रशासन की कठिनाइयों के बारे में मुझे अर्ज करना है और दूसरा वन के संबंध में जो राज्य की नीतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करना है।

मैं इससे पहले कि अपने विचार सदन के समक्ष रखूं, कुछ तथ्य सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। यहां बहस के दौरान में और जनरल डिस्कशन के दौरान में यह चीज सामने आई है कि जैसे कि राजस्थान सरकार में कोई प्रशासन नहीं है। इसके बारे में पता नहीं किसने क्या कहा। किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा। किसी ने कहा कि 15 वर्ष से कागजात गायब हैं तो इस प्रकार से किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसके पहले हम यह देखने का प्रयत्न करें कि राजस्थान राज्य के प्रशासन की क्या नीतियां हैं और क्या रूपरेखा है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में इस वक्त जो सचिवालय का प्रशासन है वह दो भागों में बंटा हुआ है। पहला तो है सैल सिस्टम और दूसरा है नोन सिस्टम। यह सैल सिस्टम इसलिए इन्ट्रोड्यूस किया गया था कि डिले बढ़ रही थी तो कुछ विभागों में सैल सिस्टम लिया गया। उसके बाद में सैल सिस्टम के कारण से उस विभाग में काम की तरक्की हुई है और नई कमेटियां मुकर्रर हुई हैं जो कि सुधार करना चाहती हैं। मेरा निवेदन यह कि राजस्थान सरकार की तरफ से इतनी अधिक तत्परता बरती जा रही है फिर भी उससे अधिक तत्परता बरती जानी चाहिए थी। राज्य में काम करने के बारे में हर क्लर्क और हर सेक्शन ऑफिसर का नार्म बना हुआ है, उसका प्रोफार्मा बना हुआ है। यदि उस नार्म और प्रोफार्मा के अनुसार काम नहीं किया गया तो दण्ड की व्यवस्था की गई है। यदि लेट आते हैं और पहली बार लेट आते हैं तो मौखिक वार्निंग दी जाती है, दूसरी बार लेट आते हैं तो लिखित में वार्निंग दी जाती है और तीसरी बार लेट आने पर एक दिन की केज्यूअल लीव काट ली जाती है। मैं यह इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर यह लेट चीज है कहां। किसी जगह पर तो यह होना चाहिए। जब इस बात को आप छेड़ते हैं और चारों तरफ से यह सुनाने का प्रयत्न किया जाता है कि शासन में कई खामियां हैं और कागज

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

25 दिन तक पड़े रहते हैं और इन कागजात को देखने वाला नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरीज और मंत्रीगण है उन्होंने क्या व्यवस्था उनकी कर रखी हैं उसके संबंध में थोड़ा सा समझ लें तो कठिनाइयों को जान लेंगे कि किन के द्वारा यह गड़बड़ हो रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेंट में एक नया सेक्शन खोला गया है। इस नये सेक्शन यानी आर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड्स सेक्शन की तरफ से एक क्लर्क का काम तय किया गया है, एक क्लर्क का नाम तय किया गया है, और कागज कहां कहां रूका है इसके बारे में जानकारी करने की व्यवस्था की गई है कि सेक्शन आफिसर उस हिसाब से इसके बारे में पता लगाये। किस तरह से वह आगे बढ़ा और कितने दिन एक जगह रहे यह सारी व्यवस्था है। इस सारी व्यवस्था के बाद में यह अनुभव करता हूं कि सदन के सदस्यों की जो यह अनुभूति है कि कागज गलत तरीके से निकलता है, पी०यू०सीज० पड़े रहते हैं तो कुछ ताज्जुब की बात है। अभी सचिवालय के मेडिकल सेक्शन में कुछ दिन पूर्व एपाइन्टमेंट के ओ० एण्ड एम० सेक्शन की तरफ से रेड हुआ था। वहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लगभग 1000 कागज पड़े हुए थे। इसी तरह से लन्च पीरियड के समय का मैं निवेदन करूं कि क्लर्क लोग, मिनिस्टीरियल स्टॉफ के लोग वहां लन्च टाइम के अतिरिक्त भी केन्टीन में जाकर बैठे रहते हैं। अभी एक-दो महीने की बात है कि हमारे उप-मंत्री जी जो नियुक्ति विभाग के हैं वे केन्टीन में गये उन्होंने वहां लोगों को बैठे हुए देखा। यह सब हो रहा है इसके बाद भी कहीं कहीं कठिनाई हुई है जैसे कि कागज रुके हुए थे मेडिकल डिपार्टमेन्ट में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटिक्स सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। राज्य के अन्दर जगह जगह सरकारी नौकरियों में आर०एस०एस० के लोग और जो दूसरी पार्टियां जो पार्टियां, जिस पार्टी का राज है उसके विरुद्ध चलाई जा रही हैं, वह लोग भरे हुए हैं। मैं सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उन की जांच करवायें....

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस का नाम भी ले लें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वास्तव में राज्य के विभागों में आर०एस०एस० के लोग फैले हुए हैं। वह संस्था को बदनाम करने के लिये डिले करते हैं। कागज पड़े रहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उनके प्रति दृढ़ता बरती जाये। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से इन्क्वायरी बिठाई जाये। दोषी पाये जाने पर उनको अधिक से अधिक दण्डित किया जाये। तब जाकर यह शासन व्यवस्था सुधरेगी। यह भी कहा गया है कि शासन में सन् 1952 से लगाकर अब तक कई गुना स्टाफ बढ़ गया है। मैंने आंकड़े दिये हैं। सेण्टर में जितने सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बढ़े है लेकिन मैं कहूंगा कि राजस्थान में सेक्रेटरी की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। डिप्टी सेक्रेटरी में नॉमिनल बढ़ोतरी है। फोर्थ क्लास सर्वेंट्स 1952 में जितने थे उतने ही हैं। इसके सिवाय मिनिस्टिरियल स्टॉफ में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसके कई कारण हैं। कई विभागों में काम ज्यादा बढ़ा है। 1953 में 5 लाख कागज पेश होते थे।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

अब 12 लाख पेश हो रहे हैं। यह बढोत्तरी सही माने में हुई है। इसकी वजह से काम में कोई खराबी हुई है, यह गलत धारणा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जिनको अपराधी पाया जाये जो लॉयटरिंग करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाये। यह प्रशासन सुधारने का मूल काम होगा। मुझे मालूम है कि अधिकारियों में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो सही काम कर रहे हैं। जो ओवरलोडेड हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि उनके पास कागज एक दिन से ज्यादा पड़ा रहे। मैं ऐसे मन्त्रियों को जानता हूं जो कागज एक दिन में निकालते हैं। मैं वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि 1949-50 में एक सरक्युलर निकला था, उसमें काश्तकारों को प्रोटेक्टेड और रिजर्व जंगलों से खेती और घरू काम के लिए लकड़ी काटने की सुविधा दी गई थी। मैं यह मानता हूं कि उसकी वजह से जंगल के जंगल साफ हो गये हैं। उसका हमारी आबोहवा पर भी असर पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह सरक्युलर वापिस लेकर जंगल की ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर पंचायत समिति के पास बीड़ हैं, उनका जो नीलाम होता है वह नीलाम पंचायत के द्वारा न होकर जंगलात के द्वारा हो वह पैसे पंचायत को नहीं मिले। वह पंचायतों के अपने साधन बढ़ाने के लिये पंचायतों को मिलना चाहिए क्योंकि पंचायत द्वारा नीलाम होने पर पैसा कम आता है तथा देखरेख भी कम होती है। तभी जंगलात और पंचायतों का विकास हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आलम अली।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह !

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, राज्य में मन्त्रिमण्डल को छोटा किया जा कर फिजूलखर्ची रोकने के लिए और राज्य में गिरती हुई प्रशासनिक व्यवस्था पर। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर गवर्नमेंट का जो तरीका है, वह रिफ्लेक्शन है। वह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियां हैं वह उस पार्टी को रिफ्लैक्ट करती हैं जो सत्ता में बैठी हुई है। आज हमारे शासन में खामियां हैं। हम यह कहते थे कि आजादी के बाद प्रशासन ठीक होगा। न्याय सस्ता मिलेगा। आज शासन में कोई कागज चलाइये, पेपर वर्क इतना बढ़ गया है, उसका कोई निराकरण नहीं है। नीचे से कोई एप्लीकेशन आती हैं तो फार्मेलिटीज इतनी बढ़ गई है कि वह पूरी नहीं होती है। भले ही एप्लीकेशन देने वाला समाप्त हो जाये। मेरा निवेदन करना है कि जो डिस्पोजल ऑफ वर्क है वह जल्दी से जल्दी सरकार करे। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक क्वाण्टम ऑफ वर्क निर्धारित होना चाहिए। अधिकारियों के लिए भी क्वाण्टम ऑफ वर्क होना परम आवश्यक है कि अमुक अधिकारी को क्वाण्टम ऑफ वर्क इतना है। क्वाण्टम ऑफ वर्क भी सेवा नियमों के तहत होंगे, मुझे पता नहीं, पर वह फालो किये जा रहे हैं या नहीं। इस

(श्री दिग्विजय सिंह)

सम्बन्ध में मैं सरकार को याद दिला दूं, जैसा उपाध्यक्ष महोदय, आॅफिसर्स के प्रमोशन्स के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा जो प्रमोशन्स किये जाते हैं उसके बारे में सरकार को बहुत ध्यान रखना चाहिए। बीच में जो मैरिट कम सीनियोरिटी फार्मूला लगा लिया है, उससे तो जो ऊंचा बढ़ा है, वह आपका मर्जीदान होगा। जो ईमानदार और मेहनती आदमी है, उसको वह सुपरसीड कर जायेगा। वह प्रमोशन पाकर आगे चला जाएगा। इससे आपके खुद के आॅफिसर्स क्लास में मायूसी सी आ जाती है। जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, वह महसूस करने लगे हैं। जो आदमी उनसे नीचे हैं, वह सुपरसीड हो गये हैं और जो मर्जीदान हैं वह ऊपर पहुंच गया है। यह जो प्रमोशन्स का नियम और क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें यह जरूर ध्यान रखें। उसमें सीनियरटी को ध्यान में रखें, मैरिट का खयाल करके प्रमोशन्स दे देंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करे। उसकी कार्यक्षमता उसका जो वर्क रहा है। मैं समझता हूं वह उपयुक्त होगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्रान्सफर्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज अधिकारीगण, जो सीनियर आॅफिसर्स हैं वह और जो छोटे आफिसर्स हैं वह रेस्पान्सिबिलिटी फील नहीं करते हैं। उसमें उनका दोष नहीं है, दोष है इस सरकार का। सरकार में जो विराजमान हैं उनका दोष है। वह इस कारण है कि आज किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एक जगह पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो सामान्यतः जो नियम है वह यह है कि तीन साल के के पहले उसको वहां से ट्रान्सफर न किया जाय, लेकिन उसको कोई भरोसा नहीं है, जो आॅफिसर है उसको, कि उसका कब तबादला कर दिया जाय। इससे जो वह काम करना चाहता है, जो डिस्ट्रिक्ट में जाकर आॅफिशियल काम करना चाहता है, उसके लिए उसके खुद के अन्दर आत्मविश्वाश नहीं है कि वह जो काम करेगा, वह भले ही अच्छा काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, इतना होते हुए भी हो सकता है कि उसका दो महीने के बाद ही वहां से तबादला कर दिया जाय। तो यह जो ट्रान्सफर की पद्धति है, टेलीफोनिक ट्रान्सफर की, मर्जीदानों को ट्रान्सफर करने की, इसकी ओर जरूर ध्यान रखा जाय। जबकि ऐसा नियम बना दिया है कि तीन साल के पहले किसी भी कलेक्टर को या अधिकारी को ट्रान्सफर नहीं किया जायगा, जब तक कि उसके ऊपर ग्रेव, सीरिअस इर्रेगुलेरिटी का या और कोई सीरिअस चार्ज नहीं हो जिससे कि उसका वहां से ट्रान्सफर करना अनिवार्य हो जाय। महज इस कारण से कि किसी मंत्री महोदय ने किसी कारण से जिलाधीश को किसी काम के लिए फर्माया और उस कलेक्टर ने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, यह नियम विरुद्ध है, तो आप आवेश में आ गये, उससे नाराज हो गये और आपने कहा कि मेरे हाथ में कलम है और उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ट्रान्सफर की प्रणाली है, यह प्रथा है इसके ऊपर आप सीरिअसली सोचें और इनजेनुअटी इसको आप इम्प्लीमेंट करें। यह नियम बना रहे और सब इस नियम के अन्तर्गत ही चलें तो मैं समझता हूं कि आॅफिसियल्स के अन्दर भी एक कान्फीडेंस की भावना आयेगी। आज काम के अन्दर एक शिथिलता आ रही है, भले

(श्री दिग्विजय सिंह)

ही आप जिले में देखें, तहसील में देखें, सेक्रेटेरियट लेवल पर जाकर देखें, फाइलों के पुलिन्दे के पुलिन्दे बनते जा रहे हैं लेकिन उनका डिस्पोजल नहीं होता है। आज कोई कलेक्टर के पास कागज आ जाता है और वह उस पर लिखने लगता है, तो लिखने के पहले ही उसके पास टेलीफोन आ जाता है कि इसके अन्दर जरा ध्यान रखें। खुद कलेक्टर महोदय हर मामले में न्याय करना चाहते हैं मगर इस ध्यान रखने की वजह से न्याय चला जाता है काम से। यह प्रणाली आपकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको बीस साल राज्य करते हुए हो गये हैं, तो अब आपको डर नहीं होना चाहिए कि अमुक नेता नाराज हो जायगा, अमुक व्यक्ति नाराज हो जायगा। अब तो स्थिरता आ गई है, आप निःसंकोच हो राजस्थान की जनता को एक सुदृढ़ और अच्छा शासन दें। लेकिन आप अब भी उसी प्रणाली में फंसे हुए हैं। मैं तो सोचता था, उपाध्यक्ष महोदय, बीच में जो राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू हुआ, उसके बाद में आप लेसन लेंगे, आप फिर राज्य सरकार में विराजमान हो गये हैं तो यह बात दिमाग में रखेंगे, लेकिन उसके बाद वापिस का वापिस वही ढर्रा चालू है। मेरा निवेदन है कि उससे सबक लेकर आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन-अप करें, टोन अप करें। आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लेकिन आप खुद कितने इफेक्टिव तरीके से और कितनी ईमानदारी से इस काम को करना चाहते हैं – यह प्रश्न है? जिस दिन आप ईमानदारी से इसको करने के लिए सोचें, उस दिन, मैं यह नहीं कह सकता कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी खुद की लीनियेन्सी है, आपका ड्राबैक है, अगर आप खुद अपने दिल से यह बात निकाल दें तो मैं यह मान कर चलता हूं कि इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा और क्लीन-अप हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन मैं करना चाहता हूं, वह अन्य किसी माननीय सदस्य ने भी कहा था। मेरा भी विचार यह है कि आज ऑफिसर और छोटे कर्मचारियों के लिए हमने नियम बना रखे हैं, कोड ऑफ कन्डक्ट है, और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी है, सब तरह के उनके ऊपर नियंत्रण लगा कर उनको हमने बांध रखा है। अगर कोई ऑफिशियल कोई करप्शन करता है या ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है, उसकी कोई शिकायत आती है तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के द्वारा या कोड ऑफ कन्डक्ट और सर्विस रूल्स के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूं कि निःसंकोच आपको एक कोड ऑफ कन्डक्ट और नियम इलेक्टेड पर्सन्स के लिए भी बनाना चाहिए। आपकी और हमारी इस शासन को चलाने में और अच्छा शासन देने में उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की ऑफिशियल्स की है। जब ऑफिशियल्स को तो कोड ऑफ कन्डक्ट से बंध कर चलना चाहिए, उनके लिए, कोड ऑफ कन्डक्ट की जरूरत है इसलिए आप कहते हैं कि उनको इसके अन्तर्गत ट्रीट कर लेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने लिए और इलेक्टेड पर्सन्स के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट क्यों नहीं बनाते हैं। उनके लिए भी कोड ऑफ कन्डक्ट बनाइये। अगर आप इलेक्टेड पर्सन्स के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट बनाने का प्रावधान रखते हैं तो इससे निश्चित मानिये कि ऑफिशियल्स में यह विश्वास

(श्री दिग्विजय सिंह)

उत्पन्न होगा कि हां ठीक है, यह लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो इनके खुद के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट है और इलेक्टेड पर्सन गलत काम करते हैं तो उनके लिए भी है। इसके अन्दर आप यह न समझ लें कि ऐसा करने से हमारी कमजोरियां हैं वह सामने आयेंगी। मैं मानता हूं, एक दफा कमजोरियां सामने आयेंगी, लेकिन यह कोई बात नहीं, आगे के लिए कमजोरियां साफ हो जायेंगी और अच्छा प्रशासन हो जायगा। इससे ऑफिशियल्स में एक कान्फीडेंस आ जायगा कि जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं, जो लीडर्स हैं वह भी कोड ऑफ कन्डक्ट के अन्दर आ जाते हैं, इसलिए वह भी ईमानदारी से काम करते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कई विषयों में हम भी किसी मामले को लेकर आपके पास आ जाते हैं, वह होता रहता है, वह चलता रहता है। उस सारे मामले में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे ऊपर भी कोड ऑफ कन्डक्ट हो और हम भी कोड ऑफ कन्डक्ट से रेगुलेट हों तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि किसी आदमी की सिफारिश करें या नहीं करें। इसलिए कोड ऑफ कन्डक्ट इलेक्टेड पर्सन्स के लिए होना अनिवार्य है, यह आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे प्रशासन सुदृढ, स्वच्छ और अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है कि मंत्रिमण्डल को छोटा किया जाय। मेरा यह एक सुझाव है कि मंत्रिमण्डल को छोटा किया जाय, वैसे इसको करना या न करना माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में है। और अभी जोधपुर में जो पी० सी० सी० की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने खुद ने फर्माया था कि मंत्रिमण्डल छोटा नहीं कर सकता हूं, मैं इस्तीफा दे सकता हूं। यह आपके खुद के विचार हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जिस पर आप स्वयं विचार करके देखें कि आपने 1952 में मंत्रिमण्डल बनाया, 1957 में मंत्रिमण्डल बनाया, 1962 में मंत्रिमण्डल बनाया और अब 1967 में आप विराजमान है, तो आपकी स्टेबिलिटी तो हो गई है। अब आप इस बात के लिए क्यों संकुचित हैं कि यदि मैं मेरा मंत्रिमण्डल छोटा कर लूंगा तो न जाने क्या हो जायगा। यह आपको करना पड़ेगा कार्य, यदि आज नहीं तो किसी वक्त कोई प्रेसर आयेगा या कोई आवाज आयेगी तब आप करेंगे। इसलिए कम से कम आप वन ट्वैल्थ ऑफ स्ट्रेन्थ या कोई और क्राइटेरिया बना लें, इससे ज्यादा मंत्रिमण्डल नहीं होगा तो अधिक अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करूंगा, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने यह फर्माया था, उससे मैं भी सहमत हूं कि अधिकतर मंत्रिगण दौरे पर ज्यादा रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यहां जब असेम्बली चलती है, उस वक्त हमारा दुर्भाग्य समझें या भाग्य, या राज्य का कुछ भी समझें, यह जब छः माह में एक दिन कम रहता है तब बुलाई जाती है, वह भी इसलिए कि कहीं कान्स्टीट्यूशनल लेप्सेज नहीं हो जाय। इसलिए बुलाई जाती है, वरना बजट पास करा कर छुट्टी कर लें। इस वक्त सारे मंत्रिगण हमें मिल जाते हैं और कोई काम हो तो हो जाता है, वरना इस छः महीने के बीच में कभी किसी कार्य के लिए सेक्रेटेरियट में जायं तो मालूम होता है कि मंत्रियों के

(श्री दिग्विजयसिंह)

पास दौरे के अलावा और काम नहीं है । कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास दौरे करने के अलावा और कोई काम नहीं हैं, क्योंकि फाइल उनके पास आये तो वह उसको समझें नहीं, इसलिए दौरा उनके लिए अच्छा रहता है, दौरे की आड़ में उनका काम अच्छा रहता है । इससे राज्य की आय और वित्तीय स्थिति में भारी भार पड़ता है । इसको मद्देनज़र रखें और मंत्रियों के लिए यह निर्धारित कर दिया जाय कि एक महीने में सात दिन से ज्यादा टूर पर नहीं जायेंगे । ऐसा निर्धारित किया हुआ है लेकिन उसका कोई फौलो-अप नहीं होता है, चैक-अप नहीं होता है । माननीय मुख्य मंत्रीजी जब कहते हैं तो काफी जोरदार शब्दों में बात करते हैं लेकिन इनके ऊपर उसका असर नहीं होता है । इसलिए निश्चित रूप से आप ऐसा कर दें कि एक सप्ताह से ज्यादा कोई टूर पर जायगा तो एक सप्ताह के बाद का सारा व्यय वह खुद वहन करेगा । यह कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं, शायद उनके दौरों में अपने आप फर्क पड़ जायगा । इस सम्बन्ध में लिखित सरक्यूलर हो कि ऐसा आप नहीं करें तो ठीक रहेगा । अभी तो कोई उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है । जो उनके इमोल्यूमेंट्स हैं, उसमें ऐसा प्रावीजन कर दें कि एक सप्ताह से ज्यादा कोई मंत्री महोदय दौरे पर जायेंगे तो स्वयं वह उसका खर्चा वहन करेंगे · · · ·

श्री भैरोंसिंह : खुद नहीं देंगे, दूसरों से लेंगे ।

श्री दिग्विजयसिंह : उसके लिए कोड ऑफ कन्डक्ट जरूरी है । उससे यह कवर हो जायगा । मैं अर्ज करूं कि कई दफा यह बात कही गई है और मैं भी समझता हूं कि यह उचित है कि हमको न्याय सस्ता मिलना चाहिए । इस सम्बन्ध में कई दफा कहा गया है कि जयपुर के अन्दर हाईकोर्ट की बेंच होना अत्यन्त आवश्यक है । आप, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का अन्दाज करके चलिये कि धौलपुर से कोई आदमी यहां आता है और यहां से जोधपुर जाय तो ठेठ दूसरे कोने में पहुंचेगा । तो यह जो इम्बेलेन्स है इसको मद्देनजर रखना चाहिए । मुझे आशा है कि मेरी मांग के ऊपर आप ध्यान देंगे ।

वनों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं । माननीय भैरोंसिंहजी ने नवाब साहब, टौंक के लिए फर्माया, उसके साथ-साथ दो क्वेरीज मैं भी करना चाहता हूं, एक तो नवाब साहब, टौंक की पहली किश्त थी, वह क्या माफ कर दी गई है ? इसका आप जवाब दें, तो उस वक्त मेरी इस क्वेरी का भी फर्मा दें ।

नवाब साहब, टौंक को दो लाख का देवस्थान विभाग से लोन दिया गया, किस लिये वह लोन दिया गया, यह हम जानते हैं, वह लोन दिया गया लोन चुकाने के लिये और उपाध्यक्ष महोदय गत गर्मियों में चीफ जस्टिस, दवे लोन डीड को एग्जीक्यूट कराने के लिये टौंक गये और टौंक नवाब साहब का नजरबाग है, ऑफिशियल रेजीडेन्स है वह रहन रख कर लोन डीड को एग्जीक्यूट किया गया, जब कि कान्स्टीट्यूशन में यह साफ है कि कोवेनेन्ट के अनुसार प्रोपर्टी को न बेच सकते हैं और न रहन ही रख सकते हैं, होम मिनिस्टरी के यहां से दी दैन राजप्रमुख की मार्फत यह आदेश दिया गया था । इसलिए यह जो रहन रख कर डीड को एग्जीक्यूट किया गया है वह सारी कार्यवाही गैर कानूनी है । इसके अलावा जो किश्त की गई थी वह

(श्री दिग्विजयसिंह)

भी नहीं चुकाई गई है, वह इस साल माफ कर दी गई; वह कब वसूल की जायगी, यह नहीं कह सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय, वन के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, अब मैं वनों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । बड़े दुर्भाग्य की बात है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार ने इस विभाग को बिलकुल एक जंगली विभाग समझ रखा है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, न एप्रोप्रियेट वन अलोट किये जाते हैं । राजस्थान सरकार तो केवल एक काम में लगी हुई है वनों के ठेके देओ, वृक्ष कटाओ और आमदनी करो । राज्य सरकार को चाहिये कि जितने फोरेस्ट्स प्रिजर्व किये जा सकते हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिये और वनों का बढ़ाना चाहिये । पर आज वनों की हालत हमारे यहां राजस्थान में दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है; यह किसी से छुपा हुआ नहीं है । इसलिए मैं वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे वन संपदा को सुरक्षित रखें । इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि रिलीफ वर्क्स में फोरेस्ट्स में चैक डेम्स, एनीकट्स का काम कराया जाय तो इससे वन संपदा फलेगी फूलेगी, वृक्ष बढ़ेंगे और इससे हमारे यहां राजस्थान में वर्षा भी अच्छी होगी । अतः वनों को नैग्लेक्ट कर के नहीं चलना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे यहां वन विभाग वनों को प्रिजर्व कर के ग्रास को प्रिजर्व रखता तो इससे वन विभाग को बड़ा लाभ होता । आज अकाल के समय में जब कि हमने 6 रुपया, 8 रुपया और 10 रुपया के भाव से घास खरीदा है और हो सकता है कि मई महीने तक 15 रुपया के भाव से खरीदें । अगर वनों को सुरक्षित किया जाता, ग्रास को प्रिजर्व रखा जाता तो घास से लाखों रुपयों की आमदनी राज्य सरकार को हो सकती थी और आज जो घास बाहर से खरीदा गया है, वह नहीं खरीदना पड़ता ।

अन्त में मैं गेम सेन्च्युरी की तरफ वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज हमारे यहां की सवाई माधोपुर की गेम सेन्च्युरी है वह अपने आपमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और आइडियल गेम सेन्च्युरी है, इसके लिये मैं फोरेस्ट विभाग को तो श्रेय नहीं दूंगा पर यह एक अच्छी गेम सेन्च्युरी है । यदि वन विभाग इसकी ओर ज्यादा ध्यान दे, इसको अपग्रेड करने की कोशिश करे तो यह एक आइडियल गेम सेन्च्युरी है, जो टूरिस्ट्स को अधिक से अधिक एट्रेक्ट कर सकती है । मैं वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने जो इसके लिये एटेम्प्ट्स किये वह ठीक हैं पर राज्य सरकार से और अधिक धन प्राप्त करके इस गेम सेन्च्युरी को बढ़ाने की कोशिश करें और राज्य सरकार से कहें कि इसे केवल जंगली विभाग ही नहीं समझें ।

यही कह कर मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव वन की रक्षा के बारे में है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रान्त में एवं देश में वन नष्ट हो गये, वहां पर हर साल दुष्काल आते रहते हैं, उस

(श्री नाथूराम)

राष्ट्र की, उस प्रान्त की कोई उन्नति नहीं हो सकती। हमारें राजस्थान में जहां एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी ओर दक्षिणी राजस्थान में जहां घने जंगल थे वे जंगल खत्म कर दिये गये हैं और जहां जंगल खत्म हो गये वहां हर साल दुष्काल पड़ते हैं। हमारे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र मे ऐसे घने जंगल थे कि उनके कारण वहां पचास-पचास, साठ-साठ इंच पानी बरसता था, वहां कभी दुष्काल नहीं पड़ता था पर जब से वहां जंगल खत्म हो गये, हमेशा दुष्काल पड़ते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां वनं की रक्षा करना चाहिए। आजादी के बाद ठेकेदार की प्रथा चालू हुई तो ठेकेदारों को जंगलों के ठेके दिये गये और सारे जंगल काट दिये गये, जिससे कि हर साल दुष्काल आते रहते हैं। गत साल वन दिमाग ने डूंगरपुर बांसवाड़ा का जंगलों का ठेका बन्द कर दिया गया फिर भी जंगलों की रक्षा नहीं होती है। जहां डूंगरपुर बांसवाड़ा में सागवान और बांसों के जंगल थे, वहां आज नंगी पहाड़ियां खड़ी है, ठूंठे खड़े हैं, वहां प्लान्टेशन नहीं करके कल्चर ओपरेशन करें, जहां नंगी पहाड़ियां खड़ी हैं वहां कल्चर ओपरेशन से काट-छांट कर के जंगलों को बढ़ाना चाहिये, इस प्रकार का कार्य करने से बरसात में जंगल पनपेंगे, जंगल हरे भरे हो जायेंगे, हमारी वन सम्पदा बढ़ेगी और इससे वर्षा भी ज्यादा होगी साथ ही वृक्षों की पत्तियों का खाद खेतों में जायगा और इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलों की रक्षा की जाय और जंगलों को बढ़ाया जाय।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि जहां जहां घने जंगल है, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, नाले बहते हैं, वहां छोटे छोटे एनीकट्स बनाने चाहिये, पानी को रोकना चाहिये, इससे वृक्ष भी अधिक से अधिक पनपेंगे, वन घने होंगे और भूमि का कटाव भी नहीं होगा। जहां जंगल खत्म होते जा रहे हैं वहां सरकार प्लान्टेशन में पैसा खर्च कर रही है। मेरा यह निवेदन है कि जहां रेगिस्तानी एरिया है जैसे जैसलमेर है, राजस्थान कैनाल है, है, जहां रेतीली भूमि है वहां पर प्लान्टेशन की जरूरत है पर जहां घने जंगल हैं वहां पर प्लान्टेशन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिये वहां पर कल्चर ओपरेशन पर पैसे खर्च कर के जंगलों को बढ़ाना चाहिये, यह व्यवस्था नहीं की गई तो हमारे प्रान्त की अवनति दिन प्रतिदिन होती जायगी।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वर्ष बजट के समय मैंने निवेदन किया है, सदन के माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है कि जहां आदिवासी एरिया है वहां डिमार्केशन लाइन ऐसी है कि डिमार्कशन लाइन में आदिवासियों की आबादियों को ले लिया गया है, इसके लिये राजस्व विभाग, वन विभाग और पंचायत के सरपंच को मिल कर डिमार्केशन लाइन डालनी चाहिये, आज जिन आदिवासियों के घर डिमार्केशन लाइन में हैं, उनको नहीं हटाना चाहिये। इसके अलावा यह भी बार बार निवेदन किया गया है कि आदिवासियों को संगठित कर के वनों का बढाना चाहिये, आज आदिवासियों में मैट्रिक, इन्टर और बी० ए० किये हुए लड़के हैं उनके सम्बन्ध में वन विभाग के उच्च अधिकारियों को निवेदन किया कि पढ़े लिखे उन आदिवासी नवयुवकों को फोरेस्ट विभाग में फोरेस्टर,

(श्री नाथूराम)

रेंजर, डी० एफ० ओ० की ट्रेनिंग में भेज कर वन विभाग में नियुक्त करना चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी नवयुवक पढ़े लिखे हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से ट्रेनिंग देकर फ़ोरेस्टर, डी० एफ० ओ० और रेंजर आदि पदों पर रखना चाहिये ताकि जंगलों की रक्षा हो सके ।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि बांसवाड़ा मे चिपबोर्ड फैक्टरी का ठेका राज्य सरकार ने बन्द कर दिया है । और सरकार चिपबोर्ड फैक्टरी लगाना चाहती है तो फालतू लकड़ी से चिप्स बन सकती हैं, इसके लिये सरकार को कोओपरेटिव बेसिस पर व्यवस्था करनी चाहिये कि फालतू लकड़ियों से चिप्स बनें । यह मेरा सरकार से निवेदन है । जंगलों का कल्चर करा कर हमने सरकार को सहयोग दिया है, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपके वन विभाग के गार्डस हैं हवलदार हैं रेंजर हैं वे लोग रिश्वत खा खा कर जंगलों को खत्म कर रहे हैं, इसके लिये सरकार को चाहिये कि जो लोग बदमाशी करते हैं, रिश्वत खाते हैं उनको सजा देनी चाहिये और इस प्रकार के दोषी कर्मचारियों को वन विभाग में नहीं रखना चाहिये ।

(4 म० प०)

इसके साथ-साथ मैं प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । प्रशासन की व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है । प्रशासन में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको काम बहुत कम है लेकिन अलग-अलग विभाग खोल रखे हैं । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जैसे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर हैं, इनकी संख्या कम करनी चाहिए । अगर खर्चा इन पर कम नहीं होगा तो सरकार पर ज्यादा वजन पड़ेगा और जो एल० डी० सीज० व यू० डी० सीज० हैं, जिनके पास ज्यादा काम है उनको सुविधायें नहीं मिल पायेंगी । प्रशासन में जो व्यक्ति रिश्वतें खाते हैं, काम नहीं करते और हर तरह से अव्यवस्था करते हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी जांच करे ।

आज होता क्या है ? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे भावी नागरिक होने वाले हैं, बड़े बड़े लोग शिक्षा वाले, कुछ शिक्षित लोग, कुछ कर्मचारी भोलेभाले बच्चों को गलत वातावरण तैयार कर, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो विश्वास रखते हैं, लड़कों को भड़काकर अलग अलग आन्दोलन कराते हैं और उसमें जातिवाद वाले कर्मचारी भी शरीक रहते हैं । इसलिए राज्य सरकार को समिति का गठन करना चाहिए और जो लोग हमारे राष्ट्र के कार्य में रुकावट डालते हैं, जो भोलेभाले बच्चों को आंदोलन कराकर राष्ट्र का अहित करते हैं और जो कर्मचारी इसमें शरीक होते हैं, उनकी इस समिति द्वारा जांच होनी चाहिए और ऐसे मामलों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाकर सजा देनी चाहिए ।

सरकार के प्रशासन का ढांचा दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, जब तक प्रशासन नहीं सुधरेगा तब तक राष्ट्र उन्नत नहीं होगा । राजस्थान में बहुत सी शिकायतें कर्मचारियों के खिलाफ होती हैं लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती है । एक उदाहरण मैं अपने क्षेत्र बागीडोरा का देना चाहता हूं । वहां एक आदिवासी चपरासी था, चपरासी से लेकर शिक्षक बना, 14 साल की उसकी

(श्री नाथूराम)

नौकरी है। वहां बी० डी० ओ० व एस० डी० आई० ने मिलकर उस अध्यापक के खिलाफ झूठा केस बनाया और 323 और 394 के तहत मकदमा लगाकर थानेदार द्वारा उसको हथकड़ी डलवाई और उस शिक्षक को बाजार में घुमाया गया। तो इस तरह बी० डी० ओ० व एस० डी० आई० ने उस बेकसूर शिक्षक से रिश्वत खाने की कोशिश की। तो इस तरह प्रशासन का ढांचा बिगड़ता जा रहा है। शिक्षक संघ ने मांग की कि न्याय की कार्यवाही करनी चाहिए। एक भील जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, 14 साल तक शिक्षा देता रहा, उसके साथ में संरकारी कर्मचारियों ने इस तरह उस बेकसूर की इज्जत ली। जब कोर्ट की तरफ से उसके लिये कार्यवाही हुई तो आखिर में उसका चालान 323 में दिया। कहने का मतलब है कि इस तरह निर्दोष लोगों को परेशान करके रिश्वतें खाते रहते हैं लेकिन बड़े अधिकारी जो गलती करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इसलिए प्रशासन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप प्रशासन को सुधारें, खर्च कम करें जो गलती करने वाले हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, तब प्रशासन में सुधार आएगा।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव हैं सामान्य प्रशासन और वन मंत्रालयों के हैं। मैं पहले सामान्य प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत निवेदन करना चाहता हूं। मैंने मंत्रिमंडल की जो बड़ी तादाद है, उसको कम करने के बारे में कटौती प्रस्ताव दिया है। जो कटौती प्रस्ताव सर्क्यूलेट किए गए हैं उनमें करीब 30 सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं और 20 सदस्यों ने इस विषय पर कटौती प्रस्ताव दिया है और 20 में से काफी बड़ी पर्सेंटेज में कांग्रेस के सदस्य हैं, यह अपने आप में इस बात को बतलाता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके सदस्य भी इस बड़े मंत्रिमंडल के विरुद्ध हैं और उनकी मांग है कि इसको कम किया जाय। अगर इस तरह पार्टी की मांग दूसरे देश में आई होती जहां प्रजातंत्र चलता है, जो लोकतंत्र के सिद्धान्तों को जानते हैं, जो रेस्पान्सीबल गवर्नमेन्ट की जिम्मेवारियों को जानते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं वहां के मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल अवश्य उस बात पर ध्यान देते परन्तु उसके विपरीत यहां की सरकार कहने में तो जनतान्त्रिक है, रेस्पान्सीबल है, उस पर इस तरह के प्रस्तावों व सदस्यों के लिखने का कोई असर नहीं होता।

कभी-कभी मैं सोचने लगता हूं कि क्या यह विधान सभा का फोरम किसी बात को कहने और सुनने का प्रापर फोरम है? जो कोई बात कही जाती है वह केवल कहने के लिए कह दी जाती है और उसका रीएक्शन नहीं आता है। आज जो फोरम बन गया है वह स्ट्रीट्स में बन गया है। अगर एजीटेशन करते हैं, किसी तरह से झगड़े करते हैं और गलत बात के लिए प्रेशर्स आते हैं तो उस बात से मंत्रिमंडल पर भी प्रेशर आता है। विधान सभा में कहने से और किसी तरह के प्रस्ताव पास करना, आज प्रोपर फोरम नहीं रहा है।

मंत्रिमंडल के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इतना ही कहूंगा कि यहां जो मंत्रिमंडल है, उसमें एक दो उप-मंत्री हमारे यहां से भी आये हैं, उनको उप-मंत्री बने दो-दो साल हो गए और एक तो वन विभाग से संबंधित है आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह अभी भी सरपंच हैं। उनको सरपंची से इतना

(श्री भुकार सिंह)

मोह है कि 7-7, 15-15 दिन में वहां पर अपनी सरपंची की मीटिंग करने जा रहे हैं और टी० ए० डी० ए० यहां से उठाते हैं। वहां कोरम नहीं बनता। यह लीगल प्वॉइंट है कि क्या एक मंत्री सरपंच भी रह सकता है या नहीं। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस पाइंट का लीगल एस्पेक्ट इग्जामिन करवायें। सरपंच की हैसियत से उनका वहां जाना अनिवार्य होता है। मेरे पास इसी तरह की पिछले 6 महीने की सूचना तो नहीं है लेकिन उससे पहले की सूचना है। 15-15 दिन उन्होंने मीटिंग्स एटेंड की हैं जिसमें से 8 का कोरम नहीं हुआ। दो-दो तीन-तीन दिन के नोटिस पर मीटिंग कर लेते हैं, जिससे पंच इकट्ठा नहीं हो पाते।

मेरा मुख्य विषय है वन विभाग के बारे में। जैसे मेरे पूर्ववक्ता इस सदन को बता चुके हैं, आज वनों की बहुत भयंकर स्थिति है। जिस तरह से वन विभाग में कटाई हो रही है और वृक्षों की कमी हो रही है, वह सब के ध्यान में है। वन विभाग में अभी तक कोई स्थिर एग्जीक्यूटिव नहीं आ पाया है। जब तक पहले का चीफ एग्जीक्यूटिव, सी० सी० एफ० श्री सेन वर्षों तक ईयर टू ईयर लीस पर चलते आये। उसके बाद कोई भी अधिकारी ने किसी स्थायी वन नीति को बनाकर नहीं चलाया। पहले श्री सेन आये, उसका ईयर टू ईयर एक्सटेंशन कर दिया गया, वर्षों तक चलता रहा और मंत्रियों को राजी करने के लिए उन्होंने वन की कोई स्थिर नीति नहीं बनाई। उसी अर्से में पानरवा जैसा कांड हुआ जिसमें बड़े-बड़े मंत्री थे और यहां तक नौबत आई कि वन मंत्री महोदय को इसी बात पर कांग्रेस पार्टी की टिकट खोनी पड़ी।

(4.10 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

सभानेत्री महोदया, राजस्थान में जो फॉरेस्ट का एरिया है वह 16,981 स्क्वायर माइल्स है। जितने रकबे में फॉरेस्ट की ग्रोथ है वह 5,500 स्क्वायर माइल्स है। इस प्रकार 11 हजार स्क्वायर माइल्स में फॉरेस्ट है जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट का है लेकिन उसमें अभी तक कोई फॉरेस्ट ग्रोथ नहीं है। ऐसा एरिया जिसमें फॉरेस्ट ग्रोथ नहीं है और जिसको आप बीस वर्ष में रिहेबिलिटेट करने में असमर्थ रहे हैं उस एरिया को या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से ट्रान्सफर कर दें या रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिजूल का नक्शे पर कब्जा बनाये हुए हैं। उससे काश्तकारों को दिक्कत होती है, आपकी मुड़िया लगी हुई है और लोग बाग किसी प्रकार उनमें गलती से भी पहुंच जाय तो उन पर जुर्माने होते हैं वे लोग परेशान होते हैं।

सभानेत्रीजी, मैं वन मंत्रीजी का ध्यान 1959 फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट की रिकमन्डेशन्स 9-6-1960 को केबिनेट डिसिजन के बाद एप्रूव होकर मंजूर करली गयी थीं। उनमें से मुख्य दो-तीन बातों की ओर मैं वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस का सवाल है, 17 टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर दिये हुए हैं जिनमें से दो तीन इम्पॉर्टेन्स के हैं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला प्वाइंट है:

"Whether more land should be released out of the forest for

(श्री जुझारसिंह)

agricultural purposes or not ? If yes to what extent and in what districts ?"

मैं आप से यह मालूम करना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के अनुसार जिसको केबिनेट ने एप्रूव कर लिया है कितना रकबा एग्रीकल्चर परपजेज के लिए फॉरेस्ट से रिलीज करना चाहते हैं क्या इस पर फैसला ले लिया है ? यदि फैसला ले लिया है तो क्या उस फैसले के बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से एग्रीकल्चर के लिए और रकबा रिलीज नहीं किया जावेगा ? इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि एक बार फैसला ले लेने के बाद पांच वर्ष तक कोई फॉरेस्ट एरिया एग्रीकल्चर के लिये रिलीज नहीं होगा। आज प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि ईयर टू ईयर साल में दस बार एग्रीकल्चर परपजेज के लिए फोरेस्ट से एरिया दिया जाता है। मैं वन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वन्स फॉर आल डिसाइड कर लें कि कितना एरिया एग्रीकल्चर के लिये देना है। यदि नहीं करेंगे तो ट्रेसपासर्स जंगल को काट देंगे और दो चार महीने के बाद कहेंगे कि इसमें जंगल नहीं रहा है और इसको फॉरेस्ट से निकाल कर एग्रीकल्चर परपजेज के लिए दे दिया जाय। इस प्रकार सारे जंगल खराब हो जायेंगे इसलिए एक बार बैठ कर यह फाइनली तय कर लें कि कौनसा एरिया फॉरेस्ट का है और कौनसा सिवाय है जो देना है। उसके बाद कोई भी रकबा जो फॉरेस्ट में आ गया, उसको किसी ने काट भी दिया तो फिर उसको रेवेन्यू में ट्रान्सफर नहीं करना है। इस प्रकार की पॉलिसी बनती है तो रोक लगेगी और रोक नहीं करेंगे तो फॉरेस्ट का एरिया कम होता जायेगा।

इस इन्क्वायरी कमेटी ने यह डिसिजन लिया कि रिवीन एरिया, हिल एरिया जो अभी किसी के कब्जे में नहीं है उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट को दे दिये जायें। इस रिपोर्ट के पैरा 24 में लिखा है:

"Ravins, hills and unculturable waste land entered as revenue land in the revenue records should be transferred to the Forest Deptt. except in the following categories (a village charnot (b) Land used for community purposes, (c) Land required for extension of village abadi etc., etc."

उन्होंने स्पष्ट तौर यह रिकमन्ड किया है कि जो रिवीन एरिया है, हिल एरिया है उस एरिया को फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट में ट्रान्सफर करवा दिया जाय। इस केबिनेट ने इसको एप्रूव किया है। मैं वन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस इन्क्वायरी कमेटी के तहत कितना रिवीन एरिया और कितना हिल एरिया इस डिसिजन के बाद लिया है और नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है ? क्या इस प्रकार एक्शन न लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं ?

सभानेत्रीजी, इस फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में गांवाई जंगल कायम करने के लिए डिसिजन लिया। केबिनेट ने एप्रूव कर लिया। पंचायतों को पाबन्द किया जाय कि वह गांवाई जंगल की देख भाल करें। यह रिपोर्ट जिम्मेदार अफसर ने वर्षों की एन्क्वायरी के बाद बनायी थी। मैं इसमें से बारबार कोट नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक बड़ी रिपोर्ट है। यह तथ्य है कि इस रिपोर्ट को केबिनेट ने एप्रूव कर लिया है फिर

(श्री जुझारसिंह)
भी किसी भी स्टेज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट इस पर अमल नहीं कर रहा है।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव इसमें था कोटा स्टेट के समय बंबूल और खेजड़ा की राड़िया जो हजारों स्क्वायर एकड़ में आती हैं, खंड गांव की राडी में 1,700 बीघा बंबूल। यह मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी की ही बता रहा हूं। उस रकबे का अन्दाज लगाइये, कितनी अच्छी इमारती लकड़ी होनी चाहिए। मोई कलां 2,200 बीघा, राजगढ़ मानली 500 बीघा, कमेसता और कडिया 1,600 बीघा, मामला कुदायला 200 बीघा। यह आठ जगहों के नाम गिनाये हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा (वन मंत्री): राडिया का कुल कितना क्षेत्रफल है? जंगलात में या राजस्व में?

श्री जुझारसिंह: डिटेल्स मैंने 8 राड़ियों के बारे में दिया है। यह फॉरेस्ट के कन्ट्रोल में है और फोरेस्ट की प्रोपर्टी है। इसकी 600) रुपया सालाना से अधिक आमदनी नहीं हो रही है, पचास रुपया माहवार। 100) रुपया, 150) रुपया का तो चौकीदार ही रखते हैं। औसत बबूल 50 रुपया भी मानें तो कितने लाख के बबूल होंगे क्योंकि तादाद क़ाफ़ी बड़ी है। इस ओर आप ध्यान दें। यह तो मैंने अपनी कॉन्स्टिटुएन्सी के लिए ही कहा है। कोटा में लाडपुरा और दूसरी तहसीलों में भी इस प्रकार की राड़ियां खडी हैं और आपके डिपार्टमेंट की नेग्लीजेन्स के कारण उसको बिगाड़ा जा रहा है और पेड़ बेचे जा रहे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप राड़ियों के बारे में विशेष-तौर से ध्यान दें।

सुबह प्लान्टेशन का मामला आया था। वन मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जगह जगह पर प्लान्टेशन किया है। मेरे पास अपटूडेट फीगर्स तो नहीं हैं जो कुछ भी फीगर्स अवेलेबल हैं 63-64 तक के फीगर्स हैं जो मुझे दिये गये हैं उनके अनुसार राजस्थान सरकार ने प्लान्टेशन लगाने में 6,02,080) रुपया खर्च किया है। चार वर्ष में और भी रकम खर्च की गई होगी। 6½ हजार एकड़ का एरिया कोटा डिस्ट्रिक्ट में है उसमें 6 लाख 660 रुपये का खर्च 1963-64 तक हो चुका था।

इस तरह से झालावाड़ में दो लाख 83 हजार 945 रुपये खर्च किये गये और करीब तीन हजार एकड़ में उन्होंने प्लान्टेशन लगाया। जो प्लान्टेशन लगाया है, वह किस स्थिति में है उसका आज ही मन्त्री महोदय ने यहां जवाब दिया है। वह गलत जगह पर लगाया है इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि मवेशियों के निकलने की जगह नहीं रही है। गांव से आधे-आधे फर्लांग पर प्लान्टेशन लगा दिया गया है। एक तरह से तो वह रास्ते में ही लगा दिया गया है। मवेशी घर से निकलते ही उसमें घुस जाती हैं। इससे परेशानी बढ़ गयी है और उनका चालान कर दिया जाता है। बाघेर गांव में 43 आदमियों का अभी ही चालान हुआ है इस सिलसिले में कोर्ट में उनके केसेज चल रहे हैं। इस तरह किसानों को परेशानी का सामना (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) करना पड़ रहा है। जो सूचना मुझे मिली है, वह, सभानेत्री महोदया, यह है कि हफ्ते दर हफ्ते वहां पर चालान होते रहते हैं। इसलिए प्लान्टेशन ऐसी जगह पर लगाना चाहिये जिससे कि उसकी

(श्री जुझारसिंह)

क्वालिटी बढ़ और नुकसान कम हो। जमीन को देखकर प्लान्टेशन किया जाना चाहिए। चम्बल रेविन्स में प्लान्टेशन होना चाहिए परन्तु इस तरफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। फॉरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी ने रिकमन्ड किया है कि इन रेविन्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिया जाय। अगर इन जगहों पर प्लान्टेशन हो तो अच्छी क्वालिटी की ग्रोथ होगी और उसकी अच्छी कास्ट आयेगी। यह राज्य और किसान के लिए अच्छी रहेगी और मवेशियों को भी फायदा मिलेगा और उनकी बार—बार की परेशानी प्लान्टेशन में घुस जाने की नहीं रहेगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसके बारे में आपको व्यवहारिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। (घंटी जोर से)

सभानेत्री महोदया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो शिकायतें मेरे निर्वाचन क्षेत्र की हैं, उनके बारे में ही निवेदन करूंगा। कच्छ की तरफ की भेड़ें, कोटा डिविजन में और विशेषकर झालावाड़ जिले में जगह जगह घूम रही हैं। इनकी वजह से गांव वालों में, और इन भेड़ वालों में झगड़े होते हैं और फॉरेस्ट भी बर्बाद हो रहा है। इसके लिये उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

इसी तरह से जो गांव भूमि कटाव ग्रस्त हैं व फॉरेस्ट के पाइन्ट ऑफ व्यू से जंगल उसके काम आ सकते हैं, ऐसे पचास गांव सांगोद तहसील में हैं, वे एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट ऑफ व्यू (सि जंगलात विभाग को) ट्रान्सफर भी किये जा चुके हैं। उनमें जंगल लगाया जाना चाहिए।

इसी तरह से मेरा एक निवेदन और है। वह यह है कि जंगल के मामलों की शिकायतें झालावाड़ जिले की मेरे पास आयी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें शायद डिप्टी मिनिस्टर, फॉरेस्ट की साजिश हो, या उनकी साजिश थोड़ी बहुत हो सकती है। वह यह है कि झालावाड़ जिले में कांग्रेस को मजबूत बनाने की दृष्टि से एक बीस पेज की पुस्तक एक-एक रुपये की रसीद में बेची गई है और वह 7 रेंज में बेची गई है और इस तरह से 1,700 रुपये नाकेदारों और रेंजरों ने वसूल किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी आप जांच करेंगे और इसके तथ्य और सच्चाई को देखें और जिन ऑफिसर्स, कर्मचारियों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ एक्शन लें उप-वन मंत्रीजी वहां के हैं। उन्होंने रेंजरों से मिल कर यह किया है।

झालावाड़ जिले में लकड़ी का कूप 7 मार्च को शुरू हुआ है। यह लकड़ी का कूप नवम्बर, दिसम्बर में शुरू होना चाहिए था। लेकिन यह आज से 7 दिन पहले ही शुरू किया गया है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि इससे काश्तकारों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। इसलिये इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए। सभानेत्री महोदया, इतना ही नहीं ये कूप अभी तक एक ही स्थान पर खोले गये हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिये दूसरी जगह पर ये खोले जायें इसके बारे में भी इन्तजाम करना है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभानेत्री महोदया, आप पांच बार घन्टी बजा चुकी हैं इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। संक्षेप में ही समाप्त कर रहा हूं। इसी तरह से वहां कत्था के कूप हैं। खूराटिया, नाहरगढ़ और दूसरी जगह की शिकायतें पिछले साल हो चुकी है। इस साल 58 हजार में ओवर का कत्थ का कूप दिया गया है पिड़ावा रेंज का उप-मन्त्रीजी ने दिलाया है।

(श्री जुझारसिंह)

जबर्दस्ती वहां 804 पेड़ एक्स्ट्रा कटवाये हैं। इस तरह के फैक्ट्स बार-बार पेश हो चुके हैं। इसके लिये आपने क्या इफैक्टिव स्टेप्स लिये हैं। आपने ठेके का सिस्टम शुरू किया है। यह अच्छा सिस्टम है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे फायदा होगा। इस संबंध में आपकी जो कमेटी है, उसके द्वारा जो नोट आफ काशन दिया है, उसको पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

"The recommendations that have been made by the committee would go long way in removing some of the grievances of the public. However, before closing this report the committee would like to emphasise that successful implementation of its recommendations would largely depend upon the spirit in which they are carried out by the Forest Deptt. A number of allegations were made before the committee regarding the working of the supervisory field staff and lack of proper control by the district supervisory staff without expressing any opinion on the varacity or otherwise of the elections, the committee cannot but emphasise the need for maintaining the highest possible standards of supervision and control in a depar ment operating over a vast area through a large number of low paid employees."

तो डिपार्टमेंट के ऊपर आप एक नयी रेस्पान्सबिलिटी ले रहे हैं बावजूद इस नोट आफ काशन के। आपको इस तरफ ध्यान देना है कि आप एक नयी रेस्पान्सबिलिटी ले रहे हैं। इसको सक्सेसफुली केरी आउट करना है और यह देखना है कि इसमें किसी तरह से करप्शन तो नहीं बढ़ता है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री वृद्धिचंद जैन। आपको दस मिनिट का समय दिया जाता है। कृपया यह ध्यान रखें कि समय की पाबन्दी रहे।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, मैं मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन विभाग पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है, उसके बारे में सदन के समक्ष अपने विचार में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सामान्य प्रशासन के बारे में मैंने बहुत ही मनन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमने प्रजातन्त्र कायम किया और प्रजातन्त्र के अन्तर्गत हमने जनता का शासन स्थापित किया है परन्तु जो कर्मचारी हैं, जो सर्विसेज हैं, वे इसके अनुकूल, प्रजातन्त्र के ढांचे के अनुकूल अपने को नहीं बना सके हैं। उनमें अधिकतर आटोक्रेट माइन्ड के आदमी हैं। वे प्रजातन्त्र को नहीं मानते और इसी कारण यह प्रशासन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। उनमें आर० एस० एस० की एक्टीविटीज विशेषतौर से प्रचलित है।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी ने आज सब को ब्रीफ कर दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने किसी को नहीं कहा है। वे अपने अपने इलाकों के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं।

श्री वृद्धिचंद जैन : आर० एस० एस० की एक्टीविटीज जो सर्विसेज में घुस गयी हैं और यह विशेष तौर से टीचर्स और लेक्चरार्स में है । इन्होंने एटमासफियर को पाइजन किया है जिसके बारे में अगर कोई स्टेप नहीं उठाया तो हमारे प्रजातन्त्र को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है । यह स्थिति क्यों हुई ? विशेषतौर से हमारे जो प्लेग्राउन्ड्स हैं।

(4.29 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे विद्यार्थियों के खेलने के लिये बहुत कम हैं। विद्यार्थी कोई न कोई खेल खेलना चाहते हैं। विद्यार्थी कोई न कोई एक्टीविटीज चाहते हैं। इस एक्टीविटी के लिए आर० एस० एस० ने ऐसा ढंग अपनाया है जिसको कि विद्यार्थी और इसी तरह के दूसरे लोगों को वह आकर्षित करें । इस तरह वहां ये उन लोगों के दिमाग को पाइजन करते हैं । इससे हमारे सेक्यूलर स्टेट पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आर० एस० एस० की एक्टीविटीज में जो इन्डल्ज हैं, और जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन लिया जाना चाहिये । उनको सर्विसेज से भी निकाल दिया जाना चाहिए । इस प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिए । अगर इसको रोका नहीं गया तो जो सेक्यूलर स्टेट आपने कायम की है, जो डेमोक्रेटिक सैट-अप आपने कायम किया, है उसके आधार को धक्का लगेगा । दूसरी चीज, मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर-डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, वह यह है कि ये सीमावर्ती जिले हैं । इन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिकारी आने चाहियें जो कि ईमानदार हों, जो प्रशासन में निपुण हों और ईमानदार हों । परन्तु यह देखा गया है कि जहां–जहां से डिस-आनेस्ट हों, जो उन जिलों में एडजस्ट नहीं हो पाये हों, उनको कहीं स्थान न मिले, ऐसे ऑफिसर्स हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर जिलों में भेज दिये जाते हैं । तो इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां अधिकारियों पर विशेष जिम्मेदारी होती है ऐसी हालत में वहां पर ऐसे आफिशियल्स भेजे जायं जिनकी आनेस्टी के बारे में किसी को सन्देह नहीं हो ऐसे अधिकारियों को आप भेजेंगे तो वहां के लोगों का मनोबल बढ़ेगा । इस बारे में आप सीमा के इलाकों को नेगलेक्ट न करें ।

अब मैं रेवेन्यू बोर्ड के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा । मुझे रेवेन्यू बोर्ड में केसेज प्लीड करने के लिये जाने का मौका आया है । मैंने वहां पाया है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स होते हैं उनको कम नॉलेज है । उनके जजमेन्ट्स को देखा जाय तो उनकी योग्यता का पता पड़ जाता है । मैं चाहता हूं कि जहां इस प्रकार के राइट्स के मेटर्स हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिनको रेवेन्यू की नॉलेज नहीं है, उनको इसमें रखना उचित नहीं है । रेवेन्यू का जो वर्क है उसके अपीलेट ऑथोरिटी सेशन्स कोर्ट में कर दें और उसकी अपील हाई कोर्ट में हो । हाई कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ा दें । रेवेन्यू बोर्ड में जिस प्रकार के जजमेन्ट्स होते हैं वे जजमेन्ट न कोई प्रीसीडेन्स कायम कर सकते हैं क्योंकि उनमें बार बार चेन्जेज होती रही हैं इसलिये प्रीसीडेन्ट कायम नहीं रख सकते । इसलिये मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड के बारे में स्ट्रौंग डिसिजन और निर्णय लेना चाहिये ।

(श्री वृद्धिचंद जैन)

डिसक्रीशनरी ग्रान्ट्स के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह ग्रान्ट न मुख्य मंत्री को और न किसी मंत्री को मिलनी चाहिये और किसी को डिसक्रीशनरी ग्रान्ट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की ग्रान्ट्स देने का क्या सेन्स है ? जन हितकारी कार्यों के लिये अगर ग्रान्ट दी जानी है तो गवर्नमेंट में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय। लेकिन उसके लिये मिनिस्टर्स को यह ग्रान्ट देने का अधिकार देना उपयुक्त नहीं है। चीफ मिनिस्टर के पास ग्रान्ट रह सकती है लेकिन अन्य मिनिस्टरों को इसके बारे में अधिकार देना तो मैं किसी भी तरह से उचित नहीं मानता।

अब मैं कार्यालय के समय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जुडीशियल कोर्टस् का समय जब सुबह का होता है तब ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोर्टस् का समय हमेशा 10.30 बजे से शुरू होता है इसलिये दोनों में तालमेल नहीं बैठता इस बारे में भी सोचा जाना चाहिये।

लन्च के टाइम के बारे में जो व्यवस्था है उसके मैं बिलकुल विरुद्ध हूं। साढ़े दस बजे से पांच बजे तक का समय बिल्कुल ठीक है। ऐसा देखने में आया है लन्च के टाइम के बाद अधिकारी वर्ग वापिस कार्य करने के लिये नहीं आते हैं। इसलिये कार्य होता नहीं। ऑफिसरों को विशेषतौर से देखा है लन्च के बाद वे घर चले जाते हैं और वहां सो जाते हैं और कार्यालय में वापिस नहीं आते। इस तरह से प्रशासन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। और कार्य करने की क्षमता का ह्रास हो रहा है।

एक बात जो गवर्नमेन्ट ने की है उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सन् 1972-73 तक शराबबन्दी कर देंगे यह बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ अभी से यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि सर्विसेज में जितने लोग हैं वे शराब नहीं पी सके जो शराब पीने वाले होंगे उनको सर्विस में नहीं लिया जायगा यह भी नियम होना चाहिये। बड़े अफसरों को तो शराब बन्दी के लिये पाबन्द कर देंगे तो बहुत उचित होगा।

अब मैं सरकारी सेवा काल से निवृत्ति की आय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 55 साल का जो निर्णय लिया है वह बहुत अच्छा निर्णय है और क्रान्तिकारी निर्णय है इसको बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। सरकार को तो यह कोशिश करनी चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार को भी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को 55 साल में रिटायर करने के लिये राजी करें। इस बारे में केन्द्रीय सरकार पर प्रेसर डालना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार से अन-एम्प्लोयमेंट बढ़ रहा है उसको देखते हुए सभी के लिये 55 साल की रिटायरमेंट की आयु कर देनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी वनों के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। बड़े खेद की बात है कि चरागाहों की भूमि के निमित्त जो बजट रखा गया है उसमें इतना बड़ा प्रावधान है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा 15,900 रुपये का प्रावधान चरागाहों की भूमि की तरक्की के लिये रखा गया है।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मैं तो बजट बनाने वालों और वित्त मंत्रीजी की तारीफ करूंगा कि या तो लिखने में भूल हुई है या आपने बगैर देखे ही पैसा रख दिया। इससे तो अच्छा यह था कि किसी भी तरह से इसके लिये पैसा नहीं देते। एग्रीकल्चर भूमि का पजेशन सरकार का रहता है और सरकार उसी में चरागाह चरणोट की भूमि पर पैसा लगाती है। बीकानेर शहर के पास एक चरागाह की भूमि है जहां 25 हजार एकड़ भूमि चरागाह के लिये है, उसमें पशुओं की चराई का पैसा लिया जाता है। इस तरह से कई जगह चारण भूमि रखी हुई है उसमें आप 15,900 रुपये में तरक्की करना चाहते हैं यह एक तरह से उपहास है। वित्त मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा इसमें कुछ पैसे का और इन्तजाम करें। इस छोटी सी रकम को रख कर आप गायों के नाम क्यों बुराई लेना चाहते हैं। मुझे खेद है कि यह चरागाहों के विकास के लिये जो 15,900 रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। इससे आप किस जगह विकास करेंगे यह भी लिखा नहीं है। एक तरफ तो घास का अकाल पड़ा हुआ है, लाखों रुपया आप घास पर खर्च कर रहे हैं उसके लिये आप इतना कम धन रखते हैं इस पर आप पुनर्विचार करें।

श्री नारायण सिंह (वन मंत्री) : यह जो आप 15,900 का बता रहे हैं वह कहां पर लिखा है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बजट, आपने शायद देखा ही नहीं। यह हमें मिला है इसमें पेज नहीं। 4 पेज है वन से सम्बन्धित उसको आप देख लें।

इसके बाद वन जन्तुओं की रक्षा के लिये 1 लाख 39 हजार का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में ही 1 लाख 39 हजार रुपया है। तो फिर वन जन्तुओं के लिये क्या रहा किस प्रकार से उनकी रक्षा कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं बीकानेर और जैसलमेर जिले के आस पास हिरनों की लाखों की तादाद है। वहां मादा हिरनों का 200-300 का झुण्ड एक साथ रहता है। उनको बेचारों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता। इस कारण वे विश्नोईयों के गांवों में चले गये, वे भी कितने समझदार प्राणी हैं वे समझते हैं विश्नोइयों के गावों में हमारी रक्षा होगी। वे उनके गांवों के आस पास पड़े रहते हैं ताकि उनको पीने का पानी मिल जाय। आप यदि रोड से जायें तो आपकी गाड़ी के आस पास वे आ जाते हैं और इस तरह से देखते हैं कि उनको पानी पीने को मिलेगा जब देखते हैं कुछ नहीं मिलने वाला है तो निराश होकर चले जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हिरनों के लिये कोलायत एक तीर्थ स्थान है। कश्यप ऋषि के नाम से निर्मित एक तालाब है जिसका केचमेन्ट एरिया 26 मील के अन्दर है।

उस तालाब के केचमेन्ट एरिया में उन हिरनों के रहने का प्रबन्ध करवा दें तो यह वन्य जीव बच जावेगा। उनके मारने पर भी प्रतिबन्ध हो। नहीं तो ये आर० ए० सी० के लोग उनको जिस तरह से आज मारते जा रहे हैं उस तरह से तो उनकी नस्ल समाप्ति होने का भय पैदा हो जावेगा। आज भी इसका प्रबन्ध करें तो इससे तीर्थ स्थान की भी सेवा होगी और उन वन्य जन्तुओं की भी सेवा होगी। छापरताल में जैसे आपने लगा रखा है। वहां से तो यह काफी बड़ा काम है। सरकारी अधिकारियों से बात होती है, बीकानेर के

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

कन्जर्वेटर से भी बात होती है तो सभी इसका समर्थन करते हैं। पर इसके लिये पैसे का प्रावधान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको बचाना चाहते हैं आप तो कुछ पैसा इसके लिये भी खर्च करें।

मुझे वन के बारे में तीन बातें कहनी हैं। प्रशासन में काफी ढिलाई आई है, ढांचा ठीक नहीं है। पर आपने शान्ति से बैठकर इस पर नहीं सोचा है। अब सोचें करोड़ों रुपया इस पर खर्च करते हैं, पुलिस के बजट में 10 करोड़ हो गया पर यह पता नहीं लगा पाये कि ढिलाई कहां से आई। देश में एक सामाजिक संगठन चलता है। वह संगठन अपने आपके बारे में कहता तो यह है कि वह राजनैतिक संगठन नहीं है और छोटे–छोटे बच्चों को साथ लेता है नाजियों की तरह से उनको सिखाता है कि दूसरे किसी धर्मावलम्बी को सहन मत करो, उसके खिलाफ घृणा फैलाओ। तो उनको रोकने का काम सरकार का है। इस तरह से सीखे हुए वे बच्चे जब बड़े होंगे तो प्रशासन ऐसा बनेगा ही। आपका इन संगठनों पर प्रतिबन्ध नहीं है। अगर इन संगठनों का राज्य रह गया तो राज्य के खिलाफ घृणा फैलाने का काम भी वे करते हैं। इस तरह की शिक्षा प्राप्त करके ये बच्चे जब प्रशासन में बड़े होने पर आते हैं और इसके बाद वे अपनी शिक्षा दीक्षा के अनुसार काम करते हैं तो उन पर अंकुश लगाना कठिन हो जाता है। यह सबसे बड़ा राज्य को खतरा है।

श्री भैरोंसिह : इसमें आपके कुटुम्ब के कितने आदमी हैं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मेरे मिलने वाले कई दोस्त हैं उनमें से। मैंने नाम किसी संगठन का नहीं लिया। पर चोर की दाढी में तिनका होता है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया तो फिर आप क्यों पूछने लगे, क्यों उठकर खड़े हो गये ? मैं तो आप को भी अपने कुटुम्ब का मानता हूं। ऐसे संगठनों पर पाबन्दी नहीं लगी तो जैसे मुस्लिम लीग इस देश में पहले थी और अपने से भिन्न धर्मावलम्बियों के खिलाफ जहर फैलाते थी उसी तरह से और कोई संगठन इधर धर्म के खिलाफ घृणा फैलाने का काम करे तो उनके लिये राज्य कभी सोचता नहीं है। यह सही है कि वे राष्ट्रीयता का नारा लगाते हैं वे इस देश की राष्ट्रीयता को मानने वाले हैं। पर जो देश में रहते हैं वे सभी हमारे भाई हैं, फिर वे यह कौनसी अलग खिचड़ी पकाने चल रहे हैं। राज की यह ढिलाई है और अगर यह ढिलाई और अधिक रही तो प्रशासन आज जितना खराब है आगे जाकर उससे कहीं अधिक खराब होगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हरे, हरे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दूसरा म थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक कट मोशन का प्रस्ताव गलती से लिख दिया। अब ध्यान में आया। सचिवालय पर होने वाले खर्चे को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा पर था। पर यह खर्चा तो 76 लाख 87 हजार ही है। जो अधिक नहीं कहा जा सकता। पर मेरे कुछ दोस्त जो मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या राज्य मिनिस्टर की कुर्सियों पर बैठे हैं उन पर 32 लाख का खर्चा है जो बहुत अधिक है। एक तरफ पन्द्रह सौ आदमी सेक्रेटेरियट में हैं जिन पर 76 लाख खर्च होता है, और दूसरी तरफ इन 35 मन्त्रियों

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

पर 35 लाख खर्च होता है। मैं नेता महोदय से यह कहने को तो खड़ा नहीं हुआ कि वे मन्त्रियों की संख्या कम कर दें। यह तो कुछ दिलजले लोग कहा करते हैं। हमने बड़ी श्रद्धा से नेता का चुनाव किया था और उसको यह अधिकार दिया था कि मरजी आवे उतने मिनिस्टर बनाओ। पर, उपाध्यक्ष महोदय, उनको एक हजार महीने का वेतन दिया, तो यह साफ है कि एक लाख रुपया वे साल में खर्च नहीं कर सकते। पर वे करते हैं। टेलीफोनों का खर्चा उनका बहुत है एक तरफ सारा सचिवालय है उसका खर्चा आता है 1।।। लाख और 35 मिनिस्टरों का आता है पांच लाख। तो दिन भर ये कहां करते हैं इतने टेलीफोन ? इस पर थोड़ा अंकुश होना चाहिये। उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिये। आप इसकी एक लिमिट बान्ध दो। विधान सभा चल रही है और यहां 184 सदस्य हैं 140 आदमी स्टॉफ में हैं इनमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय भी शामिल हैं इन सब का भी मिलाकर 13 लाख का खर्चा है और ये 35 मन्त्री जिनका खर्चा 5 लाख।

एक माननीय सदस्य : 35 नहीं, 37 हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो इन पर इतना खर्चा करते हैं और एक एक पर सब मिलाकर एक-एक लाख रुपया सालाना खर्च होता है। गाड़ी का खर्चा ले लीजिये। सात लाख गाड़ियों के चलाने में खर्चा और यात्रा व्यय पांच लाख। इसके मुकाबले में सारे सचिवालय का यात्रा व्यय बता दें। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां जरूरी काम है वहां तो जावें, हर्ज न। पर अकारण शौकिया यात्रा बन्द करवा दीजिये और एक सीमा निर्धारित कर दीजिये कि इससे बाहर किसी भी सीगे में अगर मिनिस्टर खर्च करेगा तो उसे राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, वह उसे खुद को बर्दाश्त करना होगा। मुख्य मन्त्रीजी, कहीं जावें, सारे देश में उनको काम से जाना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, वे जावें, वित्त मंत्री हैं उनको भी काम करना पड़ता है, मंत्रियों को भले ही भेजते रहो पर ये उप-त्रुप, डिप्टी-फिफ्टी राज-वाज उन पर रोक लगानी चाहिये, उनका तो खर्चा मिनिस्टरों से भी ज्यादा है। मैंने देखा है। मन्त्रीजी के बंगले का बिल बिजली का आता है 55) का और उनका आता है सौ सवा सौ का। तो वे खर्चा करें तो ध्यान से करें। मुझे अच्छी तरह से याद है यहां पर मुख्य मन्त्री ने कहा था कि उन सबकी खर्चे की सीमा निर्धारित होगी। तो उनकी तो नीयत साफ है पर वे कहें नहीं दुबारा तब तक सुधरने से रहे। उनकी आदत पड़ गई है। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से चलो। बचपने से काम नहीं चलेगा। आपके पीछे हमें गालियां मिलती हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने एक दफा कह दिया तो शर्म भी नहीं खाई लोगों ने। आप ध्यान रखें। मैं ऐसे ऐसे मन्त्रियों को जानता हूं जो बीस-त्रीस दिन एक जगह बैठे थे और यात्रा भत्ता चलता ही रहा। इससे नुकसान होता है। थोड़ी सतर्कता बरतें। मोटर कार पर छः लाख, यात्रा भत्तों पर 4 लाख, पानी पर 4।। लाख, बिजली पर और न जाने किन किन पर लाखों का खर्चा। तो इस खर्चे को कम करना चाहिये।

जिला प्रशासन के लिये एक निवेदन करना चाहता हूं . ,

एक माननीय सदस्य : एक फोन तो आप भी लगवा लें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप तो भेड़े चराओ। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। तहसीलदार पर 75 लाख 30 हजार का अनुदान है। सामदायिक जो खण्ड चलते हैं पंचायत समितियां वगैरह उन पर 50 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और विकास के, खेती के और दूसरे सारे डेवलपमेन्ट के काम उनसे करवाते हैं तो यह तहसील 75 लाख वाली कहां से बीच में घुसी ? नहीं, थोड़ा भूल गया, तहसील तो एक करोड़ कुछ लाख है। जिला प्रशासन पर 75 लाख है। तहसील प्रशासन पर एक करोड़ 57 लाख का खर्चा है इसमें एक करोड़ से अधिक का खर्चा तहसीलदारों पर आता है। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है, एक अकाऊन्ट्स क्लर्क होता है, एक खजान्ची होता है और चपरासियों की तो भरमार होती है। मैं समझता हूं थोड़ी सी सावधानी कर ली जाय और ब्लाकों के द्वारा पंचायत समिति के कलेक्शन ऑफिसर लगा दिये जांय-पैसे को कलेक्ट करने वाले—यानी वसूली ऑफिसर लगा दिये जायं और इस खर्च को बन्द करवाया जाय तो हमारा काफी पैसा बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक–दो बात और निवेदन करना चाहता हूं। यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि राज्यपालों के पद को समाप्त कर दिया जाय, इसमें मुझे सख्त ऐतराज है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो केन्द्र को मजबूत न करें। राज्यपालों के पद को समाप्त करने की बात कहना केन्द्र को कमजोर करना है। अगर ऐसा होता है तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। आज कहते हैं राज्यपाल हटा दें, कल कहेंगे राष्ट्रपति को हटा दें। हमें केन्द्र को मजबूत करना होगा। राज्यपालों के नाम जो बात कही गई यह उन लोगों द्वारा चलाया हुआ नारा है जो विघटनकारी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा इस नारे पर सोच-समझ कर विचार करें। यह तो हंसोड़िये लोगों का नारा है। राज्यपाल का पद नहीं जाना चाहिये नहीं तो यहां पर उसी तरह की हालत होगी जैसे बंगाल की। उनकी क्या हालत है, यह अपन जानते हैं। अच्छा देश तब होता है जब एक गवर्नमेंट होती है अब अलग–अलग संघों में काम कर रहे हैं तो आप केन्द्र को कमजोर न करें। सरकार इस पर विचार न करे।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं माननीय वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वनों की कटाई सीधे ठेकेदारी प्रथा के द्वारा होती थी उसको समाप्त किया जाय, यह बहुत अच्छी बात है किन्तु वनों में जो अनुसूचित जाति या हरिजन लगे हुये हैं उनको आपने बेरोजगार करके उन पर कुठाराघात किया है, उसकी मैं निन्दा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं लाखों व्यक्ति जो इस धन्धे से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं उनकी उपेक्षा न की जाय बल्कि उनके द्वारा वनों की कटाई कराई जाय। वनों की जो उपज है उसकी बिक्री कराई जाय। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस तरफ आप ध्यान दें। लाखों व्यक्ति जो अपना जीवन-निर्वाह करते हैं उनको वंचित न रखा जाय, उनके जीवन पर जो कुठाराघात किया है उसको रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय मांगों के पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

मुख्य मंत्रीजी ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय उपाध्यक्षजी, सामान्य प्रशासन की मांग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव भेजे और इस सदन में जो बहस हुई उससे कई चीजों पर प्रकाश पड़ा है । इस सदन में राज्यपाल महोदय का पद समाप्त कर देना चाहिये, इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी यहां पर चर्चा सामन आई । मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल का पद जो वर्तमान विधान हमारे देश का है उसको देखते हुये समाप्त करना सम्भव नहीं लगता है । देश में जो परिस्थिति है और जो इन पिछले दो वर्षों में सामने आई है जिसमें कई बार राज्यपाल को पांच वर्ष के बीच में भी कई सरकारों को बनाने के लिये बाधित होना पड़ा है उन प्रान्तों के अन्दर राज्यपाल का निश्चित जोर रहता है । दरअसल मैं समझता हूं कि राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात सोची जाती है और सोची जाय तो उसके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात के लिये सहमत हो सकता हूं कि देश में जो अलग अलग प्रदेश हैं उनमें मुख्य मंत्रियों का सीधा चुनाव हो जाय और सीधा चुनाव होने के बाद प्रेसीडेन्शियल टाईप ऑफ इलेक्शन होकर और उसके बाद राज्यपाल का पद नहीं होना चाहिये जो अभी पार्लियामेन्ट्री टाईप ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें राज्यपाल के पद को हटाना सम्भव नहीं हो सकेगा । यह ज्यादा लोक सभा और राज्य सभा के सोचने का प्रश्न रहता है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में रेवेन्यू बोर्ड के सिलसिले में कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जिन सीनियर ऑफिसर्स को हम और स्थान पर नहीं रखना चाहते हैं या जिनको ठीक नहीं समझते हैं उनको रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनाकर भेज देते हैं । दरअसल यह बात ठीक नहीं है । माननीय सदस्य, इस बात को जानते हैं कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सदस्य रहे हैं वहां रहने के बाद सेक्रेटेरियेट में भी आये हैं और और सेक्रेटेरियेट में आने के बाद फिर रेवेन्यू बोर्ड में गये है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज में गये हैं जिनको हम आज यह समझकर चलते हैं कि वे किसी प्रकार भी अनपयुक्त नहीं हैं । उनको हम भेजते हैं, यह बिलकुल उपयुक्त है । अभी भी जो चैयरमन रेवेन्यू बोर्ड के हैं कुछ समय पूर्व बोर्डर कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे, अभी उनको वहां भेज दिया । माननीय उपाध्यक्षजी, बोर्ड आफ रेवेन्यू के फैसलों के सम्बन्ध में लोगों में पूरी आस्था हो और बोर्ड आफ रेवेन्यू के अन्दर ज्युडिशियल अनुभव का समावेश किया जा सके इस दृष्टि से मंत्री मण्डल में अनौपचारिका रूप से चर्चा हुई है और मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जल्दी ही बोर्ड आफ रेवेन्यू का पुनर्गठन करने जा रहे हैं और वह पुनर्गठन इस दृष्टि से करना चाहते हैं कि उसके अन्दर कुछ ज्युडिशियल नॉलेज के एलीमेन्ट्स को इन्ट्रोड्यूज किया जाय वे इस चीज के अन्दर ज्यादा ठीक हो सकते हैं । ज्यूडिशियल ऐलीमेन्टस इन्ट्रोड्यूज करने के दो जरिये हैं एक तो ज्युडिशियल सर्विस से लिया जा सकता है और दूसरा ओपन-बाहर से भी लिया जा सकता है और उसको लेने में हम हाई कोर्ट के जज को भी इस सिलेक्शन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के अन्दर शरीक रखना चाहेंगे जिससे उपयक्त चुनाव हो सके और जो भी ब्रान्च कॉन्सटीट्यूट हो उसके अन्दर लीगल आदमी का समावेश हो जाता है। इस तरह की बात ज्यादा हो सकती है। हम चाहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में लोगों के दिलों के अन्दर आस्था रहे। मैं यह नहीं कहता जो रेवेन्यू बोर्ड ने फैसले किये हैं वह गलत हुये हैं या इनकम्पीटेन्ट हुये हैं जो भावना है, लम्बे समय से और समय–समय पर सदन में चर्चा हुई है इस दृष्टि से इस बारे में विचार किया है।

(5 म० प०)

जो लैण्ड रिफार्म्स कमीशन मुकर्रर किया गया और उसने जो सिफारिश की हैं उनके आधार पर टीनेन्सी बिल इस सदन में पहले भी आया था और मेरे ख्याल से सिलेक्ट कमेटी में भी गया था और इस सदन में उसको जल्दी प्रस्तुत किया जा रहा है। सम्भवतः इसी सत्र में कि जिससे उसके ऊपर आगे कार्यवाही की जा सके और रेवेन्यू बिल भी जल्दी तैयार करके ला रहे हैं कि जिससे रेवेन्यू बिल और टीनेन्सी बिल नये तौर से एक दूसरों के साथ जिसको मेल बैठ सके, इस प्रकार से इसकी व्यवस्था हो सके।

माननीय उपाध्यक्षजी, शासन की कमियों की तरफ कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान के अन्दर समय–समय पर शासन के अन्दर किस प्रकार से गति आये, किस प्रकार से कमियां दूर हों इसके बारे में हम विचार करते रहे हैं। श्री हरिशचन्द्रजी माथुर की अध्यक्षता में कमेटी की नियुक्ति होना और अलग अलग वक्त के ऊपर सबसे पहले स्वामीनाथन् के विचार एक कमेटी के जरिये सारी चीजों का विश्लेषण कर, और अभी भी हमारे सेक्रेटेरियेट के वर्किंग के लिये जो हमारे फाइनेन्शल कमिश्नर हैं उनसे हमने कहा है कि और इसके अन्दर इम्प्रूवमेन्ट कैसे हो, इसके बारे में हम विचार करते रहे हैं। इस समय देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन सारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स के बारे में विचार करके मार्ग दर्शन कर रहा है और जो भी मार्ग दर्शन उनकी तरफ से इस संबंध में आयेगा उस पर यह सरकार भी गंभीरता-पूर्वक विचार करके निर्णय करेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में लोकपाल और लोक आयुक्त की नियक्ति के संबंध में भी समय-समय पर चर्चा आती है। यह भी कहा जाता है कि कुछ स्टेट्स ने इसके संबंध में कदम उठा लिये और राजस्थान के अन्दर हम कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। इस संबंध में कुछ जानकारी जो भी मैं कम समय में कर पाया हूं उसके अनुसार पंजाब में अभी कोई मशीनरी सैट-अप नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अन्दर एक कानून पास हुआ था लेकिन कानून पास होने के बाद उसके रूल्स और किस प्रकार से उसका प्रोसीजर होगा वह वहां पर भी तय नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है वहां भी एक आर्डीनेन्स इस बारे में निकाला था और उसके बाद में क्या कार्यवाही हो उसका अभी फैसला नहीं हुआ है। बिहार में कोई कानून नहीं बना है सिवाय एक हायर कमीशन कुछ लोगों की जानकारी और इन्क्वायरी के लिए सैट-अप किया गया है। उड़ीसा में भी कोई कमीशन अनाउन्स नहीं हुआ है या कोई बिल पास हुआ हो तो ऐसा भी नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्षजी इस समय लोक सभा में इस संबंध में लोकपाल संबंधी कानून

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का मसविदा वहां पर पेश किया गया है। बीच में होम मिनिस्टर्स की तरफ से इस लोकपाल का कानून कि जो केन्द्र द्वारा बनाया जा रहा है उसमें चीफ मिनिस्टर्स को भी सेन्ट्रल मिनिस्टर्स के साथ शरीक किया जाये इसके संबंध में हमारे पास पत्र आया था। मैंने उसके उत्तर में लिखा है कि सारे देश का प्रश्न है और चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में इसके बारे में नीति संबंधी निर्णय ले लिया गया है। मैं सदन को यही कह कर चल सकता हूं। भारत और प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को लोकपाल के नीचे आने वाली बात वहां होती है तो मैं कभी उससे ऐतराज नहीं करने वाला हूं। अगर यहां के मुख्य मंत्री को भी उसके लिए रखा जाता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे ऐतराज नहीं है। जहां तक अलग अलग प्रदेशों के अन्दर इसके संबंध में कानून बनाने की बात है एक बार देश की लोक सभा में एक नये प्रकार का कानून है, नयी व्यवस्था का कानून है वह वहां तय हो जाये तो उसके बारे में एक मॉडल बन जायेगा कि जिसके आधार पर मैं समझता हूं दूसरी स्टेट्स में कार्यवाही की जा सके। इसलिए जब अन्तिम रूप से वह मसविदा वहां पर तय हो जाता है और अन्तिम निर्णय हो जाता है तो उसके बाद में हम भी इस संबंध में अपना निर्णय लेंगे और उसके बारे में कार्यवाही करेंगे। इससे हमें कोई नाराजगी हो या इसको नहीं लाना चाहते हों यह बात नहीं है लेकिन वहां पर काफी चिन्तन होकर यह चीजें स्पष्ट हो जायेंगी इस दृष्टि से मैंने आपके सामने यह निवेदन किया।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी एक निष्पक्ष दृष्टि से पब्लिक सर्विस कमीशन और जुडीशियरी हमारे प्रदेश की काम करे यह कहा गया। राजस्थान की जुडीशियरी का और हाई कोर्ट का जहां तक सवाल है मैं समझता हूं कि आज इस बात को मैं दृढ़ता-पूर्वक कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, जो भी चीफ जस्टिस थे और जिस भी चीफ जस्टिस ने जो सिफारिश की हमने हमेशा उसका समर्थन किया है और उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर डालने का प्रयत्न नहीं किया है, राजनैतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसी बात को स्वीकार करके आज की तारीख तक हम चले हैं। राजस्थान में हाई कोर्ट का जज बाहर का हो और हमारे यहां के जज बाहर हों इसके संबंध में भी एक बार चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी और भारत सरकार से भी यह प्रस्ताव आया था कि जजेज का कुछ हिस्सा हर एक हाई कोर्ट के अन्दर कोई दूसरे-प्रदेश का हो इस प्रकार का निर्णय एक इन्टीग्रेशन की दृष्टि से भी ठीक होगा। तब भी हमने एक ही बात कही कि अनुपात तय हो जाना चाहिये सारे देश का। यह परिस्थिति नहीं हो कि हम तो सिद्धान्त रूप से स्वीकार करें कि हमारे यहां तो बाहर का भेज दिया जाये और हमारे यहां के लोगों को बाहर जजेज के रूप में नियुक्त नहीं किया जाये इसलिए अनुपात निश्चित हो जाये। भाषा को दृष्टि में रख लिया जाये कि हर एक हाई कोर्ट में जो भाषा बोली जा सकती है उस दृष्टि से कोई दिक्कत पैदा नहीं हो उन बातों को लक्ष्य में रखकर यह फैसला अगर किया जाता है तो इसमें हमें एतराज नहीं होगा। क्योंकि हाई कोर्ट के अन्दर एक भी जज एक भी व्यक्ति आज राजस्थान के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अन्दर यह नहीं कह सकते हैं कि कभी किसी प्रकार का पोलीटीकल प्रेशर लाने की बात हुई हो चाहे किसी पोलीटीशियंस को हाईकोर्ट में नियुक्त किया हो। तो मैं समझता हूं कि हमारे हाई कोर्ट का ट्रेडीशन फार्चुनेटली ऐसा रहा है कि जज की तरह से उन्होंने एक्ट किया है और पोलीटीशियन्स की तरह एक्ट नहीं किया है चाहे वहां मोदीजी हुए हों, चाहे भंडारीजी हुए हों और चाहे वेदपाल जी त्यागी हुए हों....

श्री भैरोंसिंह : चाहे बेरीजी नियुक्त हुए हों।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ..हां, जो भी नियुक्त हुए हों। मुझे बेरीजी के साथ पोलीटिक्स में आने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो भी हुए हों मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने वहां जाकर पोलीटीशियन्स की तरह एक्ट किया हो यह मैं नहीं मानता।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी जिक्र किया गया कि हमारे श्री रामचन्द्रजी को एक पोलीटीशियन्स की दृष्टि से नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति दर असल पोलीटीशियन की दृष्टि से नहीं की बल्कि वह सेशन्स जज और न जाने किन-किन पदों पर उनको वहां पर नियुक्त किया गया। उसी प्रकार से श्री बी० डी० माथुर को जो वहां नियुक्त किया गया है उनकी टेक्निकल नालेज, उनके कामकाज, उनकी इन्टीग्रिटी के बारे में मैं समझता हूं कि आम तौर से माननीय सदस्य जानते हैं और टेक्निकल मेम्बर वहां पर कोई नियुक्त नहीं किया जाता था। इस दृष्टि से वहां पर उनको नियुक्त किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी को टेलीफोन करके इधर कर देना या उधर कर देना मैं समझता हूं कि काल्पनिक ज्यादा है बमुकाबले वास्तविकता के। इस प्रकार की बातों में नहीं पड़ा करते हैं लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रमोशन्स को लेकर हाई कोर्ट में और और जगह कई जगह बहुत सी रिट्स और बहुत से केसेज गये हैं जिसका हम खुद को भी अफसोस कि जो सर्विसज के केसेज हैं वह इतने जायें। ले जाने का उनको अधिकार है, लेकिन जो प्रमोशन्स के रूल्स हैं, जो आज की व्यवस्था है उसके संबंध में भी हम केबिनेट में विचार करने वाले हैं। इन रूल्स को सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं। जैसे ऑल आल इन्डिया के अन्दर ऑल इन्डिया सर्विसेज रूल्स प्रमोशन्स के हैं आई० ए० एस०, आई० पी०एस० के ज्यादा से ज्यादा उन रूल्स के नजदीक इन सर्विसेज के रूल्स को ले जाना चाहते हैं जिससे ज्यादा रूल्स होने में ज्यादा काम्पलीकेशन्स होते हैं, ऐसा आभास होता है, आज उनको मिनिमाइज किया जाये और जल्दी से जल्दी इस संबंध में निर्णय लेंगे। लेकिन राजस्थान में आज अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एडवर्स रिमार्क्स के बेसिस पर प्रमोशन्स के अन्दर दिक्कतें होती हैं और एडवर्स रिमार्क्स मोटिव्ज की वजह से दिये जाते हैं।

एक मिनट के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मान भी लिया जाय कि एडवर्स रिमार्क्स के पीछे इन्डिविजुअल्स के लाइक्स और डिसलाइक्स भी काम करती हैं। कई बार मेरे दिमाग में विचार आता है कि क्या इस सिस्टम को एलिमिनेट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं इस सिस्टम को एलिमिनेट? एसेस करने का एक ऑफिसर के लिए क्या हमारे पास आधार होगा सिवाय इसके कि जो उसका इमीजियेट ऑफिसर या उससे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सीनियर आफिसर है, तो अभी तक इसके सम्बन्ध में मैं स्पष्ट नहीं हूं, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। इसलिए फुलप्रूफ विचार हमारे सामने आज जो व्यवस्था है उसके अलावा यह जरूरी है कि अगर एडवर्स, रिमार्क्स कहीं कम्युनिकेट नहीं हुए हैं किसी को और उस एडवर्स रिमार्क्स के मामले की वजह से सफर कर रहा है तो यह नहीं होने देना चाहिए। इस वजह से हमने इस बात को लिखा है कि एडवर्स रिमार्क्स ने सेसरिली कम्युनिकेट होने चाहिए, कहीं पर भी इसमें गफलत नहीं होना चाहिए, और जो ऑफिसर एडवर्स रिमार्क देता है उसके बारे में प्रोवीजन इस बात का भी है कि वह अपील कर सकता है और इसके बारे में और भी कार्यवाही कर सकता है। इसके अलावा इसमें गुन्जायश नहीं है क्यों कि कान्फीडेन्शियल रेकार्ड्स में एडवर्स रिमार्क्स रखने की बात नहीं करेंगे, तो मैं नहीं जानता कि डिसिप्लिन के लिहाज से उसका क्या असर होने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो चाहे जैसा काम करेंगे कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं दे सकेगा सिवाय इसके कि आपकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अन्दर उसके खिलाफ कार्यवाही करें या लीगल कार्यवाही करें और बीच का कोई रास्ता नहीं रहे तो मैं समझता हूं कि सर्विस में डिसिप्लिन के लिहाज से वह चीज ठीक साबित होने वाली नहीं है।

अब इन रिमार्क्स का प्रोमोशन के अन्दर कितना वेटेज हो, इसका आगे क्या हो, यह सब प्रश्न अलग हो सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी कहा गया कि प्रोमोशन के लिए कभी मेरिट फार्मूला माना जाता है, कभी दूसरा फार्मूला माना जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि शायद इस सदन के सभी माननीय सदस्य जब मेरिट को वेटज मिलना चाहिए इसके बारे में चर्चा की थी तो सब उस नीति से सहमत थे। हो सकता है कि मेरिट के बारे में या और सिस्टम के बारे में मतभेद हो। उन चीजों के बारे में, क्योंकि यह मिसल हाई कोर्ट के अन्दर पेश है मैं बहुत चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरिट के बेसिस को समझा जाना चाहिए। उस बारे में किसी भी माननीय सदस्य को विरोध नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से बेनिफिट होऊंगा इस बारे में अगर कोई यह सलाह दे सकें कि प्रोमोशन में मेरिट को वेटेज देकर किस प्रकार सर्विस रूल्स के अन्दर प्रोवीजन कर सकते हैं जिससे कि मेरिट वालों को लाभ पहुंच सके, क्योंकि यह बराबर दिमाग में खयाल रहता है कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स जरूर हैं उनके नीचे बहुत से यन्गर ऑफिसर हैं उनमें इन्सेन्टिव रहना चाहिए इस बात का कि उनको आउट ऑफ प्रोमोशन मिल सकता है जिस वक्त आउट ऑफ प्रोमोशन मिलने वाली बात नहीं रहेगी तो मैं समझता हूं कि डिसइन्सेन्टिव उनमें रहेगा और जो उनको काम करने की इन्टेग्रिटी है उन बातों पर असर पड़ सकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर इस बारे में भी कहा गया कि ऑफिसर्स जो लन्च पर जाते हैं वे वक्त पर वापस नहीं लौटते हैं, और इसकी वजह से प्रशासन में काफी ढिलाई और बहुत सी कमियां आती हैं। मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि हमको विश्वास करके चलना चाहिए और यह व्यवस्था रखकर हम चालू करें तो सुधार होगा, लेकिन माननीय सदस्यों के आम तौर से जो विचार सामने आये हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह मैं जानता हूं कि कई जगह लोगबाग जितना समय निश्चित है उससे ज्यादा भी काम करते हैं, लेकिन आम तौर से कुछ व्यक्तियों के लिहाज से सारी चीज की व्यवस्था को हम नहीं चला सकते । अगर इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है तो हम इसको किस प्रकार से करके कर सकते हैं इसके बारे में हम जल्दी से जल्दी कदम लेंगे जिससे आज जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के अन्दर सुधार लाया जा सके और जितना समय उनके लिए निश्चित है उतने समय तक उनको ऑफिस में रहना चाहिए इस बारे में पूरी व्यवस्था करेंगे कि उतने टाइम तक वे ऑफिस में रहें, और लन्च ब्रेक के लिए घर पर जाने वाली जो इजाजत है उसको जल्दी से जल्दी बन्द कर देंगे और जो घर पर जाने वाली बात है उसको समाप्त किया जाय । लन्च वहीं लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इसकी वजह से घन्टे, डेढ़ घन्टे का जो समय लेकर घर पर रहते हैं वे नहीं रहें ।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर अभी कहा गया कि भगवतसिंहजी जो पिछले चीफ सेक्रेटरी थे उनको रिएम्प्लॉयमेन्ट क्यों दिया गया । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि उनको रिएम्पलॉय नहीं किया गया है । उनको जो चैयरमैन बनाया गया है वह किसी नॉन-ऑफिशियल को किसी आर्गेनाइजेशन का और किसी चीज का चयरमैन बनाया जाता तब भी उसको ज्यादा देते, लेकिन इनके केस के अन्दर सम्पचुरी एलाउन्स 400) रु० का दिया जाता है । उसके अलावा कार एलाउन्स दिया जाता है और फ्री फर्निश्ड हाउस दिया जाता है । इनके सिवाय दूसरा कोई कैश इमाल्युमेंट नहीं दिया जाता है । इसलिए यह समझना कि रिएम्पलॉय किया गया है तो रिएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो लास्ट पे ड्रान माइनस पेन्शन हो तो वह रिएम्प्लायमेंट होता है, जो कि इनके केस में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके गवर्नमेंट आर्डर में तो ऐसे लोगों को ऐसे पद पर भी नहीं रखा जाय यह है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने कहा है कि आटोनामस यूनिट्स या दूसरों में नहीं रखा जाय दूसरे में नहीं रखे जाने का मतलब रिएम्प्लायमेंट से है । This is not re-employment.

उसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष, अगर एक व्यक्ति को विधान के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त किया जा सकता है या अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन ट्रिब्यूनल्स के लिए कान्स्टीट्यूशन के अन्दर प्रोवाइडेड है कि retired Judges and High Court Judges they can be appointed on these posts. तो राजस्थान गवर्नमेंट सब कानून के अनुसार रिटायर्ड जजेज का एपाइन्टमेंट करती है । तो कान्स्टीट्यूशन के फ्रेमर्स ने इस बात को एन्वीसेज किया था कि रिटायर्ड जजेज को इन पोस्ट्स पर एपाइन्ट किया जा सकता है, और उस दृष्टि से उन लोगों का एपाइन्टमेंट किया जाता है । आज राणावत साहब को बीच में अलग-अलग पदों पर रखा गया तो उसके संबंध में चर्चा आई, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक चीफ जस्टिस, राजस्थान हाई कोर्ट के रहे तब तक किसी को इस बारे में सोचने की गुन्जायश नहीं थी कि यह समझ कर चल सकें कि वे हमारी पैरवी कर रहे हैं या उसके संबंध में अपनी ड्यूटीज में इधर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उधर हुए हों। इस वजह से उनको इन पदों पर शुरुआत में रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर डाक्टर सरीन के बारे में भी कहा गया था। उनको इस टर्म में जैसा कि मैंने बताया है रिएम्प्लायमेंट उस प्रकार से उनका भी नहीं है। उनके एक्सपीरियन्स का, उनकी एडवाइस का खास तौर से टीचिंग लाइन के अन्दर लाभ मिल सके उस दृष्टि से उनको भी वहां रखने वाली बात की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष, मिनिस्टर्स के कार लोन्स के बारे में यहां पर कहा गया कि मिनिस्टर्स कार लोन्स को वक्त पर नहीं चुकाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है मौजूदा मंत्री-मण्डल के अन्दर मिनिस्टर्स हैं वे इस संबंध में समय पर लोन चुका रहे हैं। जो नहीं चुका रहे हैं उनका संकेत भैरोंसिहजी स्वयं भी समझ गये हैं। मैं उनका नाम यहां नहीं दोहराऊं तो अच्छा है। डिफाल्ट है तो उन्हीं का है जिनको आप समझ गये हैं।

श्री भैरोंसिह : डिफाल्टर और भी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जानबूझकर आप नाम लिवाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर्स की जरूरत नहीं है जिला परिषदों में सेक्रेटरी हो जायं और सारी व्यवस्था को इस प्रकार से तोड़ दिया जाय। मैं नहीं जानता कि कितने वर्षो के बाद यह व्यवस्था होगी, लेकिन अभी इतना बड़ा परिवर्तन करके जो इसके परिणाम प्रशासन की दृष्टि से आ सकते हैं उतनी तैयारी इस सरकार की नहीं है। अन्य जगहों में जहां पर नई सरकारें कायम हुई हैं उनके वहां के प्रशासन को देख कर हम भी लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : आपके अनभव से उनको फायदा पहुंचायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : धौलपुर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स बनाने के लिए हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े उत्साहपूर्वक यहां पर जो कहा तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो अलग-अलग जिले कायम किये गये हैं उसमें और बढ़ोतरी की बात सोचकर हम नहीं चलते हैं, लेकिन धौलपुर के अन्दर बीच में ग्लास वर्क्स बन्द हो गया था और वहां के लोगों को रोजगार की तकलीफ थी तो विशेष तौर से उसके बारे में ध्यान देकर उसको शुरू करने वाली कार्यवाही की है। जिससे धौलपुर के लोगों को वहां पर आसानी से कोई कामकाज मिल सके उस दृष्टि से भी हम विचार कर रहे हैं, और जब उसका निर्णय हो जायगा तब उसके संबंध में जो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनको मैं अवगत करा दूंगा कि क्या इसके बारे में व्यवस्था की जा रही है।

बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर खराब आफिसर्स को ही हम भेजते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी शायद इस बात को दिल से मानकर नहीं चल सकते। माननीय सदस्य जानते हैं कि इन पिछले चार सालों, के अन्दर ही दो बार तो प्रशंसा करने का उनको मौका मिल चुका है। इस बात पर मैं ज्यादा कहूं उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ठीक ऑफिसर्स हों।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहीं इसके संबंध में कोई बात आती है तो उस पर भी कार्यवाही करके चलते हैं, क्योंकि अब बाड़मेर और जैसलमेर उस दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं रहे हैं जो कि पहले बिजली, पानी, सड़क वगैरह की तकलीफ थी। अब तो जैसे मान लें कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाय तो वहां भी बाड़मेर और जसलमेर में भी वे ही सुविधाएं उसको मिल सकती हैं। आपके वहां कॉलेज की कमी थी तो उसकी पूर्ति होने के बाद और भी दिक्कत वहां की कम हो गई है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

58 साल की एज के बारे में भी प्रश्न उठाया गया। मैंने जैसा सदन में कहा था, मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इस सम्बन्ध में लिखकर भेजा था कि हम चाहते हैं कि आल इन्डिया सर्विसेज की एज भी 58 से घटा कर 55 कर दी जाये लेकिन वे इस दृष्टि से सहमत नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आज देश के अन्दर जो कान्सेन्सस इस के बारे में बनेगा तब उसी प्रकार के ही रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे। लेकिन आज जो नवयुवकों के लिए सर्विसेज की दिक्कत है उसको लक्ष्य में रखकर ही खास तौर से यह फैसला किया गया था और वह दिक्कत कम हुई है ऐसा मानकर हम नहीं चल सकते। तो ऑल इन्डिया सर्विसेज के लिये भी हमें प्रयत्नशील होना है लेकिन हमने जो कदम उठाया है वह केवल इस वजह से कि ऑल इन्डिया सर्विसेज के अन्दर नहीं हो रहा है, इसलिए हम भी वह कदम वापिस ले लें और कम से कम राजस्थान सर्विसेज के अन्दर जो नवयुवकों के लिये गुंजाइश है उसको भी हम रोक दें, यह ठीक नहीं होगा। इसलिये राजस्थान में हमने उसी 55 की एज को कायम रखा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्म्स के बारे में यह सवाल उठाया था और वह दरअसल एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सम्बन्ध में विजीलेन्स कमीशन द्वारा जानकारी भी की गई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ऑफिसर्स को नोटिस सर्व कर दिया गया है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं। और जो विजीलेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसके अनुसार हमने नोटिस में यह भी लिखकर दिया है कि वे आर्म्स वापिस सरेंडर करें और यह भी एक्सप्लेनेशन दें कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में जो आगे कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम सेक्रेट्रीज, डिप्टी सेक्रेट्रीज और असिस्टेन्ट सेक्रेट्रीज की पोस्ट्स में कमी करें। दरअसल आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम सेल सिस्टम चालू करना चाहते हैं तो उस हालत के अन्दर सीनियर ऑफिसर्स की और आवश्यकता बढ़ेगी, कि वे स्वयं ही नोट लिखें और एक या दो स्टेज में ही कागज का डिस्पोजल हो जाये। तो उसमें बजाय इसके कि हम सीनियर ऑफिसर्स की कमी करें, हमें उनकी पोस्ट्स और बढ़ानी होंगी।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि एल० डी० सी० और यू० डी० सी० जो नोट लिखकर देता है उसके अनुसार ऑफिसर्स फैसला कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कई सदस्य पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी के मेम्बर्स हैं और उनको सेक्रेटरियेट के नोट्स और फाइल्स देखने के कई मौके आये होंगे। मैं समझता हूं वे इस बात की गवाही देंगे कि सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज एल० डी० सी० या यू० डी० सी० के ही नोट्स पर फैसला देते

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हूँ ऐसी बात नहीं है, वे हर लेवल पर अपनी माइन्ड अप्लाई करते हैं और इन्टेलीजेन्स तरीके से माइन्ड अप्लाई करते हैं। इसलिये इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते हो सकता है कुछ इन्डीवीजअल्स ऐसे हों जो खुद का निर्णय नहीं लेते हों, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कागज निकालने में समय बहुत ज्यादा लेते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डिलेज हैं इससे इन्कार नहीं। उसको मिनिमाइज करने के लिए समय-समय पर सर्कूलर्स और आर्डर्स इश्यु किये जाते हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट इस संबंध में क्या रास्ता निकालती है उसको देखकर भी कार्यवाही करेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्रियों की तादाद और उन पर खर्चे के बारे में आम तौर से इस सदन में कोई भी इश्यु हो तो जिक्र किया जाता है। तो जो कुछ मैं पहले कहता रहा हूं उसको ही वापिस दोहराना होगा। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य प्रशासन की मांग को आप स्वीकार करेंगे । जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव आये हैं लेकिन बोल नहीं पाये हैं, उनके भी अगर स्पेसीफिक बात पर कट मोशन्स होंगे तो उनको हम उत्तर भेज देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19--सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,41,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

श्री विजयसिंह (मकराना) : सत्यानाश कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्री जी ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, इनका इतना अच्छा है, इनका भाषण सुनकर मजा आता है। तो हम इनको थोड़ा सा सुनकर ही मन्जूर कर लेंगे ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : वन पर जो चर्चा हुई उसके सम्बन्ध में....

(कुछ माननीय सदस्य बाहर जाने लगे)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य मुख्य मंत्री के बाद वन मंत्री को क्यों नहीं सुनना चाहते ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब बैठे हैं ।

श्री नत्थीसिंह : उधर के माननीय सदस्य मंत्रीजी का तिरस्कार कर रहे हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सब स्वीकार करेंगे कि वन मंत्रीजी इतना अच्छा बोलते हैं, इसलिये इनकी मांग मन्जूर कर लेनी चाहिए ।

श्री नारायणसिंह : मेरी मांग के इश्यु पर जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों में मुद्दे उठाये हैं, उन सब पर मैं प्रकाश डालूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत संक्षेप में ।

श्री नारायणसिंह : बहुत संक्षेप में । पर वह संक्षेप में तब हो सकेगा जबकि सदन का ध्यान इधर रहेगा ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे बहुत सन्तोष हुआ है कि माननीय सदस्यों की रुचि इस वन विभाग की तरफ जागरूक हुई है । और उन्होंने बहुत अच्छे और कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा ।

श्री नारायण सिंह : वास्तव में वन विभाग वह विभाग है जिस के बारे में कई प्रकार की भ्रान्तियां परम्परागत चली आ रही हैं और वह कुछ बात हो सकती है, परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वनों के मारफत ही कृषि भूमि की रक्षा हो सकती है । भूमि का सुचारु रूप से निर्माण और भूमि की उत्पादक शक्ति को कायम रखने वाले ये वन ही हैं । मैं निवेदन करता चाहता हूं कि कभी कभी जब मैं वन विभाग के बारे में सोचता हूं तो मुझे उसकी स्थिति ऐसी लगती है जैसी कि एक विधवा औरत की । जिस प्रकार से एक विधवा चाहे भद्रता का व्यवहार करे अथवा अभद्रता का व्यवहार करे, दोनों ही तरफ बदनामी होती है और उसके मुकाबले एक सधवा, चाहे वह भद्रता से व्यवहार करे चाहे अभद्रता से, अपने सौभाग्य को लेकर आगे चलती है । यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह इनकी कुछ समझ में नहीं आया है ।

श्री नारायण सिंह : मैं यह कहूंगा जहां तक आचरणों के सम्बन्ध में प्रश्न उठ खड़े होते हैं, वन विभाग के आचरणों की जांच करने के लिए उसी विधवा का ख्याल कर लेना चाहिए । इस तरह यह देखना चाहिए कि वनों की तरफ से प्रत्यक्ष लाभ नहीं हैं वनों कि तरफ रुचि है तो परम्परागत में शुमार कर ली जाती है, वह अरुचि विशेष में ले ली जाती है । ऐसी स्थिति में जब कि लैंड हंगर पैदा हो रही है । वन अधिकारियों के सामने बड़ी ही नाजुक स्थिति पैदा हो जाती है । अगर वह दत्तचित होकर काम करते हैं तो उनको एक बेइमान कहता है । नालायक कहता है, भ्रष्टाचारी कहता है अगर वह ऐसी जगह पर सभी तत्वों को प्रसन्न करने की कोशिश को लेकर चलते हैं तो मैं कहूंगा कि अपने दायित्वों के प्रति कमी कर जाते हैं । ऐसी दशा में वहां लोग कुछ उनके प्रति सहानभूति रखने लग जाते हैं । जब वन विभाग में तबादले का प्रश्न आता है तो चारों तरफ से व्यक्ति विशेष के दबाव आते हैं । अधिकारी विशेष जो ईमानदारी से काम करते हैं, उसके खिलाफ असन्तोष और रोष उठता है । इतना अनुभव हुआ है, इस बारे में । कभी एक व्यक्ति की दाद दी गई । उसको रखने के लिए या निकालने के लिए कहा गया है और थोड़े ही दिनों में उसके विपरीत बात कहन लगते हैं । तो समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों मतों को जस्टिस की तकड़ी लेकर तौलना चाहें, इस विधान सभा को अधिकार है । विधान सभा ने जो मुझे मन्त्री के नाते अधिकार दिया है, तो हम सही भूमिका की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं । तो उस जजमेंट के अन्दर थोडा सा फर्क हो जाता है । न्यायसंगत बात के दोहराने के अन्दर कुछ फर्क आ जाता है । अभी मैं इसके साथ यह निवेदन करना चाहता

(श्री नारायणसिंह)

हूं कि वनों की तरफ रुचि और अरुचि का सवाल मैंने उठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसी उद्योग से सीधे तौर से लाभ दे दिया जाता है, वनों के पास उस प्रकार की स्थिति नहीं है। वन उस भूमि को उर्वरक बनाते हैं। उसकी उर्वरकता को बनाये रखने के लिए, बायोटिक पोटेंशियलिटी बनाये रखने के लिये, उसका एकालाजिकल बैलेंस रखें। उसका यह महत्व परोक्ष है। वह सीधे तौर से सामने नहीं आता है। मैं निवेदन कर रहा था, अकाल के सन्दर्भ में, वास्तव में अगर वन चले गये तो मुझे यह कहने में सन्देह नहीं है कि जिस प्रकार का हो रहा है उस प्रकार से वनों में यह काफी गलत है। यह न केवल राजस्थान में ही बल्कि सारे भारतवर्ष में, आज हमें 20 वर्ष में यह मालूम पड़ने लगा है कि वनों के हटने से अनुर्वरकता हुई है। कुओं का पानी खारा होकर नीचे चला गया है। मवेशियों के लिए घास की प्राब्लम खड़ी हुई है। वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षे किं प्रमाणम्।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वन की नीति दूषित रही है।

श्री नारायणसिंह : इसीलिये मैं निवेदन करता हूं कि वन विभाग की तरफ से अकाल राहत विभाग को 1 लाख क्विन्टल घास दी गई है। 50 हजार क्विन्टल घास यूनाइटेड फोडर बैंक की मार्फत अकाल विभाग को दूसरे राज्यों से अधिक कीमत में मंगानी पड़ी। डोनेशन की घास 2।। लाख क्विन्टल उन को प्राप्त हुई है। उनका खर्चा हम देते हैं। आज हमें यह महसूस करना होगा कि 2।।-3 लाख क्विन्टल घास की क्षमता पैदा कर सकते हैं तो वनों में वास्तव में इमरजेंसी के अन्दर हमें इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे वनों के अन्दर 60-70 हजार मवेशी खपाये गये हैं। इस समस्या पर हमें निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। केवल हम अमल या तम्बाकू खाते हुए बात करें इस प्रकार नहीं। हमें यह सोचना होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य गोकुल प्रसादजी ने अभी कहा है कि चरागाह सुधार के लिए 15,900 रु० का प्रावधान रखा गया है। कई कटौती प्रस्ताव हैं। जिनमें पर्याप्त जिक्र किया गया है शिकायत है। मुझे खुशी है कि मुझे इससे बड़ा बल मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि चरागाह सुधार के अन्दर अगले वर्ष के लिए 15,900 रु० का प्रावधान जो माननीय सदस्यों ने बताया, वह कण्टीन्यूड स्कीम के लिए है। नई स्कीम्स के लिए प्रावधान रखा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में वह 4 लाख 78 हजार है और भौतिक लक्ष्य प्राप्ति 1,675 है। इस तरह चारा सुधार के अन्दर 9 हजार एकड़ भूमि में पंचवर्षीय योजना के अन्दर चरागाह सुधार करने की बात है। और 46.30 लाख रु० का प्रावधान इसके अन्दर रखा गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है साहब।

श्री नारायणसिंह : 20 हजार क्विन्टल चौथी योजना के पूरा होने पर 6 लाख क्विन्टल अतिरिक्त घास उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा भी घास के बीड़ की तैयारी और घास के गोदाम की तैयारी के अलावा पच्चीस लाख रुपये का प्रावधान गांधी शताब्दी के अतिरिक्त कार्यक्रमों के अन्दर शुमार करके रखा गया है। इसका मतलब है 46 लाख का अतिरिक्त प्रावधान है, बाड़मेर, जैसलमेर

(श्री नारायणसिंह)

जिले और पाली, सिरोही आदि से एक लाख क्विन्टल अतिरिक्त घास उत्पादित हो सकेगा....

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है ।

श्री नारायणसिंह : इसके साथ फोडर बैंक की बात सोची जा रही है। इसके संबंध में अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है प्रोग्राम परन्तु इसमें 50 हजार क्विन्टल, पिचहत्तर हजार क्विन्टल का स्टॉक बनाया जायगा, वह तीन वर्ष के रोटेशन के हिसाब से बनाया जायगा और पच्चीस हजार क्विन्टल हर वर्ष निकाल दिया जाय, और हर वर्ष पच्चीस हजार और जमा कराया जायगा । इस प्रकार पिचहत्तर हजार नहीं तो पचास हजार क्विन्टल का स्टॉक रखा जायगा । यह घास गोदाम ऐसी स्थिति के अन्दर काम आयेंगे जब हम अकाल के अन्दर हों । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी परिपाटी के अन्दर भी घास की बागरें लगाते थे । उसी तरह फोडर बैंक के रूप में बागरें बनाने के लिए स्थान-स्थान पर प्रावधान कर सकें तो काफी समस्या का समाधान होगा....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा है। हम आपकी मांग को सर्व सम्मति से पास करेंगे ।

श्री नारायणसिंह : इसके साथ-साथ प्लान्टेशन की बात आई, प्लान्टेशन पर दुरुपयोग की बात आई । प्लान्टेशन पर खर्च की बात आई, और दूसरी सारी बातें इससे मिली हुई हैं वह बातें आईं । कुछ बात इस प्रकार की आई थीं कि प्लान्टेशन अथवा वन गांव के इतने नजदीक होते हैं कि इस कारण किसानों को दिक्कत होती है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए जोर दिया । मैं उनकी प्रशंसा करता हूं इस बात के लिए कि जो पहाड़ियां हैं, जिनके ऊपर बहुत नगण्य वन हैं और जो गांव के पास हैं वह गांव को सौंप देना चाहिए । मैं इस संबंध में निवेदन करूं कि राज्य सरकार के विचाराधीन गत वर्ष से ही यह बात है और यह इस वर्ष फाइनलाइज होने को है कि निजी वन और सामुदायिक वन रखे जायें, और निजी और सामुदायिक वनों के अन्दर इस प्रकार के जो डुप्लीकेट फोरेस्ट हैं और इस प्रकार जो जमीन है उसके अन्दर समिति के रिज्योल्यूशन के द्वारा, पंचायत के रिज्योल्यूशन के द्वारा सौ, दो सौ एकड़ जितना एरिया रहता है उतना एरिया उनको सम्भला दिया जाय....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा है।

श्री नारायणसिंह : जिससे गांवों के अन्दर उन्नत तरीके से पेड़-पौधे लगाने और सोइल कन्जर्वेशन के सारे कार्य किये जा सकें। यह दस-दस वर्ष के लिए कान्ट्रेक्ट होगा और दस वर्ष के कान्ट्रेक्ट को नाइन्टी ईयर्स अथवा फिफ्टी ईयर्स तक रिन्यू करने की बात होगी । इससे कलेक्टिव फारेस्ट हो जायेंगे, और सामुदायिक फोरेस्ट की प्रवृत्ति है अभी जनता की अरुचि इस तरफ है वनों के अन्दर, उसके वजाय उनके अन्दर एक तरह से यह मनोवृत्ति बढ़ेगी और उनके अन्दर दिलचस्पी पैदा होगी और जनता अपना सक्रिय सहयोग वनों के उत्पादन के अन्दर दे सकेगी और वनों का लाभ समझ लेगी....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत बहुत धन्यवाद ! बहुत अच्छा है।

श्री नारायणसिंह : इससे मैं समझता हूं कि बहुत तरक्की होगी ।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं..

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम आपकी मांग को सर्वसम्मति से पास करेंगे । आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नारायणसिंह : अधिकांश माननीय सदस्यों के जो कटौती प्रस्ताव हैं वे इस तरह के हैं और उनकी मांग यह थी कि वनों में अबाध कटाई हुई है और वनों के अन्दर ठेकेदारों ने दुरुपयोग किया है, इससे वनों की काफी क्षति हुई है । मैं मानता हूं और मुझे इस बात को मानने में शर्म नहीं है, मैं इस बात में शंका नहीं करना चाहता । वाकई ठेकेदारों के द्वारा.....

श्री श्रवणलाल : घोटाले हुए हैं ।

श्री नारायणसिंह : वनों की भयंकर हानि हुई है और इसी बात को ध्यान में रख कर मैं गत वर्ष से गीत गाने लगा हूं कि ठेकेदारी प्रथा हटे और इस दिशा में प्रयत्न करते हुए मैं इस वर्ष कुछ हिम्मत करके डिपार्टमेंटल वर्किंग की तरफ कदम उठाया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का इस विषय में बहुत गम्भीर अध्ययन है और उनका बड़ा सहयोग है, और अब कबिनेट ने इस बात के लिए तय किया है कि वनों की घटती हुई संख्या को देखते हुए लकड़ी और ईंधन के ठेके सारे बन्द कर दिये जांय एकदम, और एकदम से बन्द करने के निश्चय से दो बातें उत्पन्न हुई–एक तो राज्य सरकार को जो पैंतीस-चालीस लाख का घाटा हुआ, और दूसरे जो ईंधन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति का भी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है । इसलिए इन दोनों प्रश्नों को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है । मैं यह तो कह सकता हूं कि रेवेन्यू माइन्डेड-नैस जो वनों की है, जो रेवेन्यू के दृष्टिकोण से वन चलते हैं, और इस प्रश्न को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरह से लेने का प्रयत्न किया जा रहा है, वह है परन्तु मैं निवेदन कर सकता हूं कि एकदम रेवेन्यू के कारण से ही नहीं बल्कि जो जनता की आवश्यकतायें हैं उनको देखते हुए इस पर विचार करना पड़ेगा । इस वक्त बीस हजार एकड़ के अन्दर सालाना यह लकड़ी और ईंधन का ठेका दिया जाता है । अगर इसको बिलकुल बन्द कर देंगे तो जिस प्रकार कटौती प्रस्तावों में प्रश्न है, या दूसरे माननीय सदस्यों ने जो बात कही अथवा नहीं कही—वे सब चीजें मौजूद हैं इसमें । इसके अनुसार जो ईंधन की कीमत बढ़ने की शिकायत आई है, वह भी समस्या हमारे सामने मौजूद थी । उसके कारण यह डिपार्टमेंटल वर्किंग लेना पड़ा और इस डिपार्टमेंटल वर्किंग के अन्दर मैं निवेदन कर सकता हूं कि इससे कितना घाटा और कितना फायदा हमारे राजस्व के अन्दर भी हुआ है । यह भी मैं थोड़ा सा अंकित यहां पर कर दूं तो अप्रांसगिक नहीं होगा । 1 करोड़ 25 लाख की नार्मल इन्कम हमारे यहां पर है, 1 करोड़ 25 लाख की गत वर्ष में हमने इन्कम वनों की दी और उसके खिलाफ रिवाइज्ड एस्टीमेट के अन्दर 96 लाख, मैं आपको इसका विश्लेषण करके निवेदन करूं तो इस बजट में जो एस्टीमेट फायरवुड का था, 1 लाख 25 हजार, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट में पहले का एस्टीमेट 1 करोड़ 25 लाख मान कर 33.50, 5.38— इस प्रकार 38 का घाटा इधर हुआ कुल

(श्री नारायणसिंह)

मिला कर, और इधर जो कत्था और माइनर प्रोड्यूज की आमदनी थी बजट एस्टीमेट के अन्दर वह 25.50 थी। उसके बजाय मैं फख्र के साथ निवेदन कर सकता हूं कि इन माइनर प्रोड्यूसेज का, कत्था इत्यादि के ठेके की जो आमदनी अंकित हुई गत वर्ष में रिवाइज्ड एस्टीमेट 35.50 लाख से नीचे है वहां 42.58 हुई है, इस प्रकार से सात लाख एडजस्ट हुए। तो घाटा करीब 24 लाख का रहा। मैं इसके अन्दर निवेदन करूं कि लकड़ी कोल के ठेके से कुल अर्निंग 40 लाख की होती थी और चालीस लाख की भी तीस हजार एकड़ पर होती, पूरी इन्कम उस हिसाब से होती थी....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा है।

श्री नारायणसिंह : तो जो कुल 1 करोड़ 25 लाख होती थी उसमें से 96 लाख अगर निकाल कर देखें तो कुल आमदनी 1 करोड़ 40 हजार से ऊपर हुई है। मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार बढ़ते हुए यह डिपार्टमेंटल वर्किंग इस वर्ष क्योंकि देरी से शुरू हुआ है, अगले वर्ष में 15 हजार एकड़ पर काम करने का विचार है तो उस पन्द्रह हजार एकड़ पर वह चालीस लाख की आमदनी, जो तीस हजार एकड़ से होती थी, उससे अनकरीबन तीस-पैंतीस लाख इस पन्द्रह हजार एकड़ में डिपार्टमेंटल वर्किंग के होने से आशा है। तो उससे आधी जमीन को एक्स्प्लोइट करते हुए 1 करोड़ 40 लाख की आमदनी देने का हमने रखा है और इस प्रकार हम दे सकते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले सारा ठेकेदार खा गये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम आपकी मांग सर्वसम्मति से पास करेंगे।

श्री नारायणसिंह : जो हमारे सारे राजस्थान की हर प्रकार की लकड़ी की जरूरत है, चाहे फर्नीचर की लकड़ी हो, घर मकान की जरूरत की लकड़ी हो, फ्यूअल फायर की लकड़ी हो, जो लकड़ी का अंकन मेरे पास है वह आठ-नौ साल पूर्व का है, इसको मैं अपटूडेट तो नहीं कह सकता, लेकिन यह आठ-नौ साल पूर्व का चार हजार क्यूबिक फीट की आवश्यकता राजस्थान की है। इसके मुकाबले में वनों की क्षमता हमारी है यह तीन लाख क्यूबिक फीट है। यह आठ-नौ साल पहले के फिगर्स मैं अर्ज कर रहा हूं। आज की स्थिति का अंकन किया जाय तो शायद इसमें बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। तो आज के प्लानिंग के युग के अन्दर हम सारी बातों का प्लानिंग करते जायें और छोटी बात का प्लानिंग छोड़ देते हैं, एक लाख क्यूबिक फीट लकड़ी की कमी पड़ती है उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और यह सोचें कि हर जगह पर एटामिक पावर लगा दें.....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : आपने जो हनुमानगढ़ के अन्दर फोरेस्ट बनाया है, वह बेकार बात है। वह थोड़े से अधिकारियों के शिकार खेलने के काम में आता है। तो हनुमानगढ़ फोरेस्ट में जितनी जमीन सुरक्षित वन में रख दी गई है तो यह क्या बुद्धिमानी की बात है ?

श्री नारायणसिंह : मैं यह निवेदन करूं कि एक लाख क्यूबिक फीट लकड़ी के लिये यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते और प्लानिंग में इसके लिये जगह नहीं दी जा सकती तो हम प्लानिंग

(श्री नारायणसिंह)

को सर्वांगीण रूप से कम कर जाते हैं। आज इस बात को देखते हुए वनों में प्लानिंग की आवश्यकता है। इसी लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 30 हजार हैक्टर्स में वन लगाने की आवश्यकता है जिसमें 75 लाख का प्रावधान रखा गया है। आर्थिक वृक्षारोपण में 6 हजार किलोमीटर में दो हजार हैक्टर में आर्थिक वृक्षारोपण की आवश्यकता है। इस पर 75 लाख का प्रावधान रखा गया है। अगले वर्ष भी एक में 7 लाख का और आर्थिक वृक्षारोपण के लिये 7 लाख की राशियां रखी गई हैं, जिनकी आवश्यकता भी आज काफी हद तक पूरी करती हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें कटौती प्रस्तावों में कन्सेशनल कूप्स के लिये कही गई, कुछ ने कहा कि लकड़ियों की आवश्यकता पूरी नहीं होती, कुछ ने कहा वन अधिकारियों के जुल्म होते हैं, मैं मानता हूं इसमें काफी कमियां हैं, वन अधिकारियों का कुसूर हो सकता है, वे भी आखिर मनुष्य हैं, मानव हैं। मैं यह भी निवेदन कर सकता हूं कि जहां फोरेस्ट गार्ड और फोरेस्टर बहुत छोटे अधिकारी वनों की रक्षा के लिये एक जगह खड़े हैं और दत्तचित हो कर ईमानदारी से वनों की रक्षा कर रहे हैं, उस समय सारा गांव लाठी ले कर आ गया और उनको पीट कर उनके हाथ पावं तोड़ दिये तो वे क्या कर सकते हैं, केवल पुलिस में कम्प्लेंट कर सकते हैं, एफ० आई० आर० दर्ज करा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो एक तरफ तो उनको पिटने का डर, दूसरी तरफ ईमानदारी से वन की रक्षा करने का कर्त्तव्य, इन दोनों स्थितियों के बीच में इस प्रकार के हमारे छोटे एम्प्लोई हैं वे क्या करें?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : ऐसा कहां हुआ है, आप एक भी जगह का नाम बताइये।

श्री नारायणसिंह : आपके यहां नहीं हुआ। पर इस प्रकार की शिकायतें और-और जगहों से आई हैं। दोनों तरफ की ज्यादती हो सकती है। वे भी गरीब और छोटे तबके के आदमी हैं, उनकी दशा को अंकन करने की आवश्यकता है। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्सेशनल कूप्स से लकड़ियां दिये जाने की आवश्यकता है, दूसरी तरह की लकड़ियां दिये जाने की आवश्यकता है, आज वन इतने कट रहे हैं कि जहां कन्सेशनल कूप्स से लकड़ियां दी जानी चाहिए वहां वन समाप्तप्राय हो रहे हैं और जहां से इस प्रकार कन्सेशन रेट्स से लकड़ियां दी जा सकती हैं वे वन वहां से दूर हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि स्थानीय व्यक्ति विशेष ने ध्यान नहीं दिया कि लकड़ी खत्म हो रही है, इसे रोका जाय। परिणाम यह निकला कि हम जिस टहनी पर बैठे थे उस ही को काटने लग गये और जब वह टहनी कट कर नीचे गिर पड़ी तो हम भी धड़ाम से नीचे आकर गिर पड़े। तो सवाल आज यह है कि वन हमारे हैं, उनकी रक्षा के लिये हमें जागरूक हो कर कार्य करना चाहिये। वनों की रक्षा के लिये हमने यह योजना बनाई है। इस विषय में यह भी विचार किया गया है कि कन्सेशनल कूप्स से कन्सेशनिस्ट्स को लाभ मिले, वन अधिकारी यह भीख बहाना ले लेते हैं कि कन्सेशनिस्ट्स वनों के अन्दर

(श्री नारायणसिंह)

घुस आये इसलिये सोच विचार कर यह व्यवस्था की गई है कि कन्सेशनिस्ट्स के लिये लकड़ियों के डिपोज खोल लिये जायें, जहां से वे कन्सेशन पर लकड़ी प्राप्त कर सकें।

इस विषय में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह प्रश्न था कि वनों को राजस्व के आधार पर प्रगति पर लाया जाय या विकासीय प्रगति पर लाया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वनों को डेवेलप्ड तौर पर देखने की आवश्यकता है, राजस्व के तौर पर नहीं देखना है, वनों में माइनर फोरेस्ट्स, मेजर फोरेस्ट्स को तेंदू पत्ते, कत्था, गोंद इत्यादि इत्यादि और भी दूसरे जो प्रोडयूस हैं उन सब का क्रमवार नेशनेलाइजेशन की व्यवहारिक पोलिसी के नीचे लाया जाय और उनके ऊपर आधारित इन्डस्ट्रीज लगा दी जायें, जिससे सारी इन्डस्ट्रीज चलें.......

श्री रामचन्द्र आर्य : आप बहुत तकलीफ पा रहे हैं.....

श्री नारायणसिंह : इसको नेशनेलाइज किस तरह से किया जाय, इसकी डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं हो तो मैं नहीं जाऊंगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमें कोई शक नहीं है, हम आपसे सन्तुष्ट हैं, इस मांग को हम सर्वसम्मति से स्वीकार करने को तैयार हैं।

श्री नारायणसिंह : इस विषय में फोरेस्ट माइनर प्रोडयूस एक्सप्लोइटेशन के नाम पर ऐसा रखा जाय कि जितनी सीमा में जिस जिन्स को नेशनेलाइज करना हो क्रमशः करते जांय और अन्ततोगत्वा पूरी तरह से नेशनेलाइज कर दें। क्योंकि यह शंका होती है कि सारा एकदम नेशनेलाइज करने से यह लाभदायक हो सकेगा या नहीं....

एक माननीय सदस्य : आदिवासियों को ट्रेनिंग के लिये भेजने के बारे में कहा गया था, उसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री नारायणसिंह : तो इस प्रकार की चीजों का निर्माण करना चाहते हैं तो इस विषय में सोचना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : आदिवासियों को ट्रेनिंग में भेजने के लिये आपने कुछ नहीं कहा।

श्री नारायणसिंह : एक-एक चीज सुनने के लिये तैयार हैं तो मैं वह सुना दूंगा, क्योंकि सदन में इस बात की व्यग्रता है कि मैं जल्दी समाप्त करूं इसलिये मैं तेन्दू पत्ते आदि की सारी फिलोसफी में नहीं घुसना चाहता। इसके अलावा थोड़े-छोटे छोटे विषय हैं उनको मैं छोड़ने को तैयार हूं, जो कुछ कटौती प्रस्ताव सामने आये हैं, उनमें से कई कटौती प्रस्तावों के विषय में मैं निवेदन कर चुका हूं। यदि सदन की मंशा हो तो मैं अलग अलग कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में निवेदन करने को तैयार हूं, लेकिन अगर मंशा नहीं है तो मैं अपना स्थान ग्रहण करने के लिये तैयार हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : बाकी बचेंगे, उनका उत्तर डिप्टी मिनिस्टर दे देंगे।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : व्यवस्था का प्रश्न है, जितने कटौती प्रस्ताव

(श्री केसरीसिंह हाडा)

रख गये हैं, उनको विथड्रा कराया जायगा या क्या किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जो कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुए हैं, उनके उत्तर आप चाहेंगे तो मिल जायेंगे।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 1,60,35,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

यातायात मंत्री।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मोटर गाड़ियों के संबंध में मैं अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं मैं उन कास्वागत करता हूं। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देने के उपरान्त भी नहीं बोल पाये और जो माननीय सदस्य बोल पाये हैं, उन सब के बारे में दो मिनिट मैं निवेदन करना चाहूंगा। उन सब कटौती प्रस्तावों का सार यह है कि जिन रूट्स पर गाड़ियां चल रही हैं वहां यात्रियों को असुविधा हो सकती है, उनमें कैपेसिटी से अधिक सवारियां बैठ जायं, टाइमिंग के बारे में दिक्कतें हैं, स्कोप के बारे में दिक्कतें हैं और जिन माननीय सदस्यों ने टैक्स इवेजन के लिये कहा और अन्य असुविधायें हो सकती हैं, मैं उन सब सुझावों का स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यों ने आग्रह किया कि कुछ मितव्ययता की जाय तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1967-68 में 2 करोड़ 40 लाख, 1968-69 में 2.64 लाख का लक्ष्य था उसमें से 2 करोड़ 50 लाख की उपलब्धि हो चुकी है। कुल आमदनी का 4 परसेन्ट आता है। यह मैं जरूर मंजूर करता हूं कि इतना बड़ा राजस्थान है उसमें चैकिंग पूरा इन्तजाम होने के लिये काफी स्टाफ चाहिये। स्टाफ उतना का उतना ही है यद्यपि वाहन काफी बढ़ गये हैं। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि टैक्स इवेजन न हो और पूरी चैकिंग हो। इसके सम्बन्ध में राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कितना स्टाफ बढ़ाया जा सकता है उसकी कोशिश करूंगा।

स्कोप के बारे में कहा गया। मोटर गाड़ियां कहीं-कहीं कम चलती हैं। अधिक की गुन्जाइश है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की आमदनी बढ़ती है तो उसके लिये प्रयत्न करूंगा।

माननीय मेहता साहब ने मोडल के लिये कहा कि नये मोडल की गाड़ियां चलनी चाहिये और सब सुविधाओं के साथ। ए क्लास रूट के लिये तो यह है और सैकिन्ड क्लास रूट के लिये भी। थर्ड क्लास रूट है वहां गाड़ियों की टूट फूट की दिक्कतें रहती हैं। मेहता साहब के सुझाव का स्वागत करता हूं और यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेकेनिकल इन्सपेक्टर्स इसको देखेंगे कि किस मोडल की गाड़ी हो लेकिन ऐसी हालत में वह जरूर चले कि जिससे असुविधा न हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शराब पीये हुए कोई न चलाये।

श्री अमृतलाल यादव : व्यक्तिशः मैं मेहता साहब के सुझाव से सहमत हूं और राज्य परिवहन मंत्री के तौर पर भी इसको पसन्द करूंगा कि गाड़ी चलाये तब शराब न पीयें। इस बात की पूरी चैकिंग करूंगा और ध्यान रखूंगा कि मोटर चलाते समय दारू पीये हुए न हो।

जो कुछ सुझाव माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन्स के द्वारा दिये हैं मैंने उनका संक्षेप में जवाब देने का प्रयत्न किया है। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन मेरी इस मांग को मंजूर करने की कृपा करे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14 लाख 18 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 6.05 बजे, दिनांक 18-3-69 के म० पू० 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

— —

परिशिष्ट : 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची)

1. Shri Khimsingh Beg Singh.
2. Shri Darege Venel Jothoji.
3. Shri Bikha Ram Poonamji.
4. Shri Heer Singh Jalam Singh.
5. Shri Shah Santos Chand Rajmal.
6. Shrimati Mahadevi Sharma. C/o Jaswantsingh.
7. Shri Jodhram Mali.
8. Shri Ganesh Gauri Goswami.
9. Shri Sumernath Gurtu.

Page No 159

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची)

राजस्थान में प्रथम श्रेणी (रोग शैयाएँ 300 या ज्यादा) व द्वितीय श्रेणी (रोग शैयाएँ 150 से 299 तक) के अस्पतालों के नाम जहां एसेप्टिक व सेप्टिक ओपरेशन थियेटर की व्यवस्था है:—

क्रम सं०	अस्पतालों के नाम	श्रेणी	एसेप्टिक ऑपरेशन थियेटर	सेप्टिक ऑपरेशन थियेटर
1.	जे० एल० एन० अस्पताल, अजमेर	प्रथम	है	नहीं
2.	पी० बी० मेन्स अस्पताल, बीकानेर	प्रथम		
3.	पी० बी० वूमेन्स अस्पताल, बीकानेर	प्रथम	है	है
4.	जी० जी० जे० टी० बी० अस्पताल, बीकानेर	द्वितीय		
5.	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	प्रथम		
6.	जनाना अस्पताल, जयपुर	द्वितीय		
7.	मानसिक अस्पताल, जयपुर	द्वितीय	है	है
8.	वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, जयपुर	द्वितीय		
9.	एम० जी० अस्पताल, जोधपुर	प्रथम		
10.	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	प्रथम	है	है
11.	जनरल अस्पताल, उदयपुर	प्रथम		
12.	जनाना अस्पताल, उदयपुर	द्वितीय	है	है
13.	एस० आर० बी० बी० आई० ए० सदन, बाड़ी (उदयपुर)	द्वितीय		
14.	जनरल अस्पताल, अलवर	द्वितीय	है	है
15.	जनरल अस्पताल, भरतपुर	द्वितीय	है	है
16.	एम० बी० एस० अस्पताल, कोटा	द्वितीय	है	नहीं

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची)

राजस्थान में माह नवम्बर-दिसम्बर, 1968 एवं जनवरी, 1969 में आन्त्रशोथ से पीड़ित रोगियों व मृतकों की संख्या की जिलेवार सूची

क्रम सं०	नाम जिला	नवम्बर, 1968		दिसम्बर, 1968		जनवरी, 1969	
		रोगी	मृतक	रोगी	मृतक	रोगी	मृतक
1.	गंगानगर	—	—	1	—	20	—
2.	जयपुर	115	15	—	—	—	—
3.	चित्तौड़गढ़	—	—	10	—	—	—
4.	बीकानेर	69	—	6	—	15	3
5.	उदयपुर	21	2	19	1	6	—
6.	डूंगरपुर	—	—	1	—	—	—
7.	पाली	23	—	13	—	9	—
8.	अजमेर	10	—	—	—	2	—
9.	कोटा	7	—	—	—	—	—
10.	अलवर	4	—	—	—	—	—
11.	जोधपुर	8	—	4	—	3	—
12.	सिरोही	11	—	10	—	—	—
13.	चूरू	17	2	35	3	—	—
	योग ..	285	19	99	4	55	3

राजस्थान में माह नवम्बर, 1968, दिसम्बर, 1968 एवं जनवरी, 1969 में हैजा से पीड़ित रोगियों व मृतकों की संख्या की जिलेवार सूची

क्रम सं०	नाम जिला	नवम्बर, 1968		दिसम्बर, 1968		जनवरी, 1969	
		रोगी	मृतक	रोगी	मृतक	रोगी	मृतक
1.	पाली	21	—	—	—	—	—
2.	चूरू	—	—	1	—	—	—
	योग ..	21	—	1	—	—	—

Page No 161

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 331 की सूची)

सूची (अ)

जिला जयपुर तहसील जमवारामगढ़ के निम्नलिखित ग्रामों को स्वीकृत योजनाओं, सन् 1966 से 69 ई०, के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

क्र० सं०	नाम ग्राम	नाम योजना व साल	तिथि विद्युतीकरण करने की
1.	चारण की नागल ग्राम	सन् 1966-67 में स्वीकृत	6-2-67
2.	बिलूची	"	30-1-67
3.	श्री गोविन्दपुरा	"	30-1-67
4.	रुडल	"	20-2-67
5.	खोरामीना	"	4-2-67
6.	गुनावता ग्राम	सन् 1968-69 में स्वीकृत	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
7.	लबाना	"	"
8.	अनो	"	"
9.	नटटा	"	"
10.	बासना	"	"
11.	साईवाड	"	"
12.	बथ रसूलपुरा	"	"
13.	मथरादासपुरा	"	"
14.	चक माताजी की नागल	"	"
15.	होरा बाला	"	"
16.	माल्यावाला	"	"
17.	कुकराल	"	"
18.	कोलिमा	"	"
19.	पाली	"	"
20.	बिसोरो	"	"
21.	गुवारडो	"	"
22.	गोनवाला	"	"
23.	लागरियावास	"	"
24.	भानुपुर खुर्द	"	"
25.	गोट की पट्टी	"	"
26.	नागल तुलारो दास	"	"
27.	कुराना	"	"
28.	चक चैकपुरा साईवा ड	"	"
29.	इन्दरगढ़	"	"

सूची (ब)

LIST OF PENDING APPLICATIONS OF ELECTRIFIED LOCALITIES OF TEHSIL JAMUA - RAMGARH FROM WHOM SECURITY HAS BEEN DEPOSITED

Serial No.	Applicant	Date of receipt	Date of demand notice issued	Payment received	Date of connection	Reasons for not giving connections
	Shri Govindpura:					
1.	Shri Ramal Raj, Raj Kumar Singh ..	8-12-66	9-8-67	9-8-67	..	Transformer installed in this month only.
2.	Shri Jaggnath Nanu, Ganesh Sheo Bux ..	25-7-67	29-3-68	16-4-68	..	,,
3.	Shri Teja Khangalia S/o Ishwar ..	,,	,,	6-4-68	..	,,
4.	Shri Dhanna Mangia, Jaganath, Mangla ..	,,	,,	,,	..	,,
5.	Shri Ghisa, Ganesh, Ramnath, Beeja Gat ..	31-7-67	,,	,,	..	,,
	Ballanchqi:					
1.	Shri Kishan Suwa lal S/o Sadhuram ..	25-7-67	29-3-68	6-4-68	..	Transformer not installed.
2.	Shri Teja, Mangoo, Bhotia, Dena, Birdha	,,	,,	,,	..	,,

सूची (ब)

Serial No.	Applicant	Date of receipt	Date of demand notice issued	Payment received	Date of connection	Reasons for not giving connections
3.	Shri Ganesh, Ladu, Goma S/o Raghu Nath	25-7-67	29-3-68	6-4-68	..	Transformer not installed.
4.	Shri Nathu, Jaganath, Birdha, Munia S/o Sadhu..					
5.	Shri Ladu, Prabhat, Kishana S/o Chanda Prag Ram					
Khora Meena:						
1.	Sahri Ram Sahai S/o Ghumana.. ..	29-11-66	25-10-68	30-11-68	Line drawn	L. form not received.
2.	Shri Bharoo Lal S/o Birdha Lal ..	"	29-11-68	29-11-68	"	"
3.	Shri Govind Ram S/o Kana Ram ..	"	20-11-68	30-11-68	"	"
Charan-ki-Nagal:						
1.	Shri Chattru, Kana, Mahadave S/o Jagganath	30-4-67	25-9-67	29-9-67	Fitting incomplete	"

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सभा पर न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई माधोपुर जिले की नगरपालिकाओं को मनोरञ्जन कर का हिस्सा

338. **श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले की नगरपालिकाओं को 1968-69 में कितना-कितना रुपया मनोरंजन कर का अनुदान में दिया गया है तथा सन् 1967-68 में कितना दिया गया था ?

(2) किस किस नगरपालिका सीमा से मनोरंजन कर के रूप में कितना कितना रुपया राज्य सरकार को प्राप्त हुआ ? कृपया सन् 1967–68 व 1968–69 की जानकारी दें।

(3) इस प्रकार नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का कितना प्रतिशत उक्त सालों में देय हुआ है ?

(4) क्या सरकार नियम के अनुसार 85 प्रतिशत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को वर्ष 1967-68 व 1968-69 में प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार अनुदान स्वीकृत किया गया है :—

क्रम संख्या	नगरपालिका का नाम	राशि
1.	सवाई माधोपुर	रु० 1,460
2.	करोली	रु० 294
3.	गंगापुर	रु० 975
4.	हिन्डौन	रु० 1,779

वर्ष 1967-68 एवं 1968-69 में उक्त नगरपालिकाओं की सीमा से मनोरंजन कर के रूप में निम्न राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई:—

	1967–68	1968–69 (केवल 31-1-1969 तक)
1. सवाई माधोपुर	32,138.66	37,168.24
2. करौली	16,185.70	15,625.72
3. गंगापुर	37,149.57	36,192.42
4. हिन्डौन	7,788.08	9,708.09

चम्बल भू-संरक्षण परियोजना

339. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि "चम्बल भू-संरक्षण परियोजना" के अधीन जावरा जल गृह प्रदर्शन योजना तैयार की गई थी ? अगर हां, तो कब, क्यों व किसके द्वारा ?

(2) क्या यह योजना पूरी हो चुकी है? अगर हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि इस तालाब की भूमि कई खातेदारों की है ? अगर हां, तो क्या अवाप्त करने की कार्यवाही की गई ?

(4) आज उक्त योजना की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) जी हां। 1963-64 में विभिन्न प्रकार के भूमि संरक्षण कार्यों के प्रदर्शन हेतु

(श्री धन मंत्री)

भारत सरकार के सोईल कन्जर्वेशन रिसर्च एवं डिमोन्ट्रेशन ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा के द्वारा योजना तैयार हुई जिसे परियोजना अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया गया।

(2) जी हां। रु० 2,85,343.55 व्यय हुआ है।

(3) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई है।

(4) कार्य समाप्त हो चुका है। किये गये कार्यों को संधारण maintain किया जा रहा है।

गंगानगर जिले में मुरब्बों के तबादले

340. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर जिले में जो मुरब्बों का एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला किया जाता है उसके लिये कोई नियम बने हुए हैं या नहीं? यदि हैं, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(ख) यदि नियम बने हुए नहीं हैं तो ये तबादले कैसे, किस आधार पर किये जाते हैं?

उत्तर

(क) राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम, 1955 के नियम, 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सवाई माधोपुर जिले की न्याय पंचायतें

341. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** : (सवाई माधोपुर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितनी न्याय पंचायतें है तथा इनमें से कितनी न्याय पंचायतें ऐसी हैं कि जिनमें सदस्य संख्या न्याय पंचायत का काम चलाने के लिए पर्याप्त हैं तथा कितनी ऐसी हैं जिनमें सदस्यों के स्थान रिक्त होने के कारण न्याय पंचायत का काम नहीं चल सकता?

(2) उक्त जिले में जिन न्याय पंचायतों में कोरम लायक तक सदस्य संख्या नहीं है और स्थान रिक्त पड़े हैं उनमें ये स्थान कितने अर्से से रिक्त पड़े है? न्याय पंचायत का नाम व रिक्त स्थान एवं रिक्त होने की अवधि की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) इन पंचायतों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अब तक न कराए जाने के क्या कारण हैं?

(4) इन स्थानों पर चुनाव कराए जाने के लिये राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) 71 न्याय पंचायतें हैं उनमें से 67 न्याय पंचायतें ऐसी हैं जिनकी सदस्य संख्या कार्य चलाने के लिये पर्याप्त हैं तथा 4 न्याय पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सदस्यों के स्थान रिक्त होने के कारण कार्य नहीं हो रहा है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखी गई हैं।

(3) जिलाधीश को सूचना नहीं भेजने के कारण।

(4) इन रिक्त स्थानों के चुनाव इसी माह में करवाना निश्चित किया गया है।

सूची

सवाई माधोपुर जिले की न्याय पंचायतों की सूची जिनमें सदस्यों के स्थान रिक्त होने से कोरम बनने लायक संख्या नहीं रह गई है।

नाम पंचायत समिति	न्याय पंचायत	
1. खण्डार	बहरावडा कलां	6 स्थानों में से चार स्थान रिक्त हैं दो सन् 1965 से तथा दो सन् 1966 से।
2. „	फलोदी	6 स्थानों में से चार रिक्त हैं दो स्थान 1965 से तथा दो 1966 से रिक्त हैं।
3. „	बिचपुरी गुजरान	5 स्थान हैं जिनमें से 3 स्थान 1966 से रिक्त हैं।
4. गंगापुर	खुदरू कलां	5 स्थानों में से 3 स्थान सन् 1967 से रिक्त हैं।

बूंदी जिले में चम्बल नहर से सिंचाई

342. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में चम्बल सिंचाई नहर द्वारा सिंचाई कितने एकड़ भूमि में होती है ? जिसमें नहर व धोरों द्वारा पानी पहुंच जाता है ?

(2) जिले में कितनी जमीन ऐसी है जो कि कमान्ड एरिया है और जिसमें नहर द्वारा आज तक भी पानी नहीं पहुंच पाया है ?

(3) जहां नहर द्वारा पानी नहीं जा रहा है वहां पानी पहुंचाया जायेगा या नहीं ?

(4) यदि पानी नहीं दिया जायेगा तो क्या सरकार इस कमान्ड एरिया को अन-कमान्ड घोषित करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में चम्बल नहरों के अधीन लगभग 2,45,000 एकड़ सी० सी०ए० में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं जिसमें वार्षिक सिंचाई 1,86,000 एकड़ में हो सकती है।

(2) लगभग 93,000 एकड़।

(3) जहां पानी पहुंच सकता है, वहां पानी पहुंचाये जाने हेतु योजनाएं तकनीकी दृष्टि से विचाराधीन हैं।

(4) जिन क्षेत्रों में किसी भी योजना के अन्तर्गत पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है, उन क्षेत्रों को कमाण्ड से बाहर निकालने का मसला सरकार के विचाराधीन है।

Page No 167

छीपाबड़ोद रेन्ज में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

343. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छीपाबड़ोद रेन्ज, जिला, कोटा में सन् 1968 में लोगों द्वारा कितनी वन भूमि पर अनुचित हस्तक्षेप किया गया है ?

(2) क्या इस रेन्ज में पंचायत समिति द्वारा भी अनधिकृत कब्जा किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों का प्रमुख हाथ है एवं सरकार ने इस पर क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) छीपा बड़ौद रेन्ज में सन् 1968 में वन भूमि पर कोई नया अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया गया।

(2) जी हां, पंचायत समिति के जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनकी सूची संलग्न है । इन व्यक्तियों के खिलाफ चालान अदालत किया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

तहसील पाटन में भूमि का बेचान

344. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील पाटन में कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा नीलामी से जमीनें बेची गई हैं ?

(2) क्या यह जमीनें जलसे आम में बोली लगा कर बेची गई थीं ?

(3) कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा कुल कितनी जमीन इस तहसील में बेची गई है ?

(4) इस बेचान से कुल कितनी रकम विभाग द्वारा प्राप्त की गई और सबसे अधिक एक बीघे पर किस जगह रकम प्राप्त हुई और कितनी ?

(5) इस तहसील में नहरों में आई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को सरकार ने किस दर से दिया और सरकारी रेट क्या निर्धारित है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा इस तहसील में कुल 7,775।।) बीघा जमीन बेची गई है ।

(4) इस बेचान में विभाग द्वारा कुल रकम 8,23,487.37 पैसे प्राप्त किये गये । तथा ग्राम काप्रेन में इस बेचान में एक बीघा की सबसे ज्यादा रकम प्राप्त हुई वह 800) रु० प्रति बीघा है ।

(5) भूमियों का मुआवजा भूमियों के क्लासीफिकेशन एवं उनके लगान की दरों के आधार पर नियमानुसार दिया गया । राज्य सरकार द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं है ।

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न सं० 327 की सूची)

पंचायत समिति, पीपलखूट द्वारा चने के बीज की खरीद में हुए घाटे का विवरण

1. कुल लागत मुताबिक बिल	14,462.51	रुपया
2. बांसवाडा आउट एजेन्सी से डिलीवरी लेने व गोदाम में रखने का खर्च	524	,,
कुल	14,986.51	,,
कमी टैक्सेज	400.11	,,
नीलामी से प्राप्त होने वाली रकम	7,425.50	,,
कम माल प्राप्त हुआ	252.00	,,
कुल	7,677.50	,,
लागत मूल्य के मुकाबले हानि	6,908.90	,,

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 219 की सूची)

सूची (अ)

नगर से नैनवा तक विद्युतीकरण किए हुए ग्राम :—

			जन संख्या	विद्युत्तिकृत कुओं की संख्या
1.	सुथली	त० नैनवा	405	—
2.	घोरपुरा	त० नैनवा	160	—
3.	पुराई	त० देवली	1181	5
4.	कोरमा	त० नैनवा	722	—

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची)

AMOUNT BILLED AND RECEIVED IN RESPECT OF WELLS LOCATED IN THE HOUSE OF SHRI DEEP CHAND PAHARIYA, LADNUN

Account No. 1—5—100

Year	Amount Billed		Amount Received	
	B. Dues	E. Duty	B. Dues	E. Duty
1966-67	396.81	6.00	396.81	6.00
1967-68	388.14	11.67	388.14	26.07
1968-69 (Up to Feb.)	479.09	14.28	244.62	14.28

Amount outstanding for the year 1968-69.

Board Dues 234.47.

Electricity Duty Nil.

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची)

सूची (अ)

STATEMENT OF DIESEL SETS INSTALLED AT BARMER POWER HOUSE

S. No.	Name of Diesel Set	Installed Capacity (K. W.)	Derated Capacity (K. W.)	Years already served	Condition.
1.	Quiminns	88 K.W.	..	3	Under repairs.
2.	Quiminns	88 K.W.	50	3	It is in running condition.
3.	Lister Black Stone ..	78 K.W.	..	13	It requires major repairs.
4.	Lister Black Stone ..	78 K.W.	55	13	It is in running condition.
5.	Cater Pillar ..	100 K.W.	50	9	It is in running condition.
6.	M. A. N.	1·0 K.W.	..	13	For want of main parts it is lying idle, on receipt of parts overhauling will be done.
7.	Cater Pillar ..	50 K.W.	30	9	It is in running condition.
8.	Quiminns	88 K.W.	50	3	It is in running condition.
9.	M. A. N.	133 K.W.	..	13	It requires repairs. Major parts are required.
10.	Lister Black Stone ..	300 K.W.	200	9	It is in running condition. Commissioned in September, 1968.
11.	M. A. N.	640 K. W.	450	5	It is in running condition. Commissioned on 28th February, 1969.
		1,763 K. W.	885		

सूची (

माह	अप्रैल, 68	मई, 68	जून, 68	जुलाई, 68	अगस्त व सितम्बर, 68	अक्टूबर, 68	नवम्बर, 68	दिसम्बर, 68	जनवरी, 69
यूनिट शहर को	36819	38831	30601	24966	56167	31032	33986	34509	26415
यूनिट वाटर वर्क्स को	54413	54155	56380	55163	9118	751595	63326	53404	54835

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 228 (174/पं० मं०) की सूची

पंचायत समिति छीपाबड़ोद की आय–व्यय का विवरण

वर्ष 1964–65 से 1968–69 (सितम्बर, 1968 तक)

आय					व्यय				
1964–65	1965–66	1966–67	1967–68	1968–69 (सितम्बर, 68 तक)	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68	1968–69 (सितम्बर, 68 तक)
3,06,760	4,85,571	3,79,083	5,03,231	1,64,593	2,90,582	3,85,112	5,41,995	4,74,459	2,25,109

Page No 173

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूची)

क्र. सं०	पंचायत समिति का नाम	न्याय पंचायत का नाम	रिक्त होने की अवधि
1	2	3	4
1.	सवाई माधोपुर	खिलचीपुर	21-2-68 से 2 स्थान रिक्त
2.	,,	सिवाड़	21-2-68 से 2 स्थान रिक्त
3.	,,	चौथ का बरवाड़ा	प्रारम्भ से 1 स्थान रिक्त
4.	,,	सूरवाल	21-2-68 से 2 स्थान रिक्त
5.	,,	भगवतगढ़	21-2-68 से 2 स्थान रिक्त
6.	खन्डार	खन्डार	सन् 1966 से 3 स्थान रिक्त
7.	,,	बहरांउडा कलां	सन् 1965 से 2 स्थान रिक्त सन् 1966 से 2 स्थान रिक्त
8.	,,	फलोदी	सन् 1965 से 2 स्थान रिक्त सन् 1966 से 2 स्थान रिक्त
9.	,,	बहरांउडा खुर्द	सन् 1965 से 2 स्थान रिक्त
10.	,,	बिचपुडी गूजरांन	सन् 1966 से 3 स्थान रिक्त
11.	बोंली	बोंली	सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
12.	,,	मित्रपुरा	सन् 1968 से 3 स्थान रिक्त
13.	,,	खिरनी	सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
14.	,,	पीपलवाड़ा	रिटायरमेंट के कारण से 1 स्थान रिक्त
15.	,,	पीपलदा	सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
16.	,,	मलारना बोड	सन् 1967 से 2 स्थान रिक्त सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
17.	,,	मलारना डूंगर	सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
18.	गंगापुर	खन्डीप	सन् 1967 से 1 स्थान रिक्त
19.	,,	वजीरपुर	सन् 1967 से 1 स्थान रिक्त
20.	,,	उदई कलां	सन् 1967 से 3 स्थान रिक्त
21.	,,	तलावड़ा	सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
22.	,,	खानपुर बडोद	सन् 1967 से 2 स्थान रिक्त
23.	नादोती, मु० बामनवास	नादोती	सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
24.	,,	गढ़मोरां	सन् 1968 से 2 स्थान रिक्त
25.	,,	शहर	सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
26.	महुवा	महुवा	तृतीय रिटायरमेंट से 3 स्थान रिक्त सन् 1968 से 1 स्थान रिक्त
27.	,,	रशीदपुर	1 स्थान रिक्त
28.	,,	मन्डावर	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
29.	,,	मेड़ता	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
30.	हिन्डोन	महूखास	सन् 1968 से अध्यक्ष का स्थान रिक्त
31.	,,	कोटरी	सन् 1965 से अध्यक्ष का स्थान रिक्त

Page No 174

1	2	3	4
32.	हिण्डोन	महावीरजी	सन् 1965 से अध्यक्ष का स्थान रिक्त
33.	,,	वरगंवा	सन् 1966 से अध्यक्ष का स्थान रिक्त
34.	टोडाभीम	शेखपुरा	सन् 1967 से अध्यक्ष का स्थान रिक्त
35.	,,	वालघाट	सन् 1967 से 2 स्थान रिक्त
36.	,,	जांल	सन् 1966 से 1 स्थान रिक्त
37.	,,	तिगरिया	सन् 1966 से 1 स्थान रिक्त
38.	,,	भेंजेडा	सन् 1967 से 2 स्थान रिक्त
39.	,,	नागल शेरपुर	सन 1967 से 2 थान रिक्त
40	,,	पदमपुरा	सन् 1967 से 2 स्थान रिक्त
41.	सपोटरा	सपोटरा	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
42.	,,	नारोली	तृतीय रिटायरमेंट से 1 स्थान रिक्त
43.	,,	करनपुर	तृतीय रिटायरमेंट से 1 स्थान रिक्त
44.	,,	अमरगढ़ डांग	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
45.	,,	कुडगांव	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
46.	,,	मंडराईल	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
47.	,,	लागरा	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
48.	करौली	गवरंडा	तृतीय रिटायरमेंट से 2 स्थान रिक्त
49.	,,	मासलपुर	तृतीय रिटायरमेंट से 1 स्थान रिक्त

———

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 1969)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
2		10	अन्तगत	अन्तर्गत
2		11	ार्थियों	प्रार्थियों
2	अन्तिम से	4	्वीकृत	स्वीकृत
2	अन्तिम से	2	ह	है
11		6	ह	है
14	अन्तिम से	4	व	वे
15		3	करत	करते
15	अन्तिम से	10	फक्ट	फैक्ट
17	अन्तिम		म	में
21		16	कानन	कानून
22	अन्तिम		देगा	दूंगा
23	अन्तिम से	12	बचेगे	बेचेंगें
26		12	फला	फैला
26	अन्तिम से	5	आपन	आपने
28	अन्तिम से	9	माननाय	माननीय
31	अन्तिम से	2	सची	सूची
32		5	लयाये	लगाये
32	अन्तिम से	11	सकशन	सेन्कशन
38	अन्तिम से	6	की	को
40	अन्तिम से	10	जिले किन किन	जिले में किन किन
45	अन्तिम से	12	अ दान	अनुदान
46		5	ख	खर्च
49		13	श्र जयनारायण सालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
53		16	वार्ढ	वार्ड
61		5	उपर	ऊपर
63	अन्तिम से	6	द्रा	द्वारा
64	अन्तिम से	4	बतान	बताने
66	अन्तिम से	13	बनान	बनाने

Page No 176

स्कम्भ सं०		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
67		11	घघर	घग्घर
67		14	बर्जी	बुर्जी
67		15	स्टशन	स्टेशन
69		4	पूण	पूर्ण
72		17	साक्षा कार	साक्षात्कार
75	अन्तिम से	5	ी	की
76		7	ी	की
81		11	सहं	सही
81	अन्तिम से	10	का	की
85	,,	5	मामल	मामले
96	,,	7	ो	को
96	,,	2	समं ा	समय
103		6	˜	में
110	अन्तिम से	12	व्यवहरिक	व्यवहारिक
110	,,	12	सं या	संख्या
113	,,	7	मंग	मांग
114	,,	7	जय	जाय
115		9	म	में
115		11	हो	होने
115		21	ोकने	रोकने
116	अन्तिम से	4	मख्य	मुख्य
118	,,	5	श्री दवोलाल बुरासिया	श्री देवीलाल बुरासिया
123	,,	5	द्वारा द्वारा ढेका नहीं दि	द्वारा ढेका नहीं दिये
125	,,	3	वारें में के लिये	बार में चर्चा के लिये
126		18	कं	कम
127	अन्तिम से	9	रख े	रखने
128	,,	8	लोसंल	लोकल
129		11	लोसल	लोकल
144		7	काबलियत नहीं पता नहीं	काबलियत का कहीं पता नहीं
144		21	फर्ती	फुर्ती
147		2	सचंक	सूचक
148	शीषर्क		स्तावं	प्रस्ताव
148	अन्तिम		हट	हटा

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
157	अन्तिम से 11	बरा	बुरा
164	शीर्षक	गय	गये
187	11	फसला	फैसला
218	शीर्षक	प्र तुत	प्रस्तुत
220	8	तो । तो	तो
221	4	जिम्मेदारो	जिम्मेदारी
225	20	खलेगीं	खुलेगी
228	10	आम	आप
232	अन्तिम	वा	वाले
237	14	नार्म	नाम
251	13	वन	वनों
251	18	दिमाग	विभाग
254	4	व्यू० डी० सीज०	यू० डी० सीज०
260	अन्तिम	एप्रव	एप्रूव
263	13	मिलेना	मिलेगा
274	अन्तिम से 13	म	में
275	अन्तिम	हर्ज न	हर्ज नहीं
277	„ से 15	वलार्को	वलर्को
280	„ 13	अनोप चारिका	अनौपचारिक
286	8	अफसोस कि	अफसोस है कि
286	13	आँल आँल इन्डिया	आँल इन्डिया
292	5	अनभव	अनुभव
296	शीर्षक	गगे	गये
297	अन्तिम से 11	भद्रा	भद्रता
313	„ 6	कटमोश स	कट मोशन्स